अध्याय-45

प्रोटोकाल विभाग

मा0 मंत्रियों व अन्य महानुभावों का भ्रमण :

625--राज्य के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उप मंत्रियों/संसदीय सचिवों/विधान परिषद के सभापति/उप सभापति/विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के भ्रमण पर प्रदर्शित किये जाने वाले शिष्टाचार संबंधी निर्देश।

अ--राज्य सरकार के मंत्रियों और राज्य मंत्रियों का भ्रमण :

1--प्रारम्भिक

2--भ्रमण का वर्गीकरण

3--भ्रमण की सूचना

4--स्वागत

5--बैठक

6--विदाई

7--सामान्य

1--प्रारम्भिक

मंत्रियों को सौजन्य प्रदर्शन :

शा0 सं0 56-3-ख (1)/24/77, दिनांक 25-3-1977

626--(1) राज्य सरकार के सदस्यों के रूप में मंत्रियों के साथ उस समय जबकि उनका जिला मुख्यालय और दूर के स्थानों में आगमन हो, अधिक से अधिक शिष्टाचार और आदर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इनमें निम्नलिखित बातें शामिल होगी:--

(क) आगमन पर स्वागत

(ख) मंत्री से भेट करना, और

(ग) उन्हें विदाई देना।

मंत्रियों के सम्बन्ध में आदेश राज्य मंत्रियों/विधान परिषद के सभापति/उप सभापति तथा विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में भी लागू होंगे।

627--शिष्टाचार सम्बन्धी पहलू के अलावा इन अवसरों पर मंत्रियों को सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जानने और उनके माध्यम से इस बात के सम्बन्ध में सीधे जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलता है कि प्रशासन कैसा चल रहा है और सरकार की नीतियों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। जहां तक अधिकारियों का सम्बन्ध है, वे अपना दृष्टिकोण और कभी-कभी अपनी कठिनाइयों को मंत्रियों के सामने रख सकते हैं और सामान्य नीति के मामले में बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं जो किसी और तरह से प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सकता। इस प्रकार ऐसे सम्पर्कों से प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ती है। इसके साथ ही सरकार यह चाहती है कि सभी प्रबन्धों में आडम्बरों और तड़क-भड़क से बचा जाय

और सादगी तथा मितव्ययिता बरती जाय। सरकार के सदस्यों के स्वागत के लिये या उनके साथ-साथ दौरे पर जाने के लिये सरकारी कर्मचारियों को अपना सामान्य कार्य तब तक न छोड़ना चाहिए जब तक कि नियमों में यह बात निर्धारित की गयी हो कि वे सरकार के सदस्यों के साथ उपस्थित रहें या ऐसा करना इतना जरूरी हो कि सामान्य सरकारी कार्य को स्थगित करने का औचित्य सिद्ध हो सके। शासन यह भी अपेक्षा करता है कि इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय और तब तक ऐसी असामान्य परिस्थितियां मौजूद न हो नियमों से विचलन न किया जाय।

2--भ्रमण का वर्गीकरण

628--मंत्रियों के भ्रमण निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किये जायेंगे :--

(क) शासकीय (औपचारिक)

(ख) गैर सरकारी

(ग) असरकारी (अनौपचारिक)

कोई आगमन तब तक शासकीय न समझा जायेगा जब तक मंत्री जी के दौरे के कार्यक्रम में इसका उल्लेख न किया गया हो। कोई भ्रमण गैर सरकारी नहीं समझा जायेगा जब तक कि दौरे के कार्यक्रम में इसे वर्गीकृत न किया गया हो। मंत्रियों के भ्रमण ज्यादातर शासकीय कार्य से होते हैं और यदि किसी भ्रमण में शासकीय या अनौपचारिक भ्रमण का उल्लेख न किया गया हो तो उसे गैर सरकारी भ्रमण समझा जायेगा।

अन्य शासकीय और गैर सरकारी भ्रमण के सम्बन्ध में स्वागत आदि का प्रबन्ध करना आवश्यक होगा किन्तु असरकारी (अनौपचारिक) भ्रमण की दशा में ऐसे प्रबन्ध की आवश्यकता न होगी।

3--भ्रमण के सम्बन्ध में सूचना

629--मुख्य मंत्री की दशा में मुख्य मंत्री के निजी सचिव और दूसरे मंत्रियों की दशा में उनके निजी सचिव दौरे के कार्यक्रम या भ्रमण सम्बन्धी निर्देशों के सम्बन्ध में यह उल्लेख करने के लिये जिम्मेदार होंगे कि भ्रमण शासकीय/गैर सरकारी या असरकारी (अनौपचारिक) प्रकार की श्रेणियों में से किस श्रेणी का है ताकि स्थानीय अधिकारियों को अपने कर्तव्य के सम्बन्ध में कोई शंका न रहे। इस सम्बन्ध में कोई त्रुटि रह जाने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी इसे मुख्य सचिव की जानकारी में ला सकते हैं।

मंत्री जी के निजी सचिव सभी भ्रमणों के सम्बन्ध में सूचना जारी करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इस सूचना में निम्न बातों का उल्लेख होगा--

(क) आगमन का समय, सफर का साधन अर्थात् हवाई जहाज, रेलगाड़ी या मोटरकार आदि।

(ख) ठहरने का स्थान।

(ग) भ्रमण के दौरान, कार्यक्रमों का व्यौरा।

(घ) प्रस्थान करने का समय और सफर करने का साधन, और

(ङ) मंत्री के साथ कौन-कौन लोग रहेंगे।

भ्रमण की सूचना आगमन के दिनांक से काफी पहले दी जायेगी। आमतौर पर पांच दिन की सूचना उचित समझी जायेगी। केवल आकस्मिक भ्रमण के मौके पर इस अवधि को शिथिल किया जा सकता है। यदि ठीक समय पर सूचना नहीं दी जाती है तो स्थानीय अधिकारियों के लिये इन निर्देशों का पालन करना कठिन होगा और इस स्थिति में यदि औपचारिकताओं के निर्वहन में कोई कमी रह जाय तो मंत्री उस पर वस्तुत: ध्यान नहीं देंगे।

अधिकारियों जिनकों सूचना दी जानी है--

630--(1) औपचारिक (शासकीय) भ्रमण की दशा में, भ्रमण की सूचना निजी सचिवों द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को दी जानी चाहिए :--

1--मण्डलायुक्त

2--जिलाधिकारी,

3--पुलिस अधीक्षक,

4--मंत्री के विभाग के अन्तर्गत आने वाले स्थानीय कार्यालयों के अध्यक्ष

5--मुख्यमंत्री की दशा में समस्त विभागों के और अन्य मंत्रियों की दशा में सम्बन्धित मंत्री के पोर्टफोलियों के अन्तर्गत आने वाले विभागों के रेंज या सर्किल आफिसर्स (जिनके क्षेत्राधिकार में स्थान पड़ता है जहां कि आगमन होना है)

6--मुख्यमंत्री की दशा में स्थानीय कार्यालयों के समस्त अध्यक्ष

7--केन्द्रीय सरकार के विभागों के सबसे वरिष्ठ अधिकारी जो उस स्थान में तैनात हो जहां कि भ्रमण होना है।

शा0 सं03408/56-3ख-(1)/24-77, दिनांक4-7-1984

निजी सचिव (1), (2), (3) और (4) को कार्यक्रम की प्रतियां सीधे भेज देगा और साथ ही अतिरिक्त प्रतियां भी (5),(6) और (7) को मार्क करके वितरण के लिये भेज देगा।

(2) किसी स्थान पर गैर सरकारी तथा असरकारी (अनौपचारिक) भ्रमण की दशा में केवल (2) तथा (3) में उल्लिखित अधिकारियों को उसी तरह सूचना भेजी जायेगी जिस तरह शासकीय आगमन होने पर भेजी जाती है।

(3) राज्य सरकार के वे अधिकारी जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रस्तावित भ्रमण की सूचना अपने से ठीक नीचे के अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी को देंगे।

(4) मुख्यमंत्री/मंत्रीगण के शासकीय भ्रमण कार्यक्रम की सूचना निजी सचिव द्वारा सम्बन्धित जिले के मा0 सांसदों एवं विधायकों को सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से या सीधे जैसा सुविधाजनक हो, अपरिहार्य रूप से भेजी जायेगी और जिलाधिकारियों के माध्यम से वे आवश्यकतानुसार उक्त भ्रमण कार्यक्रम की सूचना स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित कराने का अनुरोध करेंगे।

4-स्वागत :

(अ) शासकीय भ्रमण :

631--(1) रेल या हवाई जहाज से यात्रा की स्थिति में मुख्यमंत्री जी का रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे पर, जैसी स्थिति हो, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जहां जो भी तैनात हो, तथा मुख्यमंत्री जी से संबंधित अन्य विभागों के वरिष्ठतम अधिकारी स्वागत के लिये उपस्थित रहेंगे। यदि भ्रमण मण्डल मुख्यालय पर हो तो मण्डलायुक्त तथा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक भी उपस्थित रहेंगे।

(2) अन्य मंत्रियों के भ्रमण के अवसर पर वरिष्ठ सिविल तथा पुलिस अधिकारी एवं मंत्री जी से संबंधित विभागों के वरिष्ठतम अधिकारी स्वागत हेतु उपस्थित रहेंगे।

(3) तहसील मुख्यालय या तहसील के किसी दूर के स्थानों में, मंत्रीजी के स्वागत के लिये जिलाधिकारी किसी राजपत्रित अधिकारी को भेजेंगे।

पुलिस अधीक्षक भी किसी उचित श्रेणी के अधिकारी को मंत्रीजी के स्वागत के लिये भेजेंगे।

टिप्पणियाँ :

632--(1) स्वागत के बाद जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, अन्य वरिष्ठ सिविल/पुलिस अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के लिये आगन्तुक के साथ उनके सफर में जिले के विभिन्न स्थानों में जाना जरूरी न होगा। लेकिन ऐसे प्रकरणों में अधिकारियों को अपने विवेक से काम लेना चाहिए और यदि किसी विशेष भ्रमण के अवसर पर ऐसा करना आवश्यक हो तो वे आगन्तुक के साथ ऐसे भ्रमण में पूरी या कुछ दूरी तक जा सकते हैं।

(2) जिलाधिकारी के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह सड़क से होकर आने वाले विशिष्ट आगन्तुकों का स्वागत करने के लिये मुख्यालय से बाहर जायें और फिर उनके साथ मुख्यालय में वापस आयें और इसी तरह उन्हें बिदा करने के लिए उनके साथ जिले की सीमा तक जायें। यह प्रथा बन्द कर दी जानी चाहिए, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां पर आगन्तुक द्वारा जिलाधिकारी के साथ रहने की विशिष्ट इच्छा की गयी हो। शा0 सं0-976 प्रो0/56(1)/14-77, दिनांक 12-3-1985

(3) यदि दूर के स्थान में भ्रमण का सम्बन्ध किसी विभाग से हो तो सम्बन्धित विभाग के राजपत्रित अधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को उपस्थित रहना चाहिये।

(4) ऐसी दशाओं में जब मंत्री ने कार में सफर किया हो और वे किसी सर्किट हाऊस, निरीक्षण गृहों या किसी अन्य स्थानों पर ठहरे हों, सम्बन्धित पदाधिकारियों के लिये मंत्री के भ्रमण के समय इन स्थानों पर उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है, सिवाय उस दशा में जबकि निजी सचिव से प्राप्त भ्रमण की सूचना में ऐसा करने का विशेष अनुरोध किया गया हो। भ्रमण का समय अनिश्चित होने के कारण ऐसे मामलों में उनका उपस्थित रहना जरूरी नहीं समझा गया है।

(5) शीतकालीन दौरे जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त अधिकारियों को दौरे से वापस न बुलाया जाय जब तक किसी अधिकारी विशेष की उपस्थिति मंत्री महोदय द्वारा विशेष रूप से न चाही गई हो। मंत्रियों के जिलों में दौरों के अवसर पर वहां उपलब्ध उपयुक्त स्तर के अधिकारी से आवश्यक शिष्टाचार एवं सौजन्य प्रदर्शन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न कराया जाना चाहिये।

(ब) गैर सरकारी भ्रमण :

633--गैर सरकारी भ्रमण की दशा में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री के स्वागत हेतु किसी राजपत्रित सिविल/पुलिस अधिकारी को भेजेंगे। अन्य मंत्रियों की दशा में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अपने से संबंधित किसी जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी को स्वागत हेतु भेजेंगे।

(स) असरकारी (अनौपचारिक) भ्रमण :

634--असरकारी (अनौपचारिक) भ्रमण की दशा में, औपचारिक रूप से स्वागत व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है।

मुख्यमंत्री के आगमन/प्रस्थान के अवसर को छोड़कर रात्रि के समय वायुयान या रेल द्वारा, अन्य मंत्रियों के आगमन/प्रस्थान पर उनका स्वागत/बिदा करने की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं है परन्तु उनके स्वागत/प्रस्थान के समय एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी अवश्य ही उपस्थित रहेगा। यदि कोई मंत्री दिन में या रात में सफर करते हुये रास्ते में हो तो किसी अधिकारी का उससे मिलना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर कोई मंत्री यह चाहते हों कि राज्य सरकार को कोई अधिकारी उनसे उस समय मिलें जबकि वे रात में रेल या वायुयान से पहुँच रहे हों या वे यह चाहते हों कि उनके लिये परिवहन जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की जाय तो तद्नुसार प्रबन्ध किया जाएगा, बशर्ते कार्यक्रम में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो।

5--भेंट करना

(अ) शासकीय भ्रमण :

मुख्यमंत्री द्वारा :

635--(1) जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा विभागों के वरिष्ठतम अधिकारी मुख्यमंत्री जी से भेंट करेंगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि मुख्यमंत्रीजी अतिथि गृह (निरीक्षण गृहों) में न ठहरें बल्कि किसी गैर सरकारी व्यक्ति के यहाँ ठहरें तो अधिकारियों के लिये उनसे भेंट करना अनिवार्य न होगा।

(2) भारत सरकार के वर्तमान आदेशों के अनुसार भ्रमण के स्थान पर तैनात केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी के लिये यह आवश्यक है कि वह मुख्यमंत्री से भेंट करेंगे। प्रस्तावित भ्रमण की सूचना मुख्यमंत्री के निजी सचिव द्वारा जिलाधिकारी को भेजी जायेगी और जिलाधिकारी केन्द्रीय सरकार के संबंधित अधिकारियों को सूचित करने का प्रबन्ध करेंगे।

(3) अन्य मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के भ्रमण पर :

636--(1) जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मंत्री के अधीनस्थ विभाग या विभागों के वरिष्ठतम अधिकारी मंत्री से भेंट करेंगे। किसी अन्य अधिकारी के लिये मंत्री से भेंट करना आवश्यक नहीं होगा।

(2) किन्तु यदि मंत्री किन्हीं अन्य अधिकारियों से मिलना चाहें तो मंत्री के निजी सचिव द्वारा कार्यक्रम में या अलग से इसका उल्लेख किया जायेगा। यदि इसकी पहले से सूचना देना सम्भव न हो तो जिले में पहुँचते ही जितनी जल्दी सम्भव हो इसकी सूचना निजी सचिव द्वारा जिलाधिकारी या सम्बन्धित अधिकारियों को दी जायेगी।

(3) किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि मंत्री सर्किट हाऊस/निरीक्षण गृह में न ठहरें बल्कि किसी गैर सरकारी व्यक्ति के यहाँ ठहरें तो अधिकारियों के लिये उनसे भेंट करना अनिवार्य न होगा।

(4) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक विभाग के अधिकारी के लिये मंत्रियों से भेंट करना आवश्यक नहीं है। परन्तु यदि मंत्री किन्हीं अधिकारियों से मिलना चाहेंगे तो उसकी सूचना मंत्री जी के निजी सचिव द्वारा जिलाधिकारी को भेजी जायेगी और जिलाधिकारी केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित करने का प्रबन्ध करेगा।

(5) इसी प्रकार भारत के निर्देशों के अन्तर्गत राज्य के मुख्यालय पर तैनात केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी के लिये यह आवश्यक है कि वे मंत्री से भेंट करें। जब कोई नया अधिकारी कार्यभार ग्रहण करेगा या कोई नया मंत्री नियुक्त हो तो मंत्री से दोबारा भेंट करना आवश्यक होगा।

(6) यदि कोई मंत्री किसी स्थान पर कुछ ही घण्टे रहे तो किसी अधिकारी के लिये उससे भेंट करना आवश्यक न होगा, सिवाय इसके जबकि विशेष रूप से उसे न बुलाया जाय।

(7) मंत्री के वैयक्तिक स्टाफ द्वारा एक अभ्यागत पंजी (बिजीटर्स बुक) रखी जायेगी जिसमें मंत्री से भेट करने हेतु आये हुए सभी अधिकारी अपना नाम दर्ज करेंगे। यदि मंत्री से भेंट करने आये आगन्तुक के आने के समय मंत्री मौजूद न हों या उससे मिलने में असमर्थ हों तो भेंट करने आया व्यक्ति वहां अपना कार्ड भी छोड़ जायेगा। वैयक्तिक स्टाफ इस बात का प्रबन्ध करने के लिये जिम्मेदार होगा कि मंत्री के आगमन के दौरान अभ्यागत पंजी उस स्थान पर आसानी से उपलब्ध रहे जहाँ मंत्री ठहरे हों। साथ ही वैयक्तिक स्टाफ उसे यह सूचना देगा कि वास्तविक भेंट के लिये उसे दूसरी बार आने की आवश्यकता है या नहीं और यदि आने की आवश्यकता है तो उसे किस दिन और कितने समय आना होगा।

(8) भेंट करने के लिये जहां तक सम्भव हो घण्टे निश्चित कर दिये जायेंगे और वैयक्तिक स्टाफ इसकी सूचना सभी सम्बन्धियों को तद्नुसार दे देगा। भेंट के समय की सूचना वैयक्तिक स्टाफ द्वारा जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मंत्री के अधीन विभाग/विभागों के वरिष्ठतम अधिकारी या पदाधिकारी को सदैव ही पहले दी जानी चाहिये ताकि उन्हें भेंट करने में कोई असुविधा न हो।

(ब) गैर सरकारी और असरकारी अनौपचारिक भ्रमण :

637--मंत्री के गैर सरकारी और असरकारी (अनौपचारिक) भ्रमण की दशा में किसी अधिकारी के लिये मंत्री से भेंट करना आवश्यक न होगा सिवाय इसके कि मंत्री जी ने किसी विशेष अधिकारी से मिलने हेतु इच्छा प्रकट की हो।

6--प्रस्थान (विदाई) :

638--जब मंत्री रेल या वायुयान से प्रस्थान करें तो रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे पर मंत्री को विदा करने वही अधिकारी जायेंगे जो उनके आगमन के समय उपस्थित रहे हों।

7--सामान्य :

639--(1) केवल जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जब सरकारी कार्य से लखनऊ में हों तो उन्हें मुख्यमंत्री जी से भेंट करना आवश्यक है। अन्य विभागों के जिला या क्षेत्रीय (संभागीय) स्तर के अधिकारी या उनसे बाद के पदाधिकारी जब सरकारी कार्य से लखनऊ आयें तो उन्हें अपने विभाग के प्रभारी मंत्री से भेंट करने के लिये आना चाहिये। इस प्रकार भेंट करने के लिये आये अधिकारी के लिये निजी सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्री के निवास-स्थान और कार्यालय दोनों ही जगह एक अभ्यागत पंजी रखेंगे किन्तु यदि आये हुये व्यक्ति से मिलने के लिये मुख्यमंत्री/मंत्री के पास समय न हो तो वह व्यक्ति अभ्यागत पंजी में अपना नाम दर्ज कर देगा।

(2) मंत्री का वैयक्तिक स्टाफ यह सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतेगा कि मंत्री से भेंट के लिये आये अधिकारियों को बैठने आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाय और उन्हें अधिक समय तक अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े।

(3) आकस्मिक भ्रमण की दशा में यह सम्भव है कि कुछ अधिकारी, जिनकी उपस्थिति निर्देशों के अधीन भ्रमण के स्थानों पर होनी आवश्यक है, दौरे पर हों। ऐसी स्थिति में उन्हें अपना दौरा रद्द नहीं करना चाहिये।

(4) जब भ्रमण अचानक हो और यदि मंत्री जिलाधिकारी या अन्य अधिकारियों से मिलना चाहें तो वैयक्तिक स्टाफ तार/फैक्स द्वारा उन्हें इसकी सूचना देगा। स्वागत सम्बन्धी निर्देश राज्य मुख्यालय को किये जाने वाले वापसी सफर पर लागू नहीं होंगे।

सिवाय किसी ऐसे हस्तक्षेप के जो सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक समझा जाय। इन निर्देशों में दी गयी किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिये कि उससे मंत्री के स्वागत के अवसर पर उपस्थित होने वाले गैर सरकारी व्यक्तियों के विशेषाधिकारों में कोई हस्तक्षेप होता है।

(1) मंत्रियों के भ्रमण के समय सुरक्षा विषयक आवश्यक प्रबन्धों के संबंध में नियम अलग से प्रवृत्त हैं।

(2) इसी प्रकार मंत्री के भ्रमण के समय किये जाने वाले अन्य स्थानीय प्रबन्ध इन निर्देशों के अधीन नहीं आते हैं।

इन निर्देशों में ऐसे संशोधन किये जा सकते हैं जिनको मंत्री किसी विशेष भ्रमण के अवसर पर निर्देशित करें। ऐसे संशोधनों की सूचना निजी सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को यथासमय दी जायेगी।

(ब) राज्य सरकार के उपमंत्रियों और संसदीय सचिवों का भ्रमण :

640--यह निर्देश उपमंत्रियों तथा संसदीय सचिवों दोनों ही के भ्रमण पर लागू होते हैं, लेकिन संक्षिप्तता के दृष्टिगत खास तौर पर शब्द 'उपमंत्री' ही प्रयोग किया गया है।

स्वागत

(1) औपचारिक भ्रमण की दशा में रेल या वायुयान से यात्रा करने वाले उपमंत्री का रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे पर, जैसी भी स्थिति हो, जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त कोई राजपत्रित सिविल या पुलिस अधिकारी, स्वागत करेगा। जिस स्थान पर भ्रमण हो, यदि विभागाध्यक्ष का मुख्यालय हो, तो विभागाध्यक्ष या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी का उपस्थित रहना भी स्वाभाविक होगा बशर्ते कि उक्त मंत्री, उस विभाग से सम्बन्ध रखता हो। उपमंत्री इस बात का प्रबन्ध करेंगे कि उनके भ्रमण की सूचना सम्बन्धित अधिकारियों के पास ठीक समय पर भेज दी जाय।

(2) दूर के नगरों में राजस्व या पुलिस विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी, जो उपलब्ध हों, उपस्थित रहेंगे।

(3) यदि उपमंत्री द्वारा कार से यात्रा की गयी हो, तो जिस स्थान पर उपमंत्री ठहरने वाले हों, वहां उनके पहुँचने के समय किसी अधिकारी के उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है।

भेंट करना तथा विदाई देना

641--(1) उपमंत्री से सम्बन्धित विभाग या विभागों का वरिष्ठतम अधिकारी उनसे भेंट करेंगे। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक या अन्य राज्य सरकार के अधिकारी, यदि उनकी ऐसी इच्छा हो, उपमंत्री से मिल सकते हैं।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपमंत्री कुछ ही घंटों के लिये ठहरने वाले हों, तो किसी अधिकारी को उनसे भेंट करना आवश्यक न होगा सिवाय उस दशा में जबकि ऐसा करने के लिये उनसे कहा गया हो।

यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि उपमंत्री सर्किट हाऊस/निरीक्षण गृहों में न ठहरें हों बल्कि किसी गैर सरकारी व्यक्ति के यहाँ ठहरें तो अधिकारियों के लिये उनसे भेंट करना आवश्यक नहीं होगा।

(2) यदि उस समय जबकि कोई व्यक्ति भेंट करने के लिये आया हो, उपमंत्री मौजूद न हो, या भेंट करने के लिये आये हुये व्यक्ति से मिलने से असमर्थ हों, तो भेंट करने के लिये आया हुआ व्यक्ति अपना कार्ड छोड़ जायेगा। यदि उपमंत्री चाहते हों कि वह दोबारा आये तो वे उसे यह सूचित करने का प्रबन्ध करेंगे कि उसे किस दिन और कितने समय पुन: भेंट करने के लिये आना चाहिये। शा0सं0 35/4 (109)/ 7/8 दि0 15-2-1979

(3) भेंट करने के लिये जहाँ तक सम्भव हो, घण्टे निश्चित कर दिये जायेंगे और उपमंत्री के साथ जाने वाला वैयक्तिक सहायक सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को उसकी सूचना दे देगा ताकि सम्बन्धित अधिकारियों को व्यक्तिगत भेंट का समय नियत न होने के कारण कोई असुविधा न हो।

(4) किसी पदाधिकारी के लिये उपमंत्री के प्रस्थान या विदा करने के लिये आना आवश्यक न होगा।

(5) असरकारी (अनौपचारिक) अथवा गैर सरकारी भ्रमणों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की औपचारिकता बरतने की आवश्यकता नहीं है।

(स) अन्य राज्यों के मंत्रियों के भ्रमण के अवसर पर शिष्टाचार :

642--(1) अन्य राज्यों के मंत्रियों के शासकीय भ्रमण के अवसर पर वरिष्ठ सिविल और पुलिस अधिकारी रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे पर, जैसी भी स्थिति हो, मंत्री के स्वागत हेतु उपस्थित रहेंगे। जिलाधिकारी मंत्री के आवास की व्यवस्था सर्किट हाऊस, की उपलब्धता या अन्य समुचित स्थान का प्रबन्ध करेंगे बशर्ते कि मंत्री द्वारा अपनी व्यवस्था स्वयं न कर ली गयी हो।

(2) निजी भ्रमण की दशा में जिला प्रशासन के स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(द) अन्य राज्यों के राज्य प्रमुख, लोक सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य सभा के उप सभापति और केन्द्रीय मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्रियों के प्रदेश भ्रमण पर शिष्टाचार भ्रमण हेतु कार्यक्रम :

शा0 सं0 2611/3 जी0 ए0 (1)/67, दिनांक 18-7-1977

643--(1) उक्त अतिविशिष्ट महानुभावों के निजी सचिव उनके भ्रमण कार्यक्रम की सूचना निम्नलिखित प्राधिकारियों को टेलेक्स/रेडियोग्राम/तार/टेलीफोन/फैक्स से देंगे :--

(क) जिलाधिकारी।

(ख) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।

(ग) पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) उ0 प्र0, लखनऊ।

(घ) पुलिस महानिरीक्षक रेलवे अपराध एवं सुरक्षा, इन्दिरा भवन, लखनऊ। (यदि यात्रा रेलवे द्वारा की जा रही हो)

(ङ) विभागाध्यक्ष, जिससे मंत्री भेंट करना चाहते हों।

(च) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(छ) राज्य प्रोटोकाल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

शा0 सं0 56-3-ग-(1)/(1)/73, दिनांक 13-2-1973

644--लखनऊ भ्रमण की दशा में, उक्त प्राधिकारियों के क्रम में निम्नलिखित प्राधिकारियों को भी सूचना दी जानी चाहिए :--

(क) सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(ख) राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सामान्य: भ्रमण से सम्बन्धित सूचना उक्त प्राधिकारियों को कम से कम एक सप्ताह पूर्व में दी जानी चाहिये।

शा0 सं0 5588/56-3-ग-(1)/(1)/73, दिनांक 15-2-1979

(2) निम्नलिखित विवरण भ्रमण कार्यक्रम में निश्चित रूप से अंकित किये जाने चाहिये :--

(क) यात्रा का प्रकार (जैसे रेल/वायुयान/सड़क)

(ख) गंतव्य पर पहुँचने की तारीख व समय और उस स्थान से प्रस्थान की तारीख व समय।

(ग) साथ में आने वाले व्यक्तियों का विवरण।

(घ) भ्रमण सरकारी है या निजी।

(ङ) यदि किसी विशेष प्रबन्ध की आवश्यकता हो तो उसका उल्लेख।

शिष्टाचार

शा0सं0-56-3 ग (1/5)/ 73, दि0 18-3-1976

645--(1) अन्य राज्यों के गवर्नर/ले0 गवर्नर के जिला मुख्यालय पर भ्रमण के अवसर पर जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक के लिये, जैसी भी स्थिति हो, स्वागत/विदाई के लिये उपस्थिति आवश्यक है। अन्य स्थानों पर किसी अपर जिलाधिकारी के स्तर के अधिकारी की उपस्थिति पर्याप्त होगी। महानुभावों की सुरक्षा या भ्रमण से सम्बन्धित किसी अन्य विशेष कार्य के लिये जिन

अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं की आवश्यकता हो, उपस्थिति आवश्यक होगी। अन्य राज्यों के महानुभावों के भ्रमण पर उनके स्वागत/विदाई हेतु (राज्यपाल/उपराज्यपाल को छोड़कर) उप जिलाधिकारी के स्तर के अधिकारी की उपस्थिति पर्याप्त मानी जायेगी।

(2) यह आवश्यक नहीं है कि किसी महानुभाव के भ्रमण के अवसर पर रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे पर भीड़ एकत्रित की जाय। किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है जिसे उक्त महानुभाव के भ्रमण कार्यक्रम में सीधे सहभागी न बनाया गया हो।

(3) किसी महानुभाव के भ्रमण के अवसर पर सादगी पूर्ण प्रबन्ध होना चाहिये, चाहे यात्रा सरकारी हो या निजी, अनावश्यक व्यय जैसे फूलों की माला या गुलदस्ता आदि भेंट करने से बचना चाहिये।

घ--लोक सभा/राज्यसभा के नेता विरोधी दल के भ्रमण पर शिष्टाचार बरता जाना :

646--लोक सभा और राज्य सभा के नेता विरोधी दल के प्रदेश में शासकीय भ्रमण पर वे राज्य अतिथि माने जायेंगे और वे उन्हीं सब शिष्टाचार/सुविधाओं के पात्र होंगे, जो केन्द्रीय मंत्री को अनुमन्य हैं। निजी यात्राओं की दशा में सभी व्यवस्थाएं भुगतान के आधार पर की जायेगी।

शा0 सं0-5063-51-18 (3)/77, दि0 20-9-1978
शा0 सं0-4119-प्रो0/ 51-20 (76)/94, दिनांक 26-10-94

ङ--भारत स्थित विदेशी मिशनों के प्रमुखों तथा अन्य राजनयिकों के भ्रमण पर बरता जाने वाला शिष्टाचार :

647--विदेशी मिशनों के प्रमुखों के प्रदेश भ्रमण पर उन्हें राज्य-अतिथि नहीं माना जायेगा। वे शिष्टाचार के पात्र होंगे और जिस भी सहायता की उन्हें आवश्यकता होगी, वह उपलब्धता की दशा तक उन्हें उपलब्ध करायी जायेगी। किन्तु इस हेतु सरकार के खाते से कोई व्यय शामिल नहीं होगा और यदि आवास/भोजन/परिवहन का प्रबन्ध किया जाता है तो वह भुगतान के आधार पर होगा।

शा0सं0-650-प्रो0/ 51-11 (14)/ 94, दिनांक 09-02-1994

(2) भारत में विदेशी वाणिज्यिक मिशनों के प्रमुख राज्य मुख्यालयों पर अपने पहले भ्रमण पर राज्यपाल या मुख्यमंत्री से भेंट कर सकते हैं किन्तु अन्य भ्रमण पर इस तरह भेंट करना सम्भव नहीं होगा, जब तक कि राज्यपाल या मुख्यमंत्री न बदल जाय।

शा0सं0-2455-प्रो0/ 51-11 (30)/ 96, दि0 17-7-1996

(3) प्रथम सचिव स्तर के राजनयिक राज्य के मुख्य सचिव या सम्बन्धित सचिव से भेंट कर सकते हैं। उन्हें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष विधान सभा आदि से भेंट करने की अनुमति नहीं होगी।

(ब) लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश के प्रति बरते जाने वाला शिष्टाचार :

शा0सं0-1589-प्रो0/11 (23)/ 79, दि0 28-3-1979

648--जिलों में, अनौपचारिक भ्रमण के दौरान, जैसी भी स्थिति हो, लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश के प्रति वही शिष्टाचार प्रदर्शित किया जायेगा जैसाकि राज्य के कैबिनेट मंत्री/राज्य मंत्री, विधान सभा अध्यक्ष/विधान परिषद्, के सभापति के प्रति प्रदर्शित किया जाता है।

शा0सं0-3150 (1) प्रो0/51-9 (17)/ 80, दि0 17-7-1987

भारत सरकार द्वारा गठित अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के उनके प्रदेश भ्रमण पर उन्हें राज्य अतिथि माना जायेगा। उन्हें वही शिष्टाचार एवं सुविधाएं अनुमन्य होंगी जो केन्द्रीय मंत्रियों को उनके प्रदेश भ्रमण पर उपलब्ध होती है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों को प्रदेश आगमन पर उत्तर प्रदेश राज्य-अतिथि नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग आदि के अध्यक्ष व सदस्यों की भांति (केन्द्रीय मंत्रियों के अनुरूप) आवास/भोजन/परिवहन आदि की सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को प्रदेश आगमन पर उत्तर प्रदेश राज्य-अतिथि नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की भांति (केन्द्रीय मंत्रियों के अनुरूप) आवास/भोजन/परिवहन आदि की सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्रदेश आगमन पर उत्तर प्रदेश राज्य-अतिथि नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की भांति (केन्द्रीय मंत्रियों के अनुरूप) आवास/भोजन/परिवहन आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाती हैं।

भारत सरकार द्वारा गठित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्रदेश आगमन पर उत्तर प्रदेश राज्य-अतिथि नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय मंत्रियों की भांति शिष्टाचार एवं प्रोटोकाल सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

अन्य राज्यों तथा केन्द्र शासित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मा0 न्यायाधीशों को प्रदेश आगमन पर पारस्परिक आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य-अतिथि नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत भोजन/आवास/परिवहन आदि सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

अध्याय 46

अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ विभाग

संगठन एवं कार्य :

649--अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग का गठन 12 अगस्त, 1995 को इस उद्देश्य से, कि अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हुये, उनकी परम्परागत शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संस्थाओं को राज्य की कल्याणकारी योजनाओं से सम्बद्ध करके अल्प संख्यक समुदाय की शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक प्रगति सुनिश्चित की जा सके, किया गया है। विज्ञप्ति संख्या-4056/ बीस-ई-95-539 (2)/ 95, दि0 12-8-1995

650--अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत निम्नांकित विभागाध्यक्ष कार्यालय भी स्थापित किये गये है :-- वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-4क सपठित का0 ज्ञा0 सं0-1575/ 52-1-95-17 (4)/95, दि0 18-9-1995

(अ) सर्वे कमिश्नर, उत्तर प्रदेश।

(ब) निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश।

(स) सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, उत्तर प्रदेश।

(द) वसीका अधिकारी, वसीका कार्यालय, हुसैनाबाद, लखनऊ।

(य) रजिस्ट्रार, अरबी-फारसी मदरसाज बोर्ड, इलाहाबाद।

651--सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पदेन सर्वे आयुक्त वक्फ घोषित किये गये हैं। सर्वे कमिश्नर वक्फ एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा औकाफ की सुरक्षा अनुरक्षण एवं वक्फ विकास निगम से संबंधित कार्यों एवं नये औकाफ की तलाश कर उनका रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड/ उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड में कराया जाता है। शासनादेश संख्या-जी0 आई0-8/52-2-96-7-96, दि0 20 मई, 1996

652--अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का सुचारु रूप से संचालन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कराने हेतु 7 मण्डलीय कार्यालय एवं जिला स्तरीय कार्यालय सृजित किये गये हैं। जनपद स्तर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा विभाग के निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जाते हैं :-- शासनादेश संख्या-62-2160/52-1-96-1 (85)/95, दिनांक 22 नवम्बर, 1996

(क) अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण।

(ख) अरबी-फारसी मदरसों से संबंधित कार्य।

(ग) अल्पसंख्यक स्कूल/विद्यालयों को अल्पसंख्यक दर्जा दिये जाने से संबंधित कार्य।

(घ) अल्पसंख्यक कालेजों में महिला छात्रावास, अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, पुस्तकालय कक्ष के निर्माण से संबंधित कार्य।

(च) पदेन सहायक वक्फ आयुक्त के रूप में मुस्लिम वक्फ सम्पत्तियों से संबंधित कार्य।

(छ) पदेन जिला प्रबंधक, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम के रूप में निगम की टर्मलोन, मार्जिन मनी ऋण, ट्रेनिंग आदि योजनाओं का कार्य।

(ज) पदेन प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में वक्फ विकास निगम के कार्य।

अल्पसंख्यक आयोग :

शासनादेश संख्या-1328/ 17-वि-1-1 (क) 29-1994, दिनांक 31 अगस्त, 1994
शासनादेश संख्या-806/17-वि-1-1 (क) 13-1996, दिनांक 10 मई, 1999

653--अल्पसंख्यक आयोग, उत्तर प्रदेश का गठन एतद्विषयक अधिनियम, 1994 द्वारा किया गया है, जिसके सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष और छ: सदस्य, जिसमें एक महिला होगी, परन्तु अध्यक्ष सहित पांच सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय/समुदायों में से होंगे। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 (तीन) वर्ष के स्थान पर एक वर्ष के लिये किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग का कार्य प्रदेश में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा एवं उनकी समस्याओं का अध्ययन करके समय-समय पर सरकार को परामर्श देना है।

वसीका कार्यालय :

654--वर्ष 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के गठन के पश्चात् वसीका कार्यालय का प्रशासनिक नियंत्रण सामान्य प्रशासन विभाग से स्थानान्तरित होकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आ गया है। वसीका कार्यालय द्वारा आठ प्रकार के वसीकों, 11 प्रकार के राजनैतिक पेंशन तथा 13 प्रकार के अमानती नोट पर ब्याज का भुगतान एवं काला इमामबाड़ा एवं मिर्जा अली खाँ के मकबरे के नियंत्रण/देखरेख का कार्य किया जाता है।

रजिस्ट्रार अरबी-फारसी मदरसा :

शासनादेश संख्या-202/ 15-6-96-28 (4)/96, दिनांक 31-1-1996

655--रजिस्ट्रार, अरबी-फारसी मदरसाज, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद कार्यालय जो कि पूर्व में शिक्षा विभाग के अधीन था, वर्ष 1995 में विभाग के गठन के पश्चात् 1996 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन कर दिया गया है। इस कार्यालय द्वारा अरबी-फारसी मदरसों की परीक्षायें आयोजित करायी जाती है तथा मदरसों से संबंधित समस्त कार्य किया जाता है।

हज कमेटी :

शासनादेश संख्या-4056/20-ई-1-95-539 (2)/95, दिनांक 12 अगस्त, 1995

656--सामान्य प्रशासन विभाग के नियंत्रणाधीन हज कमेटी, उत्तर प्रदेश वर्ष 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के नियंत्रणाधीन कर दी गयी है, जिसमें उत्तर प्रदेश से हज यात्रा में जाने वाले यात्रियों का समस्त कार्य किया जाता है।

शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड/सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड :

शासनादेश संख्या-4056/20-ई-1-95-539 (2)/95, दिनांक 12-8-1995

657--पूर्व में राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड/सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड का समस्त कार्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को वर्ष 1995 में हस्तान्तरित हो गया है। इन बोर्डों द्वारा वक्फ सम्पत्तियों के रख-रखाव संबंधी समस्त कार्य किया जाता है।

उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम :

शासनादेश संख्या-4056/20-ई-1-95-539 (2)/95, दिनांक 12-8-1995

658--वर्ष 1995 में राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम एवं समाज कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम को अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के नियंत्रण में कर दिया गया है।

छात्रवृत्ति योजना :

659--अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1-10 तक के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति योजना वर्ष 1995-96 से चालू की गयी है। अब कक्षा 1-8 तक के अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को ग्राम पंचायत के माध्यम से छात्रवृत्ति वितरित किये जाने का प्राविधान किया गया है और शेष कक्षा 9 से 10 तक के छात्र एवं छात्राओं को पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

शासनादेश संख्या-1935/52-3-97-14 (72)/95, दिनांक 5-11-1997
शासनादेश संख्या-1713/52-3-99, दिनांक 4 अगस्त, 1999

कोचिंग योजना :

660--आर्थिक रूप से पिछड़े हुये अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व परीक्षा कोचिंग की योजना चलायी जा रही है। इसके अंतर्गत कोचिंग, प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण, प्रवेश परीक्षाओं के लिये आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के अम्यर्थियों को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान कर समान आधार पर भाग लेने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है।

शासनादेश संख्या-80/52-4/98-34/95, दिनांक 28-1-1998

मदरसों/मकतबों का आधुनिकीकरण--

661--शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के विकास हेतु मदरसा एवं मकतब जैसी परम्परागत शैक्षिक संस्थाओं में उनकी अपनी पाठचर्या में विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी को सम्मिलित कर एवं केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर उन्हें आधुनिक बनाने की यह प्रक्रिया स्वैच्छिक होगी। यह योजना इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं के छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के समकक्ष शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रथम चरण में केवल प्राथमिक शिक्षा संचालित करने वाली संस्थाओं को ही योजना में सम्मिलित किया गया है।

शासनादेश संख्या-1434/52-3-97-5 (3)/96, दिनांक 30 जुलाई, 1997

अध्याय--47

दुग्ध विकास विभाग

662--दुग्ध विकास विभाग का मुख्य कार्य, उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम, 1976 के प्राविधानों के तहत प्रदेश में दुग्धशालाओं के विकास एवं दुग्ध उत्पाद की आपूर्ति किया जाना है। इस उद्देश्य से प्रदेश में सहकारिता के आधार पर ग्राम स्तर पर प्राथमिक सहकारी दुग्ध समितियाँ, जिला स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ एवं राज्य स्तर पर प्रादेशिक को-आपरेटिव डेरी फेडरेशन का गठन किया गया है।

उद्देश्य :

663--(1) ग्रामीण अंचल में दुग्ध उत्पादकों की जिनमें अधिकांशत: भूमिहीन, सीमान्त एवं लघु कृषक होते हैं, सहकारी दुग्ध समितियाँ गठित कर उनका निबन्धन करना तथा उनको तकनीकी ज्ञान देकर अधिकाधिक दुग्ध उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना।

(2) सहकारी दुग्ध समितियों के सदस्यों द्वारा उत्पादित दुग्ध की क्रय व्यवस्था उनके द्वारा उपलब्ध कराना एवं उनका समुचित मूल्य दिलाकर बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराना।

(3) सहकारी दुग्ध समितियों से संग्रहीत दुग्ध को दुग्धशालाओं में विधायन प्रक्रिया के उपरान्त स्वच्छ एवं कीटाणु रहित दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ नगरीय उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना।

अध्याय--48

भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग

संगठन एवं कार्य :

शासनादेश संख्या-64/ बीस-ई-1-98 यू0 ओ0 92/98, दिनांक 9-3-1998

664--"क्षेत्रीय विकास विभाग" को समाप्त करते हुये वर्ष 1998 में "भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग" का गठन कृषि उत्पादन आयुक्त के नियंत्रणाधीन किया गया है। इस विभाग के अंतर्गत (1) समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी0ए0डी0), (2) सूखोन्मुख क्षेत्र विकास कार्यक्रम (डी0 पी0 ए0 पी0) तथा (3) एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई0डब्लू0डी0पी0) से संबंधित योजनाओं का कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

शासनादेश संख्या-3/4/90 (1) कार्मिक-2, दि0 26-4-1991

665--राज्य में बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं एवं नहर प्रणालियों से सृजित सिंचाई क्षमता का वैज्ञानिक ढंग से अधिकतम उपयोग करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु समादेश क्षेत्रों का समग्र एवं समन्वित विकास करने की आवश्यकता पायी गयी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये 'उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976' प्रख्यापित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत तीन समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारियों की स्थापना की गयी थी जिनमें से गण्डक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी को वर्ष 1991 में विघटित किये जाने का निर्णय लिया गया है। फलस्वरूप सम्प्रति निम्नलिखित दो समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी ही कार्यरत हैं :--

(1) शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी।

(2) रामगंगा समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी।

666--क्षेत्र विकास अधिनियम में उपर्युक्त प्राधिकारियों को समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम समग्र रूप से सम्पादित करने के उद्देश्य से विस्तृत अधिकार दिये गये हैं। प्रत्येक प्राधिकारी एक निगमित निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष एवं विभिन्न विभागों के 9 सरकारी तथा 4 से अनधिक गैर सरकारी सदस्य होते हैं। यह प्राधिकारी, क्षेत्र विकास अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करता है।

667--सूखोन्मुख क्षेत्र विकास कार्यक्रम (डी0पी0ए0पी0) एवं एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई0डब्लू0डी0पी0) भारत सरकार द्वारा क्रमश: 50 प्रतिशत तथा शत प्रतिशत वित्त पोषित है और इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार ने "जल संग्रहण विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त" निर्गत किया है जिसके परिप्रेक्ष्य में इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जिला स्तर पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों द्वारा कराया जा रहा है। इन योजनाओं में कार्यदायी संस्था के रूप में सरकारी विभागों के अतिरिक्त स्वैच्छिक एजेन्सियों तथा अन्य संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालयों, कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, निगमों, सरकारी बैंकों, सार्वजनिक एवं निजी वाणिज्यिक संगठनों, पंचायतों एवं संगठनों को नामित करने का प्राविधान है।

668--प्राधिकारी का अध्यक्ष इस पद के साथ ही संबंधित समादेश क्षेत्र विकास परियोजना का प्रशासक भी होता है। मुख्यालय पर प्रशासक के सहयोग हेतु अपर प्रशासन/संयुक्त प्रशासक स्तर के अधिकारी तैनात किये जाते हैं जिन्हें नियुक्ति, कृषि, सहकारिता एवं पशुधन विभाग आदि से स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात किया जाता है।

समादेश क्षेत्र विकास परियोजनाओं के अंतर्गत भूमि संरक्षण इकाईयों तथा मृदा सर्वेक्षण इकाईयों के कर्मचारी कृषि विभाग के हैं। यह इकाईयाँ क्रमश: भूमि संरक्षण अधिकारी और मृदा सर्वेक्षण अधिकारी के अधीन कार्य करती हैं। इनका निरीक्षण कार्य उप निदेशक स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इन समस्त कार्यों को भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग तथा कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

669--समादेश क्षेत्र के अंतर्गत मृदा सर्वेक्षण इकाईयां मृदा सर्वेक्षण का कार्य करती है जिसके आधार पर "क्षेत्र विकास कार्यों" (ओ0 एफ0 डी0) का कार्यक्रम तैयार किया जाता है। भूमि संरक्षण इकाईयां क्षेत्र विकास कार्यों का निष्पादन करती हैं जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से कच्ची-पक्की गूल, जल निकास नालियां, जल नियंत्रण संरचनाओं का निर्माण तथा भूमि समतलन का कार्य सम्मिलित है।

670--क्षेत्र विकास कार्य से विकसित क्षेत्र में परियोजना के कर्मचारी सिंचाई जल की उपलब्धता के आधार पर अधिकतम कृषि उत्पादन के उद्देश्य से फसल योजना भी तैयार करते हैं। समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी अपने क्षेत्र में समन्वित विकास के उद्देश्य से संस्थागत ढांचे से सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्य-जैसे सम्पर्क मार्ग का निर्माण, ग्रोथ सेन्टर, कस्टम सर्विस सेन्टर, मिल्क कलेक्शन सेन्टर, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना आदि भी करते हैं। समादेश क्षेत्र के अंतर्गत कृषकों की वैकल्पिक आय में वृद्धि के उद्देश्य से मत्स्य पालन, बकरी पालन तथा मुर्गी पालन आदि केन्द्रों की स्थापना करने में उन्हें सहायता प्रदान की जाती है।

शासनादेश संख्या-3476/12 (क्षे0 वि0-1) 316-76, दि0 3-12-1976

671--समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी का कार्य समादेश क्षेत्रों का संतुलित समन्वित तथा सर्वांगीण ग्राम्य विकास करना निर्धारित किया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह निर्णय लिया गया है कि समादेश क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना प्रशासक को निदेशक, कृषि, पशुधन, पंचायती राज आदि और निबन्धक, सहकारी समितियों के विभागाध्यक्ष जैसे अधिकार प्राप्त होंगे।

672--प्रारम्भ में समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी कृषकों के खेतों पर क्षेत्र कार्य के सम्पादन हेतु आवश्यक धनराशि उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक एवं अन्य व्यावसायिक बैंकों से अल्प अवधि का ऋण लेकर सम्पादित करते थे जिसे बाद में लाभान्वित क्षेत्र के कृषकों को दीर्घ अवधि के ऋण में परिवर्तित किया जाता था। समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा लाभान्वित कृषकों में से लघु कृषकों को 25 प्रतिशत तथा सीमान्त कृषकों को 33.33 प्रतिशत का अनुदान क्षेत्र विकास एवं लघु

सिंचाई के कार्यों पर दिया जाता रहा है। सम्प्रति क्षेत्र विकास कार्यों के सम्पादन हेतु आवश्यक धनराशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है तथा भूमि विकास बैंक एवं अन्य व्यावसायिक बैंकों से ऋण नहीं लिया जा रहा है।

673--समादेश क्षेत्र के अंतर्गत प्रसार सेवा का सुदृढ़ीकरण करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकास खण्ड में 5 ग्राम स्तरीय ग्राम सहायक एवं एक सहायक विकास अधिकारी (कृषि) की नियुक्ति की गयी थी। प्रसार सेवा का मुख्य उद्देश्य कृषकों को आदर्श फसल चक्र, आधुनिक एवं उन्नत कृषि प्राविधियों तथा उनके हित से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी देना है। प्रसार सेवा प्रखण्ड द्वारा समादेश क्षेत्रों के अंतर्गत लघु सिंचाई कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने का कार्य भी सम्पादित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुलावा कमाण्ड में आगमेन्टेशन कम कन्ट्रोल ट्यूबवेल, सामुदायिक ट्यूबवेल तथा व्यक्तिगत ट्यूबवेल की स्थापना सम्मिलित है। इस कार्य का उद्देश्य (1) नहर समादेश में सिंचन क्षमता को समुचित स्तर पर लाना तथा (2) नहरों से सीपेज के कारण भूमिगत जल स्तर में हो रही अभिवृद्धि, जो क्षेत्र में जल प्लावन तथा फसलों के नुकसान के लिये उत्तरदायी हों, को नियंत्रित करना है। अब प्रसार सेवा के उक्त कर्मचारी हटा दिये गये हैं परन्तु यह कार्य विभागीय कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है।

674--समादेश क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित जनपदों के अपर जिलाधिकारी, परियोजना एवं विकास तथा मुख्य विकास अधिकारी को परियोजना प्रशासक के नियंत्रण में रखा गया है ताकि जनपद के सामान्य विकास मशीनरी ढांचे को समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम (आई0आर0डी0पी0), जवाहर रोजगार योजना (जे0आर0वाई0), सुनिश्चित रोजगार योजना (ई0ए0एस0) आदि के क्रियान्वयन में पूरी तरह प्रयुक्त करके इन कार्यक्रमों को समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के साथ सहबद्ध किया जा सके।

शासनादेश संख्या-1019/54-1-9(93)/ 93, दिनांक 23-2-1998

675--समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :--

(1) कुलाब कमाण्ड में ओसराबन्दी (लाभान्वित क्षेत्र के कृषकों में आनुपातिक जल संवितरण) तथा नहरों से सिंचाई जल प्राप्त होने की समय-सारिणी का निर्धारण।

(2) जल प्रबंधन में कृषकों की सहभागिता (पी0आई0एम0) के अंतर्गत माइनरों के प्रबंधन तथा जल वितरण का कार्य कृषि सहकारी समितियों को देने का निर्णय लिया गया है। ऐसी कृषक सहकारी समितियों को सीड मनी के रूप में रुपये 225.00 प्रति हेक्टेयर भारत सरकार से तथा रुपये 225.00 प्रति हेक्टेयर प्रदेश सरकार से अनुदान दिया जायेगा और रु0 50.00 प्रति हेक्टेयर इन समितियों को वहन करना होगा।

नियम एवं विनियम :

676--उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 6, 19 एवं 20 के अंतर्गत निम्नलिखित रेगुलेशन्स तैयार किये गये हैं :--

(1) अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत कन्डक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ दि अथॉरिटी।

(2) अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत कन्डक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ दि डिस्ट्रिक्ट कमेटीज।

(3) अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत फन्कशन्स एण्ड ड्यूटीज बिजनेस ऑफ दि डिस्ट्रिक्ट कमेटीज।

677--उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के विभिन्न प्राविधानों के अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में नियम/विनियम बनाये गये हैं/जा रहे हैं :--

(1) भूमि विकास

(2) ओसराबन्दी

(3) खेतों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण

(4) चक सभा और चक समितियाँ

(5) कर्मचारियों की सेवा नियमावली

(6) अधिकारों का प्रतिनिधायन

(7) एक्जीक्यूशन ऑफ कान्ट्रेक्ट्स एण्ड एश्योरेन्सेज ऑफ प्रापर्टी

(8) प्राधिकारी की निधियों/परिसम्पत्तियों का प्रबन्धन

(9) लेखों का रख-रखाव तथा बैलेन्स शीट का तैयार करना

(10) कर्मचारियों की आचार संहिता

(11) कर्मचारियों का अनुशासन

अध्याय--49
पर्यावरण विभाग

संगठन एवं कार्यक्षेत्र :

678--पर्यावरण विभाग पर्यावरणीय समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन, निदान तथा जनमानस में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु तथा जन सामान्य की सुरक्षा हेतु प्रदूषण जनित समस्याओं का प्रभावशाली रूप से निदान करने हेतु कार्यरत एवं जागरूक है, ताकि प्रदेश में वांछित विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण एवं परिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इसी दृष्टिकोण से पर्यावरण विभाग के अधीन निम्न संगठन कार्यरत हैं :--

1—पर्यावरण निदेशालय

2—उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

3—शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

पर्यावरण निदेशालय :

679--पर्यावरण निदेशालय में निदेशक पर्यावरण का एक पद, संयुक्त निदेशक-कम-चीफ अप्रेजल के दो पद, उप निदेशक के चार पद, सहायक निदेशक के छ: पद एवं मिनिस्टीरियल स्टाफ के पद हैं।

पर्यावरण निदेशालय का कार्यक्षेत्र निम्नवत् हैं :—

680--(1) समन्वय--प्रदेश में विभिन्न विभागों, संगठनों एवं स्वयं सेवी संगठनों, संस्थाओं द्वारा पर्यावरण प्रबन्ध एवं पर्यावरणीय संरक्षण क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों में समन्वय प्रदान करना।

(2) नीति निर्धारण--परिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए पर्यावरणीय ह्रास को रोकने हेतु रणनीति की संरचना एवं पुनर्विलोकन करना, प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए जा रहे नई विकास योजनाओं एवं नए उद्योगों हेतु पर्यावरणीय मार्ग निर्देशिकाएं तैयार किए जाने एवं परिसंकटमय रासायनिक उद्योगों हेतु आन साईट एवं आफ साईट काईसेस मैनेजमेंट प्लान को तैयार करवाया जाना।

(3) विधिक नियंत्रणात्मक कार्य--प्रदेश में स्थापित किए जा रहे वृहद् उद्योगों की स्थापना से पूर्व उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिए जाने एवं उद्योगों की स्थापना से पूर्व स्थल चयन हेतु पर्यावरणीय संस्तुतियों का दिया जाना।

(4) संरक्षण--प्रदेश में पायी जाने वाली विभिन्न लुप्तप्राय वनस्पति एवं प्रजातियों की सुरक्षा, संरक्षण एवं उनकी पुनर्स्थापना हेतु विशेष कार्यक्रम/योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाना।

(5) पर्यावरणीय ह्रास का नियंत्रण एवं अनुश्रवण--प्रदेश में वायु, जल, ध्वनि एवं भूमि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कार्य योजना (एक्शन प्लान) की संरचना एवं क्रियान्वयन किया जाना, प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद् को नीति निर्धारण एवं प्रशासकीय सहायता प्रदान किया जाना।

(6) पर्यावरणीय शिक्षा प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन--जनमानस में पर्यावरणीय जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विश्व पर्यावरण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस जैसे कार्यक्रमों के आयोजन, पर्यावरण प्रबन्ध पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन, पर्यावरण से संबंधित प्रदर्शनी, सेमिनार, मिम्पोजियम, कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों के आयोजन, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन आदि किए जाते हैं।

7--पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन--पर्यावरण के संरक्षण, ह्रास नियंत्रण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्राकृतिक जैव सम्पदा के संरक्षण संबंधी शोध एवं विकास कार्यक्रमों, पारिस्थितिकीय विकास हेतु कार्य किए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :

681--प्रदेश में प्रदूषण की रोक-थाम एवं प्रदूषण जनित समस्याओं को रोकने के लिए लखनऊ मुख्यालय के अतिरिक्त 15 क्षेत्रीय कार्यालय एवं मथुरा में उप क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं। बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं :--

(1) राज्य में नदियों और कुंओं के जल की गुणवत्ता बनाए रखना तथा नियंत्रित क्षेत्रों में वायु प्रदूषण रोकने, नियंत्रित करने, उसे कम करने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाना तथा उसका निष्पादन सुनिश्चित करना।

(2) प्रदूषण निवारण, नियंत्रण या उसे कम करने के लिए सम्बद्ध विषयों की जानकारी एकत्र करना, उसका प्रसार करना, राज्य सरकार को सलाह देना, उससे संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, उसका संचालन करना, उसमें भाग लेना।

(3) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण संबंधी कार्य में लगे या लगाए जाने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ सार्वजनिक शिक्षा के कार्यक्रम बनाना।

(4) मल तथा व्यवसायिक बहि:स्राव व उत्सर्जन के शुद्धिकरण संयंत्रों की जांच तथा निरीक्षण करना तथा स्थानीय निकायों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वर्तमान या नए उत्प्रवाहों व उत्सर्जनों के निस्तारण हेतु सहमति देना।

(5) बहि:स्राव व उत्सर्जन के मानक अधिकथित करना और राज्य में जल व वायु प्रदूषण के नियंत्रण का अनुश्रवण करना।

(6) मल तथा व्यवसायिक उत्प्रवाहों के शुद्धिकरण हेतु ऐसी प्रक्रियाओं का विकास करना जो टिकाऊ व सस्ता होने के साथ ही साथ कृषि तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो।

(7) उद्योगों तथा स्थानीय निकायों से जल उपकर एकत्र करना तथा उसे केन्द्र सरकार को भेजना।

(8) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो केन्द्रीय प्रदूषण बोर्डों या राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाय या उसे समय-समय पर सौंपे जाए।

(9) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत समय-समय पर बोर्ड को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन।

शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण :

682—शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाले भू-भाग का सुनियोजित ढंग से विकास करना, विकास कार्यों को बढ़ावा देना, विकास योजनाएं तैयार करना एवं कार्य के अनुमोदनोपरांत उसके क्रियान्वयन के लिए सम्पत्ति का अर्जन, धारण, विकास, प्रबन्ध और निस्तारण करना, भवन, निर्माण, अभियांत्रिकी, खनन क्रियायें आदि कार्य करना है। प्राधिकरण द्वारा मलिन बस्ती उन्नयन योजना, औड़ी आवासीय योजना, बस स्टापों पर यात्री शेड के निर्माण की योजना, रेनूकूट में डस्टबीन के निर्माण, लहरा (म्योरपुर) स्थित प्राकृतिक झील को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना, रेशम उद्योग को बढ़ावा देने हेतु प्लान्टेशन/कीटपालक के प्रशिक्षण हेतु केन्द्र की स्थापना, तेन्दू कल्चर को विकसित करना, चिल्ड्रेन पार्क का निर्माण/सुन्दरीकरण, रिहन्द जलाशय के निकट पार्क निर्माण एवं नौकायन की योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्य किए जा रहे हैं।

अध्याय--50

नागरिक उड्डयन विभाग

कार्यकलाप :

683—नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश मुख्यत: राजकीय उड़ान कार्यों के सुचारु सम्पादन के लिए उत्तरदायी है। प्रदेश के विभिन्न गंतव्यों, देश की राजधानी, दिल्ली तथा यथा आवश्यकता यदा-कदा देश के अन्य प्रदेशों में विशिष्ट महानुभावों प्रशासकीय प्रयोजनों हेतु राजकीय वायुयान/हेलीकाप्टर से उड़ान कार्य का सम्पादन विभाग द्वारा किया जाता है। राजकीय वायुयान/हेलीकाप्टर निजी श्रेणी में पंजीकृत हैं, अत: वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु इनका उपयोग अनुमन्य नहीं है। शासकीय कार्य के निमित्त सामान्यत: श्री राज्यपाल, मा0 मुख्यमंत्री के प्रयोग के लिए राजकीय विमान/हेलीकाप्टर उपलब्ध रहता है। मा0 मंत्रिगण व अन्य विशिष्ट महानुभावों को शासकीय कार्य निमित्त इनके उपयोग हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है। महत्वपूर्ण प्रशासकीय कार्यों के निमित्त शासन के सचिव एवं उससे उच्चतर अधिकारियों तथा प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन के प्रयोग के लिए प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन के पूर्वानुमोदन से राजकीय विमान/हेलीकाप्टर उपलब्ध किया जा सकता है।

684—राजकीय वायुयान/हेलीकाप्टर के प्रयोग और अधियाचन के संबंध में संगत प्राविधान "राजकीय विमान/हेलीकाप्टर कार्य प्रयोग और अधियाचन नियमावली, 1982" में उल्लिखित हैं।

अध्याय--51

धर्मार्थ कार्य विभाग

गठन :

685—धर्मार्थ संदान अधिनियम, 1890 उ0 प्र0 हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) अधिनियम, 1962 तथा धर्मार्थ संस्थाओं तथा मंदिरों की व्यवस्था आदि से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु दिनांक 19 दिसम्बर, 1985 को धर्मार्थ कार्य विभाग का सृजन किया गया।

कार्य विवरण :

इस विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जाते हैं :--

686--(1) धर्मार्थ संदान अधिनियम, 1890 (द चैरिटेबुल एण्डाउमेन्ट्स एक्ट, 1890) के अंतर्गत पुण्यार्थ प्रयोजन यथा निर्धनों की सहायता, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा तथा जन साधारण की उपयोगिता व भलाई के लिए, जो नितान्त धार्मिक प्रकृति के न हों, किसी दाता द्वारा अपनी चल-अचल सम्पत्ति को सरकार को सौंपे जाने पर उसकी व्यवस्था एवं पुण्यार्थ प्रयोजनों के क्रियान्वयन तथा शिक्षा व चिकित्सा विभाग के कार्य क्षेत्र के बाहर धर्मार्थ संदानों के संबंध में, द्वारा कार्यवाही की जाती है।

अधिसूचना सं0-2899-सत्रह-वि0-1-1 (क)-8-1983, दि0 13 अक्टूबर, 1983

(2) उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत काशी विश्वनाथ मन्दिर का अधिग्रहण कर उसका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया गया। इसके अन्तर्गत न्यास परिषद् व कार्यपालक समिति का गठन कर इस मन्दिर की व्यवस्था देखने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

अधिसूचना सं0-1273-आठ-3 (6)/ 93, दि0 25-9-2000 एवं सं0-1454/आठ-3 (6)/ 93, दि0 30-10-2000

(3) मन्दिरों एवं धार्मिक संस्थाओं की व्यवस्था की जाती है। प्रदेश में विलीनीकृत रियासतों के मन्दिरों के पुजारियों को जिलाधिकारियों के माध्यम से वार्षिक अनुदान दिया जाता है। इन रियासतों में हमीरपुर, झांसी, चित्रकूट, जालौन, महोबा और वाराणसी जनपदों के मन्दिर शामिल हैं।

अध्याय--52

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मुख्यालय संगठन :

687--शासनादेश संख्या-ए-326/12 (1), दिनांक 3-1-74 द्वारा प्रदेश में पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों में फल उत्पादन, फल उपयोग, बागवानी तथा आलू एवं शाकभाजी कार्यक्रमों को गति देने के उद्देश्य से निदेशक, फल उपयोग, उत्तर प्रदेश रानीखेत को उपर्युक्त कार्यों के संचालन हेतु उत्तरदायी बनाया गया तथा उनका पदनाम परिवर्तित कर "निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग, उत्तर प्रदेश (डायरेक्टर आफ हार्टीकल्चर एण्ड फूड यूटिलाइजेशन, यू0पी0)" कर दिया गया। साथ ही उद्यान, शाकभाजी एवं आलू के कार्य से संबंधित कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग, उत्तर प्रदेश में प्रतिनिहित कर दिए गए तथा उनका मुख्यालय पूर्ववत् रानीखेत निर्धारित किया गया। तत्पश्चात् शासनादेश संख्या-2884/12-4-81, दिनांक 16-5-81 द्वारा पूर्व व्यवस्था समाप्त करते हुए उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यान, बागवानी, आलू उत्पादन एवं फल उपयोग एवं फल संरक्षण कार्यों के लिए निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग (पर्वतीय क्षेत्र) उत्तर प्रदेश को उत्तरदायी बनाया गया और उनका मुख्यालय रानीखेत रखा गया। इसके अतिरिक्त मैदानी क्षेत्रों में उद्यान, बागवानी, शाकभाजी तथा आलू की खेती, फल उपयोग एवं फल संरक्षण आदि कार्यों के संचालन हेतु निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग (मै0क्षे0), उत्तर प्रदेश, जिनका मुख्यालय लखनऊ रखा गया, को उत्तरदायी बनाया गया। इस क्रम में शासनादेश संख्या-3063/बारह-4-81, दिनांक 2-6-81 द्वारा अपर निदेशक के पद को अस्थगित करते हुए निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग (मैदानी क्षेत्र), उत्तर प्रदेश के पद का सृजन किया गया।

688--उपर्युक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-5591/12 (4)-292/83, दिनांक 3-2-84 द्वारा पूर्व सृजित निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग (मैदानी क्षेत्र), उत्तर प्रदेश पद को समाप्त करते हुए तथा अपर निदेशक पद को पुन: पुनर्जीवित करके पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्र के उपर्युक्त दोनों विभागों को एक विभाग के रूप में संविलीन करते हुए पूर्व व्यवस्था लागू कर दी गई। तत्पश्चात् शासनादेश संख्या-2334/12-4-325/87, दिनांक 6-4-89 द्वारा पुन: निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग (मैदानी क्षेत्र), उत्तर प्रदेश का अस्थाई पद सृजित करते हुए मुख्यालय, लखनऊ रखा गया तथा निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग, उत्तर प्रदेश जिनका पदनाम परिवर्तित करके निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग (पर्वतीय क्षेत्र), उत्तर प्रदेश रखा गया, का मुख्यालय रानीखेत निर्धारित किया गया। इस प्रकार विभाग के मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्र के कार्यों के संचालन हेतु क्रमश: निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग (मै0 क्षे0), उत्तर प्रदेश तथा निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग (पर्वतीय क्षेत्र), उत्तर प्रदेश को उत्तरदायी बनाया गया तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए गए। इस क्रम में शासन की अधिसूचना संख्या-5832/12-4-(उद्यान) 90, दिनांक 17-9-90 द्वारा उद्यान एवं फल उपयोग निदेशालय (पर्वतीय क्षेत्र) एवं उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (मैदानी क्षेत्र) का नाम परिवर्तित कर क्रमश: उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय (पर्वतीय क्षेत्र), एवं उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (मैदानी क्षेत्र), उत्तर प्रदेश घोषित किए गए। प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के कार्यों के संचालन हेतु निदेशक, उद्यान एवं खाद्य (मैदानी क्षेत्र), उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ मुख्यालय पर अपर निदेशक (अपर विभागाध्यक्ष) का पद सृजित है। साथ ही प्रशासनिक कार्यों के निस्तारण हेतु पी0सी0एस0 संवर्ग में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) का पद सृजित है। इसके अतिरिक्त

तकनीकी कार्यों के निस्तारण हेतु संयुक्त निदेशक (उद्यान), संयुक्त निदेशक (शाकभाजी) तथा खाद्य प्रसंस्करण शोध तथा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संयुक्त निदेशक (फल संरक्षण) का पद सृजित है। उपयुर्क्त पदों के अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर विभिन्न कार्यों के लिए उप निदेशक (आलू), भूमि परिसीमन वास्तुविद् तथा उप निदेशक (नियोजन) समूह "क" के पद सृजित है। समूह "क" के उक्त पदों के अतिरिक्त औधानिक विकास, पौधशालाओं के नियंत्रण, आलू संबंधी योजना के क्रियान्वयन, पौध रक्षा कार्यों, मौन पालन योजना एवं अन्य विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार, नवीन योजनाओं के गठन, पुष्प उत्पादन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उद्यान विशेषज्ञ (मुख्यालय), आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, पौधशाला अधिकारी, शोध अधिकारी (नियोजन), तकनीकी अधिकारी (प्रदर्शनी), पौध संरक्षण अधिकारी, फलोरीकल्चरिस्ट, मौन विशेषज्ञ (मुख्यालय) आदि समूह "ख" के पद विद्यमान हैं। मुख्यालय पर सांख्यिकीय अनुभाग कार्यरत है, जिसके अन्तर्गत समूह "क" उप निदेशक (सांख्यिकीय) के साथ-साथ समूह "ख" के पद सांख्यिकीय आंकड़ें एकत्र करने उनका विश्लेषण एवं अनुश्रवण तथा औद्यानिक फसलों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने एवं अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए सृजित है। विभाग के वित्तीय मामलों के निस्तारण हेतु वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी के साथ-साथ वित्त एवं लेखा अधिकारी का पद व अन्य लेखा संवर्ग के पद उपलब्ध है।

कार्यकलाप :

विभाग के मुख्य कार्य निम्न प्रकार है :

1—प्रदेश के उद्यानों, बागों, पार्कों का रख-रखाव।

2—प्रदेश के राजकीय आलू एवं शाकभाजी प्रक्षेत्रों, पौधशालाओं के रख-रखाव के साथ-साथ आलू बीज उत्पादन, शाकभाजी बीज उत्पादन तथा कृषकों को उन्नतशील बीजों को उपलब्ध कराना एवं कृषकों में फलदार कलमी तथा बीज पौधों का वितरण तथा शोभाकार पौधे जन साधारण को उपलब्ध कराना।

3—औद्यानिक फसलों, बागों को लगाने, मौनपालन, मशरूम उत्पादन, फल संरक्षण संबंधी तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराना।

4—उत्तर प्रदेश में मसाला की खेती के विकास का कार्य ।

5—उत्तर प्रदेश फल पौधशाला अधिनियम, 1976 का क्रियान्वयन।

6—औधानिक फसलों की आधुनिकतम तकनीकी पर प्रयोग एवं प्रशिक्षण कार्य।

7—सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न औद्यानिक फसलों हेतु प्रशिक्षण का कार्य ।

8—प्रदेश के सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों पर पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी, फल संरक्षण डिब्बा बन्दी संबंधी प्रशिक्षण कार्य संचालन।

9—राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों पर पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी, खाद्य प्रसंस्करण संबंधी प्रशिक्षण का संचालन।

10—राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बा बन्दी संस्थान, लखनऊ के अन्तर्गत पोस्ट हार्वेस्ट संबंधी तकनीकी, प्रसंस्करण संबंधी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स का संचालन तथा संबंधित विषय पर प्रयोग।

11—राज्य में मौन पालन संबंधी विकास कार्य ।

12—राज्य और मण्डल स्तरों पर औद्यानिक फल संरक्षण, मौन पालन, पुष्प आदि संबंधी प्रदर्शनी गोष्ठियों आदि का आयोजन।

13—मशरूम उत्पादन संबंधी प्रशिक्षण का आयोजन।

14—ऊतक सम्बर्द्धन द्वारा पौध रोपण सामग्री उत्पादन संबंधी कार्य।

15—प्रदेश में औधानिकी से संबंधित वाह्य सहायता से विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं का संचालन।

16—उद्यानपतियों को सहकारी समितियों के रूप में संगठित कर समितियों के माध्यम से निवेशों की आपूर्ति तथा विपणन में सक्षम बनाना।

690—विभाग का प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय नियंत्रण राज्य स्तर, मण्डल स्तर तथा जिला स्तर पर विभाजित है। राज्य स्तरीय संगठन उपर्युक्त प्रस्तर एक में वर्णित है। विभाग में मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, मण्डलीय मुख्यालय पर तैनात है, जो जिला स्तर पर तैनात जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/प्रधानाचार्य, खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र/फल संरक्षण अधिकारी के माध्यम से अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले जिलों की विभिन्न विभागीय योजनाओं हेतु तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों हेतु पर्यवेक्षकीय दायित्व के निर्वहन के लिए उत्तरदायी है।

मण्डल स्तरीय संगठन :

691--प्रदेश में विभाग का मण्डल स्तरीय संगठन निम्न प्रकार है :

क्रम सं0	मण्डलीय अधिकारी	मुख्यालय	मण्डल में आने वाले जनपद
1	2	3	4
1	उप निदेशक, उद्यान	लखनऊ	लखनऊ , सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर खीरी।
2	उप निदेशक, उद्यान	इलाहाबाद	इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी।
3	उप निदेशक, उद्यान	वाराणसी	वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर।
4	उप निदेशक, उद्यान	फैजाबाद	फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी।
5	उप निदेशक, उद्यान	गोरखपुर	गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर।
6	उप निदेशक, उद्यान	आगरा	आगरा, अलीगढ़, महामाया नगर, एटा, मैनपुरी, मथुरा, फिरोजाबाद।
7	उप निदेशक, उद्यान	झांसी	झांसी, ललितपुर, जालौन।
8	उप निदेशक, उद्यान	मेरठ	मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर।
9	उप निदेशक, उद्यान	बरेली	बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहांपुर।

1	2	3	4
10	उप निदेशक, उद्यान	सहारनपुर	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर।
11	उप निदेशक, उद्यान	मुरादाबाद	मुरादाबाद, ज्योतिबाफुले नगर, रामपुर, बिजनौर।
12	उप निदेशक, उद्यान	आजमगढ़	आजमगढ़, मऊ, बलिया।
13	उप निदेशक, उद्यान	कानपुर	कानपुर (नगर), कानपुर (देहात), फर्रूखाबाद, कन्नौज, औरेया, इटावा।
14	उप निदेशक, उद्यान	चित्रकूटधाम	हमीरपुर, महोबा, बांदा, क्षत्रपति शाहू जी महाराज नगर। नोट :--चित्रकूटधाम मण्डल के लिए उप निदेशक, उद्यान का पद सृजित नहीं है। इस मण्डल का कार्य उप निदेशक, उद्यान, झांसी द्वारा संचालित है।
15	उप निदेशक, उद्यान	मिर्जापुर	मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र। नोट :--मिर्जापुर मण्डल के लिए उप निदेशक, उद्यान का पद सृजित नहीं है। इस मण्डल का कार्य उप निदेशक, उद्यान, वाराणसी द्वारा संचालित है।
16	उप निदेशक, उद्यान	बस्ती	बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। नोट :--बस्ती मण्डल के लिए उप निदेशक, उद्यान का पद सृजित नहीं है। इस मण्डल का कार्य उप निदेशक, उद्यान, गोरखपुर संचालित कर रहे हैं।
17	उप निदेशक, उद्यान	देवीपाटन (गोण्डा)	गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। नोट :--देवीपाटन मण्डल के लिए उप निदेशक, उद्यान का पद सृजित नहीं है। इस मण्डल का कार्य उप निदेशक, उद्यान फैजाबाद संचालित कर रहे हैं।

नोट--उपर्युक्त क्रमांक 14, 15, 16 तथा 17 पर उल्लिखित मण्डलों के लिए उप निदेशक, उद्यान के पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

जनपद स्तरीय संगठन :

692--जनपद फैजाबाद, गोरखपुर, झाँसी तथा रामपुर में जिला उद्यान अधिकारी के पद सृजित नहीं है। इन जनपदों का औद्यानिक विकास कार्य, आलू एवं शाकभाजी संबंधी कार्य संबंधित जनपदों में नियुक्त अधीक्षक, राजकीय उद्यान द्वारा संचालित किया जाता है। जनपदों में तैनात जिला उद्यान अधिकारियों के कार्यों का जनपद स्तर पर प्रभावी नियंत्रण जिला विकास अधिकारी, अपर जिला अधिकारी (विकास) द्वारा किया जाता है। जिला उद्यान अधिकारी जनपद के औद्यानिक विकास कार्यों के लिये सीधे उत्तरदायी है तथा अधीनस्थ कार्यरत वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक, उद्यान निरीक्षक, सहायक उद्यान निरीक्षक तथा अन्य कार्यालय एवं क्षेत्रीय कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण के लिये सीधे उत्तरदायी है। जनपद के जिला उद्यान अधिकारियों को आहरण/वितरण के अधिकारी प्रदत्त है।

693--फल संरक्षण एवं डिब्बा बन्दी संबंधी विकास कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उप निदेशक (प्रसार) समूह "क" का पद सृजित है, जिनका मुख्यालय लखनऊ है।

694--विभाग के अन्तर्गत औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र सहारनपुर, बस्ती, इलाहाबाद, मलिहाबाद (लखनऊ) तथा बरूआ सागर (झांसी) स्थापित है जहाँ पर स्थानीय औद्यानिक फसलों की समस्याओं आदि के संबंध में कार्य किया जाता है। उपर्युक्त केन्द्रों में से सहारनपुर, बस्ती, केन्द्र के कार्यों के संचालन हेतु संयुक्त निदेशक, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र उत्तरदायी है तथा इलाहाबाद तथा मलिहाबाद (लखनऊ) केन्द्र के कार्यों के संचालन हेतु मुख्य उद्यान विशेषज्ञ, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र बरूआ सागर (झांसी) केन्द्र के कार्यों के संचालन हेतु सिट्रस विशेषज्ञ, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण उत्तरदायी है। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, महोबा पान उत्पादकों की समस्याओं पर प्रयोग एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु सिट्रस विशेषज्ञ झांसी के नियंत्रण में कार्यरत है। विभाग के अन्तर्गत बाबूगढ़ (गाजियाबाद) में आलू अनुसंधान केन्द्र स्थापित है जहां पर आलू संबंधी समस्याओं पर प्रयोग किये जाते हैं। इस केन्द्र के कार्यों के संचालन हेतु विषाणुविद् समूह "क" का पद सृजित है, जो केन्द्र के कार्यों हेतु उत्तरदायी है। विभाग के अंतर्गत राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बा बन्दी संस्थान, लखनऊ में स्थापित है जिसके अन्तर्गत 2 वर्षीय फूड टेक्नोलाजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ-साथ विभिन्न औद्यानिक फसलों के पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी तथा खाद्य पदार्थों पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग करके उनको संरक्षित करने के संबंध में कार्य किया जाता है। इन कार्यों के लिए उक्त संस्थान में भिन्न-भिन्न विषयक के समूह "क" के विशेषज्ञ फिजियोलोजिस्ट, फूड टेक्नालोजिस्ट, बायो-केमिस्ट, प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण) खाद्य प्रसंस्करण विशेषज्ञ के कुल 5 पद सृजित हैं, जो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त भिन्न विषयों पर समूह "ख" के अन्तर्गत मुख्य रसायनज्ञ, मुख्य प्रशिक्षक, माइक्रो-बायोलाजिस्ट, सहायक खाद्य अभियन्ता तथा फिजियोलाजिस्ट-कम-बायोकेमिस्ट के पद सृजित हैं, जो दो वर्षीय एसोसिएशनशिप कोर्स इन फ्रूट टेक्नालोजी में अध्यापन के कार्य के साथ-साथ अपने विषय संबंधी अनुभागों में खाद्य प्रसंस्करण संबंधी समस्याओं पर प्रयोग एवं शोध कार्य करते हैं।

695--विभाग के अन्तर्गत अधीक्षक, राजकीय उद्यान लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, झांसी, सहारनपुर तथा रामपुर में समूह "ख " के पद सृजित हैं, जो शोभाकार पौधों से सम्बन्धित बागों के रख-रखाव, फल एवं फूल उत्पादकों को फलदार पौधों तथा फूलों के पौधों एवं बीज आदि आपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। अधीक्षक, राजकीय उद्यान फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी तथा रामपुर द्वारा जनपदीय औद्यानिक विकास कार्य भी सम्पादित किया जाता है, क्योंकि इन जनपदों में जिला उद्यान अधिकारी के पद सृजित नहीं हैं।

696--विभाग के अन्तर्गत तीन राजकीय शीतगृह लखनऊ , दौराला (मेरठ) तथा कसया (कुशीनगर) में स्थापित हैं, जिनमें विभागीय आलू बीज भण्डारण की व्यवस्था है। इनके संचालन हेतु आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी के पद उपर्युक्त स्थानों पर सृजित हैं। इसके अतिरिक्त जनपद फर्रुखाबाद में आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी का पद सृजित है, जो जनपद के व्यक्तिगत शीतगृहों के संचालन पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु उत्तरदायी है।

शासनादेश सं0-6191/12-4-400(1)/1979, दिनांक 27-12-1979

697--प्रदेश में मौनपालन योजना का कार्य पूर्व में कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित था, जिसे स्थानान्तरित कर निदेशक, उद्यान के नियंत्रण में कर दिया गया, तद्समय उपर्युक्त योजना के संचालन हेतु ज्योलीकोट (नैनीताल) में मुख्यालय स्थापित था, जहां से प्रदेश स्तरीय मौनपालन योजना का कार्य प्रदेशीय मौन विशेषज्ञ द्वारा नियंत्रित किया जाता था। तत्पश्चात् मैदानी क्षेत्र में मौनपालन योजना के संचालन हेतु मौन विशेषज्ञ, समूह "ख" का पद एवं अन्य अधीनस्थ स्टाफ स्वीकृत हुआ, जिसका मुख्यालय उद्यान निदेशालय, लखनऊ में है, ये वर्तमान में प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में मौनपालन कार्यक्रमों तथा मौनपालन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु उत्तरदायी है। प्रदेश में सहारनपुर, मुरादाबाद, बस्ती एवं इलाहाबाद मौनपालन प्रशिक्षण केन्द्र तथा 13 उप केन्द्र लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, बस्ती, कानपुर नगर, आगरा, हरिद्वार, देवरिया एवं बरेली कार्यरत है।

698--फल तथा सब्जियों के समुचित उपयोग हेतु उन्हें संरक्षित करने एवं जन साधारण को फल संरक्षण के तकनीकी प्रशिक्षण हेतु विभाग के अन्तर्गत सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्र प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित हैं, जिन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बलिया, लखनऊ , वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ, बरेली, आगरा, झाँसी, फैजाबाद एवं गोरखपुर में समूह "ख" के फल संरक्षण अधिकारी के पद सृजित हैं। विभाग के अन्तर्गत जनपद आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ, झ ाँसी, गोरखपुर, कानपुर, बरेली, फैजाबाद तथा मुरादाबाद में खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हैं। इन केन्द्रों पर विभिन्न विषयों के प्रशिक्षक, फल संरक्षण, बेकरी तथा कुकरी पर प्रशिक्षण देते हैं एवं प्रधानाचार्य के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। फल संरक्षण केन्द्रों के कार्यों तथा फल संरक्षण विकास कार्यों हेतु फल उद्योग विकास अधिकारी, लखनऊ तथा प्रसार सेवा अधिकारी, गोरखपुर में समूह "ख" के पद सृजित हैं।

699--विभाग के अन्तर्गत ऊतक सम्वर्द्धन विधि द्वारा पौधों के रोपण सामग्री के उत्पादन योजना के अन्तर्गत ऊ तक सम्बर्द्धन प्रयोगशाला लखनऊ में स्थापित है।

700--पूर्व में उत्तर प्रदेश औद्यानिक उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम स्वायत्तशासी संस्था कार्यरत थी जो समाप्त हो गयी है। वर्तमान में "उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ" स्वायत्तशासी संस्था वर्ष 1992-93 में स्थापित की गयी है, जो उद्यानपतियों को निबन्धित सहकारी समितियों के माध्यम से गुणवत्ता के कलमी बीज, शोभाकार पौधे उपलब्ध कराती है। उत्पादकता में वृद्धि के लिये पौधशालाओं की स्थापना फल शाकभाजी, खाद्य प्रसंस्करण, पुष्प उत्पादन, विशिष्ट क्षेत्रों में पौधाशालाओं के संचालकों, शाकभाजी उत्पादकों को प्रोत्साहित करने, फल, शाकभाजी तथा खाद्य प्रसंस्करण के उत्पादों के विपणन की व्यवस्था, औद्यानिक फसलों की तुड़ाई के पश्चात् ग्रेडिंग/पैकिंग, यातायात आदि की सुविधायें प्रदान करने एवं ऋण आदि की व्यवस्था करने का दायित्व संघ को दिया गया है।

अध्याय--53

खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग

गठन एवं कार्यकलाप :

701--उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग अधिनियम संख्या 64, 1966 के अन्तर्गत अप्रैल, 1967 में हुआ। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को खादी ग्रामोद्योग की योजनाओं को प्रदेश में क्रियान्वित करने का अधिकार दिया। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्योगों तथा कम पूँजी निवेश के उद्योगों को स्थापित कर अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। खादी आयोग की परिभाषा के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग को सात वर्गों में बांटा गया है यथा--कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वनाधारित उद्योग, पालीमर तथा रसायन उद्योग, यांत्रिक एवं वैकल्पिक ऊर्जा, वस्त्र उद्योग, सेवा उद्योग। इसके अतिरिक्त प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से गाँव के बेरोजगार नवयुवकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग की इकाईयाँ स्थापित करने हेतु वर्ष 2002-2003 में कार्यान्वित की जाने वाली योजनायें--खादी बिक्री पर रिबेट, हाथ कागज गुणवत्ता में सुधार, खादी डिजाइन एवं पैकेजिंग विकास, विपणन, ट्रेडमार्क एवं उत्पाद विकास की योजना, पशशुवच्छेदन एवं चर्म शोधन सहकारी समितियों को सहायता, प्रशिक्षण केन्द्रों की सुदृढ़ीकरण योजना, गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण योजना आदि हैं तथा विभागीय योजनाओं को अन्तर्गत विभागीय कम्बल योजना, खादी विकास योजना, ग्रामीण उद्यमियों की पुरस्कार योजना, जनपद मुख्यालयों में खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन, प्रशिक्षण योजना, सहकारिता योजना, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला आदि योजनायें चलायी जा रही हैं।

अध्याय-54
महिला एवं बाल विकास विभाग

कार्यकलाप :

702--महिला एवं बाल विकास विभाग में राजकीय गृहों एवं संस्थाओं की स्थापना, मानसिक रूप से अविकसित महिलाओं के लिए राजकीय शरणालय एवं प्रवेशालय की स्थापना, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन, किशोर न्याय अधिनियम का कार्यान्वयन एवं समितियों का गठन, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय की सेवा नियमावलियाँ, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, राष्ट्रीय बाल कोष से सहायता, उत्तर प्रदेश बाल निधि का क्रियान्वयन, किशोरी शक्ति योजना, बाल श्रम उन्मूलन सहयोग, बाल वेश्यावृत्ति/वेश्यावृत्ति उन्मूलन एवं पुनर्वासन, महिला उत्पीड़न की रोकथाम के उपाय, गोद कार्य हेतु सहायता, अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह अवरोध अधिनियम, राज्य महिला नीति, निराश्रित महिलाओं/विधवाओं से संबंधित कार्य (विवाह एवं भरण पोषण), व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति आदि कार्य व्यवहृत किया जाता है।

703--समाज के दुर्बल वर्ग के बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को समुचित पोषण व प्रतिरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत निम्न सेवायें प्रदान की जा रही हैं :

1--अनुपूरक पुष्टाहार--बाल कल्याण के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्ग के 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री महिलाओं (माताओं) को कुपोषण से बचाने के लिए अनुपूरक पुष्टाहार की व्यवस्था की जाती है जिसके अधीन उन्हें माह में 25 दिन तथा वर्ष में 300 दिन अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाता है।

2--स्वास्थ्य प्रतिरक्षण (टीकाकरण)--परियोजना क्षेत्र में एक साल तक के बच्चों को गला घोटू, कुकर खाँसी, टेटनस, पोलियों और तपेदिक एवं खसरा से बचने के लिए तथा गर्भवती महिलाओं को टीके लगवाये जाते हैं।

3--स्वास्थ्य जांच एवं संदर्भ सेवायें--गर्भवती माताओं को प्रसव के पूर्व एवं पश्चात् दूध पिलाने वाली धात्री महिलाओं तथा नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है।

4--स्वास्थ्य शिक्षा--20-45 वर्ष आयु की युवतियों एवं महिलाओं के लिये पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से चलाया जाता है।

5--अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा--3-6 वर्ष के बीच आयु के वर्ग के बच्चों के बहुमुखी विकास के लिये यह शिक्षा प्रदान की जाती है।

6--इन्दिरा महिला योजना--इस योजना का शुभारम्भ 20 अगस्त, 1995 को प्रदेश के 2 जनपदों जालौन और बिजनौर तत्पश्चात् रायबरेली एवं सोनभद्र में यह योजना लागू की गयी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा, संचार तथा आर्थिक मामलों में जागृति पैदा करना है।

7--किशोरी शक्ति योजना--योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य, टीकाकरण एवं शिक्षा के प्रति जागरूक करना है तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

8---बालिका समृद्धि योजना--इस योजना का संचालन विकास खण्डों में आई0सी0डी0एस0 के माध्यम से किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका के जन्म से संबंधित विचारों में बदलाव लाना, विद्यालयों में बालिकाओं का पंजीकरण कराना, विवाह की आयु में वृद्धि, आय जनित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना आदि है।

अध्याय-55

वस्त्रोद्योग (हथकरघा) विभाग

कार्यकलाप :

704--हथकरघा उद्योग गैर कृषि क्षेत्रों में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला प्रदूषण रहित विकेन्द्रित कुटीर उद्योग है। यह उद्योग अपनी परम्परागत कलात्मकता एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस उद्योग से न केवल देश की अपनी वस्त्रीय आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है, बल्कि बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी बड़ी मात्रा में अर्जित की जा सकती है, क्योंकि हथकरघा वस्त्रों का चलन अब विदेशों में भी बढ़ता जा रहा है। देश के लगभग एक चौथाई बुनकरों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 95 में कराई गई गणना के अनुसार लगभग 7.10 लाख बुनकर हैं। इस उद्योग के माध्यम से गरीब अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बुनकरों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक रोजगार सुलभ होता है।

वस्त्रोद्योग क्षेत्र से सम्बद्ध गरीब बुनकरों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के आधार पर क्रियान्वित किये जाते हैं।

705--विभाग द्वारा हथकरघा क्षेत्र के सम्वर्धन एवं बुनकरों के उत्थान को उद्देश्यगत रखते हुए निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं :

1--दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना--दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना नाम की एक नई योजना वर्ष 2000-2001 से प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत हथकरघा से सम्बन्धित आधारभूत इनपुट, अन्तसंरचना, डिजाइन, प्रचार आदि मद सम्मिलित किये गये हैं। हथकरघा संगठनों को सुदृढ़ करने और विपणन प्रोत्साहन गतिविधियों को चलाये जाने के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है। इस योजना में लागत को केन्द्र व राज्य सरकार के मध्य 50 : 50 के अनुपात में वहन किया जाता है। योजना सहकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के बुनकरों पर लागू होती है।

2--प्रोजेक्ट पैकेज परियोजना--इस योजना में बुनकरों के समग्र विकास कार्यक्रमों का समायोजन किया गया था, जिसमें करघों का नवीनीकरण, नवीन तकनीक के करघों की आपूर्ति, रंगाई, बुनाई की नई तकनीक एवं इससे संबंधित प्रशिक्षण, लघु रंगाई एवं प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना, सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना, नवीन डिजाइनों के विस्तार, गोडाउन, बिक्री केन्द्र जैसी मदें सम्मिलित की गयी थी। इस योजना का अन्तिम वर्ष मार्च, 2000 था, लेकिन द्वितीय एवं तृतीय किस्त हेतु वर्ष 2004 तक योजना चलती रहेगी।

3--विपणन विकास सहायता--विकास आयुक्त हथकरघा, भारत सरकार द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 अनुपात के आधार पर हथकरघा वस्त्रों पर विपणन विकास सहायता दिये जाने की योजना वर्ष 1989-90 से प्रारम्भ की गयी थी। भारत सरकार द्वारा अब इस योजना को दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना में समाहित कर लिया गया है।

4--आवास से सम्बद्ध कार्यशाला योजना/आवासयुक्त कार्यशाला--इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनकरों के रिहायशी स्थान पर ठीक काम करने की जगह (कार्यशाला) उपलब्ध कराना है। योजनान्तर्गत 8x10 फुट लम्बाई चौड़ाई का आवास से सम्बद्ध कार्यशाला का निर्माण किया जाता है। कार्यशाला निर्माण हेतु बुनकरों के पास स्थान होना अनिवार्य है। अनुदान की धनराशि दो किस्तों में दी जाती है। हथकरघा सहकारी समिति के सदस्य तथा हथकरघा निगम के बुनकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर परिक्षेत्रीय सहायक निदेशक हथकरघा को आवेदन-पत्र बुनकरों द्वारा दिये जाते हैं।

आवासयुक्त कार्यशाला (बुनकर कालोनी) योजना का सूत्रपात विकास आयुक्त हथकरघा, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा किया गया है। इस योजना का उद्देश्य बुनकरों के लिए समुचित आवास की व्यवस्था करनी है।

5--गुणवत्ता सुधार योजना--इस योजना का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार कपड़ों की गुणवत्ता तथा उनकी डिजाइन में सुधार लाना है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 25 गुणवत्ता केन्द्र स्थापित हैं, जिसमें तकनीकी कर्मचारियों द्वारा कपड़े की जांच करके गुणवत्ता (क्यू) क्वालिटी सील चिन्हांकित की जाती है। इस योजना में सदस्यता के लिए व्यक्तिगत बुनकरों से रु0 10.00 और सहकारी समितियों से रु0 25.00 शुल्क लिया जाता है। यह सदस्यता आजीवन होती है। हथकरघा निदेशालय, कानपुर में एक केन्द्रीय प्रयोगशाला स्थापित है, जहां कपड़ों की गुणवत्ता की जांच की जाती है। भौतिक परीक्षण हेतु जांच शुल्क प्रति नमूना रु0 40.00 एवं रासायनिक परीक्षण हेतु रु0 60.00 देना होता है।

6--हथकरघा पुरस्कार योजना--हथकरघा क्षेत्र में उच्चकोटि के बुनकरों को उनके कलात्मक एवं उत्कृष्ट हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन हेतु पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाता है। योजनान्तर्गत परिक्षेत्र तथा राज्य स्तरीय समितियों के माध्यम से सैम्पुल का चयन किया जाता है। राज्य स्तरीय पुरस्कार योजनान्तर्गत प्रथम श्रेणी के लिए रु0 5 हजार नगद, शील्ड, अंगवस्त्र व प्रमाण-पत्र, द्वितीय पुरस्कार हेतु रु0 3 हजार नगद, शील्ड, अंगवस्त्र व प्रमाण-पत्र तथा तृतीय पुरस्कार के अन्तर्गत रु0 2,500.00 नगद, अंगवस्त्र व प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। परिक्षेत्रीय पुरस्कार विजेताओं को प्रथम पुरस्कार विजेता के लिए रु0 1,500.00 नगद एवं प्रमाण-पत्र तथा द्वितीय पुरस्कार विजेता के लिए रु0 500.00 नकद एवं प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

7--निर्यात योग्य उत्पादों का विकास एवं विपणन--हथकरघा उत्पादों के निर्यात तथा इसके विपणन के लिए भारत सरकार द्वारा यह योजना चालाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय तथा राज्य हथकरघा निगम, एपेक्स कोआपरेटिव सोसाइटी तथा प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां, जो पंजीकृत हैं अथवा सम्बद्ध हैं, को सहायता प्रदान की जाती है।

8--डिजाइन विकास--इस योजना का मुख्य उद्देश्य कपड़ों के डिजाइन में सुधार, रंगाई की तकनीक, पेपर डिजाइन, कपड़ों की डिजाइन बनाकर हथकरघा डिजाइनों का विकास करना है। योजनान्तर्गत प्रदेश में 2 राजकीय हथकरघा डिजाइन केन्द्रों को कम्प्यूटरीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है।

9--शिफ्ट फण्ड योजना--शासन द्वारा बुनकरों को भविष्य निधि की भांति सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। बुनकरों के नाम पी0पी0एफ0 खाते डाकघर या बैंकों में खोले जाते हैं, जो सहायक निदेशक हथकरघा के पक्ष में बन्धित (प्लेज) होते हैं। योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष अधिकतम अंशदान रु0 360.00 है। जिसमें बुनकरों को रु0 180.00 तथा केन्द्र/राज्यांश सरकार का 50 : 50 अनुपात में रुपये 180.00 देने होते हैं बुनकर लाभार्थी यदि चाहें तो रु0 180.00 से अधिक अंशदान दे सकता है। किन्तु केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान पूर्ववत् ही रहेगा। योजना की सहायता सहकारी समिति के सदस्य तथा हथकरघा निगम द्वारा अंगीकृत सदस्यों को उपलब्ध है। सदस्यता के 25 वर्ष पूर्ण करने पर सदस्य पूरी रकम ब्याज सहित वापस ले सकता है। सदस्य की मृत्यु होने पर यह रकम उसके नामित को प्राप्त होगी।

10--जनश्री बीमा योजना--पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से अनुसचिव, उ0 प्र0 शासन के पत्रांक 2274/63-व0उ0-2002-99(एच)/2002, दिनांक 18-9-2002 के साथ संलग्न कार्यवृत्त के अनुसार जनश्री बीमा योजना (पावर लूम एवं बुनकरों हेतु) लागू की गयी है, जिसे वर्ष 2003-2004 से संचालित की जानी है। इस योजना में हथकरघा बुनकरों हेतु बीमा योजना एवं पावरलूम बुनकरों हेतु बीमा योजना को मर्ज किया जा चुका है।

योजनान्तर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु के बुनकर लाभान्वित हो सकेंगे। बीमित राशि रु0 20,000.00 है, जिसमें वार्षिक प्रीमियम रु0 200.00 प्रतिवर्ष है, जिसके अन्तर्गत 50 प्रतिशत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा एवं 50 प्रतिशत नोडल एजेन्सी (रु0 40.00 राज्यांश, रु0 40.00 केन्द्रांश तथा रु0 20.00 बुनकर अंश सम्मिलित है) द्वारा वहन किया जायेगा। जनश्री बीमा योजनान्तर्गत बीमा धारकों को निम्नवत् हित लाभ देय होगा :--

(क)--साधारण मृत्यु होने पर रु0 20,000.00 की बीमित राशि नामांकित व्यक्ति को देय होगी।

(ख)--दुर्घटना बीमा लाभ--

(1)--दुर्घटना में मृत्यु होने पर रु0 50,000.00

(2)--दुर्घटना में अस्थायी पूर्ण अपंगता होने पर रु0 50,000.00

(3)--दुर्घटना में दो आंख या दो हाथ-पांव या एक आंख और एक हाथ या पांव अक्षम होने पर रु0 50,000.00

(4)--दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ-पांव अक्षम होने पर रु0 25,000.00

11--हेल्थ पैकेज योजना--इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनकरों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा प्रदान करना है। योजनान्तर्गत हथकरघा कार्य से सम्बन्धित जैसे :- दमा, क्षय रोग, अस्थमा पाचन क्रिया में सूजन आदि के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा बुनकर को नजर की जांच कराने तथा चश्मा लगाने के लिए सहायता अनुमन्य है।

12--शक्तिचालित करघा (पावरलूम) उद्योग का विकास--(1) शक्तिशाली करघा उद्योग के विकास का कार्य भी इस विभाग द्वारा किया जाता है।

(2) शक्तिचालित करघों के नियोजित विकास के लिए समिति का गठन पंजीकरण किया जाता है, जिसमें न्यूनतम 12 सदस्य व 12 करघे होने चाहिए।

(3) शक्तिचालित करघा समिति के सदस्यों को पावरलूम सर्विस सेन्टर के केन्द्रों द्वारा नवीन तकनीकी डिजाइनों के साथ उत्पादन आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में छात्रवृत्ति दी जाती है।

(4) शक्तिचालित करघा समितियों को कार्यशील पूंजी नाबार्ड के मानक के अनुसार जिला सहकारी बैंक से साख सीमा ऋण की व्यवस्था कराई जाती है।

(5) पावरलूम उद्योगों के विकास हेतु हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय द्वारा पावरलूम प्रभाग भी स्थापित किया गया है।

13--हथकरघा आरक्षण अधिनियम--हथकरघा वस्त्र उद्योग की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा कतिपय वस्त्रों का उत्पादन हथकरघा के लिए ही आरक्षित किया गया है। आरक्षण अधिनियम में वर्तमान में 11 वस्त्र हथकरघा पर उत्पादन के लिए ही आरक्षित है। इसका उल्लंघन करने वाले पावरलूम इकाइयों को इसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किए जाने का प्राविधान है। हथकरघा पर उत्पादन हेतु निम्नलिखित वस्त्र आरक्षित हैं :-

1--साड़ी (सूती/रेशमी)	2--धोती (सूती/रेशमी)
3--तौलिया, गमछा, अंगवस्त्र	4--खेस, बेडशीट, बेडकवर, पंलगपोश, फर्निशिंग, टेपेस्ट्री इत्यादि।
5--जामा, कालम, दरी, दरेट	6--ड्रेस मैटेरियल
7--लुंगी	8--बैरक कम्बल या कम्बली
9--शाल, लोई, मफलर, पंखी इत्यादि	10--ऊनी कपड़ा (ऊनी टवीड)
11--चादर मेखला/फीडक	

14--केन्द्रीय प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण--हथकरघा वस्त्रों की गुणवत्ता, यार्न पक्के रंगों की जांच करने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना 1976 में की गयी थी। वर्तमान समय में इस प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम प्रस्तावित है।

15--विलुप्त हो रही कलाओं को संरक्षण--प्राचीन समय से ही उत्तर प्रदेश विभिन्न कलाओं, हस्तशिल्प के लिये विश्व भर में प्रसिद्ध रहे हैं। बनारस में होने वाले सूती साड़ी, जामदानी, तनछुई, कटवर्क, जरी, जरदोजी के कार्य की मांग न केवल पूरे देश में बल्कि अन्य देशों में भी है। इस कार्य में निर्यात की प्रबल सम्भावनाएं हैं, किन्तु पर्याप्त सहायता के अभाव में इस कार्य को करने वाले कारीगर धीरे-धीरे अन्य कार्यों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिससे यह कलायें विलुप्त होने की सम्भावनायें हो रही हैं। इस उद्योग को संरक्षण देने के लिये कारीगरों को प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय एवं तकनीकी सहायता की आवश्यकता है।

16--निटवेयर, होजरी रेडीमेट गारमेन्ट, मेडअप को प्रोत्साहन--हैण्डलूम, पावरलूम के साथ-साथ वर्तमान में निटवेयर, होजरी, रेडीमेड गारमेन्ट एवं मेडअप की भी विश्व भर में वृहद् मांग हो रही है। गत एक दशक में विशेषता इन वस्त्रों की मांग गुणात्मक रूप से बढ़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह उद्योग असंगठित क्षेत्रों में प्रोत्साहित हो रहा, अत: आवश्यक है कि इस उद्योग को संगठित क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाय। प्रदेश में कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, नोयडा जैसे महानगरों में यह कार्य हो रहा है। फिर भी उत्तर प्रदेश में उपभोग किये जा रहे इन वस्त्रों की आपूर्ति अन्य प्रदेशों से भी की जा रही है।

17--वस्त्र केन्द्रों की स्थापना--वस्त्रोद्योग को बढ़ावा देने के लिये वस्त्र केन्द्रों की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव दसवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। इन वस्त्र केन्द्रों पर उत्पादित होने वाले सभी प्रकार के वस्त्रों, बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण, डिजाइन सेन्टर तथा सभी प्रकार के वस्त्रों को एक ही स्थान पर विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना है।

18--गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम--प्रदेश के हथकरघा बुनकरों में से अधिकतर समाज के कमजोर वर्ग एवं गरीबी रेखा के नीचे का वर्ग है। इस वर्ग की बढ़ती हुई आबादी एवं हथकरघा क्षेत्र में निहित सम्भावनाओं को दृष्टि में रखते हुये ऐसे बुनकर को जो गरीबी रेखा से नीचे निर्वहन कर रहे हैं उनके लिये यह योजना प्रस्तावित की जा रही है।

अध्याय--56

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संगठन :

वि0सं0 4056/बीस-ई-1-95-539(2), दिनांक 12-08-1995

706--शासन द्वारा प्रदेश की पिछड़ी जातियों/वर्गों के सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर को ऊँचा करने तथा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को और अधिक गति प्रदान करने के उद्देश्य से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन किया जाता है।

शा0सं0 22/16/92-का0-2, दिनांक 09-03-1993

707--प्रदेश सरकार द्वारा राज्याधीन सेवाओं में पिछड़े वर्गों के अनुमन्य आरक्षण हेतु पिछड़े वर्गों की सूची में अपेक्षित समावेश तथा निष्कासित करने एवं तत्सम्बन्धी शिकायतों पर सम्यक रूप से विचार कर शासन को संस्तुति करने हेतु राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है।

शा0सं0 3459/26-3-89-5-89, दिनांक 20-9-1989

708--शासन द्वारा उ0 प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 की स्थापना की गयी है। निगम की स्थापना प्रदेश के पिछड़े वर्ग/पिछड़ी जातियों के आर्थिक उत्थान को लक्षित करते हुए की गयी है।

विभाग द्वारा जारी किये गये महत्वपूर्ण शासनादेशों की सूची :

709--(1) अधिसूचना संख्या 488/सत्रह-वि-1-(1) 6-1994, दिनांक 23-03-1994--

उ0 प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 में जातियों/वर्गों में सम्मिलित किया गया है।

(2) अधि0 संख्या बी-456/का-2-1995, दिनांक 6-09-1995--

उ0 प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 में उल्लिखित 21 मूल जातियों में 37 उपजातियों को शामिल किया गया है।

(3) अधि0 संख्या 11 एम0एम0/64-1-96-100/95, दिनांक 01-05-1997--

उ0 प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 विनिर्दिष्ट 56वीं प्रविष्टि राय सिक्ख को पिछड़ी जातियों/वर्गों में सम्मिलित किया गया है।

(4) अधि0 संख्या 731/64-1-97, दिनांक 06-08-1997--

उ0 प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 में दी गयी निम्नलिखित प्रविष्टियों में उनके सम्मुख दी गई प्रविष्टियां रख दी गयी हैं :-

32--बढ़ई	32--बढ़ई सैफी
50--लोहार	50--लोहार सैफी

इसके अतिरिक्त प्रविष्टि 56 के पश्चात् प्रविष्टि 57 सक्का भिश्ती, भिश्ती अब्बासी को पिछड़ी जातियों /वर्गों में सम्मिलित किया गया है।

(5) अधि0 संख्या 1259/64-1-97-70/96, दिनांक 15-09-1997--

उ0 प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी प्रविष्टियों के स्थान पर उनके सम्मुख स्तम्भ-2 में दी गयी प्रविष्टियां रखी गयीं :-

1--अहीर	1--अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय
4--कहार	4--कहार, कश्यप
15--गड़ेरिया	15--गड़ेरिया, पाल और बघेल
24--तेली, सामानी रोग़नर	24--तेली, सामानी, रोगनगर, साहू
25--दर्जी, इदरीसी	25--दर्जी, इदरीसी, काकुत्स्थ
31--बंजारा	31--बंजारा, रंकी, मुकेरी और मुकेरानी
37--भर	37--भर, राजभर
38--भुर्जी या भड़भूँजा, भूंज, कांदू	38--भुर्जी या भड़भूंजा, भूंज, कांदू, कशौधन

इसके अतिरिक्त अनुसूची-1 में प्रविष्टि 57 के पश्चात् प्रविष्टि 58-धोबी (जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है)

59--कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार

60--नानबाई

61--मीर शिकार

62--शेख, सरवरी (पिराई), पीराही

63--मेव, मेवाती

64--कोष्टा/कोष्टी

65--रोड़

66--खुमरा, संगतराश, हंसीरी को पिछड़ी जातियों/वर्गों में सम्मिलित किया गया।

(6) अधि0 संख्या 961/64-1-98-70/96, दिनांक 15-07-1998--

उ0 प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 में प्रविष्टि 24- तेली, सामानी, रोगनगर, साहू रोनियार, गंधी, अराफ रखी गयी है (इसके अतिरिक्त अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट प्रविष्टि - 66 के पश्चात् प्रविष्टि 67- मोची को पिछड़ी जातियों/वर्गों में सम्मिलित किया गया है)।

(7) अधि0 संख्या 1305/64-1-98-70/96, दिनांक 26-8-1998--

उ0 प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 में प्रविष्टि 67 के पश्चात् 68- खागी, 69- तंवर सिंघाड़िया प्रविष्टियों को पिछड़ी जातियों/वर्गों में सम्मिलित किया गया है।

(8) अधि0 संख्या 1521/64-1-98-51/98, दिनांक 24-09-1998--

उ0 प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 में प्रविष्टि 69 के पश्चात् प्रविष्टि 70- कतुआ' को पिछड़ी जातियों/वर्गों में सम्मिलित किया गया है।

(9) अधि0 संख्या 882/64-1-99/97, दिनांक 28-5-1999--

उ0 प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 में प्रविष्टि 69 32- बढ़ई- सैफी के साथ विश्वकर्मा, पांचाल, रामगड़िया, जांगिड, धीमान तथा प्रविष्टि 46- नद्दाफ (धनिया) मन्सरी, कडेरे, कन्डेरें के साथ करण (कर्ण) उपजातियाँ सम्मिलित की गयी। साथ ही प्रविष्टि 70 के पश्चात् प्रविष्टि 71- माहीगीर, 72- दांगी, 73- धाकड़ को पिछड़ी जातियों 2 वर्गों में सम्मिलित किया गया है।

(10) अधि0 संख्या 1253/64-1-99-135/95, दिनांक 08-07-1999--

उ0 प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 में प्रविष्टि 73-ए, के पश्चात् प्रविष्टियाँ, 74- गाड़ा, 75- तंतवा, 76- जोरिया एवं 77- पटवा पटहारा, पटेहरा, देववंशी को पिछड़ी जातियों/वर्गों में सम्मिलित किया गया है।

अध्याय--57

विकलांग कल्याण विभाग

संगठन :

710--समाज के असहाय, निराश्रित एवं सुविधाविहीन, विशेष रूप से विकलांग वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित करने के भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 20 सितम्बर, 1995 से विकलांग कल्याण विभाग का गठन किया गया है।

711--विकलांग कल्याण विभाग के मुख्य दायित्व--(1) विकलांग कल्याण के बारे में राज्य नीति का निर्धारण व कार्यान्वयन।

(2) आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर योजनाओं के माध्यम से विकलांगों का सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित कराना।

(3) विकलांगों के कल्याण के संबंध में राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय।

(4) विकलांगों के विकास संबंधी भारत सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

(5) विकलांगों के कल्याण संबंधित कार्य हेतु अन्य विभागीय सूचना।

(6) सेवाओं में आरक्षण एवं सेवायोजना का पर्यवेक्षण।

(7) विकलांगों के लिए सहायता तथा उपकरण।

(8) विकलांगों के लिए विशेष तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण।

(9) गैर सरकारी संस्थाओं/माता-पिता/सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों का विकलांगों के कल्याण संबंधी प्रशिक्षण।

(10) गैर सरकारी संस्थाओं को विकलांगों के कल्याणार्थ कार्य करने हेतु सहायता एवं सहयोग।

(11) राज्य एवं केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्रों के उद्यमों एवं उनके संगठनों से विकलांग कल्याण के लिए सहयोग प्राप्त करना।

(12) विकलांगों से संबंधित योजनाएं, आय-व्ययक अनुमान तथा अन्य।

विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाएं

712--राजकीय मूक-बधिर विद्यालय आगरा, बरेली, फर्रुखाबाद, गोरखपुर--(1)--इन विद्यालयों में श्रवण यंत्र की सहायता से छात्रों को शिक्षा दिए जाने के साथ-साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बरेली तथा फर्रुखाबाद के मूक-बधिर विद्यालयों में जूनियर हाईस्कूल तथा आगरा, गोरखपुर के विद्यालयों में हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा का प्रबन्ध है। आवासीय छात्रों को जिनके अभिभावकों की मासिक आय रु0 1000.00 तक है उन्हें रु0 550.00 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्तियां/छात्रवेतन दिए जाने का प्राविधान है। इन विद्यालयों की कुल स्वीकृत क्षमता 450 विद्यार्थियों की है।

(2)--बालक/बालिकाओं के लिए राजकीय अंध विद्यालय, गोरखपुर तथा लखनऊ इण्टर स्तर एवं बांदा तथा सहारनपुर में जूनियर हाईस्कूल है। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को ब्रेल पद्धति से शिक्षा दी जाती है तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। विद्यार्थियों को पुस्तकों की सुविधा उपलबध कराने की दृष्टि से प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित है। इन विद्यालयों की क्षमता 350 विद्यार्थियों की है। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावकों की मासिक आय रु0 1000.00 तक होती है, उन्हें 550.00 रुपये की दर से छात्रवृत्ति/छात्रवेतन दिए जाने का प्राविधान है।

(3)--**मानसिक रूप से अविकसित बालकों/बालिकाओं का राजकीय विद्यालय लखनऊ तथा इलाहाबाद--**इन विद्यालयों में मानसिक रूप से विकसित बच्चों के लिये मनोवैज्ञानिक पद्धति से शिक्षा प्रदान की जाती है तथा शारीरिक रूप से उन्हें स्वस्थ रखने के दृष्टिकोण से व्यायाम प्रशिक्षक नियुक्त हैं तथा इन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रत्येक विद्यालय की स्वीकृत क्षमता 50 बालक/बालिकाओं की है। जिन संवासियों के अभिभावकों की मासिक आय 1000.00 प्रतिमाह से अधिक न हो उनके भरण-पोषण पर शासन द्वारा रुपये 550.00 प्रतिमाह प्रति संवासी व्यय करता है।

(4)--**शारीरिक रूप से अक्षम बालकों (मूक-बधिर तथा दृष्टिहीनों को छोड़कर) के लिये राजकीय विद्यालय प्रतापगढ़ तथा लखनऊ--**इन विद्यालयों में हाईस्कूल स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों की कुल स्वीकृत क्षमता प्रति विद्यालय 50 छात्रों की है। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले जिन छात्रों के अभिभावकों की मासिक आय रु0 1000.00 प्रति माह से अधिक नहीं उनके भरण-पोषण पर रुपये 550.00 प्रतिमाह व्यय किये जाने का प्राविधान है।

(5)--**नेत्रहीनों के लिये कर्मशाला लखनऊ, गोरखपुर तथा बांदा--**इन आश्रित कर्मशालाओं में नेत्रहीन व्यक्तियों की विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देने एवं प्रशिक्षित दृष्टिहीन बेरोजगार व्यक्तियों को जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्क आर्डर के आधार पर कुर्सी बुनाई, निवाड़ आदि बनाने का कार्य उपलब्ध कराया जाता है, जिसके लिए उन्हें मजदूरी दी जाती है। प्रत्येक कर्मशाला को स्वीकृत क्षमता 50 की है। उन्हें रु0 550.00 प्रतिमाह प्रति छात्र छात्रवृत्ति/छात्रवेतन दिये जाने की व्यवस्था है।

(6)--**शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों एवं विकलांगों के लिये राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रित कर्मशाला, इलाहाबाद, मिर्जापुर, उन्नाव--**इन कर्मशालाओं में विकलांग व्यक्तियों को मोमबत्ती, साबुन बनाना, प्लास्टिक व्यवसाय, हथकरघा, पावरलूम, निवाड़, पेंटिग्स, कागज बनाने, सूती वस्त्र, स्वेटर, शाल तथा कम्बल आदि की बुनाई का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त मिर्जापुर में स्थापित कर्मशाला में लाईट इंजीनियरिंग का भी कार्य सिखाया जाता है। प्रत्येक कर्मशाला को स्वीकृत क्षमता 100 की है। इन्हें रुपये 550.00 भरण-पोषण प्रतिमाह प्रति संवासी की दर से वहन करने की व्यवस्था शासन द्वारा की गयी है।

(7)--**मूक बधिरों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रित कर्मशाला, आगरा--**इस संस्था में सिलाई तथा प्रेस प्रिंटिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस संस्था की स्वीकृति क्षमता 50 की है, जिन्हें रुपये 550.00 प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति/छात्रवेतन दिये जाने की व्यवस्था है।

713--विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

(1)--**निराश्रित विकलांगों को भरण-पोषण अनुदान (विकलांग पेंशन)--**इस योजना का प्रारम्भ वर्ष 1979-80 में हुआ था, जिसके अन्तर्गत निराश्रित, साधनहीन, शारीरिक रूप से अक्षम मूक-बधिर, दृष्टिहीन तथा मन्द बुद्धि विकलांगों को जिनकी मासिक आय रु0 225.00 से कम है, को रु0 125.00 प्रतिमाह की दर से भरण-पोषण अनुदान प्रदान किया जाता है।

(2)--**विकलांग छात्रों तथा विकलांग व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति--**विकलांग छात्र प्राय: आर्थिक विषमताओं के कारण शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाते, जिसके कारण उनका जीवन स्वावलम्बी नहीं बन पाता है। विकलांगों के सर्वांगीण विकास एवं उनके पुनर्वासन हेतु शिक्षा प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उन्हें छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रविधान किया गया है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के विकलांग छात्रों तथा विकलांग व्यक्तियों के बच्चों (छात्रों) को छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था है। यह छात्रवृत्ति की सुविधा उन्हीं छात्रों को अनुमन्य है जिसके अभिभावकों की मासिक आय रुपये 2000.00 से कम है।

विकलांग छात्रों को प्रदान किये जाने वाली छात्रवृत्ति की दरें निम्नवत् हैं--

क्र0सं0	छात्र	छात्रवृत्ति की दरें
1.	कक्षा 1 से 5 तक	25 रुपये प्रतिमाह
2.	कक्षा 6 से 8 तक	40 रुपये प्रतिमाह
3.	कक्षा 9 से 12 तक	85 रुपये प्रतिमाह
		140 रुपये प्रतिमाह (छात्रावास में रहने वालों के लिए)
4.	स्नातक	125 रुपये प्रतिमाह
		180 रुपये प्रतिमाह (छात्रावास में रहने वालों के लिए)
5.	स्नातकोत्तर	170 रुपये प्रतिमाह
		240 रुपये प्रतिमाह (छात्रावास में रहने वालों के लिए)
6.	अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम	170 रुपये प्रतिमाह
		240 रुपये प्रतिमाह (छात्रावास में रहने वालों के लिए)

(3)--**शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/श्रवण सहायक यंत्र क्रय करने हेतु अनुदान--**इस योजना के अन्तर्गत विकलांगों को तिपहिया साइकिल, बैसाखी, जयपुरिया बूट, चश्मा तथा श्रवण सहायक यंत्र इत्यादि क्रय करने के लिये अनुदान प्रदान किया जाता है। इसमें अनुदान अधिकतम सीमा रु0 100/- प्रति लाभार्थी है।

(4)--**दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार--**प्रदेश सरकार द्वारा उत्कृष्ट विकलांग कर्मचारी एवं उनके उत्कृष्ट सेवायोजकों एवं प्लेसमेन्ट अधिकारियों को पुरस्कृत किये जाने की योजना है, जिसके अन्तर्गत प्रति व्यक्ति/संस्था को रु0 1000 के नकद पुरस्कार के अतिरिक्त पदक तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

(5)--**राज्य परिवहन निगम की बसों में विकलांगों को नि:शुल्क यात्रा सुविधा--**इस योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के आधार पर नि:शुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्राविधान है। अति विकलांग व्यक्तियों के एक सहयोगी को भी विकलांगों की तरह नि:शुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध है। इस योजना की पुनरीक्षित नियमावली प्रख्यापित कर दी गई है, जिसके अन्तर्गत नि:शुल्क यात्रा हेतु विकलांगों की आय सीमा, यात्रा सीमा एवं यात्रा के संबंध में टिकट/कूपन आदि की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।

(6)--**टाकिंग बुक स्टूडियो की स्थापना--**दृष्टिवांछित छात्रों के लिए टाकिंग बुक स्टूडियो एवं/ट्रांसक्रिप्सन यूनिट के माध्यम से पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराकर शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु स्टूडियो के भवन राजकीय दृष्टिवांछित विद्यालय का निर्माण लखनऊ में किया गया है।

(7)--**विकलांगों के विवाह हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार--**विवाहित जोड़े में से कम से कम एक व्यक्ति के विकलांग होने पर प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान की धनराशि दी जा रही है। यह अनुदान की धनराशि दम्पत्ति में केवल युवक के विकलांग होने पर 11,000 रु0 एवं केवल युवती के अथवा दोनों के विकलांग होने पर रु0 14,000 निर्धारित की गयी है। चयनित दम्पत्ति को पुरस्कार की राशि जनपद में ही स्वीकृत हो जाय, इस उद्देश्य से अनुदान स्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी को प्रदान कर दिया गया है।

(8)--**स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान--**विकलांगों के कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु शासन की संस्तुति पर भारत सरकार द्वारा अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा भी भारत सरकार की तरह से इन स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं के पंजीकरण व अनुदान हेतु नियमावली प्रख्यापित कर दी गयी है। विकलांग जन अधिनियम, 1995 के प्रविधानों के अनुसार इन स्वैच्छिक संस्थाओं का पंजीकरण भी विभाग के अन्तर्गत किया जा रहा है।

(9)--**जिला स्तर पर विकलांग बन्धु का गठन--**विकलांग जनों की समस्याओं के निराकरण एवं उन्हें एकल खिड़की पद्धति (सिंगिल विन्डो सिस्टम) से विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकलांग बन्धु का गठन किया गया है।

(10)--**सरकारी सेवा में विकलांग जनों के आरक्षण की व्यवस्था--**अभी तक नि:शक्त जनों के लिये सरकारी सेवाओं में 2 प्रतिशत का आरक्षण था, इसे बढ़ाकर अब 3 प्रतिशत कर दिया गया है जिसमें से दृष्टिहीन, मूक-बधिर तथा शारीरिक रूप से अक्षम जनों के लिये एक-एक प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है।

(11)--**राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की चैनलाईजिंग एजेन्सीज--**राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनाओं से प्रदेश के विकलांग जनों को अधिकाधिक लाभान्वित कराने के उद्देश्य से उक्त राष्ट्रीय निगम की प्रदेश में चैनलाईजिंग एजेन्सीज नामित कर दी गयी है।

(12)--**विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय--**प्रदेश में विकलांग जनों को अधिक से अधिक संख्या में सेवायोजित करने के दृष्टिकोण से प्रदेश के दस जनपदों आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद, बरेली, गोरखपुर, अलीगढ़, मथुरा तथा कानपुर में विशेष सेवायोजन कार्यालय स्थापित किये गये हैं जो कि केवल विकलांग जनों की सेवा हेतु ही समर्पित हैं।

(13)--**विकलांग जन आयुक्त की नियुक्ति--**सचिव, विकलांग कल्याण को विकलांग जन आयुक्त भी बनाया गया है, ताकि वे विकलांगों की समस्याओं को सुनकर उनके निवारण की त्वरित कार्यवाही कर सके। आयुक्त विकलांग जन की सुनवाई हेतु जाफता फौजदारी, दीवानी के अधिकार भारत सरकार के नि:शक्त जन अधिनियम में प्रदत्त हैं।

(14)--**विकलांगों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण योजना--**इस योजना के अन्तर्गत विकलांगों के पुनर्वासन हेतु रु0 20,000 की धनराशि दुकान निर्माण हेतु देने की व्यवस्था है। इस धनराशि में रु0 5,000 का अनुदान तथा रु0 15,000 की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण के रूप में दी जाती है।

अध्याय-58

कृषि उद्योग एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग

संगठन एवं उद्देश्य--

714--उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है, प्रदेश की कृषिगत उपज का दोहन कर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु विदेशी मुद्रा प्राप्त करने, कृषकों को उनकी उपज का समुचित मूल्य दिलाने, प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने तथा रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने के उद्देश्य से वर्ष 1994 में शासन द्वारा कृषि विदेश व्यापार विभाग का सृजन किया गया था। वर्ष 1999 में प्रदेश में कृषि उद्योगों के विकास एवं स्थापना को नया आयाम देने के उद्देश्य से इस विभाग के साथ कृषि उद्योग अंश को जोड़कर विभाग का नया नाम कृषि उद्योग एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग किया गया।

715--उत्तर प्रदेश में कृषिगत उत्पादों के निर्यात की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा प्रदेश के उत्पादकों/निर्यातकों को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई जा रही है, इस नीति के तहत कृषिगत उत्पादों की दीर्घकालीन निर्यात नीतियां बनाकर प्रदेश के उत्पादकों/निर्यातकों को मण्डी शुल्क व विकास सेस, व्यापार कर व लेवी आदि से छूट के साथ-साथ वायु भाड़ा राज्य सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। जिसके अन्तर्गत कृषिगत उत्पादों की निर्यात नीतियों का प्रख्यापन किया जाता है तथा प्रदेश के कृषि एवं औद्यानिक उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सेमिनार, प्रदर्शनी, मेलों व गोष्ठियों आदि का आयोजन कर प्रदेश के उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यात विधा की जानकारी प्रदान कर प्रचार-प्रसार किया जाता है।

विभाग द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण

उत्तर प्रदेश चावल निर्यात नीति 2000-2005--

716--(1) वर्ष 1994 से वर्षानुवर्ष चावल निर्यात नीति निर्गत की जा रही है। वर्ष 2000-2005 के लिए प्रथम बार पंचवर्षीय चावल निर्यात नीति निर्गत की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के चावल उत्पादकों/निर्यातकों को निम्नलिखित सुविधायें अनुमन्य की गयी हैं :--

(क) निर्यात किये जा रहे समस्त प्रकार के चावल को उत्पादित करने में प्रयुक्त धान पर व्यापार कर में 2 प्रतिशत की छूट।

(ख) मण्डी शुल्क में 2 प्रतिशत व विकास सेस में 1/2 प्रतिशत की छूट।

(ग) निर्यात किये जा रहे बासमती चावल पर लेवी से छूट।

(घ) तराई व अन्य क्षेत्रों में उत्पादित धान में नमी की अधिक मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए बासमती धान से चावल तथा नान बासमती धान/चावल का रिकवरी प्रतिशत जो पूर्व में क्रमश: 50 प्रतिशत तथा 66.66 प्रतिशत था पर प्रतिबन्ध हटाते हुए चावल की निर्यात की गयी वास्तविक मात्रा को ही निर्यात दायित्व हेतु उपयुक्त माना गया है।

(ङ) प्रदेश में स्थित भारतीय खाद्य निगम के भण्डार गृहों में भण्डारित मोटा चावल के निर्यात को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने तथा आगामी फसल हेतु भण्डारण गृह खाली किये जाने के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा रु0 40.00 प्रति कुन्तल की दर से मण्डी शुल्क के सापेक्ष अतिरिक्त छूट दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति 2002-2004--

717--(2) इसके अन्तर्गत प्रदेश के तिल निर्यातकों को निम्नलिखित सुविधायें अनुमन्य की गयी हैं :--

(क) प्रदेश से निर्यात किये जा रहे प्रसंस्कृत तिल तथा उसको उत्पादित करने में प्रयुक्त तिल पर व्यापार कर में 2 प्रतिशत की छूट।

(ख) मण्डी शुल्क में 2 प्रतिशत व विकास सेस में 1/2 प्रतिशत की छूट।

उत्तर प्रदेश आम निर्यात नीति 2000-2003--

718--(3) इस नीति के अन्तर्गत प्रदेश के आम निर्यातकों को निम्नलिखित सुविधायें अनुमन्य की गयी हैं :--

(क) विदेशों में आम की प्रजातियों दशहरी, चौसा एवं लंगड़ा की लोकप्रियता एवं ग्राह्यता बढ़ाने एवं प्रचार-प्रसार के लिए "ब्राण्ड प्रमोशन" हेतु निर्यात किये गये आम पर प्रोत्साहन स्वरूप रु0 5.00 प्रतिकिलो की दर से आम निर्यातकों को शासन द्वारा प्रतिपूर्ति की जा रही है।

(ख) प्रदेश से आम को निर्यात प्रोत्साहन हेतु निर्यात किये गये आम पर निर्यातकों को रु0 40.00 प्रति किलो अथवा वायु भाड़े का 50 प्रतिशत जो भी न्यूनतम हो, की दर से वायु परिवहन व्यय पर अनुदान दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश मसूर दाल (छांटी) निर्यात नीति 2001-2006--

719--(4) प्रदेश से दाल निर्यात प्रोत्साहन हेतु प्रथम बार उत्तर प्रदेश मसूर दाल (छांटी) निर्यात नीति 05 वर्षों के लिए निर्गत की गयी है जो 24 दिसम्बर, 2001 से प्रभावी है। इसके अतिरिक्त निर्यातकों को निम्नलिखित सुविधायें अनुमन्य हैं :--

(क) दाल निर्यात पर मण्डी शुल्क में 2 प्रतिशत व विकास सेस में 1/2 प्रतिशत की छूट।

(ख) व्यापार कर में छूट।

720--(5) शासन द्वारा प्रदेश के कृषिगत उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन हेतु निम्नलिखित 33 निर्यातोन्मुखी कृषिगत उत्पादों को चिन्हित कर उच्च गुणवत्तायुक्त उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रदेश के जिलाधिकारियों को निदेशित किया गया है :--

1--साधारण/बासमती धान/चावल	18--लीची
2--प्रसंस्कृत तिल	19--पपीता
3--गेहूं तथा गेहूं से बने उत्पाद	20--बेल
4--मशरूम	21--बेर
5--मटर	22--दुग्ध उत्पाद
6--मेन्था	23--हल्दी
7--चीनी	24--मिर्च काली/लाल

8--शहद
9--गुलाब इत्र
10--पुष्प
11--तुलसी
12--आलू
13--आम
14--ऑवला
15--अमरूद
16--केला
17--सेब
25--अदरख
26--लहसुन
27--प्याज
28--सौंफ
29--जीरा
30--मक्का
31--चमड़ा/चमड़े से निर्मित सामान
32--गोट मीट
33--बफैलो मीट

शासनादेश सं0 1458/67-2003-200-(4)/ 2002, दिनांक 7 दिसम्बर, 2002 द्वारा निर्गत

721--(6) प्रदेश की सीमा चौकियों पर निर्यात योग्य कृषिगत उत्पादों के प्रदर्शन/होर्डिंग लगवाने के सम्बन्ध में :--

प्रदेश से कृषिगत उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे देशों नेपाल, बांग्लादेश तथा भूटान की सीमा पर स्थित चौकियों के समीप दृश्य स्थानों पर इस प्रकार के प्रदर्श (होर्डिंग) लगवाये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिससे उत्पादकों/निर्यातकों को यह ज्ञात हो सके कि प्रदेश से अमुक कृषि उत्पाद/उपज देश के बाहर निर्यात हेतु प्रतिबन्धित अथवा गैर प्रतिबन्धित है।

अध्याय-59

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग

संगठन एवं कार्यकलाप--

722--भारत सरकार के नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में भी प्रदेश स्तर पर नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग का गठन किया गया, जिसके अधीन राज्य पर राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) का गठन नोडल एजेन्सी के रूप में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत 20 नवम्बर, 1990 को किया गया। जनपद स्तर पर प्रत्येक जिले में जिला नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) स्थापित किये गये हैं । इनके माध्यम से मुख्यत: भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य नगरीय निर्धनों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना तथा उन्हें न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराते हुए विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों से जोड़ना है। प्रत्येक जनपदीय नगरीय विकास अभिकरण का पदेन अध्यक्ष सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट होता है व जनपद की समस्त नगर निकायों के अध्यक्ष सदस्य होते हैं।

723--भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के तारतम्य में विभिन्न योजनाओं के सफल एवं प्रभावी नियोजन, चयन एवं क्रियान्वयन हेतु मलिन बस्तियों में प्रत्येक 2000 परिवार पर एक सामुदायिक विकास समिति (सी0डी0एस0) जिन्हें अब बड़ी दीदी भी सम्बोधित किया जाता है, का पर्याप्त सर्वेक्षणोपरान्त गठन किया गया है। यह कार्य इस व्यापक अवधारणा के साथ किया गया है कि विकास की वास्तविक दिशा नीचे से ऊपर की ओर मलिन बस्तियों की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में नियोजन एवं सहभागिता की आपेक्षित कार्यवाही हेतु अभिप्रेरित करेगी। इन महिला सामुदायिक विकास समितियों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।

724--नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नगरीय निर्धनों के सर्वांगीण उत्थान की दिशा में कल्याणकारी योजनाएं संचालित किये जाने के साथ ही अभिकरण (सूडा) अनेक अभिनव प्रयासों के जरिए सम्पूर्ण प्रदेश में शहरी गरीबों के जीवन में खुशहाली-स्वावलम्बन और आत्मविश्वास की स्थापना करने की दिशा में उत्तरोत्तर सफलता पूर्वक प्रयासरत है। प्रदेश में संचालित स्वच्छता कार्यक्रमों के संचालन एवं सार्वजनिक शौचालयों की स्थापना के सम्बन्ध में राजधानी लखनऊ में इस दिशा में किए गए मौलिक और उत्कृष्ट प्रयासों के लिए विगत वर्षों में हुडकों द्वारा पूरे देश में सूडा उत्तर प्रदेश को चयनित कर पुरस्कृत किया जा चुका है। विभाग योजनाओं में अभिनव प्रयासों के सफल माध्यम से निरन्तर उन्नति की ओर अग्रसर है।

725--राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा प्रमुखत: निम्न योजनाओं को संचालित किया जा रहा है :--

1--स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना।

2--राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम।

3--स्वच्छकार विमुक्ति योजना।

4--बाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना।

5--शहरी निर्धनों हेतु सामाजिक सुरक्षा की योजना।

(1)--स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस0जे0एस0आर0वाई0)--

726--भारत सरकार द्वारा 30-11-1997 तक संचालित नेहरू रोजगार योजना, यू0बी0एस0पी0 तथा पी0एम0आई0यू0पी0ई0पी0 योजनाओं को एकीकृत कर 01-12-1997 से कुछ नये कार्यकलापों को शामिल करते हुए स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजाना आरम्भ की गयी। इस योजना का उद्देश्य नगरीय क्षेत्र के निर्धन बेरोजगारों अथवा आंशिक बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार, उद्यम अथवा मजदूरी के माध्यम से बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना है। रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ सामुदायिक सम्पत्तियों का सृजन भी करना है। यह योजना मुख्यत: समुदाय को सशक्त बनाकर उन्हें नियोजन और अनुश्रवण की प्रक्रिया से जोड़ने के सिद्धान्त पर आधारित है। इस योजना में सामुदायिक विकास समिति (सी0डी0एस0) को केन्द्र बिन्दु मानकर उन्हीं के माध्यम से लाभार्थियों को चयन परियोजना का चयन प्रार्थना-पत्रों को तैयार करना तथा वसूली का अनुसरण किया जा रहा है। इस योजना में निर्धन महिलाओं के समग्र एवं सर्वांगीण विकास एवं उनके सुदृढ़ीकरण करने हेतु सामाजिक सशक्तीकरण एवं महिला समूहों की सहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए महिलाओं को लाभान्वित किया जाता है। साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति तथा विकलांगों के विकास के सम्बन्ध में भी विशेष बल दिया जाता है। इस योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार का वित्त पोषण क्रमश: 75 : 25 निर्धारित किया गया है। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना में मुख्य रूप से निम्न उपयोजनाएं सम्मिलित की गयी हैं :--

(क) नगरीय स्वरोजगार कार्यक्रम (यू0एस0ई0पी0)

(ख) नगरीय क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास (ड्वाकुआ)

(ग) स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम

(घ) ऋण बचत समूह (थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी)

(ङ) नगरीय मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू0डब्लू0ई0पी0)

(2)--राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम (एन0एस0डी0पी0)--

727--नगरीय क्षेत्रों में मलिन बस्तियों में निवास करने वाले निर्धनतम व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम वर्ष 1996-97 में प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान में 55 नगरों को इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना में मूलभूत भौतिक सुविधाएं जलापूर्ति, जल निकासी हेतु नाली का निर्माण, स्नान गृह का निर्माण, सड़कों व गलियों को चौड़ा किया जाना, सीवर व्यवस्था, सामुदायिक शौचालय, पथ प्रकाश व्यवस्था, सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण तथा क्षेत्र के मलिन बस्तियों में रहने वालों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, टीकाकरण एवं आश्रय सुधार एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। टीकाकरण एवं आश्रय सुधार एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए भवनों के निर्माण इत्यादि की व्यवस्था की गयी है। यह शतप्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना है, जिसमें धनराशियों की स्वीकृतियां प्रदेश सरकार द्वारा बजट के माध्यम से जारी की जाती है।

(3)--स्वच्छकार विमुक्ति योजना (एल0सी0एस0)--

728--अस्पृश्यता निवारण एवं मानव अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने तथा नगरों में स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये शुष्क शौचालयों को सस्ते जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित किये जाने के साथ मानव द्वारा मानव मल उठाये जाने की घृणित कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से

स्वच्छकार विमुक्ति योजना का कार्यान्वयन वर्ष 1991 से प्रारम्भ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2001-2002 में शासन द्वारा प्रदेश में शरीर पर मैला ढोने की प्रथा को जड़ से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है एवं इसी निर्णय के अन्तर्गत सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध अधिनियम, 1993) लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या 3205/69-1-2001-4 (एल)/2000 टी0सी0, दिनांक 13-08-2001 के अन्तर्गत नगरीय एवं अर्धनगरीय क्षेत्रों में शुष्क शौचालय एवं शौचालय रहित आवासों का सर्वेक्षण कार्य भी कर लिया गया है।

(4)--बाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना--

729--इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले आश्रयहीन परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराना है। योजनान्तर्गत कुल आवास लागत 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत ऋण अनुमन्य है।

(5)--शहरी निर्धनों हेतु सामाजिक सुरक्षा की योजना--

730--इस योजना का उद्देश्य घर के कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर निर्धन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इस हेतु निम्न योजनाएं चलाई जा रही है :--

(क) बालिका समृद्धि योजना

(ख) असंगठित क्षेत्र श्रमिक दुर्घटना बीमा योजना

(ग) ऋण बचत समूहों की बीमा योजना

अध्याय--60

वाह्य सहायतित परियोजना विभाग

कार्यकलाप--

731--प्रदेश के विकास हेतु अनेक परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वाह्य सहायता की आवश्यकता होती है। वाह्य डोनर एजेन्सी से ऋण/सहायता भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त होती है। प्रदेश की बड़ी लागत की परियोजनाओं के लिये वाह्य सहायता प्राप्त करने तथा वाह्य सहायता द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण करने के उद्देश्य से नोडल विभाग के रूप में वाह्य सहायतित परियोजना विभाग का सृजन किया गया है। इस विभाग द्वारा मुख्य रूप से सम्पादित किये जाने वाले कार्यों में वाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु विभागों को सुझाव देना, कठिनाइयों को निदान कराना, राज्यांश की व्यवस्था कराना, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सम्पर्क करना, विभागों को कन्सल्टेन्ट की सुविधा उपलब्ध कराना, वाह्य सहायतित परियोजनाओं का डाटा बैंक का कार्य करना आदि है।

शासनादेश संख्या-41/72-वा0स0परि0वि0/99, दि0 19-1-2000

इस हेतु विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार, विश्लेषण, मूल्यांकन करने हेतु विभाग में प्रमुख सचिव, नियोजन की अध्यक्षता में एक नोडल कमेटी का गठन किया गया है।

अध्याय--61

रेशम विकास विभाग

संगठन--

732--रेशम उद्योग कृषि पर आधारित कुटीर उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें शहतूत की खेती, रेशम कीट पालन करते हुए रेशम कोया उत्पादन एवं रेशम धागाकरण आदि क्रियाकलाप प्रमुख पहलू है। प्रदेश में रेशम उद्योग की प्रबल सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1987 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अलग 'रेशम निदेशालय' की स्थापना का निर्णय लिया गया। रेशम विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है :--

(1) प्रदेश में रेशम उत्पादन के विभिन्न क्रियाकलापों को निजी क्षेत्र में प्रोत्साहित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन।

(2) प्रदेश में रेशम धागे की मांग की पूर्ति हेतु रेशम उत्पादन में वृद्धि किया जाना।

(3) प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रेशम उत्पादन की सम्भावनाओं के अनुरूप योजनाओं/परियोजनाओं की संरचना कर उनका क्रियान्वयन करना।

(4) प्रेदश में रेशम उद्योग के विकास की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चत करना।

प्रादेशिक को-आपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन लिमिटेड का गठन--

733--राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1992 में प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से रेशम उद्योग के विकास एवं उत्पादित रेशम कोया/धागा के विक्रय की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1992 में रेशम निदेशालय उत्तर प्रदेश की सहयोगी संस्था के रूप में प्रादेशिक को-आपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन लिमिटेड (पी0सी0एस0एफ0) की स्थापना की गयी। वर्तमान में इस संघ में राज्य सरकार के अतिरिक्त 63 प्राथमिक रेशम सहकारी समितियां एवं 689 नाम मात्रिक व्यक्तिगत सदस्य हैं।

734--रेशम विकास विभाग द्वारा संचालित क्रियाकलापों में माडल चाकी कीट पालन योजना प्रमुख है, इसके अंतर्गत कुछ चुने हुए जनपदों में जिले स्तर पर उत्तम फार्म प्रबंधन एवं उत्तम कीट पालन प्रबंधन के क्रियाकलाप संचालित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त जनपद बलरामपुर, सोनभद्र, बांदा, फतेहपुर में टसर रेशम विकास योजना के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से उपलब्ध अर्जुन एवं आसन के वृक्षों पर टसर रेशम कीट पालन का कार्यक्रम संचालित किया जाता है, जिससे क्षेत्र के गरीब एवं निर्धन परिवार विशेषतया अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के परिवार लाभान्वित होते हैं।

अध्याय--62

निजी पूंजी निवेश विभाग

संगठन--

735--प्रदेश के विकास हेतु निजी क्षेत्र से अधिकाधिक पूंजी आकर्षित कर निवेश करने के उद्देश्य से निजी पूंजी निवेश विभाग का गठन किया गया है।

कार्यकलाप--

736--विभाग द्वारा मुख्य रूप से निजी क्षेत्र से अधिकाधिक पूंजी निवेश हेतु रणनीति तैयार करना, विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत निजी पूंजी निवेश सम्भावनाओं का अभिज्ञान करना, निजी पूंजी निवेश हेतु परियोजनाओं को तैयार करवाना, अनुश्रवण, मूल्यांकन, पुनरीक्षण पुनर्संरचना करना, शासन तथा संस्थाओं के मध्य समन्वय कार्य तथा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/मंचों के माध्यम से प्रदेश में निजी पूंजी निवेश की सम्भावनाओं का प्रभावी प्रचार करना आदि कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

अयाय--63

निर्वाचन विभाग

संगठन--

737--निर्वाचन विभाग में सचिव, निर्वाचन शासन स्तर पर निर्वाचन कार्य हेतु बजट की स्वीकृति तथा वित्तीय कार्य और शासन स्तर के अधिष्ठान, समन्वय तथा विविध प्रकार के कार्य करते हैं।

738--भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तैनाती की जाती है । उसके अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय कार्य करता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिये संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा अन्य अधिकारी और अनुभाग कार्य करते हैं।

739--प्रत्येक जिले का जिलाधिकारी जिले का जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। उसके अधीन कार्यरत अपर जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। इसके अंतर्गत निर्वाचन विभाग का एक कार्यालय होता है जिसमें सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अधीनस्थ स्टाफ की सहायता से निर्वाचन संबंधी कार्य करता है।

740--निर्वाचन विभाग भारत निर्वाचन आयोग के मार्ग निर्देशों, अधीक्षण एवं प्रर्यवेक्षण में महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोक सभा, राज्य सभा तथा विधान मण्डल के दोनों सदनों के चुनाव सम्पन्न कराता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार लोक सभा तथा विधान सभा क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाता सूची का नियमित तथा सघन पुनरीक्षण तथा प्रकाशन, फोटो पहचान पत्रों का बनाया जाना आदि कार्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से करवाये जाते हैं।

741--मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों तथा जिले के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी वर्ग मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा भर्ती के आधार पर तैनात किये जाते हैं तथा राज्य सरकार के विभागों से सेवा स्थानान्तरण के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर भी कार्य करते हैं। इन कर्मचारी वर्ग के ऊपर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियम लागू होते हैं। उपर्युक्त कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा अपने बजट से धनराशि उपलब्ध करायी जाती है ।

742--निर्वाचन कार्यों के लिये मैनुअल आफ इलेक्शन लॉ, कम्पेडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शंस आन कन्डक्ट आफ इलेक्शन, रिटर्निंग आफिसर हैण्डबुक तथा इससे संबंधित अन्य मैनुअल उपयोग में लाये जाते हैं।

743--भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट “WWW.eci.gov. in” है।

अध्याय--64

अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग

पृष्ठभूमि :

744--डा0 भीमराव अम्बेडकर जन्म शताब्दी वर्ष 1990-1991 में अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्रामों के सघन विकास तथा उन क्षेत्रों के निवासियों को सीधा लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश शासन (ग्राम्य विकास विभाग अनुभाग-3) के शासनादेश संख्या-6296/38-3-887-89, दिनांक 2 जनवरी, 1991 द्वारा अम्बेडकर ग्राम विकास योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा समन्वय हेतु उत्तर प्रदेश शासन (सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1) के शासनादेश संख्या-1056/बी-ई-195-539 (2)/95, दिनांक 12 अगस्त, 1995 द्वारा अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग का गठन किया गया।

संचालित कार्यक्रम :

745--अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अंतर्गत चयनित अम्बेडकर ग्रामों के संतृप्तीकरण हेतु शासन के 8 विभागों द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले 11 कार्यक्रम चिन्हांकित किये गये हैं, कार्यक्रमों एवं उनके नोडल विभागों का विवरण निम्नवत् है :--

1--सम्पर्क मार्ग निर्माण (लोक निर्माण विभाग), 2--ग्रामीण विद्युतीकरण (ऊर्जा विभाग), 3--नाली/खड़न्जा निर्माण (पंचायती राज विभाग), 4--ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (पंचायती राज विभाग), 5--नि:शुल्क बोरिंग (लघु सिंचाई विभाग) 6--स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (ग्राम्य विकास विभाग), 7--इन्दिरा आवास योजना (ग्राम्य विकास विभाग), 8--स्वच्छ पेयजल (ग्राम्य विकास विभाग), 9--प्राथमिक विद्यालय की स्थापना/भवन निर्माण (बेसिक शिक्षा विभाग), 10--वृद्धावस्था पेंशन (समाज कल्याण विभाग), 11--विधवा पेंशन (महिला कल्याण विभाग)

अम्बेडकर ग्रामों के चयन की प्रक्रिया/मानक :

746--(1) वर्ष 1990-91 से 1995-96 तक वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार ग्राम की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति का 50 प्रतिशत या उससे अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों का चयन किया गया।

(2) वर्ष 1996-97 में 1991 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके सर्वाधिक जनसंख्या वाले उन ग्रामों को चयनित किया गया जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या उस ग्राम की कुल जनसंख्या से 30 प्रतिशत या उससे अधिक थी।

(3) वर्ष 1997-98 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र (शहरी विधानसभा क्षेत्र छोड़कर) से 10-10 ऐसे राजस्व ग्राम, जिनमें वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या ग्राम की कुल जनसंख्या के 30 प्रतिशत या उससे अधिक थी, वाले ग्रामों को जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए चयन किया गया।

(4) वर्ष 1998-99 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र (शहरी विधान सभा क्षेत्र को छोड़कर) से 1991 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए 10-10 ग्राम चुने गये, इस चयन प्रक्रिया में जनसंख्या के प्रतिशत का प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया।

(5) वर्ष 1998-99 में नियत चयन की प्रक्रिया वर्ष 1999-2000 में भी अपनायी गयी। वर्ष 2000-2001 में बैकलाग को पूर्ण किये जाने के कारण नये अम्बेडकर ग्रामों का चयन नहीं किया गया।

(6) वर्ष 2001-2002 में भी वर्ष 1998-99 की चयन की प्रक्रिया अपनाते हुये अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया गया।

(7) वर्ष 2002-2003 में अम्बेडकर ग्रामों के चयन हेतु अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-572/अ0ग्रा0वि0वि0/2002, दिनांक 21 अगस्त, 2002 द्वारा यह आदेश दिये गये कि वर्ष 2002-2003 में वर्ष 1990-91 से वर्ष 2001-2002 तक के चयनित असंतृप्त अम्बेडकर गांव (95-96 तथा 97-98 के असंतृप्त ग्रामों को छोड़कर) लिये जाऐ तथा इन वर्षों के ग्राम सम्मिलित करते हुए प्रति विधान सभा क्षेत्रवार (शहरी विधान सभा क्षेत्रों को छोड़कर) 27 की संख्या से जितने ग्राम कम पड़ते हैं, उतनी संख्या में नये गांव 1991 की कुल जनसंख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर चयनित किये जायें।

अध्याय--65

सतर्कता विभाग

747--शासनादेश दिनांक 8 जुलाई, 1994 के द्वारा उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का गठन एक निकाय के रूप में किया गया था। उक्त आदेश के नियम-3 में आयोग के गठन के संबंध में निम्नवत् व्यवस्था है--

(1) सतर्कता आयोग में 5 सदस्य होंगे जिनमें चार सदस्य यू0पी0 डिसीप्लीनरी प्रोसीडिंग्स (ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल) रूल्स, 1947 के अधीन गठित प्रशासनाधिकरण-1 व 2 के सदस्य होंगे और पांचवा सदस्य सतर्कता निदेशक होगा। प्रशासनाधिकरण-1 का अध्यक्ष इस आयोग का अध्यक्ष होगा।

(2) प्रशासनाधिकरण--प्रशासनाधिकरण में ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रुल्स के अनुसार शासन द्वारा समय-समय पर नामित दो अंशकालिक अथवा पूर्णकालिक सदस्य होंगे। यह प्रशासनाधिकरण ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रूल्स, 1947 के अनुसार सरकार के सतर्कता विभाग द्वारा उसे निर्दिष्ट किये गये मामलों में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक जांच के संबंध में कार्यवाही करेगा।

(3) सतर्कता निदेशालय--सतर्कता अधिष्ठान पुलिस महानिरीक्षक अथवा पुलिस उप-महानिरीक्षक की हैसियत के किसी अधिकारी के प्रभार के अधीन रहेगा और उक्त अधिकारी का पदनाम सतर्कता निदेशक होगा। निदेशालय का कार्य ऐसे मामलों में जो सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किये जाये, सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, कदाचार तथा अन्य अनाचार की शिकायतों की जांच करना होगा।

748--अनुशासनिक कार्यवाही (प्रशासनाधिकरण) नियमावली, 1947 के नियम-3 में प्रशासनाधिकरण के गठन के संबंध में निम्नवत् व्यवस्था है--

(1) सरकार समय-समय पर एक या एक से अधिक प्रशासनाधिकरण संगठित कर सकती है, जिसे वह ऐसे मामलों या ऐसी श्रेणी के मामलों की जिन्हें सरकार सामान्यत: विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, जांच के लिये आवश्यक समझे।

(2) प्रत्येक अधिकरण में दो सदस्य होंगे जिनमें से एक विभागाध्यक्ष अथवा किसी डिवीजन का आयुक्त होने योग्य पर्याप्त ज्येष्ठता का अधिकारी होगा और दूसरा एक न्यायिक अधिकारी होगा जो कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के लिए अर्ह हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यहां पर दी गयी कोई बात किसी व्यक्ति का एक से अधिक अधिकरण का सदस्य नियुक्त होने में बाधक नहीं होगी।

(3) सरकार प्रत्येक अधिकरण के एक सदस्य को उस अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नाम-निर्दिष्ट करेगी ।

749--उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान का गठन वर्ष 1965 में अधिनियम संख्या-7 के द्वारा किया गया है जिसके प्रधान सतर्कता निदेशक होते हैं। उक्त अधिष्ठान का मुख्य कृत्य लोक सेवकों से संबंधित भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुराचरण, दुर्व्यवहार, कदाचार तथा अन्य अनाचार के मामलों की जांच करना है। सतर्कता अधिष्ठान द्वारा किये जाने वाले कृत्य अधिसूचना संख्या-1602/39-2-217/94, दिनांक 29 अगस्त, 1977 के द्वारा विनियमित किये गये हैं।

750--अपराध अनुसंधान विभाग परिशिष्ट-25 में दिये गये नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे मामलों की जांच करता रहेगा, जो उसे विशिष्ट रूप से संदर्भित किये गये हैं। वर्तमान में गृह विभाग के शासनादेश दिनांक 24 फरवरी, 1992 के अनुसार अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण संगठन के द्वारा ऐसी जांच की जाती हैं जो पहले अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जाती है।

751--उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-42 सन् 1975) के अधीन कतिपय मामलों में उक्त अधिनियम में निहित प्रक्रिया के अनुसार मंत्रियों, विधायकों तथा अन्य लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों तथा आरोपों की जांच के लिये राज्य में 14 सितम्बर, 1977 से लोकायुक्त संगठन की भी स्थापना की गयी और उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-(3) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना दिनांक 12 जुलाई, 1977 के द्वारा उक्त अधिसूचना को दिनांक 12 जुलाई, 1970 से प्रवृत्त किया गया।

752--सतर्कता विभाग में कार्य निस्तारण हेतु निस्तारण का स्तर उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली, 1975 तथा उत्तर प्रदेश सचिवालय अनुदेश, 1982 के संगत नियमों के अंतर्गत निर्धारित है, जिसके अनुसार सतर्कता जांचों के संबंध में कार्यवाही की जाती है। अन्य विभागों द्वारा भ्रष्टाचार की जांच कराने के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, जिसके अनुसार सतर्कता जांच से संबंधित मामलों का प्रशासकीय विभाग द्वारा गहराई से परीक्षण किया जायेगा ताकि ऐसे ही मामलें सतर्कता जांच हेतु भेजे जायें, जिसमें विशिष्ट एजेन्सी द्वारा जांच का औचित्य हो अथवा विभागीय जांच सम्भव न हो एवं मामला महत्वपूर्ण हो। यह भी निर्देशित है कि भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच सतर्कता विभाग से कराये जाने का अनुरोध प्रशासकीय विभागों द्वारा राजपत्रित अधिकारियों एवं समकक्ष लोक सेवकों के संबंध में ही किया जाये। ऐसे प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग द्वारा दस स्वच्छ टंकित प्रतियों के रूप में राज्य सतर्कता समिति के विचार हेतु सतर्कता विभाग से संबंधित पत्रावली में प्रस्तुत किये जायेंगे तथा प्रशासकीय विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसे जांच के प्रस्ताव पर अपने प्रभारी मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त न किया जाये।

753--सतर्कता विभाग ने अपने नियम संग्रह का दो खण्डों में संकलन का कार्य प्रारम्भ किया था जिसमें अन्य के अतिरिक्त उस विभाग द्वारा जारी किये गये गोपनीय अनुदेश सम्मिलित है। नियम संग्रह के खण्ड-1 में तीन अध्याय है। अध्याय-1 में उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग की योजना, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांचों का सम्पादन शासित करने वाले नियम, अनुशासनिक कार्यवाही (प्रशासनाधिकरण) नियमावली, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच से संबंधित नियम, लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित विभिन्न अन्य नियम तथा सरकारी कर्मचारियों एवं लोक सेवकों के आचरण को नियंत्रित करने वाले राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अपनाये गये नियमों का समावेश है। अध्याय-2 में विभिन्न नियमों, विनियमों, अधिनियमों तथा नियम संग्रहों आदि के उद्धरणों का समावेश है, जो उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली को स्पष्ट करने के लिये जारी किये गये हैं, अथवा जो अनुशासनिक कार्यवाही या दण्डिक कार्यवाही के संचालन से संबंधित है।

754--सतर्कता नियम संग्रह खण्ड-1 गोपनीय है और केवल उन्हीं अधिकारियों/ कर्मचारियों के प्रयोग के लिये है जिनको वास्तविक रूप से सतर्कता का कार्य सौंपा गया है।

सतर्कता नियम संग्रह खण्ड-2 अभी तैयार नहीं हुआ है।

अध्याय--66

औद्योगिक विकास विभाग

मुद्रण एवं लेखन सामग्री नियम संग्रह :

755--लेखन सामग्री का वितरण और मुद्रण सम्बन्धी सरकारी आदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री नियम संग्रह में अन्तर्विष्ट है जिसकी एक प्रति प्रत्येक विभागीय कार्यालय में उपलब्ध होना चाहिए। अधिकारियों का ध्यान उक्त नियम संग्रह के निम्नलिखित उपबन्धों की ओर आकर्षित किया जाता है--

(क) क्रमश: पैरा 36 से पैरा 42 एवं अध्याय-5 में प्रपत्रों एवं लेखन सामग्री को विशिष्टतया उनके लिए मांग पत्र का व्यवहार तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री के लिए मांग शासित उपबन्ध।

(ख) उक्त नियम संग्रह के पैरा 44,45 एवं 46 से 50 में प्रपत्रों के निरीक्षण और जांच के अनुदेश हैं।

(ग) पैरा 21 और 24 में प्रकाशनों के मुद्रण की परिसीमा दी गई है। अधिकारियों को देखना चाहिए कि प्रपत्र और लेखन सामग्री के प्रयोग में मितव्ययिता बरती जा रही है और अपव्यय रोकने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं।

(घ) पैरा 12 से 14 में स्थानीय मुद्रणालयों के बिलों का भुगतान तथा स्थानीय मुद्रणालयों को मुद्रण हेतु अनुदेश दिए गए हैं।

विभागीय संगठनात्मक ढांचा :

756--मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में स्थापित है जिसके अधीन निम्नलिखित मुद्रणालय स्थापित/कार्यरत हैं--

(1) राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद।

(2) राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ ।

(3) राजकीय मुद्रणालय, रामपुर।

(4) राजकीय मुद्रणालय, रामनगर, वाराणसी।

उपरोक्त के अतिरिक्त तीन शाखा मुद्रणालय भी हैं :

1--शाखा मुद्रणालय हजरतगंज, लखनऊ राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ के अधीन है और इसके द्वारा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल से संबंधित मुद्रण के समस्त कार्य किए जाते हैं।

2--राज भवन मिनी प्रेस, लखनऊ, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ के अधीन है, इसके द्वारा महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के कार्यक्रम आदि मुद्रित किए जाते हैं।

इसकी एक शाखा नैनीताल में भी स्थित है जो राज्यपाल महोदय के नैनीताल प्रवास के समय कार्यरत होता है।

3--उच्च न्यायालय मिनी प्रेस, इलाहाबाद, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद के अधीन है।

इसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय की काजलिस्ट एवं अन्य आवश्यक पत्रों का मुद्रण कार्य किया जाता है।

निदेशक के अधीन विभिन्न मुद्रणालयों में से राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ में संयुक्त निदेशक, कार्यालयाध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं तथा राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, रामपुर एवं बनारस में उप निदेशक कार्यरत हैं। ब्रान्च प्रेस हजरतगंज, लखनऊ में भी प्रभारी अधिकारी के रूप में उप निदेशक कार्यरत हैं।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन कार्यरत है।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश :

757--(अ) भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के समस्त कार्य निदेशक के नियंत्रण में सम्पन्न किये जाते हैं तथा निदेशक के सहायतार्थ एक अपर निदेशक, एक संयुक्त निदेशक, चार उप निदेशकों सहित अन्य स्टाफ के साथ-साथ मुख्यालय, सात क्षेत्रीय कार्यालयों एवं अन्य जनपदों में तैनात अधिकारी/कर्मचारी है। विभाग के कार्यकलाप प्रदेश के खनिज क्षेत्र से संबंधित है। निदेशालय के निम्न उद्देश्य है :--

(1) भू-वैज्ञानिक एवं खनिज सर्वेक्षण तथा चुने गये खनिज भण्डारों के लिये विस्तृत खनिज अन्वेषण तथा परामर्श देकर, तकनीकी सहायता एवं अन्वेषण सुविधायें उपलब्ध करवाकर खनिज विकास को प्रोत्साहित करना।

(2) प्रदेश में खनिज प्रशासन कार्यों से संबंधित मामलों में सलाह देना, खनन प्रशासन कार्यों में खनिज परिहारों से संबंधित कार्य तथा प्रदेश में खानों का विनियमन तथा इसके अंतर्गत खनन क्षेत्रों का निरीक्षण, उप खनिज क्षेत्रों का सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन, विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों की पैरवी तथा प्रदेश में खनिज राजस्व का अनुश्रवण सम्मिलित है।

(3) प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विकास स्थलों की उपयुक्तता एवं स्थायित्व से संबंधित भू-तकनीकी अन्वेषण ।

(ब) भारत सरकार द्वारा खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत खनिज परिहार नियमावली, 1960 बनाई गयी है। उक्त नियमों के लिये प्रशासकीय विभाग, औद्योगिक विकास विभाग है तथा उसके द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित आदेश जारी किये गये हैं--

(1) जिलाधिकारी, प्रास्पेक्टिंग एवं खनन पट्टों हेतु आवेदन-पत्रों की तीन प्रतियां प्राप्त करने के उपरान्त एक प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश को आवश्यक जांच हेतु तथा एक प्रति शासन को अग्रसारित करेंगे। जिलाधिकारी आवश्यक जांच पूरी करने के उपरान्त पूर्ण प्रतिवेदन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश को प्रेषित करेंगे तथा निदेशक सम्पूर्ण प्रकरण/शासन को संस्तुतियों सहित प्रेषित करेंगे। तदोपरान्त शासन आवेदन-पत्रों को स्वीकार अथवा निरस्त कर सकेगा।

(2) खनन पट्टों की स्वीकृति होने पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, स्वीकृत क्षेत्र का सीमा बन्धन करायेंगे तथा आवेदक से खनन पट्टा का आलेख प्रपत्र प्राप्त करके अन्य आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरान्त उसे निष्पादन हेतु शासन को प्रेषित करेंगे।

(3) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, जिला कार्यालयों के खनन अनुभागों का त्रैमासिक निरीक्षण भी करवायेंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पट्टाधारकों से सही रायल्टी की धनराशि की वसूली की जा रही है।

(स) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा-15 की उपधारा (1) के प्राविधानों का उपयोग कर उप-खनिजों संगमरमर, इमारती पत्थर, मौरंग, बालू, बजरी, साधारण मिट्टी आदि जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 3 (ई) में परिभाषित किया गया है, को विनियमित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 प्रख्यापित की गयी है। चूना पत्थर जब चूना निर्माण करने हेतु भट्टों में प्रयोग किया जाय, जिसका उपयोग इमारती सामग्री के रूप में हो, तब वह उपखनिज होगा अन्यथा यह खनिज मुख्य खनिज होगा तथा इसका उत्खनन खनिज परिहार नियमावली, 1960 से नियंत्रित होगा। उपखनिज परिहार नियमावली, 1963 के अंतर्गत खनन पट्टों हेतु आवेदन-पत्र जिलाधिकारी द्वारा तीन प्रतियों में प्राप्त किया जायेगा। तदोपरान्त जिलाधिकारी अपने स्तर से जांच करवाने के पश्चात् :--

(1) चूना पत्थर, संगमरमर ईंट, ग्रेनाइट आयामी पत्थर से संबंधित मामलों में सम्पूर्ण प्रकरण शासन को संदर्भित करेगा तथा उसकी एक प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश को अग्रसारित की जायेगी। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश आवेदन-पत्रों पर आवश्यक जांच कराकर आख्या एवं संस्तुतियां शासन को प्रेषित करेंगे, तदोपरान्त शासन द्वारा आवेदक को क्षेत्र स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अन्तिम आदेश जारी किये जायेंगे।

(2) चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट आयामी पत्थर से भिन्न उपखनिजों के लिये जिलाधिकारी, राजस्व भूमि में स्थित क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्र को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अन्तिम आदेश पारित करके आवेदक को तद्नुसार सूचित करेंगे परन्तु वन भूमि में स्थित क्षेत्रों के लिये आवेदन-पत्रों को एक समिति जिसमें संबंधित जिलाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी तथा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि होंगे, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जो परिहार को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने हेतु अनुमोदन प्रदान करेगी तथा अन्तिम आदेश जिलाधिकारी द्वारा पारित किये जायेंगे।

राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत परिहारों के मामलों में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश स्वीकृत खनन क्षेत्र का सीमा बन्धन करायेंगे तथा आवेदक से खनन पट्टा का आलेख्य प्राप्त कर सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण कराकर चूना पत्थर तथा संगमरमर के मामलों में अन्तिम रूप से निष्पादन हेतु शासन को प्रस्तुत करेंगे परन्तु ग्रेनाइट आयामी पत्थर के मामले में जिलाधिकारी को प्रेषित करेंगे।

उप खनिजों के क्षेत्रों को 30 एकड़ की सीमा तक एवं अधिकतम 10 वर्ष की अवधि तक स्वीकृत करने हेतु जिलाधिकारी अधिकृत है। उपरोक्त समय एवं क्षेत्र की सीमाओ से अधिक के लिये शासन का अनुमोदन आवश्यक है। जिलाधिकारी चूना पत्थर एवं संगमरमर को छोड़कर अन्य सभी उपखनिजों के पट्टे भी निष्पादित करेंगे।

उत्तर प्रदेश खनिज नीति 1998 जिसके अंतर्गत निजी क्षेत्र में खनिज विकास पर बल दिया गया है, निदेशालय को प्रदेश में खनिज विकास को प्रोत्साहित करने की मुख्य भूमिका दी गयी है। इस हेतु निदेशालय उद्यमियों को खनिज प्रतिभू अन्वेषण कार्य एवं परामर्श के लिये आंकड़ें एवं सुविधायें उपलब्ध करवायेगा। इसके अतिरिक्त निदेशालय द्वारा खनिज आधारित परियोजनाओं के लिये टेक्नो-इकोनामिक संभाविकता रिपोर्ट भी तैयार की जायेगी, शोध एवं बाजार विकास को प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा खनिज विकास प्रोत्साहित करने हेतु साहित्य प्रकाशित किया जायेगा।

(द) उल्का पिण्ड (मीटियोराइट्स)--

उल्का पिण्ड जब कभी भी प्राप्त हो तो उन्हें नीचे दिये गये अनुदेशों के दृष्टिगत डायरेक्टर जनरल, जियालाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, कोलकाता को अग्रसारित कर देना चाहिए। जहां तक सम्भव हो उन्हें काष्ठ या टिन के बक्सों में सावधानीपूर्वक पैक करना चाहिए।

अन्तरिक्ष से जो उल्का पिण्ड अथवा टूटते तारे गिरते देखे जाते हैं वे दो प्रकार के होते हैं उनमें एक लौह-कण युक्त पथरीला पिण्ड होता है, और अधिकतर ऐसे ही पिण्ड गिरते हुये देखे जाते हैं। दूसरे प्रकार के पिण्ड में अधिकांश भाग लौहयुक्त होता है।

विज्ञान के लिये यह एक अत्यन्त रोचक एवं महत्वपूर्ण विषय है। अत: तुलनात्मक व्याख्या के लिये जितना सम्भव हो इन पिण्डों को एकत्र करना चाहिए और उनके गिरने के साथ घटित , सभी परिस्थितियों को सावधानीपूर्वक अभिलिखित किया जाना चाहिए। वह व्यक्ति जो अपने आसपास आग का गोला गिरने की घटना को देखे या पिण्ड को गिरते हुये पाये, सावधानीपूर्वक उनसे संबंधित तथ्य एकत्र करें, जो कि विज्ञान के लिये महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। जो व्यक्ति इस प्रकार की घटना को देखे, उसे समीप के पुलिस स्टेशन को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित कर देना चाहिए।

किसी उल्का पिण्ड के गिरने की परिस्थितियों और इन पिण्डों के गिरने के समय की अवस्था तथा दशा की जानकारी हेतु तत्काल जांच शुरू की जाय। जहां तक आकाश में उल्का पिण्ड के दिखाई देने का प्रश्न है, यह उपयुक्त होगा कि आकाश में उल्का के पथ तथा उसके लुप्त होने के स्थान की यथासम्भव यथार्थ जानकारी प्राप्त कर अन्तरिक्ष में उल्का के प्रकट होने के बिन्दु को पूर्ण सच्चाई व सावधानीपूर्वक अभिलिखित किया जाय।

758--वे बिन्दु जिन पर विशेष ध्यान दिया जाना है, निम्नलिखित दो श्रेणियों की पूछतांछ/जांच में वर्णित है :--

"अ"

1-- अक्षांश और देशान्तर के अनुसार प्रेक्षक की वास्तविक स्थिति, गांव की स्थिति के साथ-साथ नोट की जाए तथा नाम, दिशा और दूरी समीप के महत्वपूर्ण स्थान (पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाकघर आदि) के अनुसार अभिलिखित की जाए।

2--वर्ष, माह का दिन एवं समय अभिलिखित किया जाए।

3--चमकते गोले का स्पष्ट आकार, पूर्ण चन्द्रमा की तुलना में अभिलिखित किया जाए।

4--इसका आकार गोल नाशपाती जैसा अथवा लम्बाई में फैला हुआ है, तो किस दिशा में है अथवा वह अन्य किसी आकृति का है यह भी अभिलिखित किया जाए।

5--यह बिन्दु विशेष नोट करने योग्य है कि प्रेक्षक के संदर्भ में उसको किस स्थान पर प्रथम बार देखा गया।

6--घटना की समयावधि अभिलिखित की जाए।

7--गोला फिर से तारे के समान छोटा होकर दूर गायब हो जाता है या अन्त तक पूरे आकार का बना रहता है या जैसा कि प्राय: देखा जाता है कि बहुत से गोले या तारों में विभाजित हो जाता है।

8--उल्का पिण्डों के रंगों को अभिलिखित किया जाए।

9--विस्फोट या शोर की अन्य घटना से संबंधित तथ्यों को अभिलिखित किया जाए।

10--किसी ठोस पिण्ड के वास्तविक रूप से पृथ्वी पर गिरने से समस्त सूचना एकत्र कर अभिलिखित की जाए।

11--उक्त पिण्ड पत्थर के हैं अथवा लोहे के हैं या उनकी संरचना में कोई विशिष्टता है।

12--क्या पिण्ड तप्त लाल था या गर्म था अथवा वह बाहर से गरम अथवा अन्दर से ठंडा होना प्रदर्शित करता है जैसा प्रारम्भ में गर्म तथा बाद में अत्यधिक ठंडा हो गया है।

13--यह अभिलिखित किए जाने योग्य तथ्य है कि टूटता तारा किस दिशा में कितनी गहराई तक पृथ्वी में घुसा और यह भी कि उस स्थल की मिट्टी की प्रकृति क्या है और टूटे तारे से इसका क्या प्रभाव पड़ा और भूतल पर टूटा तारा किस स्थिति में पाया गया।

द्वितीय क्रम में टूटते तारों के विशिष्ट अध्ययन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि विश्लेषण एवं वैज्ञानिक तुलना के उद्देश्य से इन पिण्डों के अधिकाधिक अंशों को एकत्र कर सुरक्षित रखा जाए।

"ब"

1--इन पिण्डों को गिरने के तुरन्त बाद यथाशीघ्र प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि उन्हें टूट-फूट क्षति तथा मिटने से बचाया जा सके।

2--इन पिण्डों को, यदि पूर्ण नहीं है, तो उनका अधिकांश भाग अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए।

3--उल्का पिण्ड का वास्तविक विवरण जैसे उसका रंग, बाहरी चमक यदि टूटा हो तो जो पदार्थ दिखाई दे रहे हैं उनकी प्रकृति, उल्का पिण्ड के स्वरूप का विवरण व्यक्त करते समय विशेष रूप से सावधान रहना होगा कि वह पिण्ड कोणीय अथवा गोलाकार है, प्रिज्म के आकार का है अथवा वह लगभग किसी अन्य ज्यामितीय आकार का है, यह भी व्यक्त किया जाय कि उनकी बाहरी सतह चिकनी है या किसी विशेष प्रकार का खुदरापन युक्त है अथवा छिद्रदार गढ्ढे युक्त हैं।

4--पृथ्वी पर अभी भी लोहे अथवा पत्थर के जो पिण्ड पड़े हैं और ले जाने के दृष्टिकोण से बड़े हैं, उनमें से 20 से 50 पौण्ड के नमूने एकत्र कर सभी प्रकार की प्राप्त की जा सकने वाली सूचनाओं का विस्तृत विवरण यथा उनके रेखांकन, नाम तथा ऐतिहासिक तथ्य एकत्र किये जायें। इस वृहत् पिण्डों को तोड़ते समय पूर्ण सावधानी रखी जाय ताकि वे कम से कम क्षतिग्रस्त हो। जब तक भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग से सलाह न प्राप्त हो जाय, तब तक अनाधिकृत रूप से उनकी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाय।

(ख) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री द्वारा पुस्तकों की आपूर्ति

विधान मण्डल और शासकीय प्रकाशन :

759--शासकीय प्रकाशनों की प्रतियां जैसे सिविल लिस्ट, वित्त विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के नियम संग्रह, आदि एवं विधान मण्डल के सभी अधिनियमों का संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा दी गयी वितरण सूची की अपेक्षाओं के अनुसार अधिकारियों को वितरण प्रथम निकासी के तौर पर किया जाता है।

अधिनियमों के अपेक्षित प्रतियों की पूर्व सूचना--

760--(1) यदि विभागाध्यक्ष, आयुक्त अथवा जिला जज अथवा कोई अन्य अधिकारी जिन्हें अपने लिये पैरा 573 के अधीन शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी है, द्वारा किसी अधिनियम की प्रतियों की अपेक्षा की गयी हो, सामान्य आवंटन सूची में उपबन्धित रीति

से इतनी अधिक मात्रा में, जो मांग से अधिक हो, सरकारी गजट में किसी बिल के प्रथम उपसंजाति पर (और अन्यथा परिस्थितियों में नहीं) अपनी आवश्यकता की संसूचना निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को भेजी जानी चाहिए। मांग पत्र (इन्डेन्ट) के अग्रसारण में विलम्ब से देय होने पर यदि आवश्यक समझा जाय, किसी मामले में फिर से टाईप की कम्पोजिंग की दशा में प्रश्नगत विभाग उस वर्ष के लिये मुद्रणालय हेतु आवंटन के विरुद्ध उसके द्वितीय संस्करण के लिये प्रभारित किये जाने का दायी होगा।

(2)--यह संसूचित करना समीचीन समझा गया है कि राज्य में लागू प्रत्येक अधिनियम की कम से कम एक प्रति (उन प्रतियों के अतिरिक्त जिन्हें गजट में समाविष्ट किया गया है) प्रत्येक जिले में उपलब्ध रहना चाहिए चाहे वह सामान्य अथवा स्थानीय तौर पर लागू होती है। इन प्रतियों को वार्षिक जिल्दों (वाल्यूम) में जिल्द बन्द (बाउन्ड) होना चाहिए और उन्हें जिला कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) के उपयोगार्थ अनुरक्षित रखा जाना चाहिए।

प्रकाशनों का प्रतिस्थापन एवं आपूर्ति की मात्रा--

761--यदि किसी प्रकाशन की प्रतियों के प्रथम आवंटन के पश्चात् कोई प्रकाशन जिनके खो जाने अथवा नष्ट हो जाने के कारण उन्हें प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता हो तो संबंधित विभाग को अपने विभागाध्यक्ष अथवा नामजद न्यायाधीश के समक्ष, जैसी भी दशा हो, आवेदन करना चाहिए जो ऐसे मामले को सरकार के प्रशासकीय विभाग को संदर्भित करेगा। संबंधित विभाग उस प्रकाशन के लिये उत्तरदायी विभाग की सहमति प्राप्त करेगा। ऐसे मामले में उद्योग विभाग की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

शासकीय प्रकाशनों की आपूर्ति--

762--शासकीय प्रकाशनों के मामले में, जिनका केन्द्रीय अथवा राज्य के राजस्वों पर प्रभार सौंपा गया है, का मूल्य, निम्न मामलों को छोड़कर भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है :--

(क) पोस्टल गाईड, गवर्नमेन्ट टेलीग्राफ गजट और टेलीग्राफ गाईड को पोस्ट आफिस एवं दूर संचार विभाग से अनुक्रमश: नकद भुगतान द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।

(ख) वे प्रकाशन, जिन्हें सरकार के प्राधिकार से निजी मुद्रणालय द्वारा प्रकाशित कर जारी किया गया है, के लिये अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री द्वारा, बिल जमा किये जाने पर, भुगतान किया जाता है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित कोई संदर्भ पुस्तिका, जिसका निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद द्वारा भण्डारण, बिक्री तथा वितरण किया जाता है, विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासनादेश संख्या-3142-पी0एस0/18-जी0-157-पी0एस0-1954, दिनांक 26 जून, 1967 में विहित प्रपत्र पर वार्षिक मांग पत्र भेज कर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

अध्याय--67
सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग

कार्य विवरण--

763--साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क/स्मार्ट सिटी/इन्फोटेक पार्क से संबंधित कार्य, आई0 टी0 क्षेत्र की नई परियोजनाएं, आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों की रुग्ण/बन्द इकाइयों के पुनर्वासन, इलेक्ट्रानिक्स एवं आई0टी0 क्षेत्र में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग हेतु आई0एस0ओ0 9000 एवं साफ्टवेयर इंजीनियरिंग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने हेतु संस्थाओं की स्थापना करना, प्रदेश में ई-मेल व ई-कामर्स आदि पढ़ाने हेतु इन्फार्मेशन सुपरवाइजर बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना, अपट्रान इण्डिया लि0 के कार्मिकों का विभिन्न शासकीय विभागों में समायोजन/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना/अपट्रान के संबंध में निर्णय, प्रदेश में आप्टिकल फाइवर केबिल नेटवर्क की स्थापना, विभिन्न सरकारी विभागों/निगमों आदि में कम्प्यूटरीकरण एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण, विभिन्न शासकीय विभागों के आन्तरिक प्रबन्धन एवं जनता से सूचना का आदान-प्रदान करने को सुलभ बनाने हेतु साफ्टवेयर विकसित करना तथा उसका उपयोग, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों के लिए रेट कान्टेक्ट जारी करना तथा क्रय नीति का निर्धारण, आई0टी0 उद्योग के प्रसार हेतु प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों और साफ्टवेयर टेक्नालाजी पार्कों में समन्वय स्थापित करना, प्रदेश में एक बोर्ड आफ कम्प्यूटर एज्यूकेशन स्थापित करना, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, उ0प्र0 महर्षि विश्वविद्यालय की स्थापना व अन्य संबंधी समस्त कार्य, उ0 प्र0 जगद्गुरू विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना व अन्य संबंधी समस्त कार्य, आई0टी0 स्टेयरिंग कमेटी की बैठकों का आयोजन व उनमें लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन आदि सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के मुख्य कार्य हैं।

764--महत्वपूर्ण शासनादेश--

1--शासनदेश संख्या-1157/78 आई0टी0-2001, दिनांक 13 अगस्त, 2001 एवं शासनादेश संख्या-1157(2)/78-आई0टी0-2001, दिनांक 3 अक्टूबर, 2001।	विषय: सरकारी सेवकों/निगमों/निकायों एवं समितियों के कार्मिकों/अध्यापकों हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण।
2--शासनादेश संख्या-08/78-आई0टी0-2-2001, दिनांक 12 सितम्बर, 2001। शासनादेश संख्या-459/78-आई0टी0-2-2001, दिनांक 15 दिसम्बर, 2001।	विषय : कम्प्यूटर क्रय प्रक्रिया निर्धारण।
3--शासनादेश संख्या-1518/78-आई0टी0-2-2002, दिनांक 16 अगस्त, 2002।	विषय : कम्प्यूटर क्रय प्रक्रिया का क्रय निर्धारण।
4--शासनादेश संख्या-यू0ओ0-19/78-आई0टी0-2-2002, दिनांक 6 मई, 2002।	विषय : कम्प्यूटर के एप्लीकेशन साफ्टवेयर की क्रय/विकास प्रक्रिया का निर्धारण।
	विषय : सूचना प्रौद्योगिकी कार्यों हेतु बजट की व्यवस्था।
5--शासनादेश संख्या-2443/सत्रह-वि-1-1(क)-29-2001, दिनांक 6 अक्टूबर, 2001।	विषय : उ0 प्र0 महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001।
6--शासनादेश संख्या-2445/सत्रह-वि-1-1(क)-30-2001, दिनांक 6 अक्टूबर, 2001।	विषय: उ0 प्र0 जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001।
7--शासनादेश संख्या-1343/78-1-02-51-इले0/92-टीसी-5, दिनांक 17 दिसम्बर, 2002।	विषय: प्रदेश के शासकीय विभागों/कार्यालयों/ स्वायत्तशासी निकायों/निगमों/उपक्रमों के कर्मियों को सरकारी विभागों में संविदा/बॉडी शापिंग के आधार पर नियुक्त किये जाने के संबंध में।

अध्याय--68

पर्यटन विभाग

पर्यटन संगठन एवं कार्य :

765--पर्यटन निदेशालय सहित पर्यटन संगठन की एक पृथक विभाग के रूप में वर्ष 1972 में स्थापना की गई थी, तब से पर्यटन निदेशालय के अधीन पर्यटन संगठन एक स्वतन्त्र विभाग के रूप में कार्यरत है। वर्तमान समय में महानिदेशक पर्यटन के अधीन कुल 36 पर्यटन कार्यालय स्थापित है।

शासनादेश संख्या-1588/41-98-89/98, दिनांक-10-9-1998

766--(1) पर्यटन नीति, 1998 के अन्तर्गत मण्डल स्तरीय "पर्यटन सलाहकार समिति" का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष मण्डलायुक्त होते हैं। इस समिति में अधिकारीगण तथा पर्यटन व्यवसाय के संबंधित व्यक्ति सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मण्डलीय समिति में दो माननीय विधायक तथा दो माननीय सांसदों को, सदस्य के रूप में नामित किये जाने की व्यवस्था है।

(2) एक राज्य स्तरीय पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष माननीय पर्यटन मंत्री जी, उत्तर प्रदेश हैं। इस समिति के अन्य सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य तथा केन्द्र सरकार के अधिकारीगण हैं। राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर की ऐसी संस्थायें, जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं, से संबंधित व्यक्ति भी सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त सदस्य के रूप में दो माननीय सांसद सदस्यगण तथा दो माननीय विधायक गण को भी नामित करने का प्राविधान है।

अधिकारियों के कार्य एवं कर्तव्य :

767--पर्यटन विभाग के अधिकारियों द्वारा संचालित भ्रमण कार्यक्रमों की व्यवस्था, पर्यटन प्रचार साहित्य का वितरण, विक्रय एवं आधारभूत सूचनायें पर्यटन केन्द्रों के माध्यम से पर्यटकों को उपलब्ध करायी जाती है। वे पर्यटन सांख्यिकी का संग्रहण एवं पर्यटन विकास संबंधी कार्यों की देखरेख भी करते हैं। पर्यटन विकास हेतु आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये अन्य विभागों से समन्वय उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य हैं। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर महोत्सव, गंगा वाटर रैली, योग सप्ताह आदि जैसे सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों का आयोजन, पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये विभाग द्वारा कराया जाता है।

राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना :

768--उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी, स्थापना के समय इस निगम द्वारा 8 इकाइयों का संचालन किया जा रहा था, इसकी अधिकृत पूँजी रु0 100.00 लाख थी। वर्तमान में निगम की अधिकृत पूँजी रुपये 2000.00 लाख है तथा इसके द्वारा 48 इकाईयों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 1464 शय्यायें पर्यटकों हेतु उपलब्ध हैं। निगम द्वारा इन इकाईयों में

पर्यटकों को उत्तम आवासीय एवं खान-पान की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं, कुछ इकाईयों में पर्यटकों हेतु मद्यपान की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को त्वरित आरक्षण की सुविधा देने के उद्देश्य से निगम द्वारा प्रदेश के बाहर विभिन्न राज्यों में 6 अग्रिम आरक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। ट्रेवेल ट्रेड के क्षेत्र में ट्रेवल एजेन्सी की स्थापना की गयी है। वर्तमान में लखनऊ एवं आगरा में अप-टूअर्स के माध्यम से पर्यटकों को सुविधायें प्रदान की जा रही हैं, जिनमें हवाई यात्रा हेतु आरक्षण करवाना, बस/कार उपलब्ध करवाना, दर्शनीय स्थलों हेतु भ्रमण की सुविधा उपलब्ध कराना आदि प्रमुख है।

पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटल गोमती, लखनऊ के स्तर को देखते हुए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे तीन सितारा होटल का स्तर प्रदान किया गया है। इसी प्रकार वीरागंना झांसी को एक सितारा होटल का स्तर प्रदान किया गया है।

सुख साधन कर :

विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना सं0-1622-1-1(क)31/99, दिनांक-29-7-1999

769--उत्तर प्रदेश कराधान एवं भू-राजस्व अधिनियम, 1975 में संशोधन करके प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश कराधान एवं भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा यह प्राविधानित किया गया है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा जो किसी होटल में सुख साधनों से व्यवस्थित कोई कमरा या कमरों की कोष्ठावली किराये पर लेता है, उसके द्वारा रु0 1,000.00 या उससे अधिक के किराये पर 5 प्रतिशत की दर से सुख साधन कर देय होगा। जिलाधिकारी कर निर्धारण प्राधिकारी एवं मण्डल का आयुक्त अपील प्राधिकारी होता है।

सांस्कृतिक पर्यटन :

770--पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से निम्न महोत्सवों का आयोजन किया जाता है:—

(1) ताज महोत्सव	..	आगरा
(2) झांसी महोत्सव	..	झांसी
(3) बुद्ध महोत्सव	..	सारनाथ/कुशीनगर
(4) गंगा महोत्सव	..	वाराणसी
(5) लखनऊ महोत्सव	..	लखनऊ

पर्यटन नीति, 1998 के परिप्रेक्ष्य में पर्यटन विकास के लिये उठाये जाने वाले कदम एवं दिये जाने वाले प्रोत्साहन :

शासनादेश सं0-3137/41-98-184/98, दिनांक 31-12-1998

771--(क) शासन की पर्यटन नीति के अन्तर्गत पर्यटन के त्वरित विकास हेतु परिपथों का चिन्हीकरण किया गया है। निम्नलिखित परिपथ पर्यटन विकास हेतु विशेष बल दिये जाने हेतु चिन्हांकित किये गये हैं। इन परिपथों में पर्यटन विकास की गतिविधियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

(1)—बौद्ध परिपथ

(2)—बुन्देलखण्ड परिपथ

(3)—ब्रज (आगरा-मथुरा) परिपथ

(4)—अवध परिपथ

(5)—विन्ध्य परिपथ

(6)—वन विहार इको टूरिज्म एवं साहसिक यात्री परिपथ

(7)—जल विहार परिपथ

शासनादेश सं0-172/41-99-14/99, दिनांक 27-1-1999--(ख) पर्यटन संबंधी अन्तर्विभागीय समस्याओं तथा निजी उद्यमियों की समस्याओं पर केस-टू-केस आधार पर निर्णय लेने के उद् देश्य से निम्न प्रकार "पर्यटन मित्र" का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश तथा महानिदेशक/निदेशक पर्यटन संयोजक बनाये गये हैं:—

(1)—मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश	. .	अध्यक्ष
(2)—प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	. .	सदस्य
(3)—प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग	. .	सदस्य
(4)—प्रमुख सचिव/सचिव,संस्कृति विभाग	. .	सदस्य
(5)—प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग	. .	सदस्य
(6)—प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग	. .	सदस्य
(7)—आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव	. .	सदस्य
(8)—संबंधित मण्डलायुक्त	. .	सदस्य
(9)—महानिदेशक/निदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश	. .	सदस्य/संयोजक
(10)—निदेशक पर्यटन (पर्वतीय) उत्तराचंल से संबंधित प्रकरण हेतु	. .	सदस्य/संयोजक

(ग) सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हैरिटेज सिटी/हैरिटेज जोन के सौन्दर्यीकरण तथा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा "हैरिटेज जोन" के विकास के लिये मार्ग निदेशन करने तथा उसका क्रियान्वयन नगर विकास विभाग द्वारा सुनिश्चित कराने हेतु एक समिति का गठन निम्नवत् किया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन तथा संयोजक महानिदेशक, पर्यटन एवं निदेशक पर्यटन (पर्यटन) देहरादून नियुक्त किये गये हैं :--

1—प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन	अध्यक्ष
2—प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास	सदस्य
3—प्रमुख सचिव/सचिव, आवास विभाग	सदस्य
4—प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग	सदस्य
5—निदेशक, पुरातत्व विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6—महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार	सदस्य
7—महानिदेशक/निदेशक, पर्यटन	सदस्य

(घ) औद्योगिक विकास विभाग द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है जिसके फलस्वरूप उद्योगों को अनुमन्य समस्त सुविधायें पर्यटन उद्योग को भी प्राप्त होंगी।

औद्योगिक विकास अनु0-6 की अधिसूचना सं0-यू0ओ0-05/77-6-99, दिनांक 16-2-99

अध्याय--69

भाषा विभाग

राजभाषा :

देवनागरी लिपि में हिन्दी :

शासनादेश संख्या-4686/तीन-170-47, दिनांक 8-10-1947

772--देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी इस प्रदेश की राजभाषा है। वह शासकीय कार्यों तथा पत्र व्यवहार के लिये शासन के कार्यालयों की मान्य भाषा है।

विज्ञप्ति सं0-यू0ओ0-718/17, दिनांक 30-10-1952 तथा सं0 524/21-3(19)68, दिनांक 19-2-1968

773--उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 की धारा-2 के अधीन जारी की गयी विज्ञप्तियों के अनुसार देवनागरी लिपि में, हिन्दी का प्रयोग निम्नलिखित के लिये किया जायेगा :--

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश,

(2) भारत के संविधान के अधीन अथवा संसद या राज्य विधान मण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन, राज्य शासन द्वारा प्रख्यापित आदेश, नियम, विनियम तथा उपविधि, और

(3) राज्य के अन्य समस्त राजकीय प्रयोजन।

अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग :

वि0सं0 525/21-3(19)/68, दिनांक 19-2-1968 तथा सं0 2781/21-3(19)/68, दिनांक 17-3-1970

774--उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 की धारा-2 के अधीन जारी की गयी विज्ञप्तियों के अनुसार राज्य के किसी भी राजकीय कार्य व्यवहार के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत राज्य विधान मण्डल का कार्य भी है, प्रयुक्त सभी प्रकार के टंकित किये गये तथा मुद्रित लेखों और लेखा से सम्बन्धित लेखों में तथा राज्य के अन्य समस्त राजकीय प्रयोजनों के सम्बन्ध में भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग किया जा सकता है।

समस्त शासकीय कार्यों में हिन्दी का अनिवार्य प्रयोग :

शासनादेश संख्या-1353/21-33(9)/77, दिनांक 22-4-1972

775--राज्य के समस्त शासकीय कार्यों में हिन्दी का, जो इस प्रदेश की राजभाषा है, अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाय। विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों तथा सभी अधीनस्थ कार्यालयों से जितने भी पत्र तथा आदेश जारी हों वे सभी हिन्दी में हों। पत्रावलियों में सभी टिप्पणियाँ तथा आलेख्य हिन्दी में लिखे जायें। निरीक्षण रिपोर्ट, कार्यवाहियाँ, नियमावलियाँ, दौरों के कार्यक्रम पूर्णरूप से हिन्दी में तैयार किये जायें। सभी रजिस्टर, डायरियाँ आदि हिन्दी में भरी जायें। अंग्रेजी का प्रयोग पूरी तरह बन्द होना चाहिये।

शासकीय सेवाओं में भर्ती :

शासनोदश सं0 4686/तीन-170-47, दिनांक 8-10-1947 (पैरा-2)

776--शासकीय सेवाओं में भर्ती के लिये निर्धारित विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी एक अनिवार्य विषय है। शासकीय सेवाओं में भर्ती के लिये निर्धारित विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी एक अनिवार्य विषय है। जिस पद पर साक्षरता की योग्यता आवश्यक है उस पद पर ऐसा कोई अभ्यर्थी जो हिन्दी नहीं जानता अथवा जो देवनागरी लिपि में काम नहीं कर सकता, नियुक्त नहीं किया जायेगा।यदि असाधारण

परिस्थिति में किसी ऐसे अभ्यर्थी को भर्ती करना अनिवार्य हो जो हिन्दी नहीं जानता तो नियुक्त करने वाले अधिकारी को उस विशेष परिस्थिति को लिपिबद्ध करना होगा और उस उम्मीदवार का चुनाव औपबंधिक रूप में होगा। ऐसी दशा में उम्मीदवार को साफ-साफ यह सूचित कर दिया जायेगा कि उस पद पर उनकी नियुक्ति एक अवधि के बाद होगी जो 6 महीने से अधिक न होगी और इस समय के अन्दर उसके लिये यह आवश्यक होगा कि वह उतनी हिन्दी सीख ले कि उससे सरलतापूर्वक और बेरोकटोक लिख-पढ़ सके। ऐसे उम्मीदवार को उसे पद पर नियुक्त करने की अनुमति देने के पूर्व उससे इस आशय की एक प्रतिज्ञा लिखा ली जायेगी। निर्धारित अवधि के साथ उसकी परीक्षा ली जायेगी और यदि उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की तो उसकी तदर्थ नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी, परन्तु ऐसा करने से पूर्व उक्त अवधि 4 माह तक और बढ़ाई जा सकती है।

सरकारी तार :

777--सभी सरकारी तार, जहाँ हिन्दी तार सेवा उपलब्ध हो, हिन्दी में ही भेजे जायें। शा0 संख्या-4626/21-3(4)/71, दिनांक 13-12-1972

पत्र-व्यवहार

भारत सरकार से पत्र-व्यवहार :

778--भारत सरकार से सभी पत्र-व्यवहार में सदैव हिन्दी का ही प्रयोग किया जाये। तकनीकी और कानून सम्बन्धी मामलों में भी पत्र हिन्दी में ही भेजे जायें और यदि आवश्यक समझा जाये तो उसके साथ अंग्रेजी अनुवाद संलग्न कर दिया जाये, किन्तु मूल पत्र हिन्दी में भेजा जाये। भारत सरकार से पत्र-व्यवहार में भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग किया जाये। शासनादेश सं0 165/21-4(3)/73, दिनांक 3-4-1973 तथा संख्या 3460/21-3(22)65, दिनांक 21-8-1965

राज्य सरकारों के साथ पत्र-व्यवहार :

779--भारत के संविधान के अनुच्छेद 346 के परन्तुक (प्राविजों) में यह व्यवस्था है कि यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उनके बीच में संचार के लिए राजभाषा हिन्दी होगी तो ऐसे संचार के लिये वह प्रयोग की जा सकेगी। इस प्राविधान के अन्तर्गत राज्य शासन, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब तथा हरियाणा राज्य सरकारों तथा हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से हिन्दी में पत्र-व्यवहार का अनुबन्ध कर चुका है, अत: उनके साथ हिन्दी में ही पत्र-व्यवहार किया जाये। जहाँ तक अहिन्दी भाषी राज्यों का प्रश्न है, राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 की धारा-3 के परन्तुक में यह व्यवस्था है कि ऐसे अहिन्दी भाषी राज्यों से, जिसके साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार का अनुबन्ध नहीं हुआ है, यदि पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाये तो उनके साथ अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाये। शा0 संख्या-1625/21-3(13)/67, दिनांक 11-7-1968

विधान मण्डल के सदस्यों से पत्र-व्यवहार :

780--संसद सदस्यों, राज्य विधान मण्डल के सदस्यों, जनता तथा अधीनस्थ कार्यालयों को पत्र तथा समस्त साहित्य अनिवार्य रुप से हिन्दी में ही प्रेषित किया जाये। विधान मण्डल के सदस्यों के बन्दीकरण, निरोध और रिहाई आदि के सूचना अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दी जानी चाहिये। शा0 संख्या 2141/21-3(20)/76, दिनांक 14-7-1976 तथा शा0 संख्या 3097/21-3(14)/75, दिनांक 15-10-1975

सम्मेलनों, प्रदर्शनियों आदि में :

का0 ज्ञाप सं0 872/21--3(7)/72, दि0 30-04-1974 तथा शा0 सं0 1606/21-4(6)/74, दि0 21-09-1974

781--केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित बैठकों तथा सम्मेलनों में, जिसमें इस राज्य के प्रतिनिधि भी भाग लें, चर्चा के समय तथा कागजात प्रस्तुत करते समय हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जाये। मेलों तथा प्रदर्शनियों में शासन के विभागों द्वारा जो मण्डल लगाये जायें उसके साइन बोर्डों , सूचना पट्टों, चित्रों तथा प्रचारार्थ सामग्री में हिन्दी का प्रयोग किया जाये।

निगमों, परिषदों आदि में :

का0 ज्ञाप सं0 669/21--3(17)/72, दि0 28-03-1973 तथा शा0 सं0 1226/21-3(13)/73, दि0 19-07-1974 तथा शा0 सं0 1815/21-3(15)/77, दि0 06-10-1977

782--प्रदेश के समस्त राज्य अधिष्ठानों, निगमों, परिषदों आदि से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना समस्त कार्य पूर्णरूपेण देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी में ही करेंगे और प्रत्येक तिमाही में हिन्दी प्रयोग के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना निर्धारित रूप पत्र में शासन के भाषा अनुभाग-1 को भेजेंगे।

विविध :

शा0 सं0 6464/3-170(7)/52, दि0 29-10-1952 तथा शा0 सं0 2559/21-3(10)/72, दि0 29-09-1972

783--जो भी आशुलिपिक तथा टंकक भर्ती किये जायें वे प्रधानतया हिन्दी के आशुलिपिक और हिन्दी के टंकक होने चाहिये। सरकारी कार्यालयों में भर्ती किये जाने वाले टंककों के लिये हिन्दी टंकण की जानकारी अनिवार्य है। हिन्दी टंकण से अनभिज्ञ अस्थायी टंककों को उस समय तक स्थायी नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि वे हिन्दी टंकण में अच्छी गति न प्राप्त कर लें।

हिन्दी की प्रगति की त्रैमासिक रिपोर्ट :

34/21-1-2002-1(5)/2000, दि0 18-3-2002

784--समस्त कार्य अनिवार्यत: हिन्दी में सम्पादित किये जायें तथा शासन को निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक त्रैमास की सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाये।

समस्त प्रतिवेदन तथा विभागीय रिपोर्ट :

अर्ध0 शा0 सं0 2236/21-4(12)/74, दि0 31-07-1976

785--समस्त प्रतिवेदन तथा आवधिक विभागीय आख्यायें मूल रूप से हिन्दी में ही छपाई जाये। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से किसी प्रतिवेदन या आवधिक विभागीय रिपोर्ट का अंग्रेजी में भी छपना आवश्यक हो तो आवश्यकतानुसार उनकी केवल कुछ प्रतियाँ अंग्रेजी में छपाई जा सकती है, किन्तु मूल प्रतिवेदन या आवधिक विभागीय रिपोर्ट प्रत्येक दशा में हिन्दी में ही छपाई जाये।

सरल हिन्दी का प्रयोग :

786--शासकीय कामकाज में ऐसी सरल और सुबोध हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाये जो सहज ही सबकी समझ में आ सके। कठिन और अलंकृत हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित न किया जाये। यदि किसी अंग्रेजी शब्द के लिये हिन्दी पर्याय पाने में कठिनाई हो तो उसी को इस्तेमाल करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिये। शासकीय कामों में आम शब्दों का ही अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिये। शा0 सं0 1583/21-3(17)/78, दि0 31-08-1978 तथा शा0 सं0 484/21-3-1965, दि0 27-01-1965

निगमों, प्राधिकरणों आदि के नाम :

787--किसी भी विभाग के अधीन यदि कोई नया प्राधिकरण या निगम परिषद् अथवा संस्था गठित की जाये अथवा बनायी जाये तो उसका नाम हिन्दी में ही रखा जाये। शा0 सं0 3805/21-4(4)/76, दि0 30-12-1976

टाइप राइटरों का क्रय :

788--सभी नये टाइपराइटर हिन्दी में ही क्रय किये जायें और अंग्रेजी के नये टाइपराइटर खरीदने के लिये प्रस्ताव शासन को न भेजे जायें। अंग्रेजी टाइपराइटर खरीदने की अनुमति शासन के भाषा विभाग द्वारा असाधारण परिस्थितियों में केवल अपवाद स्वरूप ही दी जा सकती है। शा0 सं0 1187/3-170(22)/1955, दि0 01-12-1955 (पैरा 118), शा0 सं0 1578/21-(43)/1961, दि0 01-7-1961 (पैरा 15) तथा शा0 सं0 1307/21-3-(1)/1965, दि0 11-03-1965

संदर्भ हिन्दी पुस्तकालय :

789--प्रत्येक कार्यालय में एक हिन्दी पुस्तकालय स्थापित किया जाये जहाँ कर्मचारियों को हिन्दी के सन्दर्भ ग्रन्थ आदि सुविधापूर्वक उपलब्ध हो सके। शा0 सं0 11876/3-170(22)/1955, दि0 01-12-1955 (पैरा 22)

समितियों की कार्य सूची :

790--सरकारी समितियों की कार्यसूची और उनकी बैठकों की कार्यवाही देवनागरी लिपि में हिन्दी भाषा में होनी चाहिये, विशेष रूप से उन समितियों में जिसमें गैर-सरकारी व्यक्ति भी सदस्य हों। शा0 सं0 8070/3-170(9)/53, दि0 11-07-1955

विधान सभा से सम्बन्धित कार्य :

791--विधान सभा के प्रश्नों के सम्बन्ध में की जाने वाली समस्त कार्यवाही, जिसमें प्रश्नों के उत्तर और उत्तर के साथ संलग्न की जाने वाली सूचियों व अन्य सामग्री सम्मिलित है, केवल हिन्दी में ही की जाये। सचिवालय के विभागों द्वारा विधान सभा को आश्वासन समिति को भेजे जाने वाले सभी पत्रों तथा उनके संलग्नकों में अनिवार्य रूप से हिन्दी का ही प्रयोग किया जाये। का0 ज्ञा0 सं0 291/21-3(15)/61, दि0 21-02-1961 तथा शा0 सं0 2417/21-3(10)/62, दि0 31-08-1962

तारों के संक्षिप्त पते :

शा0 सं0 1368/21-127-60, दि0 2-12-1963

792--राज्य के कार्यालयों/अधिकारियों के तारों के लिये जो संक्षिप्त पते अंग्रेजी में पंजीकृत कराये जायें उन्हें अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी तारों के लिये देवनागरी लिपि में भी पंजीकृत कराया जाये।

सरकारी भवनों आदि के नाम :

शा0 सं0 2273/21-78-4(3)/77, दि0 16-10-1978

793--सभी सरकारी भवनों, बाजारों, क्वार्टरों , स्थानों उद्यानों तथा मैदानों आदि के नाम हिन्दी में ही रखे जायें और यदि उनका वर्गीकरण किया जाना आवश्यक हो तो यह वर्गीकरण अंग्रेजी वर्णमाला क्रम ए0 बी0 सी0 डी0 आदि के आधार पर न करके देवनागरी वर्णमाला के व्यंजन क्रम क, ख, ग, घ आदि के आधार पर किया जाये।

आवासों में लगे नाम पट्ट :

शा0 सं0 3262/21-12(36)/77, दि0 12-12-1977

794--यह आशा की जाती है कि शासन के अधिकारियों के आवासों पर लगे नाम पट्टों में अधिकारीगण स्वेच्छा से हिन्दी का प्रयोग करेंगे।

उर्दू गजट का प्रकाशन :

शा0 सं0 565/21-प्रकाशन-184/79, दि0 03 जून,1981

795--उर्दू गजट सरकारी हिन्दी गजट का प्रतिरूप होगा।

शासन के निर्णयानुसार हिन्दी सरकारी गजट के समस्त भाग पूरे के पूरे उर्दू गजट में प्रकाशित किये जायेंगे तथा उर्दू गजट सरकारी हिन्दी गजट का अक्षरश: प्रतिरूप होना चाहिये। अत: यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न विभागों से प्राप्त अलग-अलग विज्ञप्तियों का अनुवाद कराये जाने के बजाय दिनांक 06 जून, 1981 से प्रकाशित होने वाले आगामी सरकारी हिन्दी गजट का ही उर्दू अनुवाद करके उसे प्रकाशित कराया जायेगा। जिससे उर्दू गजट सरकारी हिन्दी गजट का प्रतिरूप हो सके। अत: सरकारी गजट के प्रकाशनार्थ राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद/लखनऊ को भेजी जाने वाली सामग्री के साथ उर्दू अनुवाद हेतु अतिरिक्त प्रति संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

अनूदित सामग्री की भाषा उर्दू होनी चाहिये :

शा0 सं0 940/21-उर्दू-900 (1)/77, दि0 08-12-1977

796--जो सामग्री राजकीय प्रेस को उर्दू गजट में छपने के लिये भेजी जाये वह हिन्दी संस्करण का लिप्यन्तरण मात्र न होकर सही उर्दू अनुवाद होनी चाहिये।

न्यायालयों की भाषा :

शा0 सं0 4686/3-170/47, दि0 08-10-1947, पैरा 5(3)

797--जनता के नाम न्यायालयों अथवा राजस्व अधिकारियों की ओर से जारी किये जाने वाली सभी सम्मन, घोषणायें तथा इस प्रकार के अन्य कागज देवनागरी लिपि में हिन्दी में होंगे।

अधीनस्थ न्यायालय :

अधिसूचना संख्या--858/21-3-74, दिनांक 30-03-1974

798--उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधीनस्थ दीवानी अदालतें की भाषा हिन्दी है और इन अदालतों में जो आवेदन-पत्र दिये जायेंगे और जो कार्यवाहियां होंगी उन्हें देवनागरी लिपि में हिन्दी में लिखा जायेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 272 के अधीन उक्त संहिता के प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय की भाषा निम्नलिखित अवधारित की गयी है :

(1) ऐसे समस्त मामलों में जिनमें एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये कारावास का दण्ड दिया जा सकता है किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा पारित किये गये या दिये गये निर्णयों तथा आदेशों के सम्बन्ध में हिन्दी (देवनागरी लिपि में),

(2) उपर्युक्त पैरा (1) में निर्दिष्ट मामलों से भिन्न किसी अन्य मामले में किसी न्यायालय द्वारा पारित किये गये या दिये गये निर्णयों और आदेशों के सम्बन्ध में हिन्दी (देवनागरी लिपि में), और अंग्रेजी,

(3) किसी न्यायालय में निर्णयों और आदेशों से भिन्न समस्त कार्यवाहियों के सम्बन्ध में हिन्दी (देवनागरी लिपि में)।

अन्य न्यायालय :

799--राजस्व, परिवहन, बिक्रीकर, चकबन्दी आदि विभागों के न्यायिक प्रकार के मामलों की सुनवाई करने वाले सभी अधिकारी, प्राधिकरण तथा न्यायाधिकरण, जो सीधे शासन के अधीन है, अपने सभी निर्णयों में देवनागरी लिपि में हिदी का प्रयोग करेंगे। शा0 सं0 205/21-3-(8)/70, दि0 31-03-1970

उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री तथा आदेश :

800--राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अधीन राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से दिये गये आदेशों के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के प्रयोजन हेतु अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब कभी कोई निर्णय, डिक्री अथवा आदेश हिन्दी में दिया जाये तो उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत उसका अंग्रेजी अनुवाद भी उसके साथ जारी किया जायेगा। का0 ज्ञा0 सं0 2135/21-11-(59)/67, दि0 28-10-1976

उच्च न्यायालय की कार्यवाही :

801--भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अधीन राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से दिये गये आदेशों के अनुसार उच्च न्यायालय के डिक्रियों, आदेशों तथा निर्णयों के अतिरिक्त [जिनके लिये राष्ट्रपति की सहमति से राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अन्तर्गत अनुमति पहले ही दी जा चुकी है।] अन्य सभी कार्यवाहियों, जैसे याचिकाओं, अपीलों, ज्ञापनों, वकालतनामों आदि में हिन्दी का प्रयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है : का0 ज्ञा0 सं0 4363/21-76-3(18) 69, दि0 24-01-1977

(1) यदि कोई न्याय पीठ चाहे तो हिन्दी के शपथ-पत्रों, बयानों और दस्तावेजों को अंग्रेजी में अनुदित करवाने के आदेश विशेष रूप से दिये जाने चाहिये, और

(2) यदि किसी निर्णय में हिन्दी के अभिवचनों, बयानों और दस्तावेजों आदि में से कोई उद्धरण शामिल किया जाये, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद उसके साथ रखना चाहिये।

चूंकि उपयुक्त प्रयोजनों के लिये हिन्दी का प्रयोग वैकल्पिक है, अतएव यदि पक्षकार चाहे तो वे उसके बजाय अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है।

द्वितीय राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग :

अधिसूचना सं0 4171/21-1-89-1-80, दि0 07-10-1989

802--उर्दू भाषाइयों के हित में द्वितीय राज्य भाषा के रूप में उर्दू का प्रयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये किया जायेगा :

(1) उर्दू में अर्जियों और आवेदन-पत्रों की प्राप्ति और उर्दू में उनका उत्तर।

(2) उर्दू में लिखित दस्तावेजों को निबन्धन कार्यालय द्वारा स्वीकार किया जाना।

(3) महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उर्दू में भी प्रकाशन।

(4) सार्वजनिक महत्व के सरकारी आदेशों और परिपत्रों को उर्दू में भी जारी किया जाना।

(5) महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों को उर्दू में भी प्रकाशन।

(6) गजट के उर्दू रूपान्तर का भी प्रकाशन।

(7) महत्वपूर्ण संकेत पटों का उर्दू में प्रदर्शन।

रोमन लिपि के प्रयोग पर रोक :

शा0 सं0 2028/21-1-89-89-3 (17)/88, दि0 13-07-1989

803--कम्प्यूटर के प्रयोग में देवनागरी लिपि के प्रयोग की सुविधा उपलब्ध होने के उपरान्त भी रोमन लिपि का प्रयोग हो रहा है। रोमन लिपि के प्रयोग पर इस निमित्त रोक लगा दी गयी है।

इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों में अंग्रेजी डिस्क के प्रयोग पर रोक :

शा0 सं0 1353/21-1-96-11(2)84, दि0 16-12-1996

804--सचिवालय में प्रयोग हेतु क्रय किये जाने वाले इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों में अंग्रेजी डिस्क के प्रयोग की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की गयी है कि अंग्रेजी डिस्क का उपयोग केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में विद्यमान नियमों/आदेशों को ध्यान में रखते हुए किया जाये।

अध्याय--70

श्रम विभाग

संगठन :

805--श्रम आयुक्त संगठन, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है तथा इसके सुचारु संचालन में सहयोग प्रदान करने हेतु मुख्यालय पर एक अपर श्रमायुक्त, आई0 ए0 एस0 संवर्ग, दो अपर श्रमायुक्त, [पी0 सी0 एस0 संवर्ग तथा तीन अपर श्रमायुक्त, अपर श्रमायुक्त, तकनीकी एवं राज्य श्रम सेवा के अधिकारियों के साथ निदेशक ब्वायलर तथा निदेशक कारखाना कार्यरत हैं। राज्य में 11 क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त तथा 05 उप निदेशक कारखाना के कार्यालय स्थापित हैं,] जिनका विवरण निम्नवत् है :

क्रमांक	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	प्रभारी अधिकारी
1	कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद	अपर श्रमायुक्त
2	बरेली, लखनऊ , मुरादाबाद, पिपरी, इलाहाबाद, झांसी, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, फैजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गोरखपुर, आजमगढ़	उप श्रमायुक्त
3	कानुपर, बरेली, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद	उप निदेशक कारखाना

प्रदेश में 22 सहायक श्रमायुक्त कार्यालय स्थापित हैं, जिनका विवरण निम्न है :

रायबरेली, हरदोई, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, लखीमपुर, उन्नाव, फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मथुरा, फिरोजाबाद, देवरिया, बस्ती, गाजीपुर, शाहजहांपुर, बुलन्दशहर, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, गोण्डा, रामपुर, बिजनौर, मऊ, जौनपुर।

प्रदेश में 18 सहायक निदेशक, कारखाना कार्यालय स्थापित हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :

सहारनुपर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, मेरठ, अलीगढ़, गोरखपुर, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, नोयडा, कानपुर, फैजाबाद, बुलन्दशहर, बिजनौर।

उक्त कार्यालय के अतिरिक्त राज्य के विभिन्न जनपदों, तहसीलों तथा ब्लाक स्तर पर श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के 121 कार्यालय स्थापित है तथा राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित है।

प्रदेश में 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित है जिनका विवरण निम्नवत् है :

1--इलाहाबाद औद्योगिक न्यायाधिकरण	प्रथम
2--लखनऊ औद्योगिक न्यायाधिकरण	द्वितीय व षष्टम
3--कानपुर औद्योगिक न्यायाधिकरण	तृतीय
4--आगरा औद्योगिक न्यायाधिकरण	चतुर्थ
5--मेरठ औद्योगिक न्यायाधिकरण	पंचम

प्रदेश में 17 श्रम न्यायाधिकरण स्थापित है, जिनका विवरण निम्नवत् है :

कानपुर	प्रथम, द्वितीय, तृतीय ,चतुर्थ, एवं पंचम
मेरठ	प्रथम व द्वितीय
गाजियाबाद	प्रथम व द्वितीय

वाराणसी, बरेली, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, रामपुर, फैजाबाद।

अ-कारखाना

अधिनियम एवं नियमावली :

806--प्रदेश में अधिनियम से आच्छादित, पंजीकृत कारखानों में कारखाना निरीक्षणालय द्वारा कारखाना अधिनियम व तत्सम्बन्धी नियमावलियों के प्राविधानों का पालन कारखाने का निरीक्षण कर कराया जाता है, अधिनियम एवं तत्सम्बन्धी नियमावलियों से ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान आच्छादित होते हैं, जहां पर 10 या उससे अधिक श्रमिक शक्ति का प्रयोग होने पर तथा 20 या उससे अधिक बिना शक्ति का प्रयोग होने पर तथा 20 या उससे अधिक बिना शक्ति के प्रयोग से कार्यरत हों। प्रदेश सरकार को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 85 के अन्तर्गत यह अधिकार भी प्रदत्त है कि किसी ऐसे स्थान जहां पर शक्ति की सहायता से बिना शक्ति की सहायता से अभिनिर्माण प्रक्रिया की जा रही हो, पर वह अधिनियम के समस्त या कुछ प्राविधान लागू कर सकती है, चाहे इस स्थान पर कार्यरत श्रमिकों की संख्या उक्त निर्धारित सीमा से कम भी हो। अपवाद यह है कि ऐसे स्थान/परिसर जहां पर कार्य मालिक या उसके परिवार की सहायता से किया जा रहा हो, उक्त पर अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधान लागू नहीं होंगे।

कारखानों का पंजीकरण एवं अनुश्रापन :

807--उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 के नियम 6 से नियम 14 (घ) तक के प्राविधान कारखानों के पंजीकरण एवं अनुज्ञापन के कार्य विनियमित किये जाने से सम्बन्धित है। उक्त नियमों में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पंजीकरण एवं अनुज्ञा प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना-पत्र निर्धारित अनुज्ञा शुल्क सहित कोषागार में जमा करने के उपरान्त (मूल ट्रेजरी रसीद के साथ) निदेशक कारखाना, उत्तर प्रदेश (मुख्य कारखाना निरीक्षक), उप निदेशक कारखाना (उप मुख्य कारखाना निरीक्षक) व सहायक निदेशक, कारखाना (कारखाना निरीक्षक) जैसी भी स्थिति हो, कारखाने के अधिष्ठाता द्वारा किसी भी परिसर को कारखानो के रूप में प्रयोग किये जाने से कम से कम 15 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना होगा । प्रदेश में वृहद औद्योगिक दुर्घटना की शंका वाले कारखानों की अनुज्ञा करने हेतु प्रार्थना-पत्र निदेशक कारखाना, उत्तर प्रदेश के कार्यालय को 50 श्रमिकों से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले या खतरनाक /परिसंकटमय प्रकृति के कारखानों के अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र सम्भागीय उप निदेशक कारखाना के कार्यालय को, तथा 50 श्रमिकों से कम श्रमिक नियोजित करने वाले कारखानों के अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र क्षेत्रीय सहायक निदेशक कारखाना के कार्यालय में प्राप्त कराये जायेंगे और इन्हीं प्राधिकारियों द्वारा कारखानों को अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

धारा 85 के अन्तर्गत आच्छादित कारखानों के अधिष्ठाता/स्वामी द्वारा अनुज्ञा का प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 48 के अन्तर्गत उनके परिसर को कारखाने के रूप में अधिसूचना जारी करने की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

कारखानों का नवीनीकरण उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 में निहित प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित करेंगे। कारखानों की अनुज्ञा प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में एक या एक साथ पांच वर्ष के लिये नियम 7 में निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्राप्त नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में निर्धारित देय शुल्क तथा उसका 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के रूप में प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही अनुज्ञा का नवीनीकरण सम्भव हो सकेगा। अनुज्ञा नवीनीकरण का प्रार्थना-पत्र निर्धारित फार्म नं0 4 (ख) में तीन प्रतियों में नियम 7 में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क सहित (ट्रेजरी चालान की मूल प्रति के साथ) प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक निरीक्षक के कार्यालय में प्राप्त कराया जाना होगा। प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने में यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से विलम्ब हो जाता है तो राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुज्ञा नवीनीकरण प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि को बढ़ा सकती है।

निरीक्षक एवं अतिरिक्त निरीक्षक :

808--कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 8 की उपधारा (1), (2) व (2-क) में निरीक्षक, मुख्य निरीक्षक, अपर मुख्य निरीक्षक, संयुक्त मुख्य निरीक्षक व उप मुख्य निरीक्षक की नियुक्ति के प्राविधान हैं। कारखाना अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (4) के अनुसार प्रत्येक जिलाधिकारी अपने जिले की परिसीमाओं के अन्दर निरीक्षक हैं, इसी प्रकार कारखाना अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (5) में राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके ऐसे लोक अधिकारियों को, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, कारखाना अधिनियम के सभी या कुछ प्राविधानों के लिए, उनकी स्थानीय सीमायें निर्धारित करते हुए, अपर निरीक्षक नियुक्त कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करके कारखाना अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 3914/36-3-4(एफ-90), दिनांक 08-11-1990 जारी कर कतिपय लोक अधिकारियों जिनका उल्लेख सारणी के स्तम्भ-2 में किया गया है, को अपर निरीक्षक नियुक्त किया गया है जो अपनी स्थानीय प्रशासनिक सीमाओं के अन्तर्गत, जैसा कि सारणी के स्तम्भ-3 में उल्लेख है, कारखाना अधिनियम के निम्नलिखित कतिपय प्राविधानों के प्रयोजन हेतु अधिकृत है :

प्रयोजन :--

809--स्वास्थ्य (अध्याय 3) खतरनाक मशीनों पर अल्पवय व्यक्तियों का नियोजन (धारा 23), रूई धुनकियों के पास स्त्रियों एवं बच्चें के नियोजन पर प्रतिषेघ (धारा 27), खतरनाक धूम्र के खिलाफ पूर्वावधानियां (धारा 36), विस्फोटक या ज्वलनशील धूल, गैस आदि (धारा 38), कल्याण (अध्याय 5) धारा 62 के परन्तुक के अधीन छूट देने की शक्ति को छोड़कर वयस्कों के काम के घण्टे (अध्याय 6) अल्पवय व्यक्तियों का नियोजन (अध्याय 7), मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी (अध्याय 8) तथा सूचनाओं का सम्प्रदर्शन (धारा 108)।

सारणी

क्रमांक	लोक अधिकारी	स्थानीय सीमायें
1	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
2	समस्त अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
3	समस्त उप तथा सहायक श्रमायुक्त, उ0 प्र0	अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर
4	उत्तर प्रदेश के जिलों में तैनात समस्त कार्यपालिका मजिस्ट्रेट	सम्पूर्ण जिला, जहां वे तैनात हैं
5	स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उ0 प्र0	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
6	समस्त अपर स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उ0 प्र0	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
7	संयुक्त निदेशक, राजकीय स्वास्थ्य संस्था	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
8	संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा (इनवायरमेण्टल एण्ड आकूपेशनल हेल्थ), उत्तर प्रदेश	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
9	संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा (राज्य कर्मचारी बीमा), उत्तर प्रदेश	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

क्रमांक	लोक अधिकारी	स्थानीय सीमायें
10	चिकित्साधिकारी, औद्योगिक विकास	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
11	सहायक निदेशक, राजकीय स्वास्थ्य संस्था, लखनऊ	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
12	लेक्चरर, राजकीय स्वास्थ्य संस्था, लखनऊ	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
13	सहायक अनुसंधान अधिकारी, इण्डस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल एण्ड वाटर पोल्यूशन रिसर्च यूनिट	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
14	डिवीजनों के संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा उत्तर प्रदेश	अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर
15	जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारी	अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर
16	जिलों के उप मुख्य चिकित्साधिकारी, स्वास्थ्य तथा अपर और सहायक चिकित्साधिकरी स्वास्थ्य	अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर
17	नगर पालिका चिकित्साधिकारी आफ हेल्थ	अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर
18	नगर पालिका अपर चिकित्साधिकारी आफ हेल्थ	अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर
19	समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी तथा ज्येष्ठ श्रम अधिकारी, नियोजन तथा सांख्यिकी, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश	अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर
20	उप मुख्य निरीक्षक, दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

(2) उक्त लोक सेवकों जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उक्त संदर्भित अधिसूचना के अनुसार अपर निरीक्षक नियुक्त किया गया है, को उनके सम्मुख निर्धारित प्रशासनिक सीमाओं के अन्दर स्थापित कारखानों में प्रवेश करने एवं परिसर की जांच एवं परीक्षण करने के लिए अधिकार प्रदत्त हैं ताकि कारखाना अधिनियम व तत्सम्बन्धी नियमावलियों के जिन प्राविधानों का कारखानों के द्वारा पालन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है, उनका पालन कारखानों में देखकर स्वयं को संतुष्ट कर सके।

(3) कारखाना अधिनियम की धारा 9 व उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली के नियम 15 में निरीक्षक की शक्तियों का उल्लेख है। इस बात को ध्यान में रखा जाय कि नियम 15 के परन्तुक द्वारा जिलाधिकारियों और ऐसे लोक सेवकों जिन्हें अतिरिक्त निरीक्षक नियुक्त किया गया है की शक्तियां इस सीमा तक सीमित रहेंगी, जैसा कि नियम 15 के परन्तुक के उपरान्त विशेष रूप से उल्लिखित है और अतिरिक्त निरीक्षक की नियुक्ति सम्बन्धी अधिसूचना में भी इनका उल्लेख है।

प्रमाणकर्ता सर्जन :

810--कारखाना अधिनियम की धारा 10 में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार अर्ह चिकित्सकों को ऐसी स्थानीय सीमाओं में या ऐसे कारखाने या ऐसे वर्ग या प्रकार के कारखानों के लिये जैसे वह उन्हें क्रमश: सौंपे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये प्रमाणकर्ता सर्जन नियुक्त कर सकेगी।

प्रमाणकर्ता सर्जन के कर्तव्य धारा 10 की उपधारा 4 व सहपठित उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली के नियम 16 में विनिर्दिष्ट है। अर्ह चिकित्सकों को प्रमाणकर्ता सर्जन नियुक्त किये जाने हेतु समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचनायें जारी की गई हैं। अर्ह चिकित्सकों से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास भारतीय चिकित्सा उपाधि अधिनियम, 1916 (1916 का 7) की अनुसूची में या भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1933 (1933 का 27) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अर्हता हो।

अभियोग :

811--कारखाना अधिनियम व तत्सम्बन्धी नियमावलियों के प्राविधानों के उल्लंघन हेतु अधिष्ठाता/प्रबन्धक के पालन के प्रति उदासीन पाये जाने की स्थिति में अधिनियम की धारा 92, 94, 95 व 96-ए के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में अभियोग दायर किये जाते हैं। कारखाना अधिनियम की धारा 105 में यह व्यवस्था है कि न्यायालय द्वारा अधिनियम व नियमावली के किसी उल्लंघन हेतु दायर अभियोग पत्र पर तभी संज्ञान लिया जायेगा जबकि यह अभियोग पत्र निरीक्षक द्वारा स्वयं दायर किया गया हो या निरीक्षक की लिखित स्वीकृति से दायर किया गया हो।

कारखाना अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 6 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 5754/एलएमवी/18-284 (एलएम)-49, दिनांक 23-11-1949 जारी कर यह घोषित किया जा चुका है कि कारखाना अधिनियम की धारा 105 की उपधारा (1) के अन्तर्गत संदर्भित निरीक्षक का तात्पर्य :--

(क) मुख्य निरीक्षक (निदेशक कारखाना, उ0 प्र0) या निरीक्षक (सहायक निदेशक कारखाना, उ0 प्र0) से है।

(ख) अधिनियम व नियमावली के अन्तर्गत नोाटिस के सम्प्रेषण हेतु निरीक्षक का तात्पर्य भी मुख्य कारखाना निरीक्षक या किसी ऐसे अधिकारी, जो मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा इस निमित्त नामित किया गया हो, से है।

माननीय उच्च न्यायालय में दायर वादों को छोड़कर प्रदेश में स्थित अन्य न्यायालयों में कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत दायर सभी वादों हेतु मुख्य कारखाना निरीक्षक (निदेशक कारखाना, उ0 प्र0) का कारखाना निरीक्षक (सहायक निदेशक कारखाना, उ0 प्र0) को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 492 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर लोक अभियोजन नियुक्त किया गया है।

दुर्घटनायें :

812--कारखाना अधिनियम की धारा 88 एवं उ0 प्र0 कारखाना नियमावली के नियम 110 के अनुसार जहां किसी कारखाना में कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो जाये जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या कोई ऐसी शारीरिक क्षति होती है जिसके कारण क्षत व्यक्ति उस दुर्घटना के ठीक बाद के अड़तालीस घण्टों या अधिक की कालावधि के लिए काम करने से निर्धारित हो जाता है या जो ऐसे स्वरूप की है जैसा नियम 110 में विनिर्दिष्ट है, कारखाने का प्रबन्धक ऐसी दुर्घटना की सूचना निदेशक कारखाना (मुख्य निरीक्षक), सहायक निदेशक कारखाना (कारखाना निरीक्षक) व जिलाधिकारी/एसडीएम निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को तथा चोटग्रस्त या मृत व्यक्ति के सम्बन्धियों को तत्काल उपलब्ध

करायेगा। उक्त प्राधिकारियों को दुर्घटना घटित होने के 12 घण्टे के अन्दर निर्धारित फार्म 18 पर सूचना प्रेषित करेगा। जहां दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मुत्यु नहीं हुई है या शारीरिक क्षति भी नहीं हुई है, की सूचना कारखाने के प्रबन्धक द्वारा उक्त प्राधिकारियों को घटना के 12 घण्टे के अन्दर निर्धारित फार्म 18 ए पर प्रेषित की जायेगी।

जहां प्रबन्धक द्वारा दी गयी सूचना में दुर्घटनाग्रस्त किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वहां प्राधिकारी द्वारा एक मास के अन्दर दुर्घटना की जांच की जायेगी। यदि कोई प्राधिकारी निरीक्षक नहीं है तो वह उक्त अवधि के अन्दर जांच करायेगा।

दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली के नियम 110, 112 का सन्दर्भ ग्रहण किया जाये ।

कल्याण अधिकारी :

813--कारखाना अधिनियम की धारा 49 में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक कारखाने में जिसमें पांच सौ या उससे अधिक कर्मकार साधारणतया नियोजित किये जाये, अधिष्ठाता, कारखाने में उतने कल्याण अधिकारी नियोजित करेगा। जितने विहित किये जायें। राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकारियों के कर्तव्य, अर्हता और सेवा की शर्तें भी विहित करने का प्राविधान है, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 1916 एल/36-बी-100(एल)-50, दिनांक 20-4-1955 जारी कर नियमावली प्रख्यापित की गयी है। इस नियमवाली में अद्यतन संशोधन अधिसूचना संख्या 226/36-3-200(16) (डब्लू ओ)-82, दिनांक 27 फरवरी, 1990 द्वारा किया गया है।

सुरक्षा अधिकारी :

814--(1) कारखाना अधिनियम की धारा 40 बी में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक कारखाने में,

(अ) जिसमें एक हजार या उससे अधिक कर्मकार साधारणतया नियोजित है, या

(ब) जिसमें राज्य सरकार की राय में कोई विनिर्माण प्रक्रिया या संक्रिया की जाती है जो ऐसी है, जिसमें कारखानें में नियोजित व्यक्तियों को शारीरिक क्षति, विष या बीमारी की जोखिम या स्वास्थ्य के लिये कोई अन्य खतरा है।

अधिष्ठाता, यदि उससे शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ऐसी अपेक्षा करती है, उतनी संख्या में सुधार अधिकारियों को नियोजित करेगा जितनी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये।

(2) सुरक्षा अधिकारियों के कर्तव्य, अर्हतायें और सेवा शर्तें ऐसी होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये।

राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 1357/36-3-2044(एफ)-78, दिनांक 5-9-84 जारी कर सुरक्षा अधिकारियों की अर्हतायें, कर्तव्यों एवं सेवा शर्तों के सम्बन्ध में नियमावली प्रख्यापित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अधिसूचना संख्या 1158/36-3-2001(एफ)-84, दिनांक 24-4-1989 जारी कर यह भी विनिर्दिष्ट कर दिया गया है कि कारखाने में नियोजन के आधार पर कितने सुरक्षा अधिकारी एक समय में नियोजित किये जायेंगे।

परिसंकटमय प्रकृति के कारखानों के सम्बन्ध में

815--कारखाना अधिनियम की धारा 2 (सीबी) में परिसंकटमय प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है और इसके अनुसार परिसंकटमय प्रक्रिया का अभिप्राय कारखाना अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे उद्योग कोई ऐसी प्रक्रिया या क्रियाकलाप से है जहां जब तक विशेष सावधानी नहीं बरती जाती उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री या उसके मध्यवर्ती या परिसाधित उत्पाद, उपोत्पाद उसके अपशिष्ट या बहि:स्राव :

(1) से उस उद्योग में लगे हुये या उससे सम्बन्धित व्यक्तियों के स्वास्थ्य का तात्विक ह्रास होगा, या

(2) के परिणामस्वरूप साधारण पर्यावरण का प्रदूषण सम्भावित है।

इस सम्बन्ध में अधिनियम की अनुसूची 1 में ऐसे उद्योगों की सूची, जिनमें परिसंकटमय प्रक्रियायें अन्तर्वलित है, को विनिर्दिष्ट किया गया है।

परिसंकटमय कारखानों के सम्बन्ध में वर्ष 1987 में एक अध्याय 4 ए कारखाना अधिनियम में किये गये संशोधनों के फलस्वरूप जोड़ा गया है, जिसके अनुसार परिसंकटमय कारखानों के सम्बन्ध में स्थल मूल्यांकन समिति का गठन परिसंकटमय प्रक्रिया वाले कारखानों के क्रियाकलापों के दृष्टिगत आन-साइट इमरजेन्सी प्लान की संरचना अधिष्ठाता द्वारा जानकारी का अनिवार्य प्रकटीकरण, अधिष्ठाता के परिसंकटमय प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व, रसायनों एवं विषैले पदार्थों की कार्य पर्यावरण में अधिकतम अनुज्ञेय सांद्रता सीमायें सुरक्षा प्रबन्ध में कर्मकारों की भागीदारी कार्मकारों को आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी देने का अधिकार प्राविधानित है। राज्य सरकार द्वारा परिसंकटमय प्रक्रिया वाले कारखानों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश कारखाना (वृहद औद्योगिक दुर्घटना के परिसंकट का नियंत्रण) नियमावली, 1996 अधिसूचना संख्या 195/36-3-41 (एफ)-88, दिनांक 31-8-1996 प्रख्यापित की जा चुकी है, जिसमें परिसंकटमय रसायनों के सुरक्षित भण्डारण, प्रयोग एवं हथलन प्रबन्ध हेतु सुरक्षा सम्बन्धी प्राविधान निश्चित किये गये हैं।

निदेशालय द्वारा कारखानों में रसायनिक पदार्थों के हथलन प्रयोग एवं भण्डारण से सम्बन्धित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित मैन्यूफैक्चरर, स्टोरेज एण्ड इम्पोर्ट आफ केमिकल हैजाड्स रूल्स, 1989 व केमिकल एक्सीडेण्ट (आपात योजना, तैयारी एवं अनुक्रिया) रूल्स, 1996 के प्राविधानों का भी पालन कारखानों में कराया जाता है। इसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा आदेश संख्या 3-15/91-एचएसएमडी, दिनांक 27 सितम्बर, 1996 द्वारा केन्द्रीय संकट स्थिति समूह की संरचना की जा चुकी है, जिसके सदस्य सचिव, संयुक्त सचिव, पर्यावरण विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 5721/55-97-163पर्या/96, दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 द्वारा राज्य संकट स्थिति समूह की संरचना की जा चुकी है, जिसके सदस्य सचिव, प्रमुख सचिव, श्रम विभाग हैं तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 5744/55-97-16 पर्या/96, दिनांक 22 दिसम्बर, 1997 एवं 5745/55-97-163पर्या/96, दिनांक 22 दिसम्बर, 1997 द्वारा क्रमश: जिला संकट स्थित समूह एवं स्थानीय संकट स्थित समूह की संरचना की जा चुकी है, जिसके सदस्य सचिव सम्बन्धित सहायक निदेशक कारखाना है।

ब्वयालर निदेशालय :

816--प्रदेश में भारतीय ब्वायलर अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 5, वर्ष 1923) एवं उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई विभिन्न नियमावलियों एवं विनियमों का संचालन सुनिश्चित करता है।

निदेशालय का मुख्य उद्देश्य ब्वालर्स, इक्नोमाइजर्स, सुपरहीटर, स्टीम पाइप्स व अन्य सम्बन्धित संयत्रों के संचालन में सुरक्षा सुनिश्चित कराना है। अत: ब्वालरों एवं इक्नोमाइजर्स का पंजीयन एवं निरीक्षण गहन रूप से इस दृष्टिकोण से किया जाता है कि वाष्प उत्पादक संयंत्र एवं सम्बन्धित अन्य संयंत्रों में पूर्ण सुरक्षा बनी रहे।

इसे दृष्टिकोण से भारतीय ब्वायलर अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 5, वर्ष 1923) की धारा 28 के अन्तर्गत इण्डियन ब्वायलर्स रेगुलेशन, 1950 बनाया गया है जिसमें ब्वायलर्स के निर्माण में प्रयोग होने वाले समस्त मैटीरियल, डिजाइन एवं निर्माण प्रक्रिया तथा निरीक्षण एवं पंजीयन से सम्बन्धित मानक निर्दिष्ट किये गये हैं, जो कि पूर्ण रूप से तकनीकी हैं।

भारतीय ब्वायलर अधिनियम, 1923 की धारा 29 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निम्न नियमावलियां बनाई गई है :

(1)--उत्तर प्रदेश ब्वायलर नियमावली, 1969,

(2)--उत्तर प्रदेश इकोनोमाइजर नियमावली, 1959,

(3)--उत्तर प्रदेश ब्वायलर आपरेशन इंजीनियर्स नियमावली, 1964,

(4)--उत्तर प्रदेश ब्वायलर अटेण्डेण्ट नियमावली, 1956।

ब्वायलर निदेशालय द्वारा निर्माण किये जाने वाले ब्वालर्स के मैटीरियल व डिजाइन की जांच की जाती है एवं निर्माण प्रक्रिया के दौरान निर्धारित मानकों के अनुसार विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण किया जाता है साथ ही साथ वेल्डिंग के कार्य हेतु वेल्डर्स का नियमानुसार परीक्षण कर प्रमाणीकरण किया जाता है।

ब्वायलर निदेशालय द्वारा ब्वायलर आपरेशन इंजीनियर्स परीक्षा तथा ब्वायलर अटेण्डेट परीक्षाओं का सम्बन्धित नियमावलियों के अन्तर्गत संचालन कर इंजीनियर्स/कर्मचारियों का प्रमाणीकरण किया जाता है। नियमानुसार इसे प्रमाणीकृत व्यक्ति ही ब्वायलर्स के संचालन के लिये अधिकृत है।

ब--बागान श्रम

बागान श्रम अधिनियम :

817--बागान श्रम अधिनियम, 1951 संसद द्वारा बागान श्रमिकों की कार्य-दशाओं को विनियमित करने तथा उनके कल्याण के लिये बनाया गया था। इस अधिनियम में नियोजन द्वारा बागानों में स्वास्थ्य तथा स्वच्छता की दशायें दुरुस्त रखने, पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने तथा पर्याप्त संख्या में शौचालय तथा मूत्रालय निर्माण कराने हेतु आवश्यक बताया गया है। अधिनियम में साधारणतया 150 कर्मचारी नियोजित होने वाले प्रतिष्ठानों में कैण्टीन की व्यवस्था तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने का प्राविधान है। जहां पर 50 या इससे अधिक महिलायें नियोजित है वहां पर उनके बच्चों के लिये पालना-गृह बनाने का प्राविधान किया गया है। बागान श्रम अधिनियम 5 हेक्टेयर या इससे अधिक माप की उस भूमि पर लागू होगा जो चाय, काफी रबर या सिनकोना उगाने के लिए है या उन्हें उगाने के उद्देश्य से है। अन्य दूसरे पौधे लगाने के उद्देश्य से रखी गई भूमि जिस राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त कर लेने के पश्चात इस उद्देश्य से रखा हो उस पर भी यह अधिनियम लागू होता है। यह अधिनियम केवल उन्हीं बागानों पर लागू होगा जहां 15 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हो या गत 12 मास में किसी दिन नियोजित रहे हो।

इस अधिनियम के प्राविधान कुछ मामलों में कारखाना अधिनियम, 1948 के समान ही है तथा उक्त के अतिरिक्त आवश्यक कुछ प्राविधान इस प्रकार हैं :

(अ) नियोजक द्वारा नियोजित कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए मनोरंजन की सुविधा;

(ब) श्रमिकों के बच्चों के लिए जिनकी उम्र 6 से 12 वर्ष तक हो व उनकी संख्या 25 से अधिक होने पर शिक्षा की सुविधा;

(स) प्रत्येक नियोजन द्वारा बागान में रहने वाले कर्मचारियों एवं उनके परिवार के लिये आवासीय सुविधा प्रदान करना एवं उसका रख-रखाव।

अधिनियम में मुख्य निरीक्षक और निरीक्षकों की नियुक्ति उसमें निर्धारित अधिकार तथा कार्यों के साथ प्रमाणित शल्यक की नियुक्ति का प्राविधान है जो कारखाना अधिनियम की तरह होगा। उनके कर्तव्य अधिनियम की धारा 7 (2) में निर्दिष्ट है।

धारा 10 भी ध्यानाकर्षण योग्य है जिसमें श्रमिकों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा उन्हें बनाये रखने का प्राविधान है। यदि बागानों में इस प्रकार की स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवायें नहीं उपलब्ध कराई गयी तो मुख्य निरीक्षक ऐसी सुविधाओं को दिये जाने तथा बनाये रखने की व्यवस्था करेगा और उसकी कीमत दोषी सेवायोजकों से वसूल करेगा। वसूली के लिए मुख्य निरीक्षक सम्बन्धित कलेक्टर को वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित कर सकता है जिसे कलेक्टर भू-राजस्व की भांति वसूल करेगा।

स--दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान :

818--(1) उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1947 को एक नये विधान के द्वारा पुनस्थापित कर उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान, 1962 से प्रभावी हुआ तथा दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों में कार्य तथा नियोजन की दशाओं को संचालित करता है।

(2) दुकानों तथा वाणिज्य अधिष्ठानों का पंजीकरण :

किसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के मालिक को अधिनियम की धारा 4 (बी) के अन्तर्गत अपनी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के पंजीकरण हेतु मुख्य निरीक्षक के पास अपना आवेदन पत्र देना आवश्यक है। पंजीकरण प्रमाण पत्र वित्तीय पांच वर्षों के लिए नवीनीकरण कराना आवश्यक है जिसे दस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(3) व्यवसाय के घण्टे :

छूट प्राप्त को छोड़कर समस्त नियोजकों को आवश्यक है कि वे अपनी दुकान या वाणिज्यक अधिष्ठान, अधिनियम की धारा 5 एवं उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली, 1963 के नियम 3 के अधीन निर्धारित घण्टों के पूर्व या बाद में दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान को न खोलें, न बन्द करें।

(4) बन्दी का दिन :

छूट प्राप्त को छोड़कर अन्य सभी नियोजकों को अपनी दुकानों या वाणिज्यिक अधिष्ठानों को धारा 8 (1) के अन्तर्गत प्रत्येक सप्ताह में एक दिन बन्द करना आवश्यक है जिसे बंदी का दिन कहा जायेगा। उक्त धारा की उप धारा (2) एवं उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली, 1963 के नियम 6 के अन्तर्गत नियोजक द्वारा बन्दी का दिन पसन्द के अनुसार जिलाधिकारी से स्वीकृत कराना

आवश्यक है ऐसी स्वीकृति प्रदान किये जाने के लिए जनहित को ध्यान में रखा जायेगा और यह प्रयास किया जायेगा कि किसी क्षेत्र-विशेष के लिए एक ही बन्दी का दिन निर्धारित किया जाय नियोजक के लिए बन्दी का दिन जनहित के अलावा अन्य आधार पर रखने के लिए हतोत्साहित किया जायेगा। धारा 8 (3) के अन्तर्गत भी ध्यान आकर्षित करते हुए निर्धारित बन्दी के दिन में प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी के अतिरिक्त नहीं बदला जायेगा लेकिन सक्षम अधिकारी नियम 6 के अन्तर्गत नियोजकों के समूह की लिखित प्रार्थना पर किसी स्थान में किसी समय 6 माह बाद जब से बन्दी का दिन पूर्व में निर्धारित किया गया है बन्दी का दिन बदल सकता है जो उसके द्वारा निर्धारित दिनांक से प्रभावी होगा।

(5) राज्य सरकार ने अधिनियम के प्राविधानों के परिपालन हेतु सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिये एक मुख्य निरीक्षक और एक उप मुख्य निरीक्षक तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिये अनेक निरीक्षक नियुक्त किये हैं।

वैकुअमपैन, शुगर फैक्ट्रीज के निरीक्षक, उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत भी निरीक्षक घोषित है। उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1947 के प्रतिस्थापन के पश्चात उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान 1962 के भाग (ग) के अन्तर्गत प्रदेश की सभी वैकुअमपैन शुगर फैक्ट्रीज के उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जिन पर कारखाना अधिनियम, 1948 के प्राविधान लागू नहीं है। श्रम निरीक्षक जिन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षक घोषित किया गया है वह अपने क्षेत्र के अन्तर्गत वैकुअमपैन शुगर फैक्ट्रीज के प्राविधान भी लागू करायेंगे।

उत्तर प्रदेश दुकान वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1963 :

819--उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनी नियमावली एक पृथक लघु पुस्तिका में प्रकाशित की गई है और उसे अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त किया जा सकता है। अधिनियम के अन्तर्गत छूट के लिये समय-समय पर जारी अधिसूचनायें अलग से देखी जा सकती है।

वेतन तथा क्षतिपूर्ति :

820--वेतन भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत कारखानों तथा रेलवे में नियोजित व्यक्तियों को वेतन का नियमित भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु केन्द्र द्वारा वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 बनाया गया है। अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नियुक्त निरीक्षक वेतन भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत भी अपने क्षेत्रान्तर्गत कारखानों के सम्बन्ध में निरीक्षक होगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 की उप धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 5936(एचआई)/36-2-122(एसएस)/84, दिनांक 22-12-1989 द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को प्रवर्तन के लिए अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षक नियुक्त किया है जिनके कार्य क्षेत्र उनके नाम के सम्मुख अंकित है :

क्रमांक	अधिकारी	स्थानीय सीमा
1	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
2	श्रम आयुक्त के कार्यालय में तैनात समस्त अपर श्रम आयुक्त	तदेव
3	श्रम आयुक्त के कार्यालय में तैनात समस्त अपर श्रम आयुक्त	तदेव
4	उप मुख्य निरीक्षक, दुकान, उत्तर प्रदेश	तदेव

क्रमांक	अधिकारी	स्थानीय सीमा
5	ऐसा अधिकारी जो इस समय सुसंगत सेवा नियमावली (उ0 प्र0 ब्वायलर और कारखाना निरीक्षण सेवा नियमावली, 1980) में मुख्य कारखाना निरीक्षक के रूप में अभिहित पद धारण किये हैं जिसे श्रम अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 4192/36-4-427/79, दिनांक 14 मई, 1984 में निदेशक, कारखाना उत्तर प्रदेश के रूप में पुन: अभिहित किया गया है।	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
6	निदेशक कारखाना, उत्तर प्रदेश, कानपुर के कार्यालय में तैनात ऐसे समस्त अधिकारी जो इस समय सुसंगत सेवा नियमावली (उ0 प्र0 ब्वायलर और कारखाना निरीक्षक सेवा नियमावली, 1980) के उप मुख्य कारखाना निरीक्षक (प्रशासन) उप मुख्य कारखाना निरीक्षक (रसायन) उप मुख्य कारखाना निरीक्षक (अभियंत्रण) और कारखाना निरीक्षक (मेडिकल) के रूप में अभिहित पद धारण किये हैं जिसे शासनादेश संख्या 4192/36-चार-427/79, दिनांक 14 मई, 1984 में क्रमश: उप निदेशक, कारखाना (प्रशासन) उप निदेशक कारखाना (रसायन) उप निदेशक, कारखाना (अभियंत्रण) और उप निदेशक, कारखाना (मेडिकल) के रूप में पुन: अभिहित किया गया है।	तदेव
7	सम्भागों में तैनात ऐसे समस्त अधिकारी जो इस समय सुसंगत सेवा नियमावली (उत्तर प्रदेश ब्वायलर और कारखाना निरीक्षक सेवा नियमावली, 1980) में उप मुख्य निरीक्षक (प्रशासन), उप मुख्य निरीक्षक (रसायन), उप मुख्य निरीक्षक (अभियंत्रण) और कारखाना निरीक्षक (मेडिकल) का पद धारण किये हैं जिसे शासनादेश संख्या 4192/36-चार-427/79, दिनांक 14 मई, 1984 में क्रमश: उप निदेशक, कारखाना (प्रशासन), उप निदेशक कारखाना (रसायन), उप निदेशक, कारखाना (अभियंत्रण) और उप निदेशक, कारखाना (मेडिकल) के रूप में पुन: अभिहित किया गया है।	उनकी अधिकारिता स्थानीय सीमायें।
8	सम्भागों में नियुक्त ऐसे समस्त अधिकारी जो इस समय सुसंगत सेवा नियमावली (उत्तर प्रदेश ब्वायलर और कारखाना) निरीक्षक सेवा नियमावली, 1980 में कारखाना निरीक्षक का पद धारण किये हैं जिसे शासनादेश संख्या 192/36-चार-427/79, दिनांक 14 मई, 1984 में सहायक निदेशक, कारखाना के रूप में पुन: अभिहित किया गया है।	तदेव

क्रमांक	अधिकारी	स्थानीय सीमा
9	कानपुर सम्भाग में किसी भी स्थान पर तैनात समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी	कानपुर सम्भाग जिसमें कानपुर नगर/देहात, इटावा, उन्नाव और फरुर्खाबाद के जिले सम्मिलित हैं।
10	इलाहाबाद सम्भाग में किसी भी स्थान पर तैनात समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी	इलाहाबाद सम्भाग जिसमें इलाहाबाद, फतेहपुर और प्रतापगढ़ के जिले सम्मिलित हैं।
11	मेरठ सम्भाग में किसी भी स्थान पर तैनात समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी	मेरठ सम्भाग जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और हरिद्वार के जिले सम्मिलित हैं।
12	आगरा सम्भाग में किसी भी स्थान पर तैनात समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी	आगरा, सम्भाग जिसमें आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, मथुरा, और फिरोजाबाद के जिले सम्मिलित है।
13	गोरखपुर सम्भाग में किसी भी स्थान पर तैनात समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी	गोरखपुर, सम्भाग जिसमें गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर और मऊ जिले सम्मिलित हैं।
14	लखनऊ सम्भाग में किसी भी स्थान पर तैनात समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी	लखनऊ सम्भाग जिसमें लखनऊ , हरदोई, खीरी, रायबरेली, और सीतापुर के जिले सम्मिलित हैं।
15	फैजाबाद सम्भाग में किसी भी स्थान पर तैनात समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी	फैजाबाद सम्भाग जिसमें फैजाबाद, बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा और सुल्तानपुर के जिले सम्मिलित हैं।
16	बरेली सम्भाग में किसी भी स्थान पर तैनात समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी	बरेली सम्भाग जिसमें बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर के जिले सम्मिलित हैं।
17	मुरादाबाद सम्भाग में किसी भी स्थान पर तैनात समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी	मुरादाबाद सम्भाग जिसमें मुरादाबाद, रामपुर और बिजनौर के जिले सम्मिलित हैं।
18	वाराणसी सम्भाग में किसी भी स्थान पर तैनात समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी	वाराणसी सम्भाग जिसमें वाराणसी, जौनपुर, बलिया गाजीपुर के जिले सम्मिलित हैं।
19	गाजियाबाद सम्भाग में किसी भी स्थान पर तैनात समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी	गाजियाबाद सम्भाग जिसमें गाजियाबाद और बुलन्दशहर के जिले सम्मिलित हैं।
20	मिर्जापुर सम्भाग में किसी भी स्थान पर तैनात समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी	मिर्जापुर सम्भाग जिसमें मिर्जापुर और सोनभद्र के जिले सम्मिलित हैं।
21	झांसी सम्भाग में किसी भी स्थान पर तैनात समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी	झांसी सम्भाग जिसमें झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर और जालौन जिले सम्मिलित हैं।

दावों का निर्णय :

821--वेतन भुगतान अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) में राज्य सरकार द्वारा वेतन से कटौती या विलम्ब से भुगतान करने से सम्बन्धित उत्पन्न दावों के निर्णय हेतु अधिकारी नियुक्त करने का प्राविधान है। उसके अनुसार अधिसूचना संख्या 1050(एच0 आई0)/36-2-287(एच0एम0)/1990, दिनांक 4 मई, 1991 द्वारा प्रदेश के सभी कर्मकार प्रतिकर आयुक्तों को अपने-अपने क्षेत्र में सेवायोजित व्यक्तियों के वेतन से कटौतियां करने या विलम्ब से किये गये उनके भुगतान से उत्पन्न होने वाले दावों, जिनके अन्तर्गत ऐसे दावों से आनुषंगिक समस्त मामले आते हैं, की सुनवाई करने और निर्णय देने के लिए प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

इस प्रकार के दावों के निर्णय में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया उत्तर प्रदेश वेतन भुगतान (प्रक्रिया) नियमावली, 1958 में दी गयी है।

ब--न्यूनतम वेतन

न्यूनतम वेतन :

822--न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अनुसूची में उल्लिखित नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरों का निर्धारण व पुनरीक्षण किये जाने का प्राविधान है और राज्य सरकार अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके अनुसूची में किसी अन्य नियोजन को भी शामिल कर सकती है। अधिनियम की धारा 3 सपठित धारा 5 की उपधारा (2) में अनुसूचित नियोजनों और कृषि कार्यों में न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित करने का प्राविधान है। न्यूनतम वेतन की दरों का निर्धारण निम्नलिखित 65 अनुसूचित नियोजनों में उनके सम्मुख उल्लिखित अधिसूचनाओं द्वारा किया गया है।

823--न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजनों में वेतन पुनरीक्षण/निर्धारण :

क्रमांक	अधिसूचित नियोजन का नाम	शासकीय अधिसूचना संख्या
1	रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद (जिसके अन्तर्गत टायर और ट्यूब भी हैं) के उद्योग में नियोजन	3636/36-3-8 (एमडब्लू)/89, दिनांक 31-10-1996
2	प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग में नियोजन	3636/36-3-8 (एमडब्लू)/89, दिनांक 31-10-1996
3	मिष्ठान उद्योग	3636/36-3-8 (एमडब्लू)/89, दिनांक 31-10-1996
4	वासित पेयों (एरेटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण में नियोजन	3636/36-3-8 (एमडब्लू)/89, दिनांक 31-10-1996
5	फलों के रसों की विनिर्माणशाला में नियोजन	3636/36-3-8 (एमडब्लू)/89, दिनांक 31-10-1996
6	परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग में नियोजन	3636/36-3-8 (एमडब्लू)/89, दिनांक 31-10-1996
7	पेट्रोल और डीजल आयल पम्प में नियोजन	3636/36-3-8 (एमडब्लू)/89, दिनांक 31-10-1996
8	डेरी और मिल्क डेरी में नियोजन	3636/36-3-8 (एमडब्लू)/89, दिनांक 31-10-1996
9	सिले सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला में नियोजन	3636/36-3-8 (एमडब्लू)/89, दिनांक 31-10-1996

क्रमांक	अधिसूचित नियोजन का नाम	शासकीय अधिसूचना संख्या
10	बांध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं, कुओं और तालाबों की खुदाई में नियोजन	3636/36-3-8 (एमडब्लू)/89, दिनांक 31-10-1996
11	उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है	3636/36-3-8 (एमडब्लू)/89, दिनांक 31-10-1996
12	प्राइवेट क्लीनिक और चिकित्सा सामान की प्राइवेट दुकानों में नियोजन	3636/36-3-8 (एमडब्लू)/89, दिनांक 31-10-1996
13	फाउण्ड्री उद्योग में नियोजन	3636/36-3-8 (एमडब्लू)/89, दिनांक 31-10-1996
14	धातु उद्योग में नियोजन	3636/36-3-8 (एमडब्लू)/89, दिनांक 31-10-1996
15	टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिटिंग में नियोजन	3636/36-3-8 (एमडब्लू)/89, दिनांक 31-10-1996
16	ऐसे अभियंत्रण उद्योग में नियोजन जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों	3636/36-3-8 (एमडब्लू)/89, दिनांक 31-10-1996
17	तम्बाकू निर्माण में नियोजन	859/36-3-5 (एमडब्लू)/83, दिनांक 4-7-1994
18	चर्म रंगाई एवं चर्म अभिनिर्माणी उद्योग में नियोजन	1870/36-3-12 (एमडब्लू)/94, दिनांक 13-6-1996
19	चर्म वस्तु अभिनिर्माणी में नियोजन	1870/36-3-12 (एमडब्लू)/94, दिनांक 13-6-1996
20	धर्मशाला में नियोजन	3552/36-3-6 (एमडब्लू)/93, दिनांक 30-12-1994
21	होजरी उद्योग में नियोजन	1057/36-3-1 (एमडब्लू)/89, दिनांक 4-7-1994
22	कालीन बुनाई में नियोजन	874/36-3-4 (एमडब्लू)/93, दिनांक 4-9-1995
24	उत्तर प्रदेश में निजी पुस्तकालयों में नियोजन	2524/36-3-20(एमडब्लू)/92, दिनांक 24-11-1994
25	हथकरघा उद्योग में नियोजन	2987/36-3-65(एमडब्लू)/84, दिनांक 8-11-1995
26	पावरलूम में नियोजन	2987/36-3-65(एमडब्लू)/84, दिनांक 8-11-1995
27	काष्ठ नक्काशी में नियोजन	858/36-3-8 (एमडब्लू)/92, दिनांक 4-8-1994
28	साबुन या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक के विनिर्माण में नियोजन	1331/36-3-3 (एमडब्लू)/83, दिनांक 27-7-1990
29	उ0 प्र0 में ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठानों में नियोजन	1331/36-3-3 (एमडब्लू)/83, दिनांक 27-7-1990
30	उ0 प्र0 में खण्डसारी में नियोजन	1331/36-3-3 (एमडब्लू)/83, दिनांक 27-7-1990

क्रमांक	अधिसूचित नियोजन का नाम	शासकीय अधिसूचना संख्या
31	उ0 प्र0 चाय बागान में नियोजन	1932/36-3-4 (एमडब्लू)/85, दिनांक 19-7-1990
32	उ0 प्र0 हथकरघा उद्योग (सिल्क की साड़ियों की बुनाई) और जरी के कार्य में नियोजन	2593/36-3-1001 (एमडब्लू)/87, दिनांक 2-4-1990
33	उ0 प्र0 में ईंट भट्टा उद्योग में नियोजन	1334/36-3-1044 (एमडब्लू)/75, दिनांक 8-8-1990
34	उ0 प्र0 में प्राइवेट कोचिंग, कक्षाओं जिसमें नर्सरी स्कूल और प्राइवेट प्राविधिक संस्थायें भी सम्मिलित हैं, में नियोजन	4814/36-3-21 (एमडब्लू)/82, दिनांक 31-1-1991
35	उ0 प्र0 में कृषि कार्य में नियोजन	3622/36-3-51 (एमडब्लू)/85, दिनांक 31-1-1996
36	उ0 प्र0 में (फारेस्ट्री) वानिकी में नियोजन	875/36-3-3 (एमडब्लू)/93, दिनांक 22-5-1995
37	कांच की चूड़ी के उद्योग में नियोजन	2063/36-3-3 (एमडब्लू)/83, दिनांक 24-6-1996
38	उ0 प्र0 में सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं में सेवायोजन	3815/36-3-10 (एमडब्लू)/90, दिनांक 30-10-1991
39	उ0 प्र0 में पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने में सेवायोजन	3815/36-3-10 (एमडब्लू)/90, दिनांक 30-10-1991
40	उ0 प्र0 में चिकन के कार्य में नियोजन	3815/36-3-10 (एमडब्लू)/90, दिनांक 30-10-1991
41	उ0 प्र0 में दियासलाई उद्योग में नियोजन	3815/36-3-10 (एमडब्लू)/90, दिनांक 30-10-1991
42	उ0 प्र0 में आइस कैडी/आईसक्रीम विनिर्माणशालाओं में नियोजन	3815/36-3-10 (एमडब्लू)/90, दिनांक 30-10-1991
43	उ0 प्र0 में बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशालाओं में नियोजन	3815/36-3-10 (एमडब्लू)/90, दिनांक 30-10-1991
44	उ0 प्र0 में बर्फ विनिर्माणशालाओं में नियोजान	3815/36-3-10 (एमडब्लू)/90, दिनांक 30-10-1991
45	उ0 प्र0 में एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशालाओं में नियोजन	3815/36-3-10 (एमडब्लू)/90, दिनांक 30-10-1991
46	उ0 प्र0 लाण्ड्री या धुलाई अधिष्ठानों में नियोजन	3815/36-3-10(एमडब्लू)/90, दिनांक 30-10-1991
47	उ0 प्र0 में जिल्दसाजी में नियोजन	3815/36-3-10 (एमडब्लू)/90, दिनांक 30-10-1991
48	उ0 प्र0 में कोल्ड स्टोरेज में नियोजन	3815/36-3-10 (एमडब्लू)/90, दिनांक 30-10-1991
49	उ0 प्र0 में पाटरी सिरेमिक्स या रिफक्ट्रीज में नियोजन	3815/36-3-10 (एमडब्लू)/90, दिनांक 30-10-1991
50	उ0 प्र0 में तेल मिल में नियोजन	3596/36-3-2 (एमडब्लू)/85, दिनांक 30-11-1991

क्रमांक	अधिसूचित नियोजन का नाम	शासकीय अधिसूचना संख्या
51	किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन	3596/36-3-2 (एमडब्लू)/85, दिनांक 30.11-1991
52	उ0 प्र0 में क्लबों में नियोजन	3816/36-3-10 (एमडब्लू)/90, दिनांक 30.10-1991
53	उ0 प्र0 सिलाई उद्योग में नियोजन	3600/36-3-1077 (एमडब्लू)/77, दिनांक 19.11-1991
54	उ0 प्र0 में वाणिज्य अधिष्ठान में नियोजन	214/36-3-6 (एमडब्लू)/90, दिनांक 18.1-1992
55	उ0 प्र0 में दुकानों का नियोजन	214/36-3-6(एमडब्लू)/90, दिनांक 18-1-1992
56	उ0 प्र0 में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मेसियों में नियोजन	215/36-3-6(एमडब्लू)/90, दिनांक 20-1-1992
57	उ0 प्र0 में कपड़ा छपाई में नियोजन	3814/36-3-10(एमडब्लू)/90, दिनांक 30-10-1991
58	उ0 प्र0 में लोक मोटर परिवहन में नियोजन	3595/36-3-4(एमडब्लू)/90, दिनांक 28-11-1991
59	उ0 प्र0 यांत्रिक परिवहन कार्यशाला में नियोजन	3595/36-3-4(एमडब्लू)/90, दिनांक 28-11-1991
60	उ0 प्र0 में आटोमोबाइल्स रिपेयर्स कार्यशाला में नियोजन	3595/36-3-4(एमडब्लू)/90, दिनांक 28-11-1991
61	सिनेमा उद्योग में नियोजन	216/36-3-6(एमडब्लू)/90, दिनांक 20-1-1992
62	उ0 प्र0 में निजी मुद्रणालयों में नियोजन	4482/36-3-1019(एमडब्लू)/80, दिनांक 31-1-1992
63	उ0 प्र0 में छोटे मिनियेचर बल्ब एवं कांच उत्पादों के निर्माण (चश्में के शीशे और कांच की चूड़ी बनाने के उद्योग को छोड़कर) में नियोजन	4472/36-3-313(एमडब्लू)/91, दिनांक 4-2-1992

नोट :--

1--निम्नलिखित अनुसूचित नियोजनों में औद्योगिक विकास अधिनियम, 1947 की धारा 3 (बी) के अन्तर्गत वेतन का निर्धारण किया जाता है।

(1) दफ्ती स्ट्रबोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड में नियोजन।

(2) होटल और अल्पाहार गृहों में नियोजन।

(3) बीड़ी बनाने के उद्योग में नियोजन।

2--निम्नलिखित अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम वेतन का निर्धारण नहीं किया जाता है।

(1) किसी स्थानीय निकाय के अधीन नियोजन।

(इस नियोजन में शासन द्वारा वेतन आयोग की अनुशंसा पर वेतन दरें निर्धारित की जाती है।)

(2) लाख अभिनिर्माणी में नियोजन।

(इस नियोजन में एक हजार से कम मजदूर नियोजित होने के कारण न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं किया जाता है।)

(3) किसी अभ्रक कर्मान्तों में नियोजन।

(प्रदेश में कोई भी प्रतिष्ठान होने के कारण न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं किया जाता है।)

824--अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत निरीक्षकों की नियुक्ति का प्राविधान है, जबकि धारा-20 अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों से कम भुगतान के फलस्वरूप उत्पन्न दावों को सुनने व उन्हें निर्णीत करने हेतु प्राधिकारी नियुक्त किये जाने की व्यवस्था है। इस धारा के किसी पदाधिकारी को, जो किसी प्रदेश के श्रम आयुक्त के रूप में कृत्यों का प्रयोग करता है या राज्य सरकार के किसी ऐसे पदाधिकारी को, जो श्रम आयुक्त से अनिम्न नहीं है या किसी ऐसे अन्य पदाधिकारी को, जिसे कि व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश की हैसियत में या वैतनिक मजिस्ट्रेट की हैसियत से काम करने का अनुभव प्राप्त है, दावों को सुनने और विनिश्चित करने के लिए प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

ऐसे मामलों में प्रक्रिया का निर्धारण उक्त धारा में किया गया है और अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत बनायी गयी उत्तर प्रदेश न्यूनतम वेतन नियमावली, 1952 के नियम 28 से 32 तक में भी दिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 15, 16, 17-ए, 18 व 20 के प्राविधान भी अधिसूचना संख्या 4293/36-3-1029 (एमडब्लू)/77, दिनांक 31-3-1978 द्वारा अनुसूचित नियोजनों के कर्मचारियों को देय वेतन से कटौती व विलम्ब से भुगतान संबंधी मामलों में उत्पन्न विवादों के संबंध में भी लागू होंगे।

न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षक :

825--अधिसूचना संख्या-2473/36-3-6(एमडब्लू)/89, दिनांक 12-2-1990 द्वारा श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्त अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र में न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षक नियुक्त किया गया है।

समस्त तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार भी अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा में अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-3204(पांच)/36-5-1030(एमडब्लू)/75, दिनांक 17-11-1975 तथा संख्या 4910(पांच)/36-3-1030(एमडब्लू)/, दिनांक 29-11-1977 द्वारा निरीक्षक नियुक्त है।

जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक के निर्धारण हेतु श्रमायुक्त को अधिकार :

826--राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2 (सी) के क्रम में अधिसूचना संख्या 3850 (एनएन)/8-1050(एलएल)/48, दिनांक 10 नवम्बर, 1949 द्वारा श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश को अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए लागू होने वाले जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक के निर्धारण हेतु 'सक्षम प्राधिकारी' नियुक्त किया है।

न्यूनतम वेतन हेतु सलाहकार बोर्ड :

827--वेतन की न्यूनतम दरें निर्धारित करने तथा पुनरीक्षित करने के मामलों में राज्य सरकार को सलाह देने हेतु अधिसूचना संख्या 3677/36-3-98-32(एचटी)/91, दिनांक 20-12-1998 द्वारा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। अन्तिम बार बोर्ड का पुनर्गठन अधिसूचना संख्या 3913/36-3-2002-03न्यूवे/2001, दिनांक 20-6-2003 को किया गया है।

कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 :

828--नियोजन के समय अथवा अवधि में दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति हेतु सरकार ने कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 बनाया है। दावों के निस्तारण हेतु अधिनियम की शर्तें, जिन्हें सरकार द्वारा नियुक्त आयुक्त द्वारा पालन किया जाना है, अध्याय तीन में विनिर्दिष्ट की गयी है तथा पूर्ण निर्देश कर्मकार क्षतिपूर्ति नियमावली, 1924 में भाग-पांच में दिये गये हैं। राज्य सरकार ने उसी समय से अधिसूचना संख्या 242(पांच)/36-5-400(1)(पांच)/72, दिनांक 28 अप्रैल, 1975 द्वारा उत्तर प्रदेश कर्मकार क्षतिपूर्ति नियमावली, 1975 लागू कर दी है।

अधिनियम के अन्तर्गत आयुक्त :

829--अधिसूचना संख्या-4130/36-3-3(डब्लू)/90, दिनांक 4-7-1991 द्वारा जिला मजिस्ट्रेटों को उक्त अधिनियम के अधीन आयुक्तों के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अपनी-अपनी अधिकारिता के जिलों के लिए कर्मकार प्रतिकर के लिए आयुक्त नियुक्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त अधिसूचना संख्या-3215/36-3-7(डब्लूसी)/89, दिनांक 15-12-1989 द्वारा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 20 की उप धारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 1120/36-3-2(वि)/77, दिनांक 01 मार्च, 1985 का अतिक्रमण करके शासन ने आगे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को आयुक्त नियुक्त किया है, जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट अधिकारिकता की स्थानीय सीमा के भीतर अधिनियम के अधीन सभी मामलों में अधिनियम द्वारा आयुक्त पर आरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे--

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी	स्थानीय सीमा
1	श्रम आयुक्त कार्यालय, कानपुर में नियुक्त समस्त अपर श्रमायुक्त	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
2	श्रम आयुक्त कार्यालय, कानपुर में नियुक्त समस्त उप श्रमायुक्त	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
3	उप मुख्य निरीक्षक, दुकान, उत्तर प्रदेश कानपुर	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4	श्रम आयुक्त कार्यालय, कानपुर में नियुक्त समस्त सहायक श्रमायुक्त	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
5	अपर श्रमायुक्त, कानपुर सम्भाग, कानपुर	कानपुर सम्भाग जिसमें कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद और उन्नाव के जिले सम्मिलित हैं।
6	कानपुर सम्भाग में किसी भी स्थान पर नियुक्त समस्त सहायक श्रमायुक्त	कानपुर सम्भाग जिसमें कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद और उन्नाव के जिले सम्मिलित हैं।
7	अपर श्रम आयुक्त, वाराणसी सम्भाग, वाराणसी	वाराणसी सम्भाग, जिसमें वाराणसी, गाजीपुर, बलिया और जौनपुर के जिले सम्मिलित हैं।
8	वाराणसी सम्भाग में किसी भी स्थान पर नियुक्त समस्त सहायक श्रम आयुक्त	वाराणसी सम्भाग, जिसमें वाराणसी, गाजीपुर, बलिया और जौनपुर के जिले सम्मिलित हैं।
9	अपर श्रम आयुक्त, गाजियाबाद सम्भाग	गाजियाबाद सम्भाग, गाजियाबाद और बुलन्दशहर के जिले सम्मिलित हैं।

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी	स्थानीय सीमा
10	गाजियाबाद सम्भाग में किसी भी स्थान पर नियुक्त समस्त सहायक श्रमायुक्त	गाजियाबाद सम्भाग, गाजियाबाद और बुलन्दशहर के जिले सम्मिलित हैं।
11	सम्भागीय उप श्रम आयुक्त, इलाहाबाद सम्भाग, इलाहाबाद	इलाहाबाद सम्भाग जिसमें इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और फतेहपुर के जिले सम्मिलित है।
12	इलाहाबाद सम्भाग में किसी भी स्थान पर नियुक्त समस्त सहायक श्रम आयुक्त	इलाहाबाद सम्भाग जिसमें इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और फतेहपुर के जिले सम्मिलित है।
13	उप श्रमायुक्त, मेरठ सम्भाग, मेरठ	मेरठ सम्भाग जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के जिले सम्मिलित हैं।
14	मेरठ सम्भाग में किसी भी स्थान पर नियुक्त मेरठ सम्भाग के समस्त सहायक श्रम आयुक्त	मेरठ सम्भाग जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के जिले सम्मिलित हैं।
15	उप श्रमायुक्त, गोरखपुर सम्भाग, गोरखपुर	गोरखपुर सम्भाग जिसमें गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और सिद्धार्थनगर के जिले सम्मिलित हैं।
16	गोरखपुर सम्भाग में किसी भी स्थान पर नियुक्त गोरखपुर सम्भाग के समस्त सहायक श्रम आयुक्त	गोरखपुर सम्भाग जिसमें गोरखपुर, बस्ती, देवरिया और सिद्धार्थनगर के जिले सम्मिलित हैं।
17	उप श्रमायुक्त, लखनऊ सम्भाग, लखनऊ	लखनऊ सम्भाग जिसमें लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर के जिले सम्मिलित हैं।
18	लखनऊ सम्भाग के किसी भी स्थान पर नियुक्त समस्त सहायक श्रम आयुक्त	लखनऊ सम्भाग जिसमें लखनऊ , हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर के जिले सम्मिलित हैं।
19	उप श्रम आयुक्त, मिर्जापुर सम्भाग, पिपरी जिला मिर्जापुर	मिर्जापुर सम्भाग जिसमें मिर्जापुर तथा सोनभद्र के जिले सम्मिलित हैं।
20	मिर्जापुर सम्भाग में किसी भी स्थान पर नियुक्त समस्त सहायक श्रमायुक्त	मिर्जापुर सम्भाग जिसमें मिर्जापुर तथा सोनभद्र के जिले सम्मिलित हैं।
21	उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद सम्भाग, मुरादाबाद	मुरादाबाद सम्भाग जिसमें मुरादाबाद, रामपुर और बिजनौर के जिले सम्मिलित हैं।
22	मुरादाबाद सम्भाग में किसी भी स्थान पर नियुक्त समस्त सहायक श्रम आयुक्त	मुरादाबाद सम्भाग जिसमें मुरादाबाद, रामपुर और बिजनौर के जिले सम्मिलित हैं।
23	उप श्रमायुक्त, आगरा सम्भाग, आगरा	आगरा सम्भाग जिसमें आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा तथा मथुरा के जिले सम्मिलित हैं।
24	आगरा सम्भाग में किसी भी स्थान पर नियुक्त समस्त सहायक श्रमायुक्त	आगरा सम्भाग जिसमें आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा तथा मथुरा के जिले सम्मिलित हैं।

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी	स्थानीय सीमा
25	उप श्रमायुक्त, बरेली सम्भाग, बरेली	बरेली सम्भाग जिसमें बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर के जिले सम्मिलित हैं।
26	बरेली सम्भाग में किसी भी स्थान पर नियुक्त समस्त सहायक श्रम आयुक्त	बरेली सम्भाग जिसमें बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर के जिले सम्मिलित हैं।
27	उप श्रमायुक्त, फैजाबाद सम्भाग, फैजाबाद	फैजाबाद सम्भाग जिसमें फैजाबाद, बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा और सुल्तानपुर के जिले सम्मिलित हैं।
28	फैजाबाद सम्भाग में किसी भी स्थान पर नियुक्त समस्त सहायक श्रम आयुक्त	फैजाबाद सम्भाग जिसमें फैजाबाद, बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा और सुल्तानपुर के जिले सम्मिलित हैं।
29	उप श्रमायुक्त, झांसी सम्भाग, झांसी	झांसी सम्भाग जिसमें झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन के जिले सम्मिलित हैं।
30	झांसी सम्भाग में किसी भी स्थान पर नियुक्त समस्त सहायक श्रम आयुक्त	झांसी सम्भाग जिसमें झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन के जिले सम्मिलित हैं।

शा0अधि0सं0 2969/36-3-7(डब्लू0सी0)/89, दिनांक 15-10-1991 द्वारा कानपुर, गाजियाबाद और वाराणसी क्षेत्रों में तैनात उप श्रमायुक्तों को भी अधिनियम के अंतर्गत आयुक्त नियुक्त किया गया है।

अधिनियम के अन्तर्गत देय व्यय व फीस :

830--कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 32 व 34 के अन्तर्गत निर्मित उत्तर प्रदेश कर्मकार प्रतिकर नियमावली, 1975 में देय व्यय व फीस निर्धारित की गयी है।

औद्योगिक सम्बन्ध

(अ) नियोजन की शर्तें

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 :

831--यह अधिनियम कारखानों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोजित श्रमिकों की सेवा शर्तों को परिभाषित करता है। सेवायोजकों के लिए आवश्यक है कि वह अपने अधीन नियोजित श्रमिकों के लिए स्थायी आदेश का आलेख्य तैयार कर, अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त, प्रमाण-कर्ता अधिकारी से प्रमाणित कराकर लागू करें।

इस अधिनियम के अन्तर्गत श्रम आयुक्त, प्रमाण-पत्र दाता अधिकारी है तथापि शासन द्वारा अधिनियम की धारा 2(सी) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या 4367/36-3(एस0ओ0)/83, दिनांक 14 मार्च, 1984 द्वारा अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर एवं उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश (मुख्यालय) तथा समस्त सम्भागीय अपर/उप श्रमायुक्तों को अपने-अपने कार्य क्षेत्र हेतु 'प्रमाण-पत्र दाता अधिकारी' घोषित किया गया है। अधिनियम की धारा 13 की उप धारा 3 के अधीन शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 919/36-3(एसओ)/83, दिनांक 14-3-84 द्वारा श्रम विभाग के अधिकारियों को अपनी-अपनी अधिकारिता सीमा के भीतर राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों का

प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है इस अधिनियम के प्राविधानों के प्रवर्तन हेतु श्रम विभाग के समस्त श्रम परिवर्तन अधिकारी एवं सहायक श्रम आयुक्त, 'निरीक्षक' घोषित है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र दाता अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई हेतु शासकीय अधिसूचना संख्या 440/36-2-97-85(एसएम)/95, दिनांक 2 जुलाई, 1977 द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण (प्रथम), इलाहाबाद को अधिनियम के अन्तर्गत 'अपील अधिकारी' के समस्त कृत्यों को निर्वहन करने के लिए 'सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए' 'अपील अधिकारी' नियुक्त किया गया है।

मुख्यत: यह अधिनियम उन सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू है जिसमें 100 या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित हों। किन्तु इस अधिनियम को व्यापक रूप से प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 3996/36-3-57(1)/एलओ-77, दिनांक 23 फरवरी, 1985 द्वारा समस्त औद्योगिक प्रतिष्ठान जो कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खण्ड 'ड' के अन्तर्गत कारखाना है और जिसमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं या पूर्ववर्ती 12 माह में किसी दिन भी कार्य कर रहे थे, पर लागू होंगे। इसके साथ ही साथ इस अधिनियम के प्राविधान उन समस्त विद्युत प्रदाय उपक्रमों और समस्त जलकलों पर जिसमें 10 या इससे अधिक कर्मकार कार्य कर रहे हो अथवा पूर्ववर्ती 12 माह के किसी भी दिन कार्य कर रहे थे, पर लागू होंगे।

प्रदेश में स्थित समस्त वैकुअमपैन चीनी मिलें शासकीय अधिसूचना संख्या 6071/एसडी-18-100(एलटी)/88, दिनांक 29 सितम्बर, 1948 द्वारा औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 से मुक्त है। चीनी मिलों पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना द्वारा समान रूप से स्थायी आदेश लागू किये गये हैं इसी प्रकार प्रदेश में स्थित समस्त आसवानी उद्योग के कारखानों में नियोजित कर्मकारों के लिए अलग से समान स्थायी आदेश, संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना द्वारा लागू किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू कराये जाने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियमावली, 1946 बनायी गयी है। इस नियमावली के तहत माडल स्थायी आदेश का प्रारूप भी प्रकाशित किया गया है।

'ब' औद्योगिक विवाद

औद्योगिक विवादों का निपटारा

832--औद्योगिक उत्पादन में अनवरत वृद्धि एवं औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध आवश्यक है। औद्योगिक विवादों के निपटारे के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 14) उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26) एवं उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद नियमावली, 1957 में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

प्रदेश में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उत्पन्न औद्योगिक विवाद के संबंध में हस्तक्षेप कर निस्तारण करने हेतु शासकीय अधिसूचना संख्या 832/36-1-1031(एसटी)-84, दिनांक 6-2-90 द्वारा श्रम विभाग के कानपुर स्थित मुख्यालय में कार्यरत विभिन्न अधिकारियों के साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रमायुक्तों को भी उनके कार्य क्षेत्र की अधिकारिता सीमा के अन्तर्गत 'संराधन अधिकारी' नियुक्त किया गया है।

(अ) किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों एवं सेवायोजकों के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न होने पर प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिक संगठन द्वारा निर्धारित प्रारूप में परिवाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर संबंधित क्षेत्र के संराधन अधिकारी द्वारा एक संराधन बोर्ड का गठन किया जाता है, जिसमें वह स्वयं अध्यक्ष होते हैं, एवं संबंधित प्रतिष्ठान के सेवायोजक एवं कर्मकारों के एक-एक प्रतिनिधि होते हैं। संराधन बोर्ड द्वारा विवाद में हस्तक्षेप कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुनवाई के माध्यम से विवाद के निराकरण का प्रयास किया जाता है। विवाद के संबंध में पक्षों में समझौता न हो पाने पर अध्यक्ष/संराधन अधिकारी द्वारा असफलता रिपोर्ट शासन व श्रमायुक्त को प्रेषित की जाती है।

(ब) संराधन अधिकारी द्वारा दी गयी आख्या पर शासन द्वारा विचारोपरान्त यह पाया जाता है कि वाद अभिनिर्णय योग्य है तो उसे श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण को, जैसी भी स्थिति हो, अभिनिर्णय हेतु संदर्भित किया जाता है। श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा विवाद के संबंध में नियमानुसार सुनवाई कर अभिनिर्णय शासन/श्रमायुक्त को प्रकाशन हेतु प्रेषित किया जाता है। राज्य शासन द्वारा इस अभिनिर्णय को प्रकाशित किये जाने की अनुमति दिये जाने पर, संबंधित न्यायालय द्वारा उसे प्रकाशित किया जाता है। यह अभिनिर्णय प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के पश्चात् प्रभावी हो जाता है। श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा श्रमिकों के पक्ष में दिये अभिनिर्णय का अनुपालन सेवायोजकों द्वारा न किये जाने पर, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 16 के अन्तर्गत संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अधिनियम की धारा 14-ए के तहत प्राभियोजन वाद दाखिल करने की भी कार्यवाही की जा सकती है।

(स) किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों/श्रम संगठनों द्वारा सेवायोजकों को मांग-पत्र दिये जाने तथा मांगों को लेकर हड़ताल अथवा आन्दोलन की नोटिस दिये जाने पर, संबंधित क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त (संराधन अधिकारी) द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद नियमावली, 1957 के नियम 4 के अन्तर्गत पक्षों को नोटिस जारी करके, समझौता वार्ता हेतु आहूत किया जाता है। मामले में नोटिस के माध्यम से श्रमिक पक्ष को हड़ताल, आन्दोलन एवं सेवायोजकों को तालाबन्दी आदि न करने हेतु भी निर्देशित किया जाता है। श्रमिकों की मांगों के संबंध में पक्षों के मध्य वार्ता के द्वारा विवाद के समाधान का प्रयास किया जाता है। जिन मांगों/बिन्दुओं पर वार्ता में पक्षों में समझौता नहीं हो पाता है, के संबंध में यदि क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उचित पाया जाता है तो स्वत: संदर्भ के माध्यम से अभिनिर्णय हेतु संदर्भित करने की अनुशंसा की जाती है, जिस पर विचारोपरान्त शासन/श्रमायुक्त द्वारा विवाद को अभिनिर्णय हेतु श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण को संदर्भित करने की कार्यवाही अपनाई जाती है। औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालयों द्वारा इन विवादों में भी नियमानुसार सुनवाई कर अभिनिर्णय दिया जाता है।

(द) प्रदेश में वर्तमान समय में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं 19 श्रम न्यायालय स्थापित है। शासन द्वारा संदर्भित औद्योगिक विवादों में नियमानुसार सुनवाई कर अभिनिर्णय देने के साथ-साथ श्रम न्यायालयों द्वारा श्रमिकों/श्रमिक संगठनों द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33-सी (2) एवं उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 6-एन(2) के अन्तर्गत देय धनराशि की संगणना हेतु दाखिल वादों में भी सुनवाई कर अभिनिर्णय दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत अधिकार--

833--(क) किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान/संस्थान में कार्यरत श्रमिकों/श्रमिक संगठनों एवं सेवायोजकों के मध्य मांगों अथवा किन्हीं अन्य बिन्दुओं को लेकर उत्पन्न औद्योगिक विवाद-हड़ताल अथवा तालाबन्दी के कारण, सामान्य जन जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ने अथवा कानून व्यवस्था भंग होने की सम्भावना होने पर, शासन को ऐसी हड़ताल एवं तालाबन्दी को निषिद्ध करने का अधिकार है।

इसी प्रकार सेवायोजकों से श्रमिकों के नियोजन/सेवा की शर्तों के पालन कराने, औद्योगिक विवादों को संराधन तंत्र अथवा न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय को अभिनिर्णय हेतु संदर्भित करने, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरणों का गठन करने, किसी उद्योग/सेवा को सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा घोषित करने, किसी उद्योग/उपक्रम को बन्द न करने या बन्द रहने और किसी सार्वजनिक उपयोगी सेवा को जारी रखने हेतु निर्देशित करने का अधिकारी है।

(ख) उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 में संशोधन करके, अधिनियम की धारा 2(ए) के अन्तर्गत व्यक्तिगत श्रमिकों को अपनी सेवा समाप्ति, छटनी या पदच्युति से संबंधित विवाद को उठाने का अधिकार दिया गया है। श्रमिकों द्वारा उठाये गये इस प्रकार के विवादों में भी, संराधन अधिकारी द्वारा पक्षों में सुनवाई/वार्ता के माध्यम से विवाद के निराकरण/समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। पक्षों में समझौता न हो पाने पर इस विवाद को अभिनिर्णय हेतु श्रम न्यायालयों को संदर्भित कर दिया जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 11ए के अन्तर्गत शासन द्वारा अधिनियम की धारा 2 ए के अन्तर्गत दाखिल विवादों को श्रम न्यायालयों को संदर्भित करने हेतु शासकीय अधिसूचना संख्या 2513 (एसआई)/36-2-155(एसएम)/90, दिनांक 29 अगस्त, 1990 द्वारा श्रम विभाग के क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्तों को भी अधिकृत किया गया है।

(ग) इस अधिनियम की धारा-6 एस, 6टी एवं 6 यू के अन्तर्गत श्रमिकों के अनुचित व अवैधानिक ढंग से हड़ताल पर जाने अथवा सेवायोजकों को बगैर हड़ताल समुचित कारण के तालाबन्दी करने से भी निषेध की व्यवस्था है।

(घ) संराधन तंत्र के बाहर हुये समझौतों के पंजीयन की भी व्यवस्था अधिनियम की धारा 6 (बी) में की गयी है। इस संबंध में संबंधित संराधन अधिकारी को यह अधिकार है कि वह पंजीयन हेतु समझौता प्राप्त होने पर उन्हें पंजीकृत कर सकता है। सामाजिक न्याय के विरुद्ध तथा गलत ढंग से किये गये समझौतों से संबंधित अधिकारी पंजीयन से इन्कार भी कर सकता है।

(च) अधिनियम की धारा 6 जे, से 6-आर में उल्लिखित प्राविधानों अथवा किसी समझौते या एवार्ड के अन्तर्गत किसी श्रमिक की धनराशि सेवायोजक से बकाया होने पर, संबंधित श्रमिक द्वारा अधिनियम की धारा 6 एच (1) के अन्तर्गत आवेदन पर, पक्षों को सुनने के पश्चात् संतुष्ट होने पर सक्षम प्राधिकारी को विहित धनराशि की वसूली हेतु संबंधित कलेक्टर को वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकारी है। राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त को उक्त के परिप्रेक्ष्य में वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है।

क्षेत्रीय सीमाएं --

834--निम्नलिखित 16 क्षेत्रों की क्षेत्रीय सीमायें विभिन्न शासकीय अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित की गयी है :--

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	क्षेत्रीय सीमाएं
1	आगरा क्षेत्र, आगरा	आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद।
2	कानपुर क्षेत्र, कानपुर	कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज।
3	इलाहाबाद क्षेत्र, इलाहाबाद	इलाहाबाद, कौशम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़।
4	सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर	सहारनपुर, हरिद्वार।

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	क्षेत्रीय सीमाएं
5	मेरठ क्षेत्र, मेरठ	मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर।
6	गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद	गाजियाबाद, बुलन्दशहर।
7	बरेली क्षेत्र, बरेली	बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत।
8	मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद	मुरादाबाद, ज्योतिबाफूलेनगर, रामपुर, बिजनौर।
9	झांसी क्षेत्र, झांसी	बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा।
10	वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी	वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही (संत रविदास नगर)।
11	मिर्जापुर क्षेत्र, पिपरी	मिर्जापुर, सोनभद्र।
12	आजमग़ढ़ क्षेत्र, आजमगढ़	आजमगढ़, मऊ, बलिया।
13	गोरखपुर क्षेत्र, गोरखपुर	गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर।
14	लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ	लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर, खीरी।
15	फैजाबाद क्षेत्र, फैजाबाद	फैजाबाद, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोण्डा, बहराइच, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी।
16	गौतमबुद्धनगर	गौतमबुद्धनगर।

केन्द्रीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन :

835--केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1976 में इस अधिनियम में यह संशोधन किया गया है कि ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों को छोड़कर (मौसमी एवं आन्तरायिक प्रकृति के औद्योगिक प्रतिष्ठान को छोड़कर) जिनमें 300 या इससे अधिक श्रमिक विगत 12 माह में औसतन प्रत्येक कार्य दिवस में नियोजित रहे हों, के सेवायोजकों द्वारा प्रतिष्ठान में कार्यरत किसी श्रमिक (बदली एवं आकस्मिक श्रमिकों को छोड़कर) की बैठकी, (विद्युत आपूर्ति की कमी अथवा प्राकृतिक आपदा को छोड़कर) इस निमित्त घोषित सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बगैर नहीं की जा सकेगी। इसी प्रकार ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत, वह कर्मकार जिनके द्वारा एक वर्ष से अधिक अवधि तक निरन्तर कार्य किया गया हो, को लिखित रूप में तीन माह की नोटिस अथवा नोटिस के बदले, नोटिस अवधि की मजदूरी का भुगतान किये बगैर, उसकी छटनी तब तक नहीं की जा सकेगी, जब तक कि संबंधित सेवायोजक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निर्धारित प्रारूप में, इस निमित्त घोषित सक्षम प्राधिकारी को सूचना देकर उससे अनुमति प्राप्त कर ली जाय। इस संबंध में राज्य सरकार के श्रम आयुक्त तथा अपर श्रमायुक्त (औद्योगिक संबंध) को सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है।

स-ट्रेड यूनियन

भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 :

836--ट्रेड यूनियन से संबंधित कानून भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 में समाहित है। इस अधिनियम में ट्रेड यूनियन की पंजीयन की व्यवस्था है तथा वह अधिनियम कई अर्थों में भारतवर्ष में पंजीकृत ट्रेड यूनियन से संबंधित कानून को परिभाषित करता है। अपर श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश पदेन रूप से

प्रदेश के लिए रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन नियुक्त किये गये हैं। रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन की सहायता के लिए एक सहायक ट्रेड यूनियन निरीक्षक मुख्यालय पर तैनात है। अधिसूचना संख्या 3835(एल)/18-392-(एल)/13, दिनांक 2 फरवरी, 1944 के द्वारा जिला जज कानपुर को अधिनियम की धारा 11(1) के अधीन रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन के द्वारा पारित किये आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने हेतु सक्षम न्यायाधीश नामित किया गया है।

ट्रेड यूनियन के पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क तथा पंजीकरण प्रक्रिया का प्राविधान उत्तर प्रदेश ट्रेड यूनियन नियमावली, 1927 में दिया गया है तथा यह नियमावली अधिनियम संख्या 1659/18-681, दिनांक 15-9-1927 के द्वारा प्रकाशित किये गये हैं। उत्तर प्रदेश ट्रेड यूनियन नियमावली 1927, बाद में अधिनियम संख्या-1186(एल)(3)-18-138(एल)45, दिनांक 19 सितम्बर, 1945, अधिनियम संख्या यू-2020/18-648(एल)-41, दिनांक 6-4-1952 अधिनियम संख्या 1463/एलएल/26/बी/331/एलएल-59, दिनांक 23 जुलाई, 1960 तथा अधिनियम संख्या 5071/एलएल/1/36/डी-256/एलएल/62, दिनांक 12 फरवरी, 1964 द्वारा समय-समय पर संशोधित की गयी है।

श्रम कल्याण

अ--सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना

सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना :

837--प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की औद्योगिक आवास योजना का लाभ औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास बनाने में प्राप्त किया है। योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास बनाने पर वास्तविक निर्माण लागत के आधे (50 प्रतिशत) तक की सहायता केन्द्र सरकार प्रदान करती है। यह प्रदेश सरकार द्वारा 25 वर्षों में साढ़े चार प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान किया जाता था। प्रदेश सरकार ने अब तक लखनऊ और कानपुर नगर सहित 18 औद्योगिक नगरों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवासों का निर्माण कराया है।

सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित ऐसे आवासों की व्यवस्था और प्रशासन के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक आवास अधिनियम, 1955 (सन् 1955 का अधिनियम संख्या 32) लागू किया गया है। यह अधिनियम आवासों के आवंटन आदेशों के निरस्तीकरण, बकाया किराये की वसूली, आवासों से अनधिकृत अध्यासियों की बेदखली तथा इन आवासों के व्यवस्थापन और प्रशासन से जुड़े अन्यान्य मामलों से संबंधित है। अधिनियम के कतिपय प्राविधान इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान की व्यवस्था के विपरीत घोषित किये गये हैं। इसमें इन आवासों से अनाधिकृत अध्यासियों की बेदखली को रोक दिया है। अब इन आवासों से अनाधिकृत अध्यासियों की बेदखली हेतु कार्यवाही उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि अनधिकृत अध्यासियों की बेदखली (अधिनियम, 1972 तथा उसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत की जा रही है जो प्रदेश सरकार को ऐसे अध्यासियों से क्षतिमूल्य वसूल करने हेतु प्राधिकृत भी करती है।)

राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या यूओ-252/एम-1/94, राज-1 लखनऊ, दिनांक 24 सितम्बर, 1998 तथा उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 2 के साथ पठित उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1972) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 268/रा-1-1-6/5/77, दिनांक 24 जनवरी, 1978 का

अतिक्रमण करके इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित व्यक्तियों को राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी होते हुए विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है जो अधोलिखित सारणी में अपने सामने उल्लिखित अधिकारिता में स्थित समस्त सार्वजनिक भू-गृहादि के संबंध में उक्त अधिनियम, 1972 के द्वारा या अधीन विहित प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग और आरोपित कर्तव्यों का पालन करें :

1--श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश/अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश/संयुक्त श्रमायुक्त, उ0 प्र0/उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त (आवास)	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
2-- सम्भागीय उप श्रम आयुक्त	अपने-अपने सम्भाग के भीतर

ब-शुगर एण्ड पावर अल्कोहल इण्डस्ट्रीज :

838--शुगर एण्ड पावर अल्कोहल इण्डस्ट्रीज लेबर वेलफेयर एण्ड डेवलपमेंट फण्ड ऐक्ट एण्ड रूल्स--

(1) यूपी शुगर एण्ड अल्कोहल इण्डस्ट्रीज लेबर वेलफेयर एण्ड डेवलपमेन्ट फण्ड एक्ट, 1951, इस आशय से लागू किया गया था कि अच्छे वित्तीय उपाय किये जायं, ताकि शुगर एण्ड पावर अल्कोहल इण्डट्रीज में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण से संबंधित निवास गृहों एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाओं तथा इन उद्योगों का समुचित विकास किया जा सके। तद्नुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत यू0पी0 डेवलपमेंट फण्ड सृजित किया गया। इस निधि के तीन अलग-अलग लेखे हैं, अर्थात्--

(1) हाउसिंग एकाउण्ट

(2) जनरल वेल्फेयर एकाउण्ट एण्ड

(3) डेवलपमेंट एकाउण्ट

(1) हाउसिंग एकाउण्ट निधि का प्रयोग शुगर तथा पावर अल्कोहल इण्डस्ट्रीज में लगे, श्रमिकों के निवासगृहों का निर्माण एवं उसकी मरम्मत पर व्यय करने तथा भूमि अधिग्रहण के लिए किया जा सकता है।

(2) जनरल वेल्फेयर एकाउण्ट्स में उपलब्ध निधि का प्रयोग शुगर मिलों में श्रमिकों/कर्मचारियों के स्वास्थ्य के विकास तथा बीमारियों से रोकथाम तथा अन्य चिकित्सीय सुविधाओं पर व्यय किया जाये।

(3) डेवलपमेंन्ट एकाउण्ट निधि का प्रयोग, इन उद्योगों से संबंधित तकनीकी शिक्षा के विकास तथा गन्ना उगाने के लिए शोध कार्य तथा शुगर तथा पावर अल्कोहल उद्योगों में सामान्य सुविधायें जैसे-सड़क तथा सिंचाई सुविधाओं पर व्यय किया जाय।

(2) ऐक्ट एण्ड रूल्स के अन्तर्गत प्राविधान :

839--(ए) लेबर हाउसिंग बोर्ड की नियुक्ति शुगर तथा पावर अल्कोहल उद्योगों में लगे श्रमिकों के लिए उचित निवास उपलब्ध कराने संबंधी योजनायें बनाने हेतु की गई है।

(बी) एक परामर्शदात्री कमेटी उप कमेटी के साथ-साथ इस आशय से बनाई गई जो राज्य सरकार तथा हाउसिंग बोर्ड द्वारा प्रस्तावित योजनाओं पर अपनी राय दे सके। हाउसिंग बोर्ड तथा परामर्शदात्री कमेटी का विधिवत् विधान यूपी शुगर एण्ड पावर अल्कोहल इण्डस्ट्रीज लेबर वेल्फेयर एण्ड डेवलपमेंट फण्ड रूल्स, 1951 में निहित है जो विज्ञप्ति संख्या-2305/एलएल/51, दिनांक 1 अक्टूबर, 1951 द्वारा प्रकाशित है।

हाउसिंग बोर्ड एवं जिलाधिकारी द्वारा बेदखली :

840--अधिनियम की धारा-11 के अन्तर्गत यह प्राविधान किया गया है कि हाउसिंग एकाउण्ट निधि के अन्तर्गत निर्मित निवास स्थानों को, यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय के अन्तर्गत खाली नहीं करता है, तो हाउसिंग बोर्ड समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् संबंधित जिलाधिकारी की अदालत में उस निवास को खाली कराने हेतु मुकदमा दायर कर देगा।

लेबर वेल्फेयर कमिश्नर एण्ड इंस्पेक्टर्स :

841--उत्तर प्रदेश सरकार इस अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत आवश्यक स्टाफ जैसे-लेबर वेलफेयर कमिश्नर, इंस्पेक्टर कल्याण अधिकारी और अन्य स्टाफ, जैसा शासन उचित समझे, इन योजनाओं के पर्यवेक्षण तथा वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण रखने हेतु नियुक्त कर सकती है। श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश ही लेबर वेलफेयर कमिश्नर, उत्तर प्रदेश होगा जिसका पूर्णरूपेण नियंत्रण रहेगा।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 :

842--उत्तर प्रदेश प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1938 को शासकीय अधिसूचना संख्या-512/(V)(1)-36-513(V)-72, दिनांक 22 फरवरी, 1974 द्वारा निरसित कर प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, (1961 का अधिनियम संख्या-53) के प्राविधान शासकीय अधिसूचना संख्या-512/(V)(2)/-36-2-13(V)-72, दिनांक 22 फरवरी, 1974 द्वारा लागू किये गये हैं।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 हर ऐसे स्थापन जो कारखाना, खान या बागान, जिसके अन्तर्गत सरकार का ऐसा कोई स्थापन भी है और प्रत्येक ऐसे स्थापन पर लागू होता है, जिसमें लोगों को घुड़सवारी, कलाबाजी और अन्य करतबों के प्रदर्शन के लिए नियोजित किया गया हो। कतिपय स्थापनों में शिशु जन्म के पूर्व और पश्चात् स्त्रियों का नियोजन और प्रसूति प्रसुविधा का भुगतान, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 द्वारा विनियमित किया जाता है।

प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस या दोनों से वंचित स्त्री उस तारीख से साठ दिन के भीतर, जिसको ऐसे वंचित किये जाने का आदेश उसे संसूचित किया गया हो, ऐसे प्राधिकारी से जो विहित किया जाय, अपील कर सकेगी और इस प्राधिकारी का यह विनिश्चय अन्तिम होगा।

शासकीय अधिसूचना संख्या-849/36-3-1/एमबी/90, दिनांक 25 जुलाई, 1990 द्वारा प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत विभिन्न अधिकारियों को 'निरीक्षक' नियुक्त किया गया है।

द-बाल श्रम नियोजन :

843--भारतीय संविधान के अनुच्छेद-24 में व्यवस्था है कि 14 वर्ष की आयु से कम का कोई भी बच्चा कारखाना, खदान अथवा किसी भी खतरनाक नियोजन में कार्य करने के लिए नहीं रखा जायेगा, संविधान की मंशा के अनुरूप विभिन्न श्रम अधिनियमों यथा चिल्ड्रेन (प्लेसिंग आफ लेबर) एक्ट, 1933 एम्लायमेंट आफ चिल्ड्रेन ऐक्ट, 1938 कारखाना अधिनियम, 1948 बागान श्रम अधिनियम, 1951, मराइन्स ऐक्ट, 1952, मोटर कर्मकार परिवहन अधिनियम, 1962, बीड़ी सिगार, वर्क्स (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1966 तथा उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत बाल श्रमिकों के नियोजन के संबंध में कतिपय प्राविधान रखे गये हैं, किन्तु संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति के उद्देश्य से एक कठोर एवं कारगर श्रम अधिनियम की आवश्यकता के दृष्टिकोण बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 बनाया गया है।

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 :

844--इस अधिनियम के अन्तर्गत जहां एक ओर विभिन्न अधिनियमों में बालकों की आयु की एकरूपता (14 वर्ष आयु) रखी गयी है, वहीं दूसरी ओर इसमें वर्जित प्रक्रियाओं एवं व्यवसायों में बाल श्रमिकों के नियोजन को निषेध किया गया है, साथ ही गैर जोखिम वाले व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बाल श्रमिकों के नियोजन को विनियमित कराये जाने हेतु कार्य के घण्टों का निर्धारण करते हुए अवधि 4 से 6 घण्टे रखी गयी है। इस अधिनियम के अन्तर्गत यह भी व्यवस्था की गयी है कि वर्जित व्यवसाय/प्रक्रियाएं, जो अधिनियम की अनुसूची 'ए' व 'बी' में उल्लिखित है, में किसी नियोजक द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नियोजित किया जाता है तो उसे न्यूनतम रु0 10,000 का दण्ड या अथवा 3 माह का कारावास दिया जा सकता है। कारखाना अधिनियम की धारा-67 जिसके द्वारा कारखानों में बाल श्रम को निषेध किया गया है, का उल्लंघन पाये जाने की दशा में न्यूनतम दण्ड का प्राविधान अधिनियम में रखा गया है। वर्तमान में इस प्रकार के वर्जित व्यवसायों/प्रक्रियाओं की सूचीं कारखाना अधिनियम के अंतर्गत खतरनाक प्रक्रियाओं/खतरनाक आप्रेशन के अन्तर्गत घोषित सूची को मिलाकर प्रदेश में कुल 80 ऐसी प्रक्रियाएं हो गयी हैं जिनमें बाल श्रम प्रतिबन्धित है, इसके अतिरिक्त 13 ऐसे व्यवसाय हैं, जिनमें बाल श्रम प्रतिबन्धित हैं।

इस अधिनियम के अन्तर्गत एक नियमावली अधिसूचना संख्या-1618/36-3-24/एफ/87, दिनांक 28 मई, 1999 द्वारा लागू की गयी है तथा श्रम विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त निरीक्षक के अधिकार अधिसूचना संख्या-1114/36-3-16/सा/97, दिनांक 16 मई, 1997 द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों यथा उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, सहायक खण्ड विकास अधिकारी, सहकारिता पंचायत एवं कृषि, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी प्रदान किये गये हैं।

उपर्युक्त अधिनियम के अतिरिक्त सर्वोच न्यायालय द्वारा निर्णीत याचिका संख्या-465/86 एम सी महेता बनाम तमिलनाडू राज्य एवं अन्य में दिनांक 10 दिसम्बर, 1996 को दिये गये निर्णय में खतरनाक उद्योगों में नियोजित बाल श्रमिकों के सापेक्ष नियोजक से प्रति बाल श्रमिक रुपया 20,000 क्षतिपूर्ति की वसूली का आदेश है, के क्रम में बाल श्रम उन्मूलन हेतु बनाये गये श्रम कानूनों में और अधिक कठोरता आ गयी है।

प्रदेश के कालीन क्षेत्र स्थित 6 जनपदों में बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 'प्रवर्तन मैनुअल' आदेश संख्या-1174/36-3-1999 दिनांक 23 मार्च, 1999, द्वारा लागू किया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम :

845--(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 जैसा कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1951 द्वारा (संशोधित) किया गया। देश में 350 औद्योगिक केन्द्रों पर लागू है योजना का प्रारम्भ 24 फरवरी, 1952 को कानपुर और दिल्ली में किया गया था। औद्योगिक कर्मचारियों को बीमारी में या प्रसूति अथवा, यदि कार्य अवधि में घायल हो गये हों, में लाभ प्रदान करती है। इसके अन्तर्गत निम्न छ: प्रकार के लाभ प्रदान किया जाता है :--

(क) नि:शुल्क चिकित्सा सेवा
(ख) बीमारी हितलाभ
(ग) प्रसूति हितलाभ
(घ) अपंगता हितलाभ
(ङ) दाह संस्कार हितलाभ

(2) योजना कर्मचारियों एवं नियोजकों के अंशदान से वित्त पोषित अपंगता हितलाभ है। राज्य सरकार चिकित्सा देख-रेख पर अब 1/8 अंश के अनुपात में वहन करती है। कर्मचारी के मजदूरी का अंशदान लगभग 2¼ प्रतिशत है जबकि नियोजकों की मजदूरी के अंशदान की राशि लगभग 4½ प्रतिशत है।

(3) अधिनियम के धारा-3 के अन्तर्गत योजना का प्रशासन कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया जाता है जिसमें केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, नियोजक श्रमिक संसाद एवं चिकित्सा व्यवसाय में जुड़े व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रशासन देखा जाता है एवं एक चिकित्सा परिषद होती है जो निगम को चिकित्सा लाभ संबंधी मामलों पर परामर्श देती है। क्षेत्रीय परिषद एवं स्थानीय समिति जिसमें क्षेत्रीय नियोजक एवं श्रमिक प्रतिनिधि होते हैं जो निगम के क्षेत्रीय तथा स्थानीय अधिकारियों से सम्बद्ध होती है। देश की विस्तृत सीमा एवं योजना के बड़े आकार को देखते हुए योजना को चरणबद्ध रूप से लागू किया गया है।

(4) अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न नियम बनाए गए हैं जो सामान्य जानकारी के लिए नीचे अंकित हैं :--

(क) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) अधिनियम, 1950

(ख) उत्तर प्रदेश कर्मचारी बीमा न्यायालय नियम, 1952

(ग) उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा लाभ) नियम, 1951

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन :--

846--उत्तर प्रदेश शासन के श्रम विभाग के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय लखनऊ के अधीन प्रदेश में कुल 103 सेवायोजन कार्यालय कार्यरत हैं जिनका विवरण निम्नवत् हैं:--

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय	16
जिला सेवायोजन कार्यालय	52
नगर सेवायोजन कार्यालय	08
क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय (विकलांग हेतु)	10
विश्वविद्यालय एवं प्रबन्धकीय सेवायोजन कार्यालय	15
व्यावसायिक एवं प्रबन्धकीय सेवायोजन कार्यालय	01
अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय	01

(अ) सेवायोजन कार्यालयों का प्रमुख कार्य निम्नांकित है :--

847--1--बेरोजगार अभ्यर्थियों का पंजीयन तथा रिक्त अधीसूचित होने पर अभ्यर्थियों का सम्प्रेषण।

2--रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम कं अन्तर्गत अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले नियोजकों से सूचना का एकत्रीकरण, निश्लेषण एवं प्रकाशन/प्रसारण।

3--व्यवसाय मार्ग निर्देशन एवं मंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अभ्यर्थियों की रुचि-अभिरुचि शैक्षिक एवं प्रशिक्षणिक उपलब्धियों तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि के प्ररिप्रक्ष्य में उपयुक्त व्यवसाय चयन में सहायता तथा उन्हें व्यवसायिक सूचना उपलब्ध कराना।

(ब) समाज के निर्बल वर्ग के बेरोजगार युवकों को रोजगार परखता में वृद्धि लाने के उद्देश्य से लिपिकीय/आशुलिपिकीय, पद्धति तथा टंकण में प्रशिक्षण हेतु प्रदेश में 59 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र भी कार्यरत हैं जिसमें आशुलिपि व्यवसाय में एक वर्ष का सत्र शेष व्यवसाय में छ: माह का सत्र चलाया जाता है। समस्त केन्द्रों को मिलाकर प्रदेश में वार्षिक आधार पर 4851 सीटें उपलब्ध हैं।

(स) भविष्य की मानव शक्ति की आवश्यकता के पूर्वानुमान एवं आंकलन हेतु प्रदेश में निम्न जनपदों में छ: रोजगार विकास इकाई स्थापित की गयी हैं कार्य क्षेत्र विभाजन में पूरे प्रदेश को आच्छादित किया गया है। आगरा, इलाहाबाद, कानपुर गोरखपुर, गाजियाबाद तथा देहरादून में उक्त कार्यालय स्थापित हैं।

(द) सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 के प्रवर्तन हेतु प्रदेश में 7 प्रवर्तन इकाईयां क्षेत्रीय इकाईयां रोजगार विकास अधिकारी के नियंत्रण में संचालित हैं, निम्न प्रकार हैं :--

1-कानपुर, 2-इलाहाबाद, 3-आगरा, 4-गाजियाबाद, 5-लखनऊ, 6-बरेली, 7-गोरखपुर

(य) विकलांग वर्ग के अभ्यार्थियों को रोजगार संबंधी सहायता हेतु निम्नांकित 10 जनपदों में विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय (वि0) स्थापित है :--कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बरेली, लखनऊ।

(व) सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 की धारा-4 के अन्तर्गत नियोजकों का उत्तरदायित्व है कि धारा-3 में उल्लिखित रिक्तियों को छोड़कर अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली रिक्तियों को सेवायोजन कार्यालय को निर्धारित प्रारूप पर धारा-5 में निर्धारित समय सीमा के अन्दर अधिसूचित करेंगे।

(2) उक्त संबंधित अधिनियम के नियम 1960 के प्रस्तर-5 के अन्तर्गत नियोजकों का यह उत्तरदायित्व है कि सेवायोजन कार्यालय द्वारा सम्प्रेक्षण सूची उपलब्ध कराने के पश्चात् चयन परिणाम की सूचना चयन के 15 दिन के अन्दर देंगे।

(3) उक्त अधिनियम की धारा-5 के अन्तर्गत नियोजक का उत्तरदायित्व है कि निर्धारित समय के अन्तर्गत परिलेख संबंधित सेवायोजन कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(4) अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी नियोजक के संबंधित दस्तावेजों/अभिलेखों को देख सकता है तथा किसी भी उचित समय में ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकता है जहां संबंधित दस्तावेज के उपलब्ध होने की सम्भावना है।

(5) अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत प्राविधानों का उल्लंघन दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।

(र) उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली 1998 के नियम-5(1) के अन्तर्गत नियोजकों द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना निम्नलिखित माध्यम से की जायेगी :--

(1) ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में जिनका व्यापक परिचालन, विज्ञापन जारी करके।

(2) कार्यालय के सूचना पट पर चिपका कर एवं अन्य रोजगार समाचार-पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके।

(3) रोजगार कार्यालय की रिक्तियां अधिसूचित करके।

(ब) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना :

848--युवकों में कौशलवृद्धि करने तथा रोजगारपरकता प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश में कुल 245 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है जिनमें 177 मुख्य संस्थान तथा 68 शाखा प्रशिक्षण संस्थान है। इन संस्थानों में 46 व्यवसायों में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् के पाठ्यक्रमों के अनुसार प्रशिक्षण परिषद् के पाठ्यक्रमों के अनुसार प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। इनमें से 24 व्यवसाय द्विवर्षीय और 22 व्यवसायिक एक वर्षीय है। 46 व्यवसायों में 35 व्यवसाय इंजीनियरिंग क्षेत्र के तथा 11 व्यवसाय इंजीनियरिंग क्षेत्र से भिन्न है। इन सब में कुल मिलाकर 45536 सीटें उपलब्ध हैं।

उक्त के अतिरिक्त राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के अन्तर्गत चार अल्पकालिक व्यवसायों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। इन व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु 2362 सीटें उपलब्ध हैं।

महिलाओं के लिए विशिष्ट रूप से 12 विभिन्न व्यवसायों में कुल 4836 सीटें उपलब्ध हैं। रायबरेली तथा कानपुर में विशेष रूप से महिलाओं में प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं।

अगस्त 1995 से विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत निम्नांकित 9 जनपदों में महिला प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं।

कानपुर, आगरा, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, झांसी, गोरखपुर, इलाहाबाद।

(स) अल्पसंख्यक कल्याणार्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम :

849--शासन द्वारा घोषित अपसंख्यक कल्याणार्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 12 अल्पसंख्यक बहुल जनपदों में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की विशेष सुविधा जुटाई गयी है। इस कार्यक्रम को जनपद रामपुर, मेरठ, बहराइच, सहारनपुर, गोण्डा, देवरिया, पीलीभीत, बस्ती, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर तथा गाजियाबाद में व्यवस्था कर दी गयी है।

उक्त के अतिरिक्त स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में 14 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये गये हैं।

(छ) शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना :

850--(क) औद्योगिक विकास के अनुरूप कुशल तकनीकी मानवशक्ति उपलब्ध कराने, बेरोजगार शिक्षित युवकों को प्रशिक्षित करने तथा शिक्षित प्रशिक्षित युवकों को स्वत: रोजगार हेतु प्रेरित करने के लिए शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना प्रारम्भ की गयी है जो शिशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत संचालित है।

(ख) अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण किया जाता है तथा संस्थानों में कार्य कुशल कर्मचारियों की संख्या के अनुपालन में अधिनियम में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार शिशिक्षुओं के स्थान निर्धारित किये जाते हैं। शिक्षुओं के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व नियोजक का होता है।

शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत 134 व्यवसाय नामनिर्दिष्ट किये गये हैं। प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 1998 तक 27656 सीटें निर्धारित की जा चुकी है। योजना के सफल संचालन के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत उल्लंघन/अतिक्रमण करने वाले नियोजकों को दण्ड देने के निमित्त अर्थदण्ड/कारावास का प्राविधान है।

बोनस एवं संविदा श्रम

अ-बोनस का भुगतान

बोनस :

851--1-- बोनस के भुगतान से संबंधित नियम बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अन्तर्विष्ट है। यह अधिनियम समस्त ऐसे कारखानों में, जो कारखाना अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत पंजीकृत है एवं ऐसे सभी उन प्रतिष्ठानों में जहां 20 या उससे अधिक कर्मकार किसी लेखा वर्ष में किसी भी दिन नियोजित रहे हो, लागू होता है। इसके अतिरिक्त अधिसूचना संख्या 2280 (एच0 आई0), 78 दिनांक 29-7-1981 द्वारा प्रदेश में स्थिति समस्त सिनेमाघरों पर जिसमें 10 या उससे अधिक व्यक्ति वर्ष 1980 या उसके अनुवर्ती लेखा वर्षों के किसी भी दिन नियोजित रहे हो उन पर इस अधिनियम के उपबन्ध लागू हैं। साथ ही अधिसूचना संख्या 6918 (एच0 आई0)/36-2-286 (एस0 एम0)/90, दिनांक 20-8-1991, द्वारा 31 अनुसूचित नियोजनों में भी जिसमें 10 या उससे अधिक व्यक्ति वर्ष 1991 में किसी दिन प्रारम्भ होने वाले लेखा वर्ष और इसके अनुवर्ती लेखा वर्ष में नियोजित रहे हों, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उन पर भी लागू होते हैं। ऐसे वैतनिक कर्मकार जो किसी उद्योग में अथवा अधिष्ठान में कुशल या अकुशल श्रेणी में कार्यरत रहते हुए पर्यवेक्षीय, प्रबन्धकीय, प्रशासकीय, तकनीकी अथवा लिपिकीय कार्य कर रहे हों, परन्तु जिनका वेतन या मजदूरी रु0 3500/- प्रतिमाह से अधिक न हो, अधिनियम से आच्छादित है। अधिनियम की धारा 32 में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोजित ऐसे कर्मचारियों की सूची दी गई है, जिन पर अधिनियम के उपबन्ध लागू नहीं होते हैं। राज्य सरकार किसी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के किसी वर्ग को आर्थिक स्थिति या अन्य संगत परिस्थितियों के आधार पर धारा 36 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए छूट प्रदान कर सकती है, यदि उसकी राय में अधिनियम के उपबन्धों को प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के किसी वर्ग पर लागू करना जनहित में न हो।

2--अधिनियम में यह प्राविधान है कि किसी कर्मकार के वेतन अथवा मजदूरी की न्यूनतम 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस देना अनिवार्य है, जबकि अधिकतम देय बोनस की दर 20 प्रतिशत निर्धारित है।

3-राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या-569 (एचआई)/36-2-249(एलएम)/89, दिनांक 25 जनवरी, 1990 द्वारा श्रम विभाग के अधिकारियों एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत निरीक्षक के रूप में अधिसूचित किया है। राज्य सरकार के अधिनियम की धारा-21 की शक्तियों के अधीन श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, उप श्रमायुक्त (औ0सं0) उत्तर प्रदेश और समस्त क्षेत्रीय उप/सहायक श्रमायुक्तों को, किसी समझौता या अधिनिर्णय या करार के अधीन कर्मचारी को अपने नियोजक द्वारा बोनस के रूप में देय धन की वसूली हेतु प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में अधिकृत किया है। राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या-12017 (एचआई) 36-सी-74(एसएम)-65, दिनांक 10 अप्रैल, 1967 द्वारा अधिनियम की धारा-19 की शक्तियों के प्रयोग हेतु श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय उप श्रमायुक्तों, क्षेत्रीय सहायक श्रमायुक्तों और उप श्रमायुक्त (औ0सं0) को बोनस भुगतान हेतु अवधि विस्तारण के लिए अधिकृत किया है।

संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम 1970 :

852--संविदा श्रम--

1--संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 कुछ नियम प्रतिष्ठानों में संविदा श्रमिकों के नियोजन को विनियमित करने तथा कुछ निश्चित परिस्थितियों एवं उससे संबंधित मामलों में इसके उत्सादन हेतु बनाया गया है। शासन ने अधिनियम की धारा-35 की उपधारा (1) में प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उत्सादन) नियमावली, 1975 को विरचित किया है जो 17 जनवरी, 1976 से प्रवर्तन में है।

2--इस अधिनियम के प्राविधान प्रत्येक उस प्रतिष्ठान पर लागू हैं जहां पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन 20 या उससे अधिक कर्मकार संविदा श्रमिक के रूप में नियोजित किये गये हैं तथा प्रत्येक उस संविदाकार पर भी लागू है जिसने पिछले 12 महीने के किसी भी दिन 20 या उससे अधिक संविदा श्रमिक नियोजित किये हैं। उन प्रतिष्ठानों पर जिनमें मात्र असतत अथवा आकस्मिक प्रकृति के कार्य संपादित होते हैं, यह अधिनियम लागू नहीं होता है।

3--प्रत्येक प्रतिष्ठान के मुख्य सेवायोजक को, अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत निर्दिष्ट ढंग से पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रतिष्ठान के पंजीयन हेतु आवेदन करना होगा। संविदाकार अधिनियम की धारा-12 के अधीन लाइसेंस हेतु आवेदन करेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा-6 एवं 11 के तहत श्रम विभाग के अधिकारियों को पंजीयन एवं लाइसेंस अधिकारी के रूप में क्रमश: अधिसूचना संख्या-1590 (एचआई)/36-2-238(एसएन)/89, दिनांक 29-3-1990 तथा अधिसूचना संख्या-1591 (एचआई)/36-2-238(एसएन)/89, दिनांक 29-3-1990 द्वारा नियुक्त किया गया है।

4--अधिनियम के प्रवर्तन हेतु धारा-28 निरीक्षक की नियुक्ति का प्राविधान करती है। इस प्राविधान के अन्तर्गत राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या-1592 (एचआई)/36-2-238(एसएन)/89, दिनांक 29-3-1990 द्वारा श्रम विभाग के अधिकारियों तथा समस्त जिला एवं उप जिला मजिस्ट्रेटों को निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

5--राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या-1728 (एचआई)/36-2-128(एसएन)/70, दिनांक 27 मई, 1976 द्वारा श्रम विभाग अपर श्रमायुक्त (प्रवर्तन) उत्तर प्रदेश को अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अपीलीय अधिकारी के रूप में भी नामित किया है।

6--शासन ने अधिनियम की धारा-4 सपठित उत्तर प्रदेश संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उत्पादन) नियमावली, 1975 के नियम-3 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-40 जीआई/36-2-99:38/99, दिनांक 9 जुलाई, 1999 द्वारा राज्य सलाहकार संविदा श्रम बोर्ड का गठन किया है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा श्रम चिकित्सा सेवा--

853--कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का उत्तर प्रदेश में 24 फरवरी, 1952 को कानपुर में शुभारम्भ हुआ था। यह योजना विद्युत से चलने वाले प्रतिष्ठानों में कम से कम 20 कर्मचारी कार्य करने वाले कारखानों में लागू हुई। यह योजना मुख्यत: कामगारों व उनके सेवा योजकों के अंशदान में लागू पर निर्भर है। इस योजना से आच्छादित श्रमिकों के वेतन से 1.75 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से तथा सेवायेजक आच्छादित श्रमिकों के वेतन का 4.75 प्रतिशत कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार के खाते में जमा होता है।

मूलभूत उद्देश्य एवं लाभ--

854--योजना का मूलभूत उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगे हुए कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित कर कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को योजना का हितलाभ प्रदान करना है।

855--योजना के निम्नलिखित हितलाभ:

1	चिकित्सा हितलाभ	बीमांकित व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा संबंधी सभी सुविधायें प्रदान की जाती है।
2	बीमारी हितलाभ	नकद हितलाभ दिया जाता है।
3	प्रसूति हितलाभ	पूर्ण चिकित्सीय सुविधा तथा चिकित्सा प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं।
4	अपंगता हितलाभ	कृत्रिम अंगों की पूर्ति नि:शुल्क की जाती है तथा कम्पन्सेशन दिया जाता है।
5	आश्रित हितलाभ	आजीवन पेंशन दी जाती है।
6	अन्तिम संस्कार हितलाभ	दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है।

चिकित्सा हितलाभ की सुविधा प्रदेश सरकार के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है तथा अन्य उल्लिखित हितलाभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है।

चिकित्सा सुविधा में सुधार एवं विस्तार के उद्देश्य से जून, 1985 में प्रदेश सरकार द्वारा श्रम विभाग के अधीन एक पृथक निदेशालय की कानपुर में स्थापना की गयी, तब से चिकित्सा सुविधा इसी विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है। जून, 1985 से पूर्व चिकित्सा सुविधा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदान की जाती है।

वर्तमान में 15 चिकित्सालय क्रियाशील हैं। चिकित्सालयों में पूर्ण चिकित्सा सुविधा प्राप्त है उनमें 1640 शैय्याएं हैं। जिन जनपदों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के चिकित्सालय क्रियाशील नहीं है, उन जनपदों में कार्यरत औषधालयों से सम्बद्ध बीमांकित व्यक्तियों को राजकीय चिकित्सालयों में शैय्याओं का आरक्षण कराकर सुविधा दी जाती है। ऐसे आरक्षित शैय्याओं की संख्या 125 है।

उपरोक्त चिकित्सालयों के अतिरिक्त प्रदेश में 122 एलोपैथिक, 11 आयुर्वेदिक एवं 11 होम्योपैथिक औषधालय स्वीकृत हैं।

बीमांकित रोगियों एवं परिवार के रोगी सदस्यों को औषधालय से चिकित्सालय से महाचिकित्सालय तक पहुंचाने हेतु 20 एम्बुलेंस स्वीकृत है।

चिकित्सा उपचार सुविधायें :

856--प्रदेश के चिकित्सालयों एवं औषधालयों द्वारा निम्नलिखित उपचार की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

1--वाह्य रोगी उपचार

2--निवास स्थान पर उपचार की सुविधा

3--विशिष्ट चिकित्सा परामर्श

4--एक्सरे एवं पैथालाजी परामर्श

5--घातक रोगी के प्रति प्रतिरक्षा

6--अंत:रोगी सुविधायें

7--औषधियों, मरहम-पट्टी एवं कृत्रिम अंगों की आपूर्ति

8--प्रसव से पूर्व, प्रसव-पश्चात सेवायें

9--चिकित्सालय प्रमाणीकरण

10--अतिविशिष्ट

संगठन :

857--24 फरवरी, 1952 की यह योजना प्रान्तीय चिकित्सा सेवायें, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत चालू की गयी थी। शासनादेश संख्या-939/36-7-98-5(50)/83, दिनांक 10 जून, 1985 द्वारा यह योजना प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा से पृथक कर श्रम मंत्रालय के अधीन की गयी तथा स्वतंत्र निदेशालय का गठन किया गया। निदेशालय के अतिरिक्त पूरे प्रदेश को प्रशासनिक दृष्टि से निम्नलिखित आठ क्षेत्रों में विभक्त किया गया :--

1--कानपुर

2--लखनऊ

3--आगरा

4--वाराणसी

5--इलाहाबाद

6--गाजियाबाद

7--बरेली

8--सहारनपुर

प्रत्येक क्षेत्र का प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बनाया गया है, जो अपने क्षेत्र के औषधालयों एवं चिकित्सालयों का समय-समय पर निरीक्षण /मार्गदर्शन करता है।

858--वित्तीय संगठन--इस योजना का सम्पूर्ण व्यय, प्रदेश सरकार वहन करती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम निर्धारित मानक के अनुसार हुये व्यय का 7/8 भाग की प्रतिपूर्ति करता है। प्रदेश शासन द्वारा वर्तमान में इस योजना पर रु0 711.00 प्रति बीमांक प्रति वर्ष की दर से व्यय किया जाता है।

अध्याय--71

ग्राम्य विकास विभाग

संगठन एवं कार्य

1-मुख्यालय :

859--कृषि उत्पादन आयुक्त के मार्गदर्शन में ग्राम्य विकास विभाग का संचालन सचिव, ग्राम्य विकास विभाग तथा आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा सम्पन्न किया जाता है। शासन स्तर पर सचिव ग्राम्य विकास के अधीन विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव, अनुसचिव व संबंधित अनुभाग कार्यरत हैं। प्रदेश स्तर पर ग्रामीण योजनाओं के कुशल संचालन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास का कार्यालय भी स्थापित है जिनके अधीन अपर आयुक्त, विशेष कार्यक्रम, प्रशासन तथा लेखा, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, संयुक्त निदेशक, मुख्य लेखाधिकारी, अधिशासी अभियंता, शोध अधिकारी, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी तथा प्राविधिक अधिकारी आदि कार्यरत हैं।

2-मण्डल स्तरीय :

संगठन :

860--मण्डल स्तर पर विभाग के प्रभावी संचालन हेतु संयुक्त/उप विकास आयुक्त तथा सहायक लेखाधिकारी (मण्डलीय) तथा सम्बद्ध अराजपत्रित स्टाफ कार्यरत है।

3-जिला स्तर :

861--जिला स्तर पर विभाग की समस्त योजनाओं का क्रियान्यवन मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में किया जाता है, जिनकी सहायता हेतु जिला विकास अधिकारी तथा परियोजना निदेशक तथा अन्य अराजपत्रित पदाधिकारी कार्यरत है।

4-विकास खण्ड स्तर :

862--विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी का पद सृजित है जो सम्बद्ध अराजपत्रित पदाधिकारियों के माध्यम से कार्यकलापों का संचालन करते हैं।

इन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए उ0 प्र0 ग्राम्य विकास विभाग राजपत्रित सेवा नियमावली 1991 तथा उ0प्र0 ग्राम्य विकास विभाग (प्रसार प्रशिक्षण योजना) अधीनस्थ सेवा नियमावली 1987 प्रभावी है।

863--तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ--ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किये गये/कराये जा रहे कार्यों के गुणावगुण की जांच करने तथा कार्यों की तकनीकी जांच कर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु मुख्यालय तथा मण्डल स्तर पर तकनीकी सम्परीक्षा कोष्ठक का गठन किया गया है।

1	मुख्यालय स्तर पर	मुख्यालय स्तर पर आयुक्त, ग्राम्य विकास के अधीन तकनीकी सम्परीक्षा कोष्ठक में मुख्य प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक परीक्षक, सहायक प्राविधिक परीक्षक, आशुलिपिक तथा सम्बद्ध स्टाफ प्राविधानित है।
2	मण्डल स्तर	मण्डल स्तर पर गठित तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ में प्राविधिक परीक्षक, सहायक प्राविधिक परीक्षक तथा अन्य सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था है। तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ हेतु आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था प्रतिनियुक्ति पर सिंचाई विभाग तथा लोक निर्माण विभाग से की जानी है। शासनादेश संख्या-204 डी/38-2-98-2/97 दिनांक 9-2-1998।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण :

864--उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में ग्राम्य विकास अभिकरण, रजिस्ट्रेशन आफ-सोसाइटीज ऐक्ट, 1860 की धारा-18 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित है। ग्राम्य विकास अभिकरणों के स्वरूप में कार्यालय ज्ञाप संख्या-डी-734/38-2-99, दिनांक 19-6-1999 द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए अभिकरणों के अध्यक्ष के पद पर अध्यक्ष, जिला पंचायत की तैनाती की गयी है। मुख्य विकास अधिकारी को उक्त कार्यालय ज्ञाप द्वारा अभिकरण का पदेन अधिशाषी निदेशक बनाया गया है। उक्त शासनादेश द्वारा अभिकरण के शासी निकाय का पुनर्गठन किया गया है।

दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान :

865--उत्तर प्रदेश में दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना 01 अप्रैल, 1992 को बक्शी का तालाब, लखनऊ में की गयी थी। संस्थान प्रदेश की ग्राम्य विकास प्रशिक्षण की शीर्षस्थ संस्था है, जो स्थायी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त ग्राम्य जाग्रति मिशन, समग्र विकास में पूँजी निवेश तथा राज्य के प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र (क्षेत्रीय तथा जनपद स्तरीय ग्राम्य विकास संस्थानों की शीर्षस्थ संस्था) के रूप में कार्य करता है।

प्रशासनिक संगठन :

1-मुख्यालय स्तर :

866--संस्थान पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम वेतनमान के अधिकारी निदेशक के पद पर तैनात होते हैं, जिनके अधीन अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक तथा शोध अधिकारी कार्यरत हैं। इन अधिकारियों की सेवायें उ0प्र0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान राजपत्रित सेवा नियमावली, 1996 से विनियमित होती है।

2-क्षेत्रीय स्तर :

867--दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान प्रशिक्षण के अधीन 17 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान यथा-फैजाबाद, रामपुर, सहारनपुर, मैनपुरी, बिचपुरी, आगरा, गाजीपुर, रायबरेली, बक्शी का तालाब, लखनऊ , चिरगांव, झांसी, बकेवर-इटावा, अफीम की कोठी-प्रतापगढ़, चरगवा-गोरखपुर, कालाकांकर-प्रतापगढ़, आसफपुर-बदायूँ, बड़ौत, मरेठ, लखपटी-बुलन्दशहर, दोहरीघाट-मऊ, में स्थापित हैं इनमें प्रशिक्षण संवर्ग के आचार्यों की तैनाती की जाती है, जिनके अधीन उपाचार्य, प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी तथा अन्य अराजपत्रित प्रशिक्षण योजना अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1987 से विनियमित होती है।

3-जिला स्तर :

868--क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान के अधीन 33 जिला ग्राम्य विकास संस्थान स्थापित हैं जो निम्नवत् हैं : कादिरपुर-बाराबंकी, सुल्तानपुर, झंझरी-गोण्डा, चितौरा-बहराइच, जानसठ-मुजफ्फरनगर, भोजीपुरा-बरेली, तिलहर-शाहजहाँपुर, दनियापुर-रामपुर, कासगंज-एटा, छिबरामऊ , एटारोड-अलीगढ़, दामोदपुरा-मथुरा, रघुनाथपुर-बलिया, भोड़सड-मिर्जापुर, परमानन्दपुर-वाराणसी, सिद्धीकीपुर-जौनपुर, तेलियानी-फतेहपुर, दोस्तीपुर-उन्नाव, हरदोई, खौराबाद-सीतापुर, देवकलीरोड-लखीमपुर, मौदहा-हमीरपुर, बडोखरखुर्द-बांदा, रोडा-ललितपुर, उरई-जालौन, रावतपुर-कानपुर नगर, बसनेहटा-इलाहाबाद, सदर-बस्ती, दसही-देवरिया, बिजनौर, फजलपुर-मुरादाबाद, दादरी-गाजियाबाद (गौतमबुद्धनगर), पीलीभीत।

ग्रामीण आवास परिषद् :

869--इसका संचालन आयुक्त, ग्रामीण आवास परिषद् द्वारा किया जाता है जिनकी सहायता के लिए संयुक्त आवास आयुक्त, सहायक आवास आयुक्त व मुख्य लेखाधिकारी के पद सृजित हैं।

अध्याय--72

प्रशासनिक सुधार विभाग

संगठन तथा कृत्य :

870--प्रशासनिक सुधार विभाग शासन के विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली में अधिकाधिक दक्षता एवं सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस दिशा में अनेक उपाय किये गये हैं, जैसे (1) अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्तों की व्यवस्था (2) कार्य का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रक्रिया का सरलीकरण और उनको सुस्पष्ट करना (3) प्रशासन के निम्नवत् स्तर (कटिंग एज लेवल) पर सुधार (4) सरकारी कार्यालयों से भ्रष्टाचार का उन्मूलन तथा (5) विभागों में कर्मचारियों की उचित व्यवस्था हेतु कार्य अध्ययन करना। प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिये कार्यवाही करने के अतिरिक्त इस विभाग का संगठन और पद्धति इकाई का मुख्य कार्य सचिवालय के विभिन्न अनुभागों तथा अन्य प्रमुख कार्यालयों से प्राप्त अतिरिक्त स्टाफ के प्रस्तावों का सम्बन्धित कार्यालयों में कार्यभार का उचित अध्ययन करके, परीक्षण करना है।

जनता की शिकायतों का निवारण :

871--विभागाध्यक्षों द्वारा फील्ड भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी/मण्डलायुक्तों से भेंट कर विभागीय कठिनाइयों/शिकायतों का तत्परता से निवारण करने हेतु निर्णय लिया गया कि विभागाध्यक्ष या विभागीय उच्चाधिकारी जब भी फील्ड भ्रमण पर जायें तो संबंधित जिले/मण्डल के जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त से मिलकर अपने विभाग के योजनाओं/कार्यक्रमों में आ रही कठिनाइयों आदि पर चर्चा कर उनको शीघ्र समाधान कराने का प्रयास करें।

सं0915/43-2-2001-14/2(14)/2001, दिनांक 29 मार्च, 2001

जनता से भेंट एवं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक सोमवार को प्रात: 11 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक समस्त मण्डलायुक्त, विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी को निम्न निर्देश दिये गये:

सं0-683/43-2-2002-14/2(20)/2002, दिनांक 6-4-2002

तहसील व थाना दिवस का आयोजन प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाये और वरिष्ठ अधिकारीगण यथा निर्देशित इनमें भाग लें। यह भी निर्देशित किया गया है कि प्राप्त जन-शिकायतों को विधिवत् दर्ज किया जाये और उनके समयबद्ध निस्तारण की समीक्षा भी उच्च स्तर पर की जाये और जहाँ शिकायतों के जाँचोपरान्त शिथिलता अथवा अनियमितता पता चलती है वहाँ संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को समुचित दण्ड दिया जाये।

जनता की समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण के संबंध में निर्देश दिये गये कि जन समस्याओं का निराकरण थाना, तहसील, विकास खण्ड एवं जिला स्तर से हो जाना चाहिए। इस हेतु जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी को अपने क्षेत्र में व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाये। इस संबंध में निम्न व्यवस्था की गयी है :

सं0-20मु0स0/43-2-2002-14/2(25)/02, दिनांक 22-5-2002

(1) जन समस्याओं के निस्तारण हेतु तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी/उपाधीक्षक पुलिस तथा अन्य तहसील स्तरीय अधिकारी तथा समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी तथा मण्डल स्तर पर आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक एवं अन्य समस्त मण्डल स्तरीय अधिकारीगण प्रतिदिन 11 से 12 बजे के पूर्वान्ह के मध्य शिकायतों को नियमित रूप से सुनें।

(2) समस्त तहसील स्तर के अधिकारी अपनी तहसील पर एवं जिलों के समस्त जिला स्तरीय अधिकारी अपने जिला मुख्यालय स्थित दफ्तर पर नित्य प्रति 11 से 12 बजे पूर्वान्ह के मध्य जन सामान्य की शिकायतों को सुनने के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस प्रकार से प्राप्त होने वाली शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक अलग से रजिस्टर बनाया जायेगा जिसमें समस्त ऐसी शिकायतें दर्ज की जायेंगी, उनका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जायेगा और उन पर कृत कार्यवाही का विवरण भी रजिस्टर में रखा जायेगा। संबंधित अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज होते समय यह अवगत कराया जायेगा कि उसके प्रकरण में कितने समय में कार्यवाही की जायेगी। प्रत्येक मंगलवार को होने वाले तहसील दिवस की व्यवस्था को प्रभावी बनाकर लागू किया जाये और उसमें प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण का विवरण अलग से रखा जाये। शा0 सं0-351/1-4-2001-54-बी-4/92 टीसी, दिनांक 27-1-2001

(3) उपर्युक्त व्यवस्था प्रत्येक माह के दूसरे सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, को उन जनपदों में लागू नहीं होगी जहाँ इन दिवसों में मुख्य सचिव अपने स्तर पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जोन्स (Zones) स्तर पर समीक्षा बैठकें करेंगे किन्तु ऐसे मामलों में भी अन्य सक्षम अधिकारी जो कि मुख्यालय पर उपलब्ध हों, उपरोक्तानुसार कार्यवाही करेंगे। शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत के निस्तारण की सूचना समय के अन्दर देना अनिवार्य होगी। जिन मामलों में शिकायतों का निर्धारित समय के अन्दर निस्तारण कर सूचना नहीं दी जाती है, दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए तथा ऐसे मामलों की संकलित सूचना जिलाधिकारी स्तर पर अनुश्रवण एवं कार्यवाही के लिए उपलब्ध करायी जायेगी। मण्डलायुक्त समीक्षा कर इन मामलों में कार्यवाही करायेंगे।

(4) उपरोक्त व्यवस्था जिला पंचायतों एवं अन्य सभी स्थानीय निकायों में भी लागू होगी जहाँ जन शिकायतों को प्राप्त करके उनका विधिवत् निस्तारण कराकर उनके द्वारा भी प्राप्त शिकायतों एवं निस्तारण की मासिक स्थिति का विवरण जिलाधिकारी को प्रेषित किया जाये।

(5) विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष आम जनता से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण हेतु समयबद्ध सारणी निर्गत करेंगे तथा प्रतिदिन 11 बजे से 12 बजे के मध्य अपने कार्यालय में बैठकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। उनके द्वारा भी प्राप्त शिकायतों एवं निस्तारण की मासिक स्थिति का विवरण मण्डलायुक्त को प्रेषित किया जाये।

(6) अन्य समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी मासिक रूप से प्राप्त शिकायतों एवं निस्तारित शिकायतों का विवरण जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जाये एवं तहसील स्तरीय अधिकारियों द्वारा इस प्रकार का विवरण परगनाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाय। परगनाधिकारियों द्वारा इस विवरण की प्रतिलिपि जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी।

संं0-04 मु0स0/43-2-2002-14/2(25)/2002, दिनांक 20-6-2002

872--समस्या एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु समस्त तहसील स्तर के अधिकारी अपनी तहसील पर, जिलों के समस्त जिला स्तरीय अधिकारी अपने जिला स्थित कार्यालय पर तथा आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक , पुलिस उप महानिरीक्षक एवं अन्य समस्त मण्डलीय अधिकारीगण अपने कार्यालय में पर्वान्ह 10.00 बजे से 12.00 बजे तक उपलब्ध रहेंगे।

संं0-1377/43-2-2002, दिनांक 26-6-2002

(1) मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी एवं तहसील मुख्यालय के उप जिलाधिकारी मंगलवार एवं रविवार को छोड़कर अपने कार्यालय में प्रतिदिन प्रात: 10.00 बजे से 12.00 बजे तक आम जनता की समस्यायें सुनेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी अपरिहार्य कारण से उक्त अधिकारी उपस्थित न रह पायें तो अपने अधीनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी को नामित करेंगे जो उनकी अनुपस्थिति में शिकायतों को सुनकर उनका निराकरण करेंगे।

(2) मण्डलायुक्त जनपदों का आकस्मिक भ्रमण करके यह ज्ञात करेंगे कि जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी कार्य दिवसों में प्रात: 10.00 बजे से 12.00 बजे तक जनता की समस्यायें सुन रहें हैं अथवा नहीं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।

संं0-1964/43-2-2002-14/2(25)/2002, दिनांक 3-9-2002

शिकायतों के निस्तारण हेतु समस्त मण्डलायुक्त को निर्देश दिये गये कि शिकायतों के निस्तारण की नियमित समीक्षा करें तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करें।

विविध मामलों के संबंध में अनुदेश--

संं0-1952/43-2-2001-14/2(29)/97, दिनांक 20-8-2001

873--जनपदों में स्थापित जन सूचना केन्द्र में नागरिकों को विभिन्न विभागों में प्रयुक्त होने वाले फार्म/प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था का निर्णय लिया गया है।

शासकीय यात्रा कार्यक्रम का पूर्व अनुमोदन--

874--निर्णय लिया गया कि सरकार के हर स्तर पर अधिकारी जहाँ तक सम्भव हो यात्रा कार्यक्रम का पूर्व अनुमोदन कराकर यात्रा करें। सं0-49/43-2-2001-14/2(51)/98, दिनांक 4-1-2001

न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में संबंधित व्यक्ति के कार्य एवं दायित्वों के संबंध में नीति निर्धारण--

875--न्यायालय के निर्देशों का सम्मान कर तत्काल विधिक कार्यवाही की जानी चाहिए। यदि आदेशों के विरुद्ध अपील करनी हो तो वह समय रहते ही करके उक्त तथ्य को मा0 न्यायालय के संज्ञान में लाना चाहिए और यदि कोई निर्देश अस्पष्ट या वस्तुस्थिति के विरुद्ध है तो उसे मा0 न्यायालय के संज्ञान में लाकर स्पष्ट निर्देश की प्रार्थना अवमानना का बिन्दु बनने के पूर्व ही कर लेनी चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो कि न्यायालय के आदेशों का अनादर नहीं किया गया हो। सं0-50/43-2-2001-14/2(51)/98, दिनांक 4-1-2001

यदि न्यायालय से कोई अन्तरिम आदेश निलम्बन को स्थगित करने, स्थानान्तरण रोकने या किसी विशेष पद पर किसी व्यक्ति को बनाये रखने के बारे में पारित हुआ है तो आदेशों के प्रभावी रहने तक उसका अनुपालन किया जाय परन्तु उस अधिकारी/कार्मिक से उस प्रकृति का कार्य न लिया जाय जिस पद के आकर्षणों का दुरुपयोग करने हेतु वह उस प्रकृति के पद पर बने रहना चाहता है। न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में उस व्यक्ति के चार्ज और सुविधाओं में भी कोई ऐसा हस्तक्षेप न किया जाय जिससे न्यायालय के ओदशों का कोई उल्लघंन प्रतीत होता हो ताकि अवमानना का प्रश्न न उठे। किसी संवर्ग के किसी अधिकारी/कर्मचारी से किस प्रकृति का कार्य लिया जाय, यह शासन का अधिकार है।

उक्त निर्देशों का पालन करने हेतु प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे और यदि किसी दशा में उक्त व्यक्ति से विशिष्ट कार्य लेने का निर्णय किया जाता है तो उस हेतु उन्हें कार्मिक विभाग का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा। इस स्थिति को मा0 न्यायालय के संज्ञान में भी समयानुसार ला दिया जाय कि अन्तरिम आदेश के अनुपालन में व्यक्ति के कार्यभार और पद की सुविधाओं में वस्तुस्थिति बनाये रखी गयी है परन्तु उनसे शासकीय कार्य नहीं लिया जा रहा है। इस बिन्दु पर न्यायालय भी कदाचित कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे परन्तु यदि इसके विरूद्ध कोई निर्देश प्राप्त होते हैं तो उन्हें स्वीकार किया जाय और अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाय। सुनिश्चित करें कि आदेशों का पालन तात्कालिक प्रभाव से वर्तमान और पूर्व प्राप्त अन्तरिम आदेशों के विषय में किया जाये।

वी0आई0पी0 ड्यूटी में अनावश्यक समय नष्ट न किया जाना :

876--अधिकारी को वी0आई0पी0 ड्यूटी में वी0आई0पी0 के आगमन पर बरते जाने वाले शिष्टाचार संबंधी शा0सं0-299/56-3-ख(1/24)/77, दिनांक 6 मार्च, 1979 के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। सं0-1383/43-2-2002-14/2(25)/2002, दिनांक 26-6-2002

कार्य क्षेत्र/मुख्यालय पर निवास :

सं0-1382/43-2-2002-14/2(25)/2002, दिनांक 26-6-2002

877--निर्देश है कि सभी फील्ड स्तरीय अधिकारी अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर अपने कार्य क्षेत्र में विनिर्दिष्ट मुख्यालय पर निवास करके ड्यूटी का निर्वहन करेंगे तथा कंट्रोलिंग अधिकारी की बिना लिखित अनुमति से कोई भी अधिकारी अपने क्षेत्र के बाहर नहीं जायेगा। कंट्रोलिंग अधिकारी की अनुमति लेने के बाद यदि कंट्रोलिंग अधिकारी जिलाधिकारी से भिन्न हो तो जनपद स्तरीय अधिकारी क्षेत्र छोड़ने की सूचना व क्षेत्र छोड़ने का कारण जिलाधिकारी को सूचित करके ही क्षेत्र छोड़ेंगे।

जनपद स्तरीय अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों की उनके मुख्यालय पर उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे और औचित्यपूर्ण आधार पर ही उन्हें मुख्यालय छोड़ने की विशिष्ट समय के लिए अनुमति देंगे।

विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी समय-समय पर आकस्मिक चेकिंग कराकर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्य क्षेत्र में अधिकारी/कर्मचारी अनाधिकृत रूप से मुख्यालय नहीं छोड़ रहें हैं।

नई पत्रावली खोलने का निर्णय अधिकारी स्तर पर लिया जाना :

सं0-1549/43/2--2002-14/2(16)/2002, दिनांक 15-7-2002

878--विलम्ब को रोकने के उद्देश्य से टी0सी0 पत्रावली न खोले जाने एवं नई पत्रावलियों को खोलने का निर्णय कम से कम उप सचिव/अनुसचिव स्तरीय अधिकारी के स्तर पर होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पत्रावलियों की संख्या अकारण न बढ़े।

किसी भी स्तर पर पत्रावली चार कार्य दिवसों से अधिक न रुकने संबंधी निर्देश :

सं0-1644/43-2-2002-14/2(16)/2002, दिनांक 23-7-2002

879--विलम्ब को रोकने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया कि किसी भी स्तर पर पत्रावली के निस्तारण में चार कार्य दिवसों से अधिक का समय न लगे।

फील्ड में तैनात विभिन्न विभागों के कर्मियों के विरुद्ध मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी की संस्तुति पर कार्यवाही :

सं0-01/43-2-2003-14/2(25)/2002, दिनांक 2-1-2003

880--निर्णय लिया गया कि मण्डलायुक्त अथवा जिलाधिकारी द्वारा अपने मण्डल या जनपद में तैनात किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति शासन से की जाती है तो ऐसी संस्तुतियों पर शासन के संबंधित विभाग में तत्परता पूर्वक कार्यवाही की जाये।

मा0 सांसदों/विधायकों के प्रति शिष्टाचार :

सं0-94/43-2-2003-14/2(44)/99, दिनांक, 15-2-2003

881--प्रशासन तथा संसद/विधान मण्डल के सदस्यों के बीच सरकारी कामकाज की उचित कार्यवाही एवं मा0 सांसदों/विधायकों के प्रति शिष्टाचार व अनुमन्य प्रोटोकाल के संबंध में अनुपालन किये जाने वाले निर्देशों को जारी किया गया।

अध्याय--73

पंचायती राज विभाग

पंचायत राज का संगठन और कार्य :

882--पंचायत राज संगठन निदेशक, पंचायती राज के नियंत्रण और परिवेक्षण में कार्य करता है। उनकी सहायता के लिये अपर/संयुक्त निदेशक (पंचायत), मुख्य लेखाधिकारी, उपनिदेशक (पंचायत) व अन्य अधिकारी मुख्यालय स्तर पर नियुक्त हैं। पंचायतों का जनपदीय प्रशासन जिला पंचायतराज अधिकारी, सहायक जिला पंचायतराज अधिकारी (प्राविधिक), सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की सहायता से संचालित करता है। जिला पंचायतराज अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी की अगुवाई में समुचित संगठन के अन्तर्गत कार्य करता है। ग्राम स्तर का मुख्य कार्यकर्त्ता ग्राम पंचायत अधिकारी होता है, जो ग्राम पंचायत/न्याय पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है।

अधिनियम और नियम

883--संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 (यथासंशोधित 1994) एवं क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित 1994) प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की स्थापना और विकास कार्य तथा ग्राम प्रशासन और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को अपेक्षाकृत अधिक सुसंगठित एवं सक्रिय करने के उद्देश्य से पारित किया गया है।

अधि0संख्या-एन-120/1/1/93-पी0आर0, दिनांक 24 अप्रैल, 1993

884--देश की गाँव पंचायतों में एकरूपता लाने, निश्चित समय पर उनके चुनाव सुनिश्चित कराने, त्रिस्तरीय पंचायतों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने तथा उन्हें संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से 73वाँ संविधान संशोधन, 24 अप्रैल, 1993 से सम्पूर्ण देश में लागू हुआ। इस संशोधन के अनुक्रम में प्रदेश में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994, 22 अप्रैल, 1994 से प्रवृत्त किया गया है। संशोधित अधिनियम के विशेष बिन्दु निम्नलिखित हैं:

अधिसूचना संख्या-742/सत्रह-वि-1-1(क)-15-1994, दिनांक 22-4-1994

1—त्रिस्तरीय पंचायतों का संगठन और संरचना।

2—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं के लिये स्थानों का आरक्षण।

3—पंचायतों का 5 वर्ष का कार्यकाल।

4—निर्वाचनों के संचालन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन।

5—पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन।

6—पंचायतों के कृत्य, शक्तियां और उत्तरदायित्व का विस्तार।

7—पंचायतों को कर, फीस इत्यादि उद्ग्रहित करने के लिये सशक्त करना।

885--संयुक्त प्रान्त पंचायतीराज अधिनियम, 1947 (यथासंशोधित 1994) की धारा-15 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-32 एवं 33 में त्रिस्तरीय पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिये योजनायें तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित कराने की शक्तियां और उत्तरदायित्व देने का प्राविधान किया गया है। प्राविधानों के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों को सौंपे गये कार्यों एवं दायित्वों के निर्धारण हेतु गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन संस्थाओं को स्वायत्तशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने हेतु यथावश्यक शक्तियां और दायित्व सौंपने के लिये नियुक्त उच्च स्तरीय कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सौंपने के लिये 28 विभागों द्वारा शासनादेश जारी किये गये हैं, जिन्हें संकलित कर एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कराया गया है।

पंचायत संगठन के इस्तेमाल प्रतिबन्ध :

ओ0एम0नं0-8546-एम/एक्स एक्स-50, दिनांक 6-12-1950

886--(1) पंचायत राज विभाग के पंचायत संगठन का किसी अन्य विभागीय कार्य में प्रयोग हेतु आदेश जारी करने से पूर्व सहमति प्राप्त करना अपेक्षित होगा। यदि कोई विभागाध्यक्ष, संगठन का इस्तेमाल करना चाहता है तो अपना प्रस्ताव शासन के प्रशासकीय विभाग को भेजेगा, जो अपने स्तर से पंचायतराज विभाग से परामर्श लेगा। यह सुनिश्चित करने के लिये कि परामर्श किया गया है, जारी निर्देशों की एक प्रति सचिवालय के पंचायतराज विभाग द्वारा निदेशक, पंचायत राज को पृष्ठांकित की जायेगी।

(2) न्याय पंचायत के पंचों और सरपंचों को किसी भी प्रकार का प्रशासकीय अथवा कार्यकारी कार्यों का भार नहीं सौंपा जा सकता है।

हिन्दी का प्रयोग :

परिपत्र सं0-11624/पी0आर0 डी0/(5) 328-50, दिनांक 6-1-1950

887--(1) सभी सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) पदेन समाज शिक्षा और पंचायत निरीक्षक (उद्योग) को हिन्दी का विशेष ज्ञान होना चाहिए और वे जो कार्य करें वह हिन्दी देवनागरी लिपि में ही किया जाना चाहिए। यह निर्देश विवरणों और उच्च स्तर के अधिकारियों से किये जाने वाले पत्र-व्यवहार पर भी लागू होगा।

शा0 संख्या-15274/पी0आर0 डी0-766-40, दिनांक 4-2-1950

(2) जिला पंचायतराज अधिकारियों द्वारा भी सभी कार्य हिन्दी देवनागरी लिपि में किये जायेंगे।

व्यापक सांख्यकीय और महामारी की सूचना :

888--जन्म, मृत्यु का पंजीकरण केन्द्रीय जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के प्राविधानों के अनुसार किया जाता है। इसी प्रकार परिवार रजिस्टर अनुरक्षण नियमावली, 1978 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा परिवार रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाता है।

पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं नियंत्रण

जिला पंचायत राज अधिकारियों का प्रशासन एवं नियंत्रण उनकी नियुक्ति एवं सेवा शर्तें :

889--जिला पंचायतीराज अधिकारियों के अधीनस्थ राजपत्रित संवर्ग में नियुक्ति अधिकारी निदेशक, पंचायती राज होंगे। जिला पंचायतराज अधिकारियों का स्थानान्तरण, निलम्बन, असन्तुष्टता और दक्षता अवरोध का अधिकारी अपर/संयुक्त/उप निदेशक (प्रशासन) को होगा। उनका आकस्मिक अवकाश मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। उन्हें 90 दिनों तक का उपार्जित/चिकित्सीय अवकाश स्वीकृत करेंगे। उनका भ्रमण कार्यक्रम और यात्रा भत्ता मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी स्वीकृत करेंगे। उनकी चरित्र पंजिका की प्रविष्टि के मुख्य विकास अधिकारी प्रतिवेदक, मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), समीक्षक अधिकारी तथा निदेशक पंचायतीराज स्वीकृर्ता अधिकारी होंगे। उनकी चरित्र पंजिका और सेवा अभिलेख अपर/संयुक्त/उपनिदेशक (प्रशासन) द्वारा रखे जायेंगे।

शासनादेश सं0-36(1)/ए-33-1-212/76, दिनांक 17-1-1977
शासनादेश सं0-487/33-1-91-54/1987, दिनांक 15-2-1991
शासनादेश सं0-5744/33-1-92-131/92, दिनांक 11-11-1992

सहायक जिला पंचायतराज अधिकारी (प्राविधिक) का प्रशासन एवं नियंत्रण, उनकी नियुक्ति एवं सेवा शर्तें :

890--सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक, पंचायती राज होंगे। इनके मण्डल के अन्दर स्थानान्तरण का अधिकारी मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) को होगा। इन्हें आकस्मिक अवकाश एवं 45 दिनों तक का उपार्जित अवकाश जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। सहायक जिला पंचायत अधिकारी (प्राविधिक) को 90 दिन तक उपार्जित अवकाश मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। वेतनवृद्धि, भ्रमण कार्यक्रम तथा यात्रा भत्ता बीजक नियंत्रण एवं सेवा विवरण का रख-रखाव जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा किया जायेगा। दक्षता रोक पार करने का अधिकार अपर/संयुक्त/उप निदेशक (प्रशासन) को होगा। वार्षिक चरित्र पंजिका प्रविष्टि के विवेचन का अधिकार मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) को होगा। चरित्र पंजिका के रख-रखाव का अधिकार अपर/संयुक्त/उप निदेशक (प्रशासन) को होगा।

शासनादेश सं0-36(1)/ए-33-212-76, दिनांक 17-1-1977
शासनादेश सं0-487/33-1-91-54/87, दिनांक 15-2-1991

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत सह समाज शिक्षा) का प्रशासन और नियंत्रण, उनकी नियुक्ति और सेवा शर्तें :

891--(1) अपर/सयुंक्त/उप निदेशक (प्रशासन पंचायतीराज), सहायक विकास अधिकारी (पंचायत सह समाज शिक्षा) के नियुक्ति अधिकारी होंगे। उनके विरुद्ध निलम्बन और विभागीय कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी द्वारा की जायेगी। उनका स्थानान्तरण :

(1) जनपद में मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी की सहमति से जिला पंचायतराज अधिकारी।

(2) मण्डल में मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत)

(3) मण्डल के बाहर अपर/संयुक्त/उप निदेशक (प्रशासन)।

शासनादेश सं0 36(1)/ए-33-212-76, दिनांक 17 जनवरी, 1977
शासनादेश सं0 487/33-1-91-54/1987, दिनांक 15 फरवरी, 1991

892--इन अधिकारियों के दक्षता अवरोध और असन्तुष्टता से सम्बन्धित मामलें मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी देखेंगे। इन्हें आकस्मिक अवकाश खण्ड विकास अधिकारी स्वीकृत करेंगे और इनका अर्जित और चिकित्सीय अवकाश निम्न प्रकार स्वीकृत किया जायेगा :

अवकाश अविध	स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी
1—45 दिन तक का अवकाश	जिला पंचायत राज अधिकारी
2—45 से 90 दिन तक	मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी
3—90 दिन से अधिक	जिलाधिकारी

उनकी वेतनवृद्धि और भ्रमण कार्यक्रम खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। उनकी चरित्र पंजिकाओं की प्रविष्टि खण्ड विकास अधिकारी देंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी समीक्षक अधिकारी होंगे। उनकी चरित्र पंजिकाओं का रख-रखाव मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) करेंगे। उनकी अपीलें अपर/संयुक्त/उप निदेशक (प्रशासन) द्वारा सुनी जायेगी।

ग्राम पंचायत अधिकारी पर प्रशासकीय नियंत्रण, उनकी नियुक्ति और सेवा शर्तें :

शासनादेश सं0-1--9432ए/33-1-173/कार्य 71, दिनांक 24-2-1972, 2--36(1)ए/33-1-292/76, दिनांक 17-1-1977, 3--425ए/33-1-45/72, दिनांक 28-1-1974, 4--अधि0 सं0-1693/33-1-121-62, दिनांक 5-5-1978, 5--शा0 सं0-36(1)ए/33-1-212/76, दिनांक 17-1-1977, 6--487/33-1-91/54/1987, दिनांक 15-2-1991, 7--अधि0 सं0-603/33-1-33-88, दिनांक 27-3-1989, 8--20/1/91/टीसी-10/97, दिनांक 9-6-98

893--ग्राम पंचायत अधिकारी, निदेशक, पंचायतीराज के सामान्य नियंत्रण में करता है। जिला पंचायतराज अधिकारी इनका नियुक्ति अधिकारी होगा। उनकी सेवा शर्तें पंचायत सेवक सेवा नियमावली 1978, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1989 तथा उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1991 द्वारा नियंत्रित होगी। इन पदों को समूह 'ग' में रखा गया है और इनकी नियुक्ति समूह 'ग' हेतु प्रख्यापित नियमावली के अनुसार की जाती है। इनके स्थानान्तरण निम्न प्रकार से किये जायेंगे:

(1) जनपद में जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा।

(2) मण्डल के अन्दर मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) द्वारा।

(3) एक मण्डल से दूसरे मण्डल में अपर/संयुक्त/उप निदेशक (प्रशासन) द्वारा किया जायेगा।

उनको आकस्मिक अवकाश सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। उपार्जित और चिकित्सीय अवकाश खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। उनकी दक्षतारोक पार की अनुमति और यात्रा-भत्ता खण्ड विकास अधिकारी स्वीकृत करेंगे। उनका भ्रमण कार्यक्रम सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) स्वीकृत करेंगे। उनकी चरित्र पंजिकाओं की प्रविष्टियां सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) प्रस्तावित करेंगे। खण्ड विकास अधिकारी उसके समीक्षक अधिकारी होंगे और जिला पंचायतराज अधिकारी उसका स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी होगा। जिला पंचायतराज अधिकारी उनकी चरित्र पंजिकाओं का रख-रखाव करेगा। उनके सेवा अभिलेख खण्ड विकास अधिकारी रखेंगे। उनकी अपीलें मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) द्वारा सुनी जायेगी।

पंचायत राज निदेशालय में समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों की नियुक्ति :

894--(1) उत्तर प्रदेश पंचायत राज निदेशालय लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1979 के नियम 3 (क) के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी कर्मचारी के नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश होंगे। शा0सं0-3975-क/33-1-208/75, दिनांक 1-4-1979, शा0सं0-36(1) क/33-1-212/76, दिनांक 17-1-1977

(2) पंचायती राज निदेशालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी अपर/संयुक्त/उपनिदेशक (प्रशासन), पंचायती राज, उत्तर प्रदेश होंगे।

मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें :

895--जनपद स्तरीय कार्यालयों/अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण और विकास कार्यों के राजपत्रित पद स्वीकृत हैं। इन पर नियुक्ति जिला पंचायत राज अधिकारियों में से ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर की जाती है। इनके नियुक्ति प्राधिकारी सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन है। इनकी वार्षिक वेतनवृद्धि, दक्षता रोक, उपार्जित अवकाश/चिकित्सीय अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश को है। उनका स्थानान्तरण तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही का अधिकार सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन को है। अधि0सं0-4471/33-1-92-80/92, दिनांक 19-10-1992, शा0सं0-2129/33-1-94-57/81, दिनांक 13-5-1994, शा0सं0-5234/33-3-307जी/94, दिनांक 28-10-1996

(2) मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत) कार्यालय के लिये समूह 'ग' के चार पद तथा समूह 'घ' का एक पद स्वीकृत है, जिसके नियुक्ति अधिकारी मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत) है। इनकी वार्षिक वेतनवृद्धि दक्षतारोक उपार्जित/चिकित्सीय अवकाश तथा यात्रा भत्ता सुविधा अवकाश, स्वीकृत का अधिकार मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) को है। मण्डल के बाहर स्थानान्तरण का अधिकार निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश को है।

जिलाधिकारी का उत्तरदायित्व :

896--जिलाधिकारी जनपद में पंचायतों से संबंधित सभी कार्यों के लिये अन्तिम रूप से उत्तरदायी होंगे और अपने इन उत्तरदायित्वों का निर्वाह मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से करेंगे। शा0सं0-5/पीआरडी/(5) 193-40, दिनांक 9-1-1951

जिला पंचायत अधिकारियों के कार्य और अधिकार :

897--जिला पंचायत राज अधिकारी पंचायत लिपिकों और चपरासियों का नियुक्ति अधिकारी होगा। वह विकास खण्डों, गाँव सभा और न्याय पंचायतों का आकस्मिक निरीक्षण कर सकेगा और निर्देश देगा। इसके अतिरिक्त वह सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) और ग्राम पंचायत अधिकारी के कार्यों का निरीक्षण भी करेगा। वह पंचायत उद्योगों का भी जनपद में निरीक्षण कर निर्देश देगा। वह सहायक विकास अधिकारी (पंचायत सह समाज शिक्षा) व पंचायत निरीक्षक (उद्योग) के शा0सं0-36(1)ए/33-1-712-76, दिनांक 17-1-1977, परिपत्र सं0-6/2587/75-6/92-72, दिनांक 25-6-1975

कार्यों का भी निरीक्षण करेगा। वह मास में दस दिन का भ्रमण और पांच रात्रि विश्राम करेगा। वह 20 ग्राम पंचायतों और पाँच न्याय पंचायतों का निरीक्षण करेगा। वह जनपद के सभी पंचायत उद्योगों का निरीक्षण करेगा।

पंचायत फण्ड और लेखा व्यवस्था

जिला पंचायत स्थापना के लिये आहरण और वितरण अधिकारी :

शा0 सं0-7544/बी/तैतीस-2-78-सीजी-62, दिनांक 24-2-1968, शा0सं0-बी-1-4469/दस-53/98, दिनांक 28-9-1985

898--जनपद के सम्पूर्ण पंचायत राज स्थापना के सम्बन्ध में वेतन भत्तों और उनके कार्यालय व्यय के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को आहरण वितरण अधिकारी घोषित किया गया है।

पंचायत फण्ड की अभिरक्षा और लेखा :

शा0सं09186क/33-1-1971-1065, दिनांक 28-9-1971,

899--पंचायत फण्ड के व्यवस्थित रख-रखाव के लिये जिला पंचायत राज अधिकारी को शासकीय हैसियत से दो पर्सनल लेजर खाते, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पाँच भाग-एक के प्रस्तर 363, 364 तथा 340 (बी) (1) (2) के अन्तर्गत खोलने की स्वीकृति दी गयी है। इन खातों को संचालित करने के लिये पंचायत राज नियम संख्या 178 एवं 179 में व्यवस्था संबंधी अग्रांकित नियम निर्धारित किये गये हैं।

शा0 सं0-ए-1-1507/दस-1998, दिनांक 25-9-1998

(1) प्रत्येक जनपद में एक जिला गांव फण्ड होगा। इसके लिये जिला पंचायत अधिकारी जनपद के कोषागार में एक बैंक खाता खोलेंगे। इसी तरह जिला पंचायत अधिकारी दूसरा खाता जिला पंचायती अदालत खाता शीर्षक से खोलेंगे। गाँव पंचायतों के सभी लेन-देन इन्हीं खातों के माध्यम से किये जायेंगे और इसी प्रकार पंचायती अदालत से व्यय उससे संबंधित खाते के माध्यम से होंगे।

(2) प्रत्येक जिला पंचायत राज अधिकारी जिला गाँव फण्ड और जिला पंचायती अदालत खातें का अलग-अलग रजिस्टर निम्न रूपपत्र पर रखेंगे। गाँव पंचायत व पंचायत अदालत की आमद और व्यय के सभी ब्यौरे इसके आय और व्यय के शीर्षकों में अंकित होंगे। प्रत्येक गाँव पंचायत और पंचायत अदालत के रजिस्टर में पर्याप्त पृष्ठ निर्दिष्ट किये जायेंगे जिसमें उनके आय-व्यय का ब्यौरा रखा जा सके।

प्रथम पृष्ठ दूसरा पृष्ठ

गांव पंचायत अथवा अदालत पंचायत का नाम .....

.....

.....

जिला .....

दिनांक	चालान नं0	धनराशि निकाली गई	दिनांक	चालान	धनराशि जमा की गई

(3) पंचायत राज नियम संख्या 179(1) के अनुसार प्रधान गांव पंचायत व सरपंच पंचायत अदालत को अपने-अपने फण्ड से 25 रुपये का स्थायी अग्रिम रखने के लिये अधिकृत है। अब भी गाँव फण्ड का संग्रह और पंचायत अदालत की फीस अथवा अर्थदण्ड से हुई आय 25 रुपये से मासांत अथवा माह के बीच 100.00 रुपये से अधिक हो जाय तो अवशेष तत्काल कोषागार अथवा उपकोषागार में जमा करना अनिवार्य है। इस तरह उक्त धनराशि प्रधान अथवा सरपंच स्वयं व्यक्तिगत रूप से कोषागार अथवा उपकोषागार में जाकर जमा कर सकते हैं। अथवा पंचायत सेवक व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत सह समाज शिक्षा) के द्वारा या मनीआर्डर द्वारा, जैसा भी धन की सुरक्षा की दृष्टि से अपेक्षित हो, जमा कर सकते हैं।

(4) प्रधान और सरपंच अपने दैनिक व्ययों का वहन अधिकृत अग्रिम से करेंगे। यदि इससे अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है तो गाँव पंचायत धन की स्वीकृति अथवा सरपंच के लिये अधिकृत करने हेतु प्रस्ताव पारित कर जिला पंचायत अधिकारी को भेजेगी जो कोषागार से वांछित धन निकाल कर उपप्रस्तर (3) के अनुसार प्रधान अथवा पंचायत को उपलब्ध करायेंगे। यहां यह स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है कि प्रधान या सरपंच को उन्हीं व्ययों के लिये अधिकृत किया जा सकता है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा-41 और 39 एवं नियम संख्या, 215 के प्रावधानों के अनुसार आय-व्ययक में प्रावधानित हो।

(5) प्रधान और सरपंच प्रति माह के समाप्त होने पर अगले माह के प्रथम सप्ताह में माह के आय-व्यय का व्यौरा जिला पंचायत अधिकारी को भेजेंगे जो पी0 एल0 ए0 खाते की पासबुक से ब्यौरों का मिलान करेंगे।

यह निर्देश संबंधित सभी सूत्रों को जानना-समझना और पालन करना अपेक्षित है।

शा0सं0-3084/xx/ए129-एनईएस/58, दिनांक 15 जून, 1961

(1) साधारणतया पंचायत अदालत की सभी प्राप्तियां शासकीय प्राप्तियों की भांति जमा की जानी चाहिए और इसके बाद नियमानुसार व्यय की जानी चाहिये। परन्तु विशेष परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश कोषागार नियम-7(2) जो वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-पाँच, भाग-एक की परिशिष्ट-दो में दिया गया है, प्राप्तियों से व्यय की स्वीकृति दी जा सकती है। यह अपवाद सरपंच पंचायत अदालत द्वारा प्राप्त किये गये शुल्क और जुर्मानों के बारे में है। इसी प्रकार पंचायतों द्वारा भी विभागीय प्राप्तियों को विभागीय व्ययों के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्तमान अपवाद जो कोषागार नियम-7 (2) में दिये गये थे, समाप्त हो गये हैं और उनके स्थान पर नया अपवाद निम्न प्रकार जोड़ा गया है :

उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम, 1947 के अधीन पंचायत अदालत द्वारा शुल्क और दण्ड की प्राप्ति के सम्बन्ध में भुगतान :

(1) व्यक्तियों को मानदेय लिखने या अभिलेखों की कापी, रजिस्टर भरने, सम्मन तामील करने आदि या (4) पंचायत अदालत क्षेत्र की गाँव पंचायतों की देय अवशेष।

(2) गांव पंचायत अदालतों के सरपंचों द्वारा शुल्क और दण्ड के रूप में प्राप्त प्राप्तियों के विवरण रखने के लिये अग्रांकित खाता व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

(ए) पंचायत राज नियम में निर्धारित रूप-पत्र संख्या-6 पर पंचायत अदालत द्वारा आय-व्यय का विवरण रखा जायेगा।

(बी) प्रत्येक अदालत पंचायत शुल्क और दण्ड की शीर्षकवार आय प्रपत्र-ए पर अलग-अलग अंकित कर रखेगी।

(सी) इसी प्रकार प्रत्येक अदालत पंचायत प्रत्येक त्रैमास (31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर और 31 दिसम्बर) के अन्त में प्रत्येक त्रैमास प्राप्त प्राप्तियों का व्यौरा तैयार करेगी। यह ब्यौरा प्रपत्र-बी पर बनाया जायेगा जो जिला पंचायतराज अधिकारी को त्रैमासान्त के बाद यथाशीघ्र सहायक विकास अधिकारी (पंचायत सह समाज शिक्षा) के माध्यम से भेजा जायेगा।

(डी) पंचायत अदालतों से प्राप्त विवरणों को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा संकलित कर समस्त प्राप्तियों का जोड़ दर्शाते हुये त्रैमासान्त के 15 दिन के भीतर निदेशक, पंचायतराज को भेजा जायेगा।

(ई) पंचायत राज निदेशालय त्रैमासान्त के बाद 25 दिन के अन्दर कुल प्राप्तियों का ब्यौरा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भेजेगा। फिर यह राज्य के खाता शीर्षक 114-ख--पंचायतीराज अधिनियम के अधीन प्राप्तियां--(1) शुल्क और जुर्माने से प्राप्ति में जमा किया जायेगा और ग्रान्ट्स अथवा गाँव सभाओं का सहभाग को लेखाशीर्षक ग्रान्ट नं0-66 खाता 363 स्थानीय निकाय और पंचायतराज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण--(6) पंचायतों को पंचायत राज अधिनियम के अधीन किया गया जुर्माना और न्यायालय शुल्कों से हुई प्राप्तियों के कारण गाँव सभा के अंशदान में घटाया जायेगा।

(एफ) वित्तीय वर्ष के अंतिम त्रैमास की प्राप्तियों को महालेखाकर उत्तर प्रदेश द्वारा मार्च के अन्तिम अथवा अनुपूरक खातों में शामिल किया जायेगा। पंचायतराज निदेशालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतिम त्रैमास की प्राप्तियां महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को 25 अप्रैल तक अवश्य पहुंच जाय।

फार्म-ए

900–पंचायत अदालत की प्राप्तियों का शीर्षकवार विवरण-19

नाम पंचायत अदालत–

नाम तहसील.....

.....जिला.....

.....

क्र0 सं0	शीर्षक मद	अप्रैल	मई	क्रमिक योग	जून	प्रगतियोग
आय की मदें–						
(1)	दीवानी वाद–					
	1--फीस					
	2--दण्ड					
(2)	अपराधिक वाद–					
	1--फीस					
	2--दण्ड					
(3)	माल के वाद–					
	1--फीस					
	2--दण्ड					
(4)	अन्य स्रोतों से आय–					
	1--नकल शुल्क प्रकीर्ण					

फार्म-बी

901–पंचायत अदालत की प्राप्तियों का त्रैमासिक विवरण:

नाम पंचायत अदालत.....

नाम तहसील.....

नाम जिला.....

क्र0 सं0	प्राप्तियों का विवरण	धनराशि
1	दीवानी वाद से आय	
	1--फीस	
	2--दण्ड	
2	अपराधिक वाद से आय	
	1--फीस	
	2--दण्ड	
3	माल के वादों से आय	
	1--फीस	
	2--दण्ड	
4	अन्य स्रोतों से आय	
	1--नकल शुल्क	
	2--प्रकीर्ण	
	योग . .	
	पिछले त्रैमास का योग	
	क्रमिक योग . .	

ह0 सरपंच

सराय और नौकाघाट का प्रबन्ध

902--सराय :

(1) सार्वजनिक सराय के रख-रखाव की विधिक व्यवस्था सराय अधिनियम 1867 में दी गई है जो जिला परिषद मैनुअल के पाठ-IX में समाविष्ट है। अत: सराय के प्रबन्ध सम्बन्धी प्रकरण उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुसार संदर्भित होते हैं। अधिनियम के प्रावधानों के साथ निम्नलिखित शासनादेश भी जारी किए गये हैं।

(ए) सराय का व्यौरावार रजिस्टर जो अधिनियम की धारा-4 द्वारा निर्धारित है, को सभी जनपदों में नियमित रूप से रखा जाना अनिवार्य है।

नोट :–शब्द 'सराय' में 'धर्मशालायें' भी शामिल है। (शासनादेश संख्या : 8343/टप्प-360, दिनांक 2-11-1910)

(बी) सराय के रख-रखाव करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को अपना पंजीकरण कराने हेतु सराय क्षेत्र के तहसीलदार और थाना इंचार्ज को एक चरित्र प्रमाण-पत्र निम्न प्रारूप में देना होगा।

चरित्र प्रमाण-पत्र

903--(धारा-6 अधिनियम संख्या-22, 1867):

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि श्री.....सुपुत्र .....निवासी..... .....का चरित्र मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार ऐसा नहीं है कि इन्हें सराय के रख-रखाव के भार से प्रतिबंधित किया जाय।

(सी) अधिनियम की धारा-16 के अनुसार यह उपबन्ध राज्य सरकार अथवा म्युनिस्पल कमेटी के सीधे नियंत्रण वाली सरायों पर लागू नहीं है।

(2) अधिनियम की धारा-17 के अनुसार यह प्रावधान आगरा प्रान्त के सम्पूर्ण क्षेत्र में लागू होगा। अधिनियम की इसी धारा के अधीन अधिसूचना संख्या : 591, दिनांक 25-07-1883, जो शासकीय गजट में दिनांक 28-07-1883 को प्रकाशित हुई, के द्वारा अवध क्षेत्र पर भी लागू कर दिया गया है।

घाटों का प्रबन्ध :

904--(1) घाटों के प्रबन्ध के लिये अधिनियम और नियम की व्यवस्था जिला परिषद के मैनुअल के पाठ-10 में दी गयी है।

नार्दर्न इण्डिया फेरीज अधिनियम, 1878 के अन्तर्गत घाटों को सार्वजनिक घाट घोषित किये जाने की अधिसूचना लोकल रूल्स एण्ड आर्डर्स के वाल्यूम-दो में उपलब्ध है।

उक्त नियमों में ऐसे आदेश निहित हैं जिनके अनुसार आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को नियम बनाने, नदियों का वर्गीकरण और टोल्स की छूट एवं जिला परिषदों द्वारा संचालित घाटों के लिये आदर्श नियम बनाने व लागू करने के अधिकार प्रतिनिहित हैं।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग के सीधे नियंत्रण और देख-भाल में आने वाले घाटों की सूची उनके विभागीय मैनुअल के प्रस्तर-287 में दी गयी हैं। मैनुअल के नियम 288 और 289 में टोल्स की छूट, घाटों की टूट-फूट की मरम्मत की व्यवस्था है जबकि उक्त मैनुअल के परिशिष्ट-17 में नौकाओं के अधिकतम भार आदि से सम्बन्धित निर्देश दिये गये हैं।

अध्याय--74

नगर विकास विभाग

विभागीय मैनुअल :

905--नगर विकास का संबंध नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों, नगर पंचायतों, जल निगम और जल संस्थानों से है। नगर निगमों के संबंध में 1960 में प्रकाशित नियम और आदेश मैनुअल स्वरूप है, इन्हें अद्यावधिक करके हिन्दी में प्रकाशित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। नगर पालिकायें और नगर पंचायतें उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से शासित है, अत: नगर पंचायतें अब टाउन एरिया मैनुअल से शासित नहीं है। नगर पालिकाओं के संबंध में म्युनिसिपल मैनुअल (1951 संस्करण) का संदर्भ लिया जा सकता है।

मण्डलायुक्तों की शक्तियों पर प्रतिबन्ध :

906--नगर पालकिाओं के संदर्भ में राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग नगर पालिका अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार विहित प्राधिकारी के रूप में मण्डलायुक्तों द्वारा किया जाता है। विहित प्राधिकारी को नगर पालिकाओं पर प्रतिनिहित सीमा तक नियंत्रण और कराधान विषयक नगर पालिकाओं की नियमावलियां और कर अधिरोपण प्रकाशित करने की शक्ति है।

उत्तर प्रदेश जल निगम :

907--स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग सन् 1975 में उत्तर प्रदेश जल निगम में संविलीन हो गया था। जल निगम एक स्वायत्त शासकीय संस्था और स्थानीय प्राधिकारी है और नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों तथा जल संस्थानों की जल सम्पूर्ति और सीवर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

म्यूनिसिपल मैनुअल :

908--यू0 पी0 म्यूनिसिपल मैनुअल (1952 संस्करण) अंग्रेजी में है और नगर पालिकाओं (नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतें) पर प्रवृत्त है। मैनुअल में नगरपालिकाओं से संबंधित नियमावलियों, विनियमों तथा आदर्श नियमों, विनियमावलियों और उपविधियों सहित सुसंगत केन्द्रीय सरकार के तथा राजकीय अधिनियमों व नियमों का समावेश है।

नोटीफाइड एरिया कमेटियां :

909--30 मई, 1994 से नोटीफाइड एरिया कमेटियां समाप्त हो गयी है। उनके स्थान पर नगर पंचायतें गठित हो गयी है, जो नगर पालिका अधिनियम से शासित है।

निदेशक, स्थानीय निकाय का विभागाध्यक्ष होना :

सं0-3 एल0 बी0/11-क-1(एल0 बी0)/70, दिनांक 22-3-1971

910–निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1, खण्ड-2 (भाग-2-4), खण्ड-3, खण्ड-5 (भाग-1) में विभागाध्यक्ष की समस्त शक्तियां, निदेशक में निहित है। उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीय) सेवा नियमावली, 1966 के नियम-42 के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी तक के अधिकारियों की नियुक्ति, उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही, अवकाश, दक्षता रोक पार कराने की अनुमति, स्थानान्तरण आदि की शक्तियां निदेशक को प्रतिनिहित की गयी है तथा स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग और दशम वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित वित्तीय सहायता के संबंध में भी कुछ शक्तियों का प्रतिनिधायन किया गया है।

पालिका सेवाओं का केन्द्रीकरण :

911–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 तथा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 में वर्ष 1964 में क्रमश: धारा 112क, धारा 69ख की वृद्धि करके नगर निगमों और नगरपालिकाओं के लिए सामान्य सेवायें सृजित किये जा सकने की शक्ति राज्य सरकार को दी गयी थी। इन प्राविधानों के अंतर्गत दिनांक 9 जुलाई, 1966 को उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयत सेवा नियमावली, 1966 प्रवृत्त की गयी थी। सेवा में सम्मिलित सेवाओं और पदों के पदधारकों के संविलियन तथा उन पदों पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति, स्थायीकरण, ज्येष्ठता अवधारणा, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्यवाही, सेवा निवृत्ति के साथ ही दण्डन और स्थानान्तरण के अधिकार राज्य सरकार में निहित हो गये है। इनमें से श्रेणी-2 तक के अधिकारियों के संबंध में अधिकांश शक्तियां निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश को प्रतिनिधानित है।

अध्याय--75

लोक निर्माण विभाग

संगठन, नियम तथा आदेश :

912–लोक निर्माण विभाग, प्रमुख अभियन्ता के नियंत्रण में कार्य करता है। कार्य के निष्पादन हेतु प्रमुख अभियन्ता के सहायतार्थ लखनऊ मुख्यालय पर कई मुख्य अभियन्ता तैनात हैं तथा इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता तैनात हैं। प्रशासनिक सुविधा हेतु पूरे प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक क्षेत्र में एक मुख्य अभियन्ता हैं।

भवन तथा मार्ग मैनुअल :

913–लोक निर्माण विभाग में शासन के आदेशों को विभागीय मैनुअल के रूप में तीन भागों में प्रकाशित किया गया है जिनमें क्रमश: भाग-1, नियम तथा आदेशों से संबंधित हैं, भाग-2 में परिशिष्टयां हैं तथा भाग-3 में प्रयोग किये जाने वाले प्रपत्रों का उल्लेख किया गया है। आयुक्तों तथा जिलाधिकारियों तथा भवनों एवं मार्गों की शाखाओं के बीच संबंध का उल्लेख प्रस्तर 156 से 158 में किया गया है तद्नुसार जिलों के अधिकारियों से उक्त मैनुअल के अध्याय-5 की जानकारी होने की अपेक्षा की जाती है।

राजकीय भवनों में विद्युत उपकरणों का लगाया जाना :

914–वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-5, खण्ड-1 के प्रस्तर-277 तथा भाग-6 के प्रस्तर-286 तथा मैनुअल ऑफ आर्डर के भाग-2 में परिशिष्ट-20 के अनुसार भवनों तथा मार्गों के मैनुअल में दिये गये प्राविधान के अनुसार शासकीय भवनों में विद्युत व्यवस्था की जाती है।

अतिक्रमणों को रोकने तथा उनकी सुरक्षा के लिये व्यवस्था करना :

915–लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को वर्तमान में मार्गों पर यातायात की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मार्गों के किनारे अनाधिकृत निर्माण को रोकने के लिये कन्ट्रोल ऐक्ट-1954, पब्लिक प्रमिसेज (एविक्शन ऑफ अनअथराइज्ड आक्यूपेन्ट्स) ऐक्ट, 1972 एवं उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 के अंतर्गत प्रभावी अधिकार सौंपे गये हैं।

यातायात की सुविधा एवं सुरक्षा के लिये मार्गों पर सूचना पट लगाये जाने में निजी क्षेत्रों का सहयोग एवं भागीदारी प्राप्त की जा सकती है।

अत: लोक निर्माण विभाग के स्थानीय अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे अनाधिकृत निर्माण कार्यों को अपने निरीक्षण के दौरान उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये व उसे नियमानुसार शीघ्र हटवाने की कार्यवाही करायें।

शहरी क्षेत्रों में मार्गों का विकास :

916–प्रदेश के विभिन्न नगरों से जाने वाले लोक निर्माण विभाग के मार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। शहरी क्षेत्रों में तीव्र एवं नियमित सुचारु यातायात व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु जनपदों में जिलाधिकारी एवं महानगरों में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक अन्तर्विभागीय दल की स्थापना होगी।

रेलवे द्वारा अधिग्रहीत भूमि का बकाया :

917–रेलवे के लिये अधिग्रहीत की गयी भूमि के प्रतिकर के बकाये रेलवे विभाग को तत्काल प्रस्तुत कर दिये जाने चाहिए।

परिसदनों का अध्यासन, किराया एवं रख-रखाव :

918–यह नियमावली उत्तर प्रदेश के परिसदनों (सर्किट हाउसेज) के अध्यासन, किराया व रख-रखाव आदि संबंधी नियमावली कहलायेगी।

यह नियमावली परिसदनों (सर्किट हाउसेज) जो बरेली, मेरठ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, वाराणसी (नया व पुराना) मुख्यालय पर स्थित हैं व भविष्य में बनने वाले परिसन (सर्किट हाउस) पर लागू होगी।

यह भवन लोक निर्माण विभाग की सम्पत्ति है। भवन, भूमि व अन्य सम्पत्ति जिले के प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के नियंत्रण में होंगे परन्तु उनके कक्षों के आवंटन का अधिकारी जिलाधिकारी करेंगे। शासन स्तर पर सर्किट हाउसेज का प्रबन्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में रहेगा।

फैजाबाद, मेरठ को छोड़कर अन्य स्थानों पर स्थित सर्किट हाउसेज में एक वी0 वी0 आई0 पी0 तथा एक वी0 आई0 पी0 कक्ष बनाये जाये।

वी0 वी0 आई0 पी0 कक्ष राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री/स्पीकर, लोकसभा, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल उत्तर प्रदेश एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिये होगा।

अध्याय--76

समाज कल्याण विभाग

संगठन :

919--समाज कल्याण विभाग पहले "हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग" के नाम से जाना जाता था। सम्प्रति "समाज कल्याण विभाग" सामाजिक परिक्षेत्र (सोशल सेक्टर) का एक महत्वपूर्ण विभाग है जो समाज कल्याण आयुक्त एवं प्रमुख सचिव के अधीन है।

सचिव, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सैनिक कल्याण के कार्यों को देखता है तथा अन्य अनुभागों द्वारा सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक सहायता संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण तथा मद्यनिषेध संबंधी कार्य देखे जाते हैं।

समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ में कार्यालयाध्यक्ष निदेशक तैनात हैं।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण कार्यक्रमों के संचालन के लिये निदेशक, अनुसूचित जनजाति तथा प्रबन्ध निदेशक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अधीनस्थ अनुसूचित जनजाति निदेशालय है, जिसमें एक उप निदेशक व अन्य अधिकारी/कर्मचारी तैनात हैं।

भारत सरकार द्वारा संचालित स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का कार्य भी कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ की देख-रेख में उपरोक्त दोनों निदेशकों द्वारा अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में देखा जाता है।

समाज कल्याण विभाग के मुख्य कार्य :

920--(1) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा विमुक्ति जाति के लोगों के आर्थिक, समाजिक तथा शैक्षिक उन्नति के लिए संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन।

(2) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा विमुक्ति जाति के बच्चों की शिक्षा के प्रसार हेतु संचालित विद्यालयों, पुस्तकालयों, छात्रावासों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति तथा अन्य सहायता प्रदान करना।

(3) उपरोक्त वर्ग के बच्चों को व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं में प्रवेश दिलाना तथा उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

(4) उपरोक्त वर्ग के बच्चों को प्रदेश की सेवाओं के लिए होने वाली प्रतियोगात्मक परीक्षा हेतु तैयार करना जिसके अंतर्गत पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन भी शामिल है।

(5) समाज के उपरोक्त वर्गों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उन्हें लघु उद्योग तथा घरेलू उद्योग धंधे की स्थापना के लिए अनुदान, मार्जिन मनी तथा ऋण की सुविधा देने का कार्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा किया जाता है।

(6) उक्त वर्ग के छात्रों को छात्रावासी सुविधा उपयुक्त आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।

(7) अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के उत्पीड़न के मामले में उत्पीड़ित परिवारों को कानूनी तथा आर्थिक सहायता प्रदान करना।

(8) भारत सरकार द्वारा संचालित अधोलिखित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमों का संचालन।

(9) समाज के विभिन्न कमजोर, असहाय तथा उपेक्षित वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों व संस्थाओं का संचालन।

(10) सेवारत, भूतपूर्व सैनिकों तथा शहीद सैनिकों के परिवारों को सहायता प्रदान करना।

(11) मद्यनिषेध संबंधी कार्यक्रमों का संचालन।

(क) वृद्धावस्था पेशन योजना :

इसके अतिरिक्त 65 वर्ष से अधिक आयु के असहाय एवं निर्धन वृद्धों को 75 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है।

(ख) राष्ट्रीय परिवार लाभ :

इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के कमाऊ सदस्यों की मृत्यु होने की दशा में उस परिवार को रु0 10,000.00 की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना :

इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं को प्रथम व द्वितीय प्रसवकाल में रुपये 500.00 की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।

(12) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की उन्नति हेतु किये जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्य :

इस प्रकार के निर्माण कार्य के लिए विभागीय निर्माण इकाई के रूप में उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम गठित किया गया है।

अनुसूचित जातियों की सूची :

921--उत्तर प्रदेश में रहने वाली जातियों/जनजातियों अथवा उप जातियों व उनके समुदाय के सदस्यों को अनुसूचित जाति घोषित किया गया है।

सं0--1432/26--3--86--11 (वि0स0)/86, दिनांक 10-7-1986

पिछड़ा वर्ग की सूची :

922--उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली अधोलिखित जातियों को सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती, छात्रवृत्ति तथा पुस्तकों आदि की सहायता के लिये व अन्य अनावर्तक सहायता कृषि एवं घरेलू उद्योग तथा आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है।

सं0--1708/64-1-98, दिनांक 5-11-1998

सं0-बी-456/का-2-95, दि0 6-9-1995 सं0-11 एमएम/64-1-96-100/95, दि0 1-5-997 सं0-731/64-1-97, दि0 6-8-1997 सं0-1259/64-1-97-70/96, दि0 15-9-1997 सं0-961/64-1-98-70/96, दि0 15-7-98 सं0-1305/64-1-98-10/96, दि0 26-8-1998 सं0-1521/64-1-98-51/98, दि0 24-9-1998

उप जातियों को अतिरिक्त रूप से अनुसूची-एक में शामिल किया गया है।

किसी व्यक्ति द्वारा जाति प्रकट न करना :

सं0-1303/3-15-1949, दि0 9-4-1949

923--अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति यदि अपने को अनुसूचित जाति का सदस्य माना जाना नहीं चाहता है तो इसके लिए उस पर कोई दबाव नहीं डाला जायेगा, बशर्ते वह स्वयं अपनी इच्छा से ऐसा चाहता हो।

सैनिक कल्याण

संगठन तथा कार्य :

924--सामाजिक परिक्षेत्र में सैनिक कल्याण संबंधी कार्य सम्प्रति समाज कल्याण विभाग द्वारा देखा जा रहा है। विभागाध्यक्ष के रूप में निदेशक सैनिक कल्याण, उत्तर प्रदेश के अधीन सैनिक कल्याण संगठन का संचालन किया जाता है। इनका मुख्य कार्य भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना, सेवारत सैनिकों तथा शहीद सैनिकों के परिवारों को यथा सम्भव सहायता पहुंचाना है।

केन्द्रीय सैनिक परिषद् :

सं0-771/48/98-14-1(3)/88, दिनांक 20-5-1998

925--भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास तथा सेवारत सैनिकों तथा शहीदों के परिवारों के कल्याण हेतु किये जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने के लिये रक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय सैनिक बोर्ड गठित है जिसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अथवा उनके द्वारा नामित मंत्री इसके सदस्य होते हैं। राज्य स्तर पर भी राज्य सैनिक परिषद् गठित है।

जिला सैनिक परिषदों का गठन :

926--इसका गठन अधोलिखित प्रकार से किया जाता है :

(क) अध्यक्ष	:	जिला मजिस्ट्रेट
(ख) उपाध्यक्ष	:	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित जिले का निवासी एक वरिष्ठ भूतपूर्व सैन्य अधिकारी।
(ग) पदेन सदस्य	:	भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास एवं कल्याण के कार्य से संबंधित जिले के सभी कार्यालयों के अध्यक्ष।

(घ) नामित सदस्य--

(1) जिले के प्रत्येक विकास खण्ड से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित भूतपूर्व सैनिकों का एक प्रतिनिधि।

(2) सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यों में रुचि लेने वाले 04 गैर सरकारी सदस्य।

परिषद् के गैर सरकारी सदस्यों (भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि सहित) का कार्यकाल परिषद् के गठन की तिथि से दो वर्ष का होगा।

जिला सैनिक परिषद् के कार्य :

927--जिला सैनिक परिषदों के कार्य निम्नलिखित हैं :

(1) भूतपूर्व सैनिकों तथा कार्यरत सैनिकों के कल्याण हेतु आवश्यक कार्य का सम्पादन।

(2) जनसाधारण को देश की सेनाओं से संबंधित जानकारी देते हुए उनमें सेना के प्रति रुचि जागृत करना।

(3) भूतपूर्व/कार्यरत/शहीद सैनिकों तथा उनके परिवारों के कल्याण एवं पुनर्वास से संबंधित समस्त विषयों की समय-समय पर सत्यापन।

(4) सेना में भर्ती करने वाले भर्ती कार्यालयों की मदद करना।

(5) कार्यरत एवं भूतपूर्व सैनिकों व उनके परिवारों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर उचित कार्यवाही करना।

(6) भूतपूर्व सैनिक व उनके परिवारों को पेंशन, ग्रेच्युटी तथा आर्थिक सहायता संबंधी समस्त कार्यों हेतु सहायता प्रदान करना।

(7) अन्य सामयिक एवं महत्वपूर्ण कार्य जो समय-समय पर सैनिक कल्याण निदेशालय/शासन द्वारा सौंपे जायें।

अध्याय--77

कृषि विभाग

928–कृषि विभाग कृषि निदेशक की देखरेख एवं नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। मुख्यालय स्तर पर यह निम्न मुख्य शाखाओं में विभाजित है : –

(1) सामान्य कृषि शाखा

(2) कृषि प्रसार शाखा

(3) भूमि संरक्षण एवं जल प्रबंध

(4) कृषि सांख्यिकीय शाखा

प्रत्येक शाखा एक अपर कृषि निदेशक के प्रभार में है तथा कृषि सांख्यिकीय शाखा निदेशक, कृषि सांख्यिकीय एवं फसल बीमा के अधीन है। कृषि विभाग का प्रमुख कार्य प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु सभी सम्भव उपाय करना तथा कृषि आंकड़ों का विधिवत रखरखाव करना है। कृषि विभाग की विभिन्न शाखाओं का कार्य निम्न प्रकार से नियंत्रित किया जाता है :

(1) सामान्य कृषि शाखा :

929--(क) बीज एवं प्रक्षेत्र इकाई : इस इकाई के अधिशासी अधिकारी संयुक्त कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) हैं। उनकी सहायता हेतु एक कृषि अधिकारी (बीज) एवं एक सहायक निदेशक (प्रक्षेत्र) है।

भारत सरकार द्वारा विनियमित बीज अधिनियम, 1966 अक्टूबर , 1966 से तथा बीज नियम, 1968, सितम्बर 2, 1968 एवं बीज नियंत्रण आदेश, 1983 दिसम्बर 30, 1983 से लागू है। यह इकाई इस अधिनियम, नियम एवं बीज नियंत्रण आदेश के उपबन्धों को कार्यान्वित कराने हेतु भी उत्तरदायी है। इस कार्य हेतु सभी जिला कृषि अधिकारियों को, जो कृषि स्नातक हों, बीज निरीक्षक नियुक्त किया गया है।

(ख) गेहूँ एवं मोटा अनाज इकाई : इस इकाई के अधिशासी अधिकारी का पदनाम शासनादेश संख्या-5857/12-1-88-2205/88, दिनांक 13-8-1988 द्वारा बदलकर संयुक्त कृषि निदेशक (गेहूँ एवं मोटा अनाज) घोषित किया गया है।

(ग) कृषि आपूर्ति संगठन : इस संगठन के अधिशासी अधिकारी संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार एवं पूर्ति) हैं। इनकी सहायतार्थ एक सहायक निदेशक (पूर्ति) हैं।

(घ) दलहन विकास इकाई : प्रदेश में इस इकाई का अधिशासी अधिकारी संयुक्त कृषि निदेशक (दल्हन) है।

(ङ) कृषि प्रसार शिक्षण एवं प्रशिक्षण ब्यूरो : इस ब्यूरो के अधिशासी अधिकारी संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण ब्यूरो) हैं जिनका प्रमुख कार्य प्रदेश के किसानों तथा प्रसार कार्यकर्ताओं के लिये उपयोगी तथा सामयिक कृषि साहित्य तैयार करना है।

(च) उर्वरक एवं खाद गुण नियंत्रण इकाई : इस इकाई के अधिशासी अधिकारी उप कृषि निदेशक (उर्वरक एवं खाद) हैं जिनके अधीन प्रदेश में तीन उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं लखनऊ , वाराणसी एवं मेरठ में स्थापित एवं कार्यशील हैं। इसके अतिरिक्त दस प्रयोगशालायें और अधिसूचित हैं। शासन की अधिसूचना संख्या-84/12-2-89-एफ-1/85, दिनांक 28

जनवरी, 1989 द्वारा प्रदेश में उर्वरकों का मिश्रण और उर्वरकों का विशेष मिश्रण तैयार करने के लिये निबन्धन प्रमाण-पत्र स्वीकृत या नवीनीकृत करने के प्रयोजनार्थ इन्हें शासन द्वारा निबंधन प्राधिकारी भी नियुक्त किया गया है।

इस इकाई द्वारा उर्वरक गुण नियंत्रण से सम्बन्धित कार्य का अनुश्रवण किया जाता है जो आवश्यक वस्तु-अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत निर्गत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रभावी क्रियान्वयन से पूर्णतया सम्बन्धित है।

(छ) तिलहन, जूट एवं सनई विकास कार्यक्रम : इस योजना के अधिशासी अधिकारी अपर कृषि निदेशक (तिलहन) हैं। इनकी सहायतार्थ श्रेणी-2 के तीन अधिकारी यथा सहायक निदेशक (सूरजमुखी), सहायक निदेशक (सोयाबीन) तथा तिलहन प्रसार अधिकारी हैं।

(ज) विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम : इस कार्यक्रम के अधिशासी अधिकारी अपर कृषि निदेशक (चावल) हैं, जिनकी देख-रेख में चावल उत्पादकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(झ) कृषि अभियंत्रण इकाई : इस इकाई के अधिशासी अधिकारी कृषि अभियंता (मुख्यालय) हैं। इनकी सहायतार्थ चार सहायक कृषि अभियन्ता कार्यरत हैं।

(ट) कृषि रक्षा इकाई : इस इकाई के प्रमुख, प्रदेश स्तर पर संयुक्त कृषि निदेशक (कृषि रक्षा) तकनीकी प्रदेशीय प्रधान अधिकारी हैं। इनका कार्य प्रदेश के समस्त कृषि रक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों का मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण, समन्वय तथा नियंत्रण आदि हैं।

(2) कृषि प्रसार शाखा (प्रशिक्षण एवं सम्पर्क योजना) :

930--इस शाखा के अधिशासी अधिकारी अपर कृषि निदेशक (प्रसार) हैं।

(3) भूमि संरक्षण एवं जल प्रबन्ध :

931--(क) अधिशासी अधिकारी अपर कृषि निदेशक (भू0सं0) हैं, जिनकी सहायता के लिये तीन संयुक्त कृषि निदेशक, सात उप कृषि निदेशक एवं नौ प्राविधिक अधिकारी हैं। यह शाखा मृदा सर्वेक्षण, जलागम विकास तथा भूमि एवं जल संरक्षण एवं ऊसर व बीहड़ सुधार के लिये उत्तरदायी है। यह शाखा भूमि एवं संरक्षण अधिनियम, 1963 के नियमों के अधीन कार्य करती है। राज्य स्तर पर एक भूमि एवं जल संरक्षण परिषद् गठित है जो इन कार्यों से सम्बन्धित नीतियों का निर्धारण करती है।

(ख) इस शाखा का अधिशासी अधिकारी संयुक्त कृषि निदेशक (मृदा सर्वेक्षण) हैं। जो अपर कृषि निदेशक (भू0सं0) की देख-रेख में कार्य करते हैं।

(ग) भूमि जल प्रबन्ध प्रशिक्षण शाखा : इस शाखा के अधिशासी अधिकारी, निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्धन संस्थान हैं।

(4) सांख्यिकी शाखा :

932--इस शाखा का प्रभार निदेशक (कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा) के पास है, जो राजस्व परिषद् द्वारा कृषि सांख्यिकीय आंकड़ों के एकत्रीकरण के कार्य को प्राविधिक दिशा-निर्देश देने एवं कृषि तथा राजस्व परिषद् में समन्वय स्थापित करने हेतु/राजस्व परिषद् में अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त (सांख्यिकीय) भी है। इस प्रकार राजस्व परिषद् के समस्त कृषि सांख्यिकीय कार्यों का दायित्व भी इस शाखा पर है।

शिक्षण एवं शोध :

कानपुर एवं फैजाबाद स्थित कृषि विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं।

यू0पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 निगम के कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण:

933--यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 की स्थापना मार्च, 1967 में उत्तर प्रदेश शासन एवं भारत सरकार के संयुक्त पूंजी विनियोग के पश्चात् हरित क्रान्ति के नारे को सफल बनाने के उद्देश्य से की गयी थी।

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम :

934--उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकरण होकर 31 मार्च, 1978 को प्रदेश में भूमि सुधार के लिये हुई। निगम का मुख्यालय भू-मित्र भवन, टी0सी0-19/वी विभूति खण्ड, गोमती-नगर, लखनऊ में स्थापित है। नवम्बर, 1996 से निगम द्वारा विकास एवं लोकोपयोगी कार्यों को करने के कारण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत इसे बिना लाभ-हानि वाली कम्पनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

इन परियोजनाओं के संचालन हेतु निगम का संगठनात्मक ढांचा :

कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में सम्बन्धित विभिन्न विभागों के रूप में नामित विभागाध्यक्षों सहित निदेशक मण्डल हैं। निगम मुख्यालय पर प्रबन्ध निदेशक एवं विभिन्न विषयों के अधिकारीगण उप सामान्य प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक आदि विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं।

गुणात्मक बीज उत्पादन :

935--तराई विकास निगम की स्थापना 29 जून, 1969 को विश्व बैंक एवं भारत सरकार के सहयोग से की गयी थी। वर्ष 1978 में राष्ट्रीय बीज परियोजना फेज-2 में उत्तर प्रदेश तथा भारत सरकार (राष्ट्रीय बीज निगम के माध्यम से) द्वारा पूंजी निवेश कर इस निगम का पुनर्गठन किया गया तथा तदुपरान्त निगम ने "उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम लि0" के नाम से कार्य करना प्रारम्भ किया।

उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था :

शासनादेश सं0-ए-8896/12-5-129/75, दिनांक: 05 अक्टूबर, 1976

936--भारतीय बीज अधिनियम, 1966 की धारा-8 के अन्तर्गत प्रदेश में बीज प्रमाणीकरण संस्था का पंजीकरण स्वायत्तशासी संस्था के रूप में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट,1860 के अन्तर्गत 5 अक्टूबर, 1976 को कराया गया। प्रदेश में संस्था द्वारा बीज प्रमाणीकरण का कार्य वर्ष 1977 में खरीफ फसल सत्र से प्रारम्भ किया गया।

संस्था की प्रबन्धकारिणी परिषद् में कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन पदेन अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित कोई व्यक्ति अध्यक्ष एवं सचिव (कृषि), उत्तर प्रदेश शासन पदेन उपाध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त 12 पदेन सदस्य अधिकारी/बीज उत्पादक विभागों/संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं निदेशक, बीज प्रमाणीकरण पदेन सदस्य सचिव हैं।

संस्था का कार्य बीज अधिनियम, 1966 के संगत प्राविधानों के अधीन सम्पूर्ण प्रदेश में मात्र बीजों के प्रमाणीकरण तक ही सीमित है।

कृषि विपणन :

937--कृषि विपणन विभाग की स्थापना का उद्देश्य प्रदेश के कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना तथा प्रदेश में उचित विपणन व्यवस्था स्थापित करना है।

पर्यवेक्षीय संगठन :

938--कृषि विपणन विभाग, कृषि विपणन निदेशक, जो मण्डी निदेशक के मूल पदधारक तथा पदेन कृषि निदेशक भी हैं, के अधीन कार्यरत है।

शासनादेश सं0-3306/12-8-133/75, दिनांक : 14-7-1976

(अ) संयुक्त निदेशक/अपर निदेशक (कृषि विपणन)

(ब) उप निदेशक (कृषि विपणन)

(स) सहायक निदेशक (मुख्यालय)

(द) सहायक निदेशक (विपणन परिज्ञान एवं अनुसंधान)

शासनादेश सं0 971/12-5-91-600(259)/89, दिनांक: 28 जून,1991

(य) सहायक लेखाधिकारी

1–विपणन परिज्ञान : –प्रदेश के कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये उनको कृषि उपज की बिक्री कहां, कब और कैसे करनी है, इसकी जानकारी देने के उद्देश्य से विपणन सूचना तंत्र स्थापित है।

शासनादेश सं0-1088/12-5-600(147)/1981, दिनांक : 14 अप्रैल,1981

2–विपणन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान : प्रदेश में किसानों की, कृषि बाजारों एवं विपणन से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं की जानकारी करने तथा उनके निदान हेतु सुझाव देने का कार्य विपणन सर्वेक्षण के अन्तर्गत कराये जाते हैं।

3–वाणिज्यात्मक वर्गीकरण : कृषि उपज की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करने तथा कृषकों को उनकी उपज की गुणवत्ता के प्रति जागरुक बनाकर अच्छा मूल्य दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश की 76 विनियमित कृषि बाजारों में वाणिज्यात्मक वर्गीकरण का कार्य कराया जा रहा है।

4–एगमार्क वर्गीकरण : "एगमार्क" कृषि पदार्थों की शुद्धता का प्रतीक चिन्ह है। एगमार्क के अन्तर्गत भारत सरकार के कृषि उत्पाद (वर्गीकरण एवं चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (संशोधित 1986) के प्राविधानों के अन्तर्गत यह वर्गीकरण प्रदेश में ऐच्छिक कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित कराया जा रहा है।

5–विपणन प्रशिक्षण : विपणन प्रशिक्षण कार्य विभाग में वर्ष 1989 तक कार्यान्वित कराया जाता रहा, उसके बाद विभागीय स्टाफ के प्रशिक्षित हो जाने तथा अन्य कारणों से इस कार्य को बन्द कर दिया गया।

6–कृषि विविधीकरण परियोजना : उत्तर प्रदेश डाइवर्सीफाइड एग्रो सपोर्ट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत विभाग को संस्थागत सहयोग कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रदेश में विपणन सूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिये कम्प्यूटरीकरण की एक परियोजना वर्ष 1999 से 2003 तक के लिये प्रारम्भ कराई गई है।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश :

विज्ञप्ति सं0 6822/12-5-88-600(139)/86, दिनांक 15 अप्रैल, 1989,

939–वर्तमान में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश के अधीन सम्पूर्ण प्रदेश को विनियमन की परिधि में लाया जा चुका है।

विज्ञप्ति सं0-3530/12-5-88-600(137)/86-टी0सी0 दिनांक 25-01-1990

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत प्रदेश में अब तक 265 मण्डी समितियां तथा 382 उप मण्डियां विनियमित की जा चुकी हैं। 167 हाटपेठों का निर्माण कराया जा चुका है।

एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम (कोर्स सीरियल) की पद्धति पर मक्का के तकनीकी मिशन के अन्तर्गत तीव्रगामी मक्का विकास कार्यक्रम :

940--योजना का संक्षिप्त विवरण : भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 में प्रदेश के 13 जनपदों हेतु इस कार्यक्रम का अनुमोदन प्रदान किया गया1 वर्ष 1997-98 में यह कार्यक्रम 26 खरीफ एवं 6 रबी एवं 1998-99 में 34 खरीफ एवं 8 रबी के चयनित जनपदों में चलाया गया।

एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम (गेहूँ आधारीय) :

941--योजना का संक्षिप्त विवरण : एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम (गेहूँ आधारीय) का क्रियान्वयन प्रदेश के पश्चिमी, बुन्देलखण्ड एवं पर्वतीय क्षेत्र के इन जनपदों में भारत सरकार के दिशा निर्देशों एवं अनुमन्य सुविधाओं के आधार पर किया जा रहा है।

एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम-चावल :

942--केन्द्र पोषित इस योजना में केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात 75:25 है।

उत्तर प्रदेश में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम :

943--प्रदेश की तिलहनी खपत को दृष्टिगत रखते हुये राष्ट्रीय संस्था "टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड एण्ड पल्सेज" के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में प्रदेश में तिलहनी उत्पादन का कार्यक्रम चलाया गया।

उत्तर प्रदेश में कृषि आँकड़ों के सुधार की योजना :

944--यह योजना शासनादेश संख्या-4307/12-3-358/73, दिनांक 11-9-1974 द्वारा स्वीकृत की गयी थी।

(2) प्रदेश में फसलों के क्षेत्रफल एवं उनके उत्पादन सम्बन्धी आँकड़ों की रिपोर्ट तैयार करने की पद्धति को पुन: संगठित करने की योजना :

यह योजना प्रदेश में वर्ष 1968-69 से लागू की गयी थी, इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीनों मौसमों के प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल के अनुमान (बुआई के बाद) प्राथमिकता के आधार पर एकत्र करके प्रदेश तथा केन्द्र सरकार को निर्धारित समय पर भेजना है। शासनादेश सं0-ए/2407/ए/12ए-566-67, दिनांक: 20-6-1968

किसान मित्र योजना :

945--प्रत्येक ग्राम में एक प्रगतिशील किसान यथा सम्भव कृषि स्नातक माध्यम से उन्नत बीज, खाद एवं कीटनाशकों के सही उपयोग का प्रदर्शन, जो किसान मित्र के रूप में उन्नत कृषि विधियों के प्रचार-प्रसार में सहायक हो सके तथा कृषकों की अधिकाधिक सहभागिता प्राप्त कर कृषि उत्पादन बढ़ाने में सफल हो सकें। पत्र संख्या-यू0ओ0-66/ 12-2-98-एस-64/98, दिनांक 09-09-1998

इस योजना को तीन अंगों में विभक्त किया गया है :–

1–मित्र कृषक प्रशिक्षण

2–राइजोबियम कल्चर योजना

3–उन्नतशील बीज व्यवस्था

मृदा सर्वेक्षण :

946--इस शाखा का अधिशासी अधिकारी संयुक्त कृषि निदेशक, मृदा सर्वेक्षण है, जो अपर कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण) की देख-रेख में कार्य करते हैं।

जैव उर्वरक उत्पादन कार्यक्रम :

947--प्रदेश में राइजोबियम कल्चर उत्पादन हेतु 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना शासनादेश संख्या-948/12-2-38-389/88, दिनांक 15 अप्रैल, 1981 से तीन प्रयोगशालाओं की स्वीकृति के साथ की गई।

(अ) राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम :

प्रदेश में जहां 30 प्रतिशत से कम सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वहां राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम योजना का उद्देश्य वर्षा के पानी की कम मूल्य की उचित संरक्षण विधियाँ अपनाकर गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में रोककर उत्पादन वृद्धि करना, गांवों में स्वरोजगार में वृद्धि करना है। शासनादेश सं0-5914/12-3-112/85, दिनांक 8 सितम्बर, 1987

यह योजना शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसमें 75% प्रतिशत धनराशि अनुदान के रूप में एवं 25 प्रतिशत धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त होती है।

(ब) बाढ़ोन्मुखी गोमती योजना :

शासनादेश संख्या-518/12-3-473/81, दिनांक 24 मार्च, 1983

प्रदेश में केन्द्र पुरोनिधानित बाढ़ोन्मुखी गोमती नदी योजना वर्ष 1980-81 से प्रारम्भ हुई।

(स) बाढ़ोन्मुखी सोन योजना :

शासनादेश संख्या-6471/12(3)-398/82, दिनांक 15-12-1983

बाढ़ोन्मुखी सोन नदी योजना सोनभद्र जनपद में 1983-84 से चलाई जा रही है।

(द) केन्द्र पुरोनिधानित ऊसर सुधार योजना समन्वित अम्बेदकर ऊसर सुधार योजना:

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं भूमिहीन कृषि श्रमिकों को ग्राम समाज की उक्त भूमि आवंटित कर स्वामित्व दिलाना, श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं कृषि योग्य ऊसर बंजर भूमि सुधार कर कृषि के अन्तर्गत लाकर कृषि विभाग द्वारा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 1986-87 से प्रदेश में केन्द्र पुरोनिधानित ऊसर सुधार योजनान्तर्गत ऊसर सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(य) नाबार्ड सहायतित एकीकृत जलसमेट क्षेत्र विकास परियोजना बुन्देलखण्ड :

शासनादेश संख्या-1322/12-3-99-31, दिनांक 6 अप्रैल, 1999

परियोजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के 6 जनपदों-ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा तथा बांदा के असिंचित एवं सूखोन्मुख भू-भागों में नमी, संरक्षण एवं जल संचयन विधियों द्वारा बारानी खेती को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(र) समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना :

भारत सरकार के परती भूमि विकास विभाग द्वारा वर्ष 1996-97 में 8 जनपदों फतेहपुर, फिरोजाबाद, इटावा, आगरा, आजमगढ़, जौनपुर , वाराणसी तथा कानपुर नगर की समेकित बंजर भूमि विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी।

(ल) सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास परियोजना :

सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास परियोजना प्रदेश के 18 जनपदों में चलाई जा रही है। यह योजना केन्द्र पुरोनिधानित है तथा प्रदेश में इस भूमि विकास तथा जल संसाधन विकास विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है।

(व) थारू जनजाति योजना :

प्रदेश में थारू जनजाति के विकास के उद्देश्य से एक परियोजना बलरामपुर जनपद में क्रियान्वित की जा रही है।

(श) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा घोषित रोजगारपरक योजनाएं :

विभिन्न जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों द्वारा भूमि संरक्षण इकाइयों को रोजगारपरक योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध करायी जाती है, जिससे जलसमेट क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

अध्याय--78

चिकित्सा शिक्षा विभाग

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण :

948--चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद एवं यूनानी तथा होम्योपैथिक सेवायें आती हैं। इनमें प्रत्येक के लिए अलग-अलग एक निदेशालय का गठन किया गया है। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, आयुर्वेद एवं यूनानी में निदेशक तथा होम्योपैथिक सेवायें में भी निदेशक का एक-एक पद सृजित है।

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रदेश में छ: मेडिकल कालेज-जो कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी, आगरा एवं मेरठ में संचालित हैं तथा किंग जार्ज मेडिकल कालेज जो लखनऊ में स्थापित है, के शिक्षण कार्य का नियंत्रण किया जाता है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना लखनऊ में की गयी है जिसमें असाध्य रोगों के इलाज की व्यवस्था नयी तकनीकी एवं उपकरणों द्वारा की जाती है।

आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें :

949--आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाओं के लिये एक पृथक् निदेशालय का गठन किया गया है। सम्प्रति 10 आयुर्वेदिक कालेज एवं दो यूनानी कालेज प्रदेश में है जिसमें भारतीय चिकित्सा पद्धति का शिक्षण कार्य होता है। प्रदेश में 208 आयुर्वेदिक और 369 यूनानी अस्पताल भी संचालित है। प्रदेश में 03 औषधि निर्माण प्रयोगशालायें भी कार्यरत हैं।

होम्योपैथिक :

950--होम्योपैथिक विधा हेतु शासन द्वारा वर्ष 1981 में होम्योपैथिक निदेशालय का गठन किया गया था।

प्रदेश में 10 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय कार्यरत है, जो क्रमश: लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, इलाहाबाद, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ एवं बिजनौर में स्थापित है। जनता को होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 1354 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय स्वीकृत/कार्यरत हैं।

अध्याय--79

कर एवं निबन्धन विभाग

951–कर एवं संस्थागत वित्त विभाग का मुख्य कार्य राजस्व संग्रह है। व्यापार कर, मनोरंजन कर तथा स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क के रूप में प्राप्त राजस्व प्रदेश के वित्तीय संसाधनों का प्रमुख स्रोत है।

दिनांक 1-10-1990 से पूर्व कर एवं संस्थागत वित्त सचिव शाखा का अधिष्ठान कार्य (वित्त सेवायें) अनुभाग-1 द्वारा किया जा रहा था। उक्त तिथि के पश्चात् यह कार्य वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-3 द्वारा सम्पादित किया जाने लगा जो वर्तमान में कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-3 के नाम से प्रवृत्त है। कर एवं संस्थागत वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन निम्न प्रभाग हैं :

व्यापार कर विभाग :

952--इस संगठन के शीर्ष पर कमिश्नर, व्यापार कर हैं। उनके नियंत्रणाधीन एडिशनल कमिश्नर, जोनल एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेन्ट कमिश्नर, व्यापार कर अधिकारी तथा व्यापार कर अधिकारी श्रेणी-2 नियुक्त है।

इस विभाग को मुख्यत: तीन भागों में बांटा गया है : –

(1) प्रशासनिक/कर निर्धारण कार्य

(2) न्यायिक कार्य

(3) प्रवर्तन कार्य

ये तीनों भाग कमिश्नर, व्यापार कर की देखरेख में अपना कार्य सम्पादित करते हैं। इस विभाग का मुख्य कार्य व्यापार कर निर्धारण एवं उसकी वसूली है तथा यह सुनिश्चित करना कि इस दिशा में कोई करापवंचन न हो। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से वर्ष 1997-98 में प्रदेश 39 सम्भागों एवं 118 सर्किलों में विभक्त किया गया। नवम्बर, 1996 से असिस्टेंट कमिश्नर (न्याय) के रेंज समाप्त कर दिये गये और समस्त प्रथम अपीलों की सुनवाई डिप्टी (अपील) द्वारा की जाती है। करापवंचन पर प्रभावी रोक के लिये विशेष अनुसंधान शाखा का गठन किया गया है और इस दृष्टिकोण से वर्ष 1997-98 में पूरा प्रदेश 15 सम्भागों में विभक्त किया।

दिनांक 28-9-1994 के पूर्व यह विभाग बिक्रीकर विभाग के नाम से जाना जाता था। उक्त तिथि के बाद यह व्यापार कर विभाग के नाम से कार्य कर रहा है।

व्यापार कर अधिकरण विभाग :

953--इस विभाग के शीर्ष पर अध्यक्ष हैं तथा इनकी सहायता के लिये 33 सदस्य नियुक्त हैं। इनका मुख्य कार्य व्यापार कर विभाग से सम्बन्धित द्वितीय अपीलों का निस्तारण कराना है अर्थात् न्यायिक कार्य सम्पादित करना।

मनोरंजन कर विभाग :

954--इस विभाग के शीर्ष पर मनोरंजन कर आयुक्त हैं तथा इनकी सहायता के लिए अपर आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, जिला मनोरंजन कर अधिकारी, मनोरंजन कर/निरीक्षक (ग्रेड-1) एवं मनोरंजन कर निरीक्षक (ग्रेड-2) तैनात हैं। मनोरंजन कर विभाग का मुख्य कार्य आमोद एवं पणकर की वसूली तथा यह सुनिश्चित करना कि इस दिशा में कोई करापवंचन न हो।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग :

955--इस विभाग के शीर्ष पर महानिरीक्षक निबंधन है जो पदेन अपर सचिव, राजस्व परिषद् एवं मुख्य निरीक्षक स्टाम्प भी है और इस हैसियत से स्टाम्प विभाग के कार्यों का नियंत्रण करते हैं। महानिरीक्षक, निबन्धन की सहायता के लिए अपर महानिरीक्षक, निबन्धन, सहायक महानिरीक्षक, निबंधन, उपमहानिरीक्षक, निबंधन, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) तथा सब-रजिस्ट्रार तैनात हैं।

विभाग का मुख्य कार्य लेखापत्रों का निबंधन, उनके प्रतिलिपियों की स्थायी सुरक्षा तथा पंजीकरण के पश्चात्, उन्हें पक्षकारों को वापस करना है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत हुए लेखपत्रों पर देय स्टाम्प शुल्क का परीक्षण एवं इसकी वसूली का कार्य सम्पन्न किया जाता है।

संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय :

956--इस विभाग के शीर्ष पर निदेशक है तथा इनकी सहायता के लिए संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, विशेष कार्याधिकारी एवं सहायक निदेशक नियुक्त है।

संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय का गठन अगस्त, 1972 में हुआ था। इस विभाग का मुख्य कार्य एक ओर वित्तीय संस्थाओं (व्यावसायिक) कोआपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक, एस0एफ0सी0, आई0डी0बी0पी0, आई0सी0आई0सी0आई0, नाबार्ड आदि के मध्य समन्वय स्थापित करना तथा दूसरी ओर राज्य के विभिन्न विभागों/निगमों के मध्य समन्वय स्थापित करना है। संस्था वित्त निदेशालय, नई ग्रामीण बैंक/व्यवसायिक बैंक की शाखायें खोलने का अनुभव भी करता है।

957--कर एवं संस्थागत वित्त विभाग के विभागीय नियम एवं आदेश

(1) मनोरंजन कर विभाग :

क्रमांक	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	विषय
1	यू0पी0 एक्ट संख्या-28 सन् 1979	उ0प्र0 आमोद और पणकर अधिनियम, 1979
2	यू0पी0 एक्ट संख्या-16 सन् 1981	उ0प्र0 विज्ञापन कर अधिनियम, 1981
3	यू0पी0 एक्ट संख्या-3 सन् 1956	उ0प्र0 चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955
4	उ0प्र0 आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की धारा-38 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निर्मित तथा दिनांक 24-9-1997 से प्रवृत्त।	उ0प्र0 केबिल टी0वी0 नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली, 1997

(2) स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग :

क्रमांक	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	विषय
1	एस0आर0-2014/दस-129-75, दिनांक : 15-11-1975	अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को जिला निबंधक का अधिकार।
2	एस0आर0-737/दस-500(90)/78, दिनांक : 7-2-1979	स्टाम्प आयुक्त, अपर स्टाम्प, उप-स्टाम्प आयुक्त, सहायक स्टाम्प आयुक्त को भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर की शक्ति प्रदान करना।
3	एस0आर0-378/दा-207(65डी), दिनांक :15-2-1979	अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को कलेक्टर की शक्ति प्रदान करना।

क्रमांक	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	विषय
4	सी0-6329/ग्यारह-452, दिनांक : 16-12-1930	सब-रजिस्ट्रार को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा-16 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर घोषित करना।
5	7726/एक-236, दिनांक : 21-10-1989	उ0प्र0 (फोटो स्टेट प्रतियों के साथ दस्तावेजों की रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1989
6	क0स0वि0-5-2391/ग्यारह-98-500(9)/98 दिनांक : 10-6-1998	ट्रैक्टर आदि क्रियाकलापों से सम्बन्धित बैंक के पक्ष में निष्पादित बंधक प्रभार, ऋणबंधक (हाईपोथिकेशन) के प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित विलेख पर रु0 100.00 से अधिक स्टाम्प की माफी।
7	क0स0वि0-5-3706/ग्यारह-98, दिनांक : 16-12-1998	अनुच्छेद 6 तथा अनुच्छेद 12(ए) भारतीय स्टाम्प अधिनियम में देय स्टाम्प शुल्क 0.5 प्रतिशत तथा अधिकतम 10,000.00 करना।
8	2007/बारह-18-एक/95, दिनांक : 20-3-1998	लेख-पत्रों के पंजीकरण के बाद दाखिल-खारिज हेतु तहसील को प्रेषित करना।
9	एस0आर0-620/ग्यारह-93-500/49/92, दिनांक : 2-2-1993	रु0 37,762.50 से अधिक धनराशि का ऋण या अन्य वित्तीय सहायता के लिखित (बंधक प्रभार दृष्टि बंधक) या प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित विलेखों पर दीन दयाल विकास योजना, सघन मिनी डेरी परियोजना के अधीन मिनी डेरी की स्थापना के लिए देनदार द्वारा बैंक के पक्ष में निष्पादित लिखत पर प्रभार्य से छूट।
10	क0स0वि0-5-75/11-98-500(28)/98, दिनांक : 26-10-1998	लेख-पत्रों की पंजीकरण के बाद उसी दिन वापसी।
11	1427/सत्रह-वि0-1-1(क) 25-1997, दिनांक : 27-7-1998	लेख-पत्रों की रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् सन्दर्भण पर रोक।
12	एस0आर0-2114/ग्यारह-97-1306/95, दिनांक : 8-7-1997	उ0प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 द्वारा उ0प्र0 स्टाम्प नियमावली के नियम-340 से 352 के स्थान पर बनाये जाना।

व्यापार कर विभाग :

क्रमांक	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	विषय
1	1480/सत्रह-वि0-1-2-(क)-25-1994, दिनांक : 28-9-1994	उ0प्र0 बिक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1994
2	1670/सत्रह-वि0-1-1(क)-34-1995, दिनांक : 25-8-1995	उ0प्र0 बिक्रीकर (संशोधन) अध्यादेश, 1995
3	क0स0वि0-1-5316/11-97-70-88, दिनांक : 25-11-1997	उ0प्र0 व्यापार कर सेवा (तृतीय) (संशोधन) नियमावली, 1997

पी0एस0यू0पी0--1 सा0 भाषा--29-5-06--5,000 प्रतियाँ (डी0टी0पी0/आफसेट)।